# महिला पुलिस से अपेक्षाएं

(भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने हिन्दी में पुलिस संबंधी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने 23 मई, 1979 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि न्याय वैद्यक, अपराध शास्त्र, पुलिस अनुसंधान और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर लिखित हिन्दी की मौलिक पुस्तकों पर पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना प्रतिस्थापित की जाए। तदनुसार 22 मार्च, 1980 को अपर सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई बैठक में निर्धारित मापदंडों के आधार पर इस संबंध में जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के अंतर्गत ही भाग 1 में मौलिक प्रकाशित पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाता है तथा वर्ष 1982 से भाग 2 के अंतर्गत दिए गए विषयों पर पुस्तक लेखन कार्य कराया जाता है। इसी के तहत यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।)

इन पुस्तक में दिए गए विचार लेखक के निजी है
इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की
सहमति आवश्यक नहीं है।



प्रकाशक – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय),
3/4 मंजिल, ब्लाक–II, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

एकमात्र वितरक – नियंत्रक प्रकाशन विभाग,
सिविल लाइंस, दिल्ली–110054

प्रथम संस्करण – 2012

मुद्रक – प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय

# विषय सूची

# आमुख

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा पुलिस व न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित हिंदी में साहित्य उपलब्ध कराने के लिए पं. गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना को वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था। संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

आज अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस से प्रभावी अपेक्षाएं होने लगी हैं। बड़े अपराधों के कृत्य पर अब केवल पुरुषों का ही आधिपत्य नहीं रहा, महिलाएं भी इस कृत्य में प्रवेश कर चुकी हैं। अपराधी महिलाओं से निपटने के लिए आज महिला पुलिस की आवश्यकता और अधिक प्रतीत होने लगी है। महिला पुलिस से किस प्रकार की अपेक्षाएं समाज और विभाग को हैं तथा पुलिस सेवा में महिलाओं की स्थिति व समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण, से संबंधित समस्या के निदान में कैसे सहायक हो सकता है। इस समस्या की गंभीरता एवं विभिन्न पहलुओं को देखते हुए ब्यूरो द्वारा संचालित पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना की मूल्यांकन समिति ने पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से इस विषय पर विचार आमंत्रित किए। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रूपरेखाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षित विषय 'महिला पुलिस से अपेक्षाएं' पर डा. अनुपम शर्मा द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा को चुना गया। लेखिका ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के साथ-साथ ठोस सुझाव प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास भी किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लेखिका द्वारा दी गई राय उनकी निजी राय है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं भारत सरकार की इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। ये लेखिका के सामान्य प्रकाशन के लिए नहीं है।

महानिदेशक
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

# भूमिका

अपराधों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। जब मानव सभ्यता अस्तित्व में आयी तो अपराधों का प्रादुर्भाव भी हो गया और सभ्यता के विकास के साथ-साथ अपराधों की तीव्रता ओर उनकी बारम्बारता भी बढ़ती गयी और आज यह सभी समाजों में व्याप्त है। आधुनिकता और भूमण्डलीकरण के इस दौर में हर कोई एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। इस दौड़ में मूल्य कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं और व्यक्ति भौतिकता को अधिक महत्व दे रहा है इसी का परिणाम यह है कि व्यक्ति साम, दाम, दण्ड ओर भेद किसी भी माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहता है। आज प्रत्येक व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीने की चाह रखता है जो उसके पास है, उसमें वह संतुष्ट नहीं रहता है तथा और अधिक पाने की चाह में लगा रहता है जिसके परिणामस्वरूप समाज में अपराध और अपराधिता की प्रवृत्ति भी निरंतर बढ़ रही है।

भारत में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास के साथ-साथ महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की संख्या और उनकी गम्भीरता में भी वृद्धि होती जा रही है। महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्रों में घर से बाहर निकलकर कार्य कर रही हैं तथा देश की राष्ट्रीय आय में अपना सहयोग दे रही हैं। परन्तु दूसरी तरफ घर से बाहर निकलने के कारण उनके प्रति अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। आज वे न केवल घर के अन्दर बल्कि बाहर भी सुरक्षित नहीं हैं। चिंताजनक तथ्य यह है कि महिलाओं के साथ-साथ मासूम, निरीह और अबोध बच्चियां तक भी पुरुषों के यौन उत्पीड़न को झेलने के लिए मजबूर हैं।

आधुनिकता की इस दौड़ में महिलाएं भी अपराधों को अंजाम देने में पीछे नहीं हैं और वे न केवल छोटे अपराधों बल्कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों को भी अंजाम दे रही हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टापों, सिनेमाघरों, बाजारों एवं इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराध आदि भी महिलाएं कर रही हैं। उन सबसे निपटने के लिए महिला पुलिस की अनिवार्यता एवं उपयोगिता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 1968 में दिल्ली पुलिस कमीशन ने भी सिफारिश की थी कि महिला पुलिस को महिलाओं तथा बच्चों से सम्बन्धित कार्यों में लगाया जाए तथा जन सम्पर्क के कार्य में महिला पुलिस का सहयोग लिया जाए। आयोग के इन सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए तथा महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने एवं जांच पड़ताल करने हेतु महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती अधिकाधिक की जा रही है। जनपद स्तर पर महिला पुलिस थानों की स्थापना तथा अधिक संवेदनशील स्थानों पर महिला सेल का भी गठन किया जा रहा है जिससे महिलाओं को अधिकाधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। ये महिला थाने और सेल अधिकतर महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम तथा जांच पड़ताल करने का कार्य करते हैं।

काफी महिलाएं आज पुलिस की नौकरी किसी दबाव में या आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि स्वयं चुनौती के रूप में स्वीकार कर कर रही हैं। महिलाएं आज पुलिस विभाग में उच्च पदों पर भी आसीन हैं तथा अपनी भूमिका का सफलता पूर्वक निर्वहन कर रही हैं। वर्ष 2011 में दिल्ली पुलिस में 20 पुलिस कमान्डोज को अति विशिष्ट कार्यों हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। भविष्य में भी इसी प्रकार के कमान्डोज की भर्ती तथा प्रशिक्षित करने की योजना है जिससे ये भी पुरुष पुलिसकर्मियों की भांति कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कर सकें तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत एवं मार्गर्दाक बन सकें।

महिला पुलिस कर्मियों की विभाग में नियुक्ति के साथ-साथ ही समाज में उनसे अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। प्रत्येक वर्ग आज उनसे आशा तथा विश्वास रखता है कि वे समाज में अपराधों पर विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर नियन्त्रण बनाएंगी तथा अपराधियों को उचित दण्ड



दिलाकर पीड़ितों को उचित एवं त्वरित न्याय दिलाएंगी। प्रस्तुत पुस्तक में महिला पुलिस की भूमिका का समालोचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है तथा उसको और अधिक प्रभावी बनाने हेतु, अन्वेषणात्मक अध्ययन के आधार पर सुझाव देने का प्रयास किया गया। प्रस्तुत पुस्तक को छः अध्यायों में विभाजित किया गया है।

पुस्तक के प्रथम अध्याय में पुलिस की भूमिका का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया है तथा साथ ही साथ वह किस संगठनात्मक आधार पर कार्य करती है उसका विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। पुलिस की संख्या का जनसंख्या के अनुपात में राज्यवार स्थिति को स्पष्ट करते हुए उनकी अनुमोदित एवं उपस्थित संख्या को दर्शाया गया है।

शोध का दूसरा अध्याय प्रमुख रूप से भारत में महिला पुलिस की स्थिति को स्पष्ट करता है। भारत में महिलाएं पुलिस विभाग में स्वतन्त्रता के पश्चात ही नहीं अपितु स्वतन्त्रता से पूर्व भी कार्यरत थीं। प्रथम प्रयास के बाद महिला पुलिस की भूमिका से यह सिद्ध हो चुका था कि वे महिलाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों को रोकने में सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं पुलिस विभाग में सभी पदों पर वे सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। यद्यपि पुलिस की नौकरी एवं इसकी परिस्थितियां महिलाओं के लिए कठिन हैं परन्तु इसके उपरान्त भी उन्होंने इस व्यवसाय को स्वेच्छा से एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है एवं अपनी उपयोगिता को विभिन्न अवसरों पर सिद्ध किया है।

तीसरे अध्याय में लेखक के द्वारा महिलाओं के दोहरे स्वरूप का वर्णन किया है। एक तरफ महिलाएं समाज में अपराधों से सबसे अधिक पीड़ित हैं, वहीं दूसरी ओर वे भी आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए स्वयं भी अपराध में लिप्त हो रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों का ग्राफ एवं महिलाओं की असुरक्षा की स्थिति का न केवल बाहर बल्कि घर के अन्दर का भी विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है।

लेखिका द्वारा चौथे अध्याय में महिला पुलिस की भूमिका का मूल्यांकन करने तथा उसको और प्रभावी बनाने हेतु जनता का मत

जानने का प्रयास किया गया है। सर्वेक्षण प्रपत्र और साक्षात्कार के माध्यम से सामान्य जनता से प्रश्न पूछकर आंकड़े एकत्रित किए गए हैं तथा एकत्रित आंकड़ों को प्रतिशत के माध्यम से दर्शाकर निष्कर्षों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

पांचवे अध्याय में महिला पुलिस के विचारों का विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षण, प्रपत्र एवं साक्षात्कार के माध्यम से उनकी नौकरी की परिस्थितियों, समस्याओं तथा निराकरण हेतु सुझाव जानने का प्रयास कर उनका विश्लेषण किया गया है तथा उनसे पूछे गए प्रश्नों की समीक्षा प्राप्त उत्तरों की सांख्यिकी गणना प्रतिशत के आधार पर की गयी है।

शोध के छठे एवं अन्तिम अध्याय में लेखिका के द्वारा महिला पुलिस से अपेक्षाओं का वर्णन किया है। स्वतन्त्रता के पश्चात महिला पुलिस की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा इसके साथ-साथ आम जनता में उनसे अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं इस अध्याय में इन्हीं अपेक्षाओं को कसौटी पर कसने का प्रयास किया गया है। वर्तमान संदर्भो में महिला पुलिस को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा सारगर्भित बनाने हेतु जो सुझाव शोध के माध्यम से आए हैं उनको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ये सुझाव मात्र सैद्धान्तिक ही न बनाकर बल्कि उनको व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया है जिससे महिला पुलिस अपेक्षित अपेक्षाओं को पूरा कर सकें तथा समाज में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा कर सकें।

किसी भी पुस्तक का लेखन एक सामूहिक कार्य होता है, जिसमें बहुत से लोगों की प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, भावनात्मक और प्रोत्साहननात्मक भूमिका रहती है। इस शोध के सफलता पूर्वक सम्पन्न  होने पर उन सभी परिजनों, शुभचिंतकों और चिंतकों और मित्रों को शत-शत नमन एवं धन्यवाद देती हूं जिनका स्नेहाशीष मुझे सभी सम-विषयम परिस्थितियों में मिलता रहा और जो सदैव मुझे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

इस कृति की रचना करने में जिन विद्वानों, शुभचिन्तकों तथा पारिवारिक स्वजनों का सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करती हूं। इस शोध में मुझे मेरे पति श्री विश्वेश शर्मा का बहुमूल्य सहयोग, प्रशंसनीय योगदान तथा विषय सम्बन्धी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है तथा मेरे परिवार के सदस्यों विशेषकर बेटा भव एवं बिटिया प्लाक्षी की आभारी हूं, जिन्होंने स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से अपना भरपूर सहयोग दिया है। इस शोध की टाइपिंग में श्री नरेश कुमार का भी प्रशंसनीय योगदान है।

यथार्थ में इस शोध को पूरा करने के लिए सतत् प्रेरणा प्रदान करने का श्रेय परमपिता परमेश्वर को है जिसके प्रति आत्मीय कृतज्ञता एवं विनम्र आभार प्रकट करने में मैं स्वयं को असमर्थ पाती हूं।

यह पुस्तक 'महिला पुलिस से अपेक्षाएं' कुछ वैचारिक एवं बौद्धिक स्तर की सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। अनुसंधानात्मक स्वरूप प्रदान करने हेतु लेखिका ने इस विषय में दो सर्वेक्षण प्रपत्रों की सहायता से विभिन्न राज्यों तथा व्यवसायों के व्यक्तियों से उनके विचारों को प्राप्त किया है। महिला पुलिस ने भी सर्वेक्षण प्रपत्र को भरने में अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर बहुमूल्य जानकारी दी है। इन सभी के प्रति लेखिका आभार प्रकट करती है, जिन व्यक्तियों से साक्षात्कार कर के अनौपचारिक रूप से मिलकर विषय के बारे में विचार-विमर्श किया गया है तथा उनके विचारों को सुनकर उनसे भी लाभ उठाया गया है, मैं उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देती हूं।

**—डा. (श्रीमती) अनुपम शर्मा**

अध्याय एक

# समाज में पुलिस की भूमिका

पुलिस व्यवस्था प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में सदैव उपस्थित रही है यद्यपि उसका स्वरूप भिन्न -भिन्न रहा है। व्यक्ति की शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। इन उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए सभी राज्यों ने प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया, पुलिस इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है जो मनुष्यों को शांति पूर्वक जीवन यापन करने के लिए परिस्थितियां प्रदान करने का कार्य करता है। आक्सफोर्ड डिक्शनरी में पुलिस को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि 'पुलिस एक ऐसा संगठन है, जो लोगों से कानून का आदेश मनवाने तथा अपराध को रोकने व सुलझाने का काम करता है।' पुलिस राज्य की ऐसी संवैधानिक बलशाली संस्था है जो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखती है तथा सभी को सुरक्षा प्रदान करती है। वह राज्य के उन सभी कायदे कानूनों को अमली जामा पहनाने का भी कभी कार्य करती है जिन्हें उसने अपने कामकाज करने तथा अपनी रक्षा के लिए बनाया हुआ है तथा वह संविधान की प्रतिष्ठा को भी बनाए रखती है।

पुलिस लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। यह संगठन समाज में शांति-व्यवस्था एवं स्थायित्वता को सुनिश्चित करता है। समाज में

होने वाले प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन को पुलिस इस प्रकार नियमित करती है कि उससे समाज में सामंजस्य एवं निरन्तरता बनी रहे। अनेक बार पुलिस स्वयं सामाजिक परिवर्तन के संसाधन के रूप में कार्य करती है और स्वयं ही समाज में लोकतंत्रात्मक मूल्यों का विकास एवं संवर्द्धन करती है।[1] प्रभावी पुलिस तंत्र एवं कानून और व्यवस्था की स्थापना अच्छे शासन का एक अनिवार्य तत्व है। राज्य अपनी पुलिस शक्तियों के कारण ही अन्य सांगठनिक संरचनाओं से पृथक पहचान रखता है।[2] पुलिस राष्ट्र में कानून एवं व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने वाली प्रमुख कार्यकारी संस्था है। वह समाज में स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। कोई भी कानूनी प्रावधान हो, अन्ततः उसकी अनुपालना पुलिस को ही सुनिश्चित करानी होती है। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी न्यायिक या प्रशासनिक आदेश चाहे व नियामक हो या दंडात्मक, उसका क्रियान्वयन अंततः पुलिस को ही करवाना होगा। किसी भी राष्ट्र में और विशेषतः लोकतंत्रीय शासन में पुलिस की भूमिका अत्याधिक महत्वपूर्ण होती है। लोग जब निराश और हताश हो जाते हैं तभी पुलिस के पास पहुंचते हैं। जनता पुलिस से यह आशा करती है कि वह अपनी सुख-सुविधा की परवाह किए बिना चौबीस घंटे सेवा के लिए तत्पर रहे। जनता यह भी आशा करती है कि पुलिस में दया, मानवता, शिष्टाचार एवं सेवाभावना के गुण भरे हों। पुलिस ही वह प्रमुख संस्थान है जो समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखता है। लोकतंत्र में पुलिस की विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य होती है।[3] वस्तुतः पुलिस जैसी महत्वपूर्ण संस्था का अस्तित्व समाज में नया नहीं है बल्कि जब से मानव ने समाज में रहना शुरू किया अर्थात अति प्राचीन काल से ही पुलिस का आविर्भाव हो गया था। क्योंकि समाज में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे दक्ष एवं आज्ञाकारी संगठन का निर्माण किया जाए जो राज्य की शक्ति के बल पर न केवल समाज में कानून की पालना को सुनिश्चित कर सके बल्कि कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड भी दे सके। एक संगठित समाज में कानून मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। विकृत मानसिकता और पाशविक



प्रवृत्ति हमेशा से ही समाज में पनपती रही है। मनुष्य की इसी पाशविक प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस सदा से ही समाज का एक हिस्सा बनकर अस्तित्व में रही है।[4] सामान्य व्यक्ति के लिए पुलिस व्यवस्था ही राज्य और सरकार का मूर्त रूप रही है। वास्तव में देखा जाए तो राज्य के अनेक मूल उद्देश्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए यहां तक कि सामान्य कानूनों को अन्तिम रूप से क्रियान्वित कराने का दायित्व भी पुलिस के कंधों पर ही है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री अरस्तू का मानना है कि 'राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है।' यहां हम यह कह सकते हैं कि सद्जीवन की प्राप्ति के लिए ही पुलिस का निर्माण हुआ है। कोई भी सरकार जनता की भलाई के लिए तथा अपनी सुरक्षा के लिए जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है, उन्हें हम उसके पुलिस कार्यों के रूप में जानते हैं और यदि सरकार अपने इन कार्यों को निभाना बंद कर दे तो सरकार का मूल आधार ही लड़खड़ाने लगता है। लोकतंत्र में पुलिस व्यवस्था अत्याधिक जटिल है एवं पुलिस का चार्टर भी लोकतंत्र में अत्यंत व्यापक माना जाता है। पुलिस संगठन को समाज में नियमों के तहत नागरिकों के क्रियाकलापों को विनियमित करना होता है। इसके लिए पुलिस को कठोर कार्रवाई भी बहुधा करनी पड़ती है यद्यपि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता जैसे विचारों का बहुत अधिक महत्व होता है लेकिन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस को इसे अनेक अवसरों पर सीमित करना होता है जिससे जनता में पुलिस के प्रति नकारात्मक विचारों का जन्म होता है।[5]

किसी भी समाज में पुलिस की उपस्थिति सामाजिक व्यवस्था की प्रस्थापना और उसे बनाए रखने की प्राथमिक आवश्यकता है। विकासशील समाज की अपेक्षा विकसित समाज में नागरिकों ने पुलिस को अधिक सशक्त एवं उत्तरदायी बनाया गया है। जहां एक ओर साम्प्रदायिक शक्तियां अलग-अलग प्रभागों में विकेन्द्रीकृत हो चुकी हैं, वहीं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी नागरिक पुलिस पर है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जहां राजनीतिक स्थिरता और विकास प्रशासन हेतु विधिसम्मत व्यवस्था

की प्राथमिक आवश्यकता है वहां पुलिस प्रशासन अत्यधिक प्रभावी भूमिका में होना चाहिए। यह विधियों की स्थापना और तदनुरूप सामाजिक श्रेणीक्रम की वांछनीय व्यवस्था को बनाए रखने का विशेष अभिकरण है। दोहरे कर्तव्यों के अनुपालन के लिए पुलिस प्रशासन का उत्तरदायित्व अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक है।

पुलिस की आवश्यकता पूर्णतः न्याय, शांति और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह शासक के विधिसम्मत मूल्यों का प्रतीक है। सत्ता और सरकार का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि पुलिस ही विधि के अनुरूप लोगों को व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। विधि के अनुरूप व्यवहार करने वाले सामान्य नागरिक भी किसी भी व्यक्ति या संस्था के असामान्य व्यवहार की स्थिति में पुलिस से सहायता की आशा रखते हैं। लोकतांत्रिक समाज में सरकार का अन्य कोई भी अभिकरण नागरिकों के इतने समीप नहीं होता है।

पुलिस की प्रकार्यात्मक शैली मूलतः एक शक्ति अभिकरण की ओर इंगित करती है। आधुनिक समाज में इसकी उपयोगिता प्रस्थापित करने की अपेक्षा इसका अधिकतम दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाता है। सत्ता के संचालकों द्वारा अपने हितों के अनुरूप पुलिस बल का उपयोग किया जाता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा पुलिस की भूमिका सुनिश्चित की जाती है और कभी-कभी विधिसम्मत न होते हुए भी गैर-राजनीतिक मामलों में भी पुलिस का दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए पुलिस की छवि सामान्य जनता के मध्य शोषणपरक और अव्यावहारिक प्रकार्यात्मक संस्था के रूप में की जाती है। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने अपराधों को रोकने एवं उनकी जांच करने तथा अवैध आव्रजन, साम्प्रदायिक दंगों, अग्निकांड, चक्रवात, भूकम्प, महामारी आदि पर नियन्त्रण और साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाना, कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करना आदि अनेक कार्यों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी पुलिस का प्रमुख कार्य है। पुलिस के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो 'POLICE' के प्रत्येक अक्षर का यह अर्थ लगाया जा सकता है-

P = Polite = विनम्र
O = Obedience = आज्ञाकारी



L = Liability = जिम्मेदारी
I = Intelligent = बुद्धिमान
C = Courageous = साहसी
E = Efficient = दक्ष

अंग्रेजी शब्द 'POLICE' मूलतः सभ्य समाज या संगठित सरकार के भाव को व्यक्त करता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज में लोगों की शासन-पद्धति और उनके हितों की सुरक्षा के लिए पुलिस मूलतः कानून के एक अभिकरण के रूप में कार्य करती है। सामान्य नागरिकों की भांति पुलिस को भी विधि के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। व्यक्ति के सभी अन्तःक्रियात्मक परिवेश और सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्थापरक उपयुक्तता बनाए रखने के लिए पुलिस आधुनिक समाज की एक सामान्य आवश्यकता बन गई है।

## भारत में पुलिस का विकास

भारतीय धर्मशास्त्रों के ऐतिहासिक विवेचन से स्पष्ट होता है कि समुदाय का मुखिया सामाजिक एवं धार्मिक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता था। अपने हितों की रक्षा के लिए ग्रामीणजन मुखिया के माध्यम से कार्य करते थे। आधुनिक पुलिस बल की भांति किसी विधिसम्मत व्यवस्था का सृजन नहीं किया गया था, लेकिन स्वनिर्मित सुरक्षा व्यवस्था अवश्य थी। परिवार के लिए पिता, गांव के लिए मुखिया एवं धर्म के लिए गुरू तथा समाज के लिए राजा प्रधान संरक्षक का कार्य सम्पादित करता था। राजा का प्रमुख कार्य समाज में हिंसा की रोकथाम करना और हिंसा में लिप्त लोगों को सजा देना था। भारत में पुलिस व्यवस्था का विकास धीरे-धीरे हुआ है। भारतीय पुलिस के विकास को समझने के लिए इसे निम्न भागों में बांट सकते हैं—

(1) हिन्दू युग की पुलिस, (2) मुस्लिम युग की पुलिस, (3) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के युग की पुलिस, (4) ब्रिटिशकालीन पुलिस तथा (5) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के युग की पुलिस (स्वातन्त्र्योत्तर कालीन पुलिस)।

(1) **हिन्दू युग की पुलिस** : प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन

यह स्पष्ट करता है कि भारत में सभ्यता के उषाकाल से ही समाज में किसी न किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था का अस्तित्व था। वेदों, उपनिषदों, ब्राहमण-ग्रंथों तथा स्मृतियों में समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा समाज की आक्रमणों तथा युद्धों से सुरक्षा के लिए पुलिस जैसी कोई संस्था रही होगी, अब चाहे उसे सेना कहा गया हो, या पुलिस अथवा किसी अन्य संस्था के नाम से अभिहित किया गया हो लेकिन उसका काम लगभग वैसा ही रहा होगा जो आज की भारतीय पुलिस सम्पादित कर रही है। इसके प्रमाण हमें रामायण तथा महाभारत में भी मिलते हैं। इसी भांति शूद्रक एवं कालिदास द्वारा रचित नाटकों क्रमशः मृच्छकटिकम् तथा अभिज्ञान-शाकुन्तलम् में भी पुलिस की कार्यशैली तथा समाज में उसकी छवि स्पष्ट परिलक्षित होती है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में जो खुदाई की गई है उनसे भी यह पता चलता है कि उस समय नगर सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे और मानव जीवन सुगठित तथा व्यवस्थित था। इसी तरह मौर्य, गुप्त तथा चोल युग के पुलिस प्रशासन की जानकारियां भी मिलती हैं। पर सबसे ज्यादा प्रमाणित आधार मेगस्थनीज की रिपोर्टो तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं जो कि मौर्य युग की जानकारियां देते हैं। उनसे यह पता चलता है कि बड़े नगरों में नागरिकों तथा गांवों में गोप लोगों की यह जिम्मेदारी होती थी कि वे वहां पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखें। इसी भांति अन्य अधिकारियों द्वारा भी पुलिस से जुड़ी हुई भूमिकाएं भी निभाई जाती थीं। यह सही है कि उस युग में शासन उतना विशेषीकृत नहीं था जितना कि आज है। मनु ने भी कहा कि राजा का प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह चोरी-चकोरी रोके तथा लड़ाई-दंगा न होने दे, इसके लिए उसे अपराधियों के साथ सख्ती करनी होगी। इसके लिए वह नगरों तथा गांवों में अनेक सिपाहियों को तैनात करता था जो कि गश्त लगाते थे तथा पुलिस चौकियों को चलाते थे। वास्तव में राजा के सभी नागरिक अपराधियों को पकड़ने में उसकी पूरी सहायता करते थे। मनु ने यह फैसला भी सुनाया कि—“यह राजा का कार्य है कि वह चोर को पकड़वाए तथा चोरी का माल प्राप्त कर उसके स्वामी को लौटाए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाए तो यह उसकी



जिम्मेदारी होगी कि वह मालिक की क्षतिपूर्ति करे तथा उसे सरकारी खजाने से हर्जाना दिलवाए।” मनुस्मृति में अपराध की रोकथाम तथा गुप्त सूचना एकत्रित करने के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। कात्यायन स्मृति में भी गुप्तचर एवं अन्वेषण अधिकारी का वर्णन यह दर्शाता है कि तत्कालीन समय में राजा को न्याय, प्रशासन में सहायता करने के लिए आधुनिक पुलिस जैसी एक संरचना उपलब्ध थी। अपराधों की घटनाओं की खोज के लिए राजा द्वारा नियुक्त व्यक्ति को ‘सूचक’ अन्वेषण अधिकारी कहा जाता था।

मनुस्मृति में अपराधों की रोकथाम, अपराधों की खोज एवं अपराधियों को दण्ड देने के बारे में राजा को। विशिष्ट जिम्मेदारी दी गयी है। इसके अनुसार अपराध करने वाले व्यक्ति एवं षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति सामान्यतः सभा, भवनों, होटलों, वेश्यालयों, जुआघरों इत्यादि में पाए जाते हैं। इसलिए चोरों एवं असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए ऐसे स्थानों पर राजा को अपने सिपाहियों एवं जासूसों को गश्त लगाने के लिए लगाना चाहिए जिससे इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके।[6]

कौटिल्य ने अपनी पुस्तक ‘अर्थशास्त्र’ में अन्वेषण, अपराध के तरीकों, दण्ड इत्यादि के बारे में क्रमबद्ध जानकारी देते हुए पुलिस के पूर्ण विकास को अभिलिखित किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है कि प्राचीन भारत में पुलिस दो भागों में विभक्त थी, जिनके नाम नियमित पुलिस तथा गुप्त पुलिस थे। नियमित पुलिस तीन श्रेणियों में बंटी हुई थीः (1) सर्वोच्च स्थान पर प्रदेस्टा (ग्रामीण) या नगर का (शहरों); (2) मध्य स्थान में ग्रामीण और शहरी स्थानीकास तथा (3) निम्न स्तर पर ग्रामीण और शहरी गोपास। प्रदेस्टा के कर्तव्यों के बारे में कौटिल्य ने बताया है कि आकस्मिक मृत्यु के मामले की जांच पड़ताल कैसे होती थी। इसमें पार्थिव शरीर का परीक्षण गहनता से अन्वेषक द्वारा करना शामिल था। कौटिल्य ने गुप्त पुलिस को भी दो वर्गों में बांटा है, जिनके नाम भ्रमणशील तथा स्थिर पुलिस है। कौटिल्य ने अनेक भेदियों/जासूसों का उल्लेख किया है जिनका काम शांति भंग करने वालों का दमन करना तथा अन्य अधिकारियों, न्यायाधीशों में

विद्यमान भ्रष्टाचार को रोकना, नकली सिक्के बनाने वालों का पता लगाना तथा चोरों, डाकुओं, बलात्कारियों व अन्य प्रकार के अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की जांच-पड़ताल करना बताया है। उन्होंने हर प्रकार के भेदियों/जासूसों के काम-काज का काफी विस्तृत वर्णन दिया है। इसी क्रम में उन्होंने षड्यन्त्र-भण्ड़ाफोड़ करने वाली व्यवस्था का सविस्तार एवं सटीक विवरण दिया है। उन्होंने यह भी सविस्तार से बतलाया है कि अपराधों का अन्वेषण कैसे किया जाए, संशय होने मात्र पर अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए, कुख्यात अपराधियों से आत्म-स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कितनी मात्रा में यातनाएं दी जाएं तथा आपराधिक-न्याय के प्रशासन के कुशल संचालन हेतु कैसी व्यवस्था की जाए।

(2) **मुस्लिम युग की पुलिस**- मुस्लिम युग के प्रादुर्भाव के समय व्यापक नरसंहार होने लगे, जब वर्ष 1266 में गयासुद्दीन बलबन का राज्यारोहण हुआ, तब उसने एक राज्य-व्यवस्था विकसित की। उसने पुलिस विषयक कार्यों सेना को प्रदान किए, पर उसने राजनीतिक कारणों से गुप्त पुलिस संगठन के कार्यभार को स्वयं के मार्ग-निर्देशन में रखा। पर बलबन की मृत्यु के पश्चात पुनः अराजकता की स्थिति पैदा हो गई तथा चारों ओर मत्स्य न्याय की स्थिति विद्यमान हो गई। लूटपाट, दंगे तथा व्यापक नरसंहार का वातावरण बन गया। भूपतियों द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थापना पर पूर्णविराम-सा लग गया। पर अलाउद्दीन खिलजी (सन् 1296-1316) ने पुरातन व्यवस्था की स्थापना की तथा उसने मधुशालाओं को बंद करने के आदेश ही प्रदान नहीं किए वरन् पूर्ण नशाबंदी की भी घोषणा की। उसने जनता में परिभ्रमण के लिए संवैतनिक पुलिस की व्यवस्था की तथा कठोर दण्ड व्यवस्था का आश्रय लिया। उसके पुत्र मुहम्मद तुगलक (वर्ष 1325-51) को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने प्रथम बार पुलिस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, पर चूंकि वह आजीवन अप्रत्याशित युद्धों में उलझा रहा, अतः वह इन सुधारों की दिशा में कुछ अधिक नहीं कर पाया। तदापि तुर्क तथा अफगान सुलतानों ने न्याय दिलाने हेतु एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी अमीरदार नियुक्त किया, जो कि



अन्याय को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अमीरदार न्याय के अतिरिक्त गृह विभाग का भी प्रभारी था। हर नगर में कोतवालों की नियुक्ति की जाती थी जिसे वर्तमान कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक दोनों की संयुक्त शक्ति के समान ही अधिकार प्राप्त थे तथा वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की भी नियुक्ति करने में सक्षम था। प्रशासनिक सुविधा हेतु विशाल प्रान्तों को अनेक जिलों में विभक्त किया गया था। हर जिले (शिक) के प्रशासक को शिकदार की संज्ञा दी जाती थी तथा उसे अमील के नाम से भी पुकारा जाता था। हर बड़े जिले में अनेक परगने सम्मिलित थे तथा हर परगने के क्षेत्र में अनेक ग्राम (देह) समाहित थे। जहां परगने की पुलिस परगनाधीश के अन्तर्गत कार्यरत थी वहां कोतवालियां अपना सीधा सम्पर्क सुलतान के साथ रखती थीं।

मुहम्मद तुगलक ने पहली बार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस चौकियों का गठन किया। मुहम्मद तुगलक द्वारा प्रारम्भ की गई व्यवस्था के अन्तर्गत 'अमीरवाद' और 'कोतवाल' के पद के अनुरूप आधुनिक गृहमंत्री और जिलाधिकारी के पदों का उल्लेख किया जा सकता है। कोतवाल नगर प्रमुख के रूप में कार्य करता था। नगर से प्राप्त होने वाली आय और सुरक्षा व्यवस्था पर कोतवाल का नियंत्रण होता था।

मुगल शासन के प्रारंभिक चरण में पुलिस का सबसे उत्तम प्रबन्ध शेरशाह सूरी के शासनकाल में मिलता है। शेरशाह का विश्वास था कि बड़े अपराध पुलिस की सांठ-सांठ से ही किए जाते हैं। इसलिए उसने भारत की प्राचीन परम्पराओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा उस क्षेत्र के पुलिस प्रबन्ध का कार्य सुनिश्चित किया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में मुकदम नियुक्त किया जाता था, जो अपने गांव में होने वाले अपराधों की रोकथाम और अपराधियों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार था। यदि किसी गांव में चोरी हो जाए और उसका पता मुकदम न लगा सके तो उसे ही धन देना पड़ता था। यदि हत्या करने वाले व्यक्ति का पता न चले तो मुकदम को ही फांसी दे दी जाती थी। इस कठोर व्यवस्था के परिणामस्वरूप पूरे राज्य में सुख-शांति हो गई थी। राजपथ पर चोरी डकैती समाप्त हो गई थी।

शेरशाह सूरी का मानना था कि शासन की स्थिरता न्याय पर

निर्भर करती है, इसलिए उसका सर्वोच्च लक्ष्य इस ओर रहा कि न तो कमजोर को दबाया जाए और न ही शक्तिशाली को निडरता से कानूनों का उल्लंघन करने दिया जाए। ग्राम परिषदों के प्रमुखों को मान्यता प्रदान की गई थी और उन्हें चोरी और लूटपाट के मामलों में पीड़ित द्वारा उठाए नुकसान की उन्हें क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। सिकहदारों को, जिन्हें अभी तक कोतवालों के समान अधिकार प्राप्त थे, परगना के अंतर्गत न्यायिक अधिकार दिए गए। प्रथमत् भारत में पुलिस रेगुलेशन तैयार किए गए थे। शेरशाह सूरी के द्वारा प्रदान की गई प्रशासनिक व्यवस्था सर्वथा अतुलनीय थी जिसे उसने अकबर महान् (सन् 1556-1605) के प्रादुर्भाव के पूर्व ही व्यावहारिक स्वरूप प्रदान कर दिया था।

शेरशाह सूरी के कुछ वर्ष पश्चात ही बाबर, हुमायूं ने पुनः सफलतापूर्वक मुगल शासन की स्थापना की। उसके पुत्र मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने भी हिन्दू राजाओं की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया, पर उसने परिवर्तित कालानुसार कतिपय परिवर्तन अवश्य किए। फलतः ग्राम पंचायतों व उसकी न्याय प्रणाली तथा व्यापारियों के वाणिज्यिक संगठनों को बने रहने दिया गया, जो अनेक युगों से चली आ रही थीं तथा शेरशाह द्वारा प्रस्तुत की गई नगर-कोतवाल व्यवस्था को भी अनवरत रूप से चलने दिया गया। 'मनसबदार' पुलिस कार्यों की देखभाल करते रहे तथा उनका वेतन निश्चित था।

सन् 1526 में बाबर के आगमन के साथ भारतवर्ष में व्यवस्था के प्रशासन ने अपना रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। मुगल शासक, खासतौर पर बाद के मुगल, अपने साम्राज्य की आन्तरिक सुरक्षा की समस्या से चिंतित थे। अकबर के कार्यकाल में प्रादेशिक सरकार के प्रमुख, जिसे सूबेदार या नाज़ीम कहा जाता था, के अधीन पुलिस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए कई फौजदार होते थे। फौजदार के मुख्य कर्तव्य थेः (1) महामार्गों की सुरक्षा तथा लूटपाट करने वाले दलों को गिरफ्तार करना, (2) सभी उपद्रवों तथा छोटे विद्रोहों का दमन करना, (3) कर नहीं देने वाले गांवों से वसूली करना, (4) शक्ति प्रदर्शन करके विरोधियों को डराकर रखना। फौजदार के अधीन थानेदार हुआ करते थे। 'फौजदार'



और 'थानेदार' के पदनाम आज भी भारत में प्रचलित हैं।

अकबर के मंत्री अबुल फजल द्वारा लिखित आइन-ए-अकबरी में पुलिस संगठन और उसके कार्य की झलक मिलती है। कोतवाल शहर का पुलिस प्रधान होता था। कोतवाल के अधीन भारी संख्या में कर्मचारी हुआ करते थे। कोतवाल को राज्य कोष से वेतन दिया जाता था, जिसमें से वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का निर्वाह करता था। कोतवाल एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसे सभी शाही दरबारों में उपस्थित रहना होता था। वह शहर पुलिस प्रमुख, न्याय दण्ड़ाधिकारी एवं नगर पालिका अधिकारी के रूप में कार्य करता था। उसके मुख्य पुलिस कार्य, गलियों एवं मोहल्लों की देखरेख की व्यवस्था करना, जन समुदाय के एकत्रित होने वाले स्थानों पर पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति करना, जेबकतरों एवं शरारती तत्वों पर नजर रखना, शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर नियंत्रण रखना, कारागारों की देखभाल करना एवं शाही दण्डादेशों को लागू करना इत्यादि थे।

अकबर महान के केन्द्रीय प्रशासन में आठ उच्च पदस्थ अधिकारीगण थे। अपराध तथा शांति-व्यवस्था व नैतिकता स्थापित करने वाले विभाग का प्रभारी 'मोहतिब' को बनाया गया जो वास्तव में उस युग का गृहमन्त्री था। उसे स्वयं अकबर द्वारा नियुक्त किया गया था। अन्य प्रशासनिक कार्यों की भांति पुलिस-प्रशासन का दायित्व राज्यों को सौंपा गया था तथा उसका प्रभारी भी 'मोहतिब' को बनाया गया। पर सूबे (परगने) का सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारी 'नाजिम' था जिसे 'सूबेदार' या 'पेहशालार' की भी संज्ञा दी गई। अनेक परगनों या सरकार (जिले) में एक 'फौजदार' हुआ करता था जिसे न्याय, सुरक्षा तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। इसलिए उसमें जिला-मजिस्ट्रेट तथा पुलिस-अधीक्षक दोनों की शक्तियां समाहित होती थीं। वह नगर कोतवाल के कार्यों का भी अधीक्षण करता था। 'फौजदार' पर ही ग्रामीण सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व था यद्यपि ग्रामों में अपने सुरक्षा प्रहरी तथा चौकीदार होते थे। ग्रामीण पुलिस को जीवनयापन हेतु भूमि प्रदान की जाती थी। उस युग का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति 'मोहतिब' हुआ करता था जो कि न केवल

पुलिस कार्यों का अधीक्षण करता था वरन् पुलिस सम्बन्धित आदेश भी प्रसारित करता था। औरंगजेब ने भी इसी व्यवस्था को बनाए रखा। उस युग में एक व्यवहार यह भी प्रचलित था कि बिना काजी की स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जा सकता था। उस समय यह भी नियम था कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के पश्चात ही उसके विषय में निर्णय लिया जाता था। किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जाता था। औरंगजेब ने तो वादी व प्रतिवादी को अधिवक्ता (वकील) द्वारा अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत करने की सुविधा भी प्रदान की थी तथा यह व्यवस्था भी की गई कि साधनहीन तथा विपन्न लोगों को यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाए।[7]

मुस्लिम शासन के दौरान भारत में शहरों और कस्बों में पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी कोतवाल पर तथा ग्रामीण भागों में फौजदार पर थी। न्यायपालिका तथा पुलिस को मुख्य सदर और मुख्य काजी के अधीन रखा गया था तथा प्रायः ये दोनों पद एक ही व्यक्ति संभालता था। मुगलों के शासनकाल में शहरों में कोतवाली व्यवस्था तथा गांव में चौकीदारी व्यवस्था लागू की थी। फौजदार के न्यायालय में सुरक्षा और संदेहास्पद अपराधियों से संबंधित छोटे आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई होती थी। कोतवालों को लघु आपराधिक मामले निपटाने के अधिकार थे। हिन्दू कानून-व्यवस्था के विपरीत, मुस्लिम दण्ड विधान के अधीन सभी अपराध राज्य के विरुद्ध नहीं माने जाते थे। अपराधों को तीन श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे कि (क) ईश्वर के विरुद्ध अपराध, (ख) राज्य के विरुद्ध अपराध, और (ग) निजी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध। सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों द्वारा दबा देने के साथ ही कोतवाली व्यवस्था का अंत हो गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विस्फोटन के कुछ समय पूर्व ही, दिल्ली के अंतिम कोतवाल के रूप में श्री गंगाधर नेहरू (भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा) को नियुक्त किया गया था।[8]

मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मात्र मराठा शासक ही कुशलता से अपना प्रशासन चला सके। मराठों ने नगर कोतवाल का पद



तो समाप्त कर दिया पर उन्होंने भी प्राचीन भारतीय तथा मुस्लिम व्यवस्थाओं को बनाए रखा।

(3) **ईस्ट इण्डिया कम्पनी के युग की पुलिस-** ब्रिटिश लोग जब सन् 1609 में व्यापारिक कारणों से भारत में आए तब उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वे इस देश के भाग्यविधाता होंगे। वे अपने व्यापारिक हितों की रक्षा हेतु स्थानीय राजनीति में रुचि दर्शाने लगे, जिसका अन्तिम परिणाम यह निकला कि अन्ततः यह देश उनका उपनिवेश बन गया तथा ब्रिटेन की सत्ता यहां स्थापित हो गई। अतः ज्यों ही भारतवर्ष में ब्रिटिश सत्ता सुदृढ़ हुई त्योंही वर्तमान पुलिस व्यवस्था स्थापित की गई। मूलभूत रूप से इसकी आवश्यकता सन् 1792 में अनुभूत की गई। वैसे भी तब तक बंगाल, बम्बई तथा मद्रास प्रेजिडेन्सियों में ईस्ट इण्डिया कम्पनी अपनी जड़े जमा चुकी थी। तभी भारत के गवर्नर जनरल लार्ड कार्नवालिस ने वहां के बड़े-बड़े जमींदारों से पुलिस कार्य लेकर अपने नियन्त्रण में कर लिए थे। उसने जिलों को कतिपय भागों में विभक्त किया था तथा हर भाग का प्रभारी एक 'दरोगा' बनाया गया। 'दरोगा' को जिला न्यायाधीश के प्रति उत्तरदायी रखा गया। नगरों में यह दायित्व (पुलिस प्रशासन विषयक) 'कोतवाल' को सौंपा गया।

सन् 1843 में चार्ल्स नेपियर ने कम्पनी के लिए सिंध पर विजय प्राप्त की। चूंकि सिन्ध में किसी प्रकार की कोई पुलिस व्यवस्था विद्यमान नहीं थी इसलिए उसने 'रायल आइरिश कॉन्स्टेबुलरी' प्रतिमान के आधार पर एक नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। इस व्यवस्था में समस्त क्षेत्र के लिए 'इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस' तथा हर जिले के लिए 'सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस' की व्यवस्था की गई। 'सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस' को आई.जी.पी. के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया। चूंकि यह प्रयोग सफल रहा अतः इसके आधार पर समस्त पुलिस प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। कालान्तर में इस व्यवस्था को भारत के अन्य भागों में भी लागू किया गया। नेपियर के इस प्रतिमान के मुख्य सिद्धान्तों को सन् 1860 में स्थापित पुलिस आयोग ने भी परिवर्तित नहीं किया जिसने कि समग्र भारत के लिए वर्तमान पुलिस बल की

आधारशिला रखी है।

वारेन हेंस्टिंग्ज ऐसा पहला ब्रिटिश नौकरशाह था जिसने कि भारत में पुलिस-व्यवस्था के श्रीगणेश करने की दिशा में गम्भीर प्रयास किए। उसने यह अनुभव किया कि फौजदार रूपी मुगल संस्था के ह्रास के कारण तथा परम्परागत जमींदारों को हटा देने से अपराधों की संख्या दिन पर-दिन बढ़ती चली जा रही है। उसने यह भी पाया कि थानेदारों को जो भूमि जीवन-यापन के लिए दी गई थी, उसे अब अपहृत कर लिया गया है। फलतः अब वे लोग चौरकर्म करने लगे हैं। हेस्टिंग्ज की यह दृढ़ मान्यता थी कि विगत में जो जमींदार अपराध दमन के काम में जुटे हुए थे अब वे स्वयं चौरकर्मी दलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसने इन सभी दोषों के लिए शासन की भ्रमित-व्यवस्था को दोषी ठहराया। उसने कहा कि "शासन की शक्तियां अपरिभाषित हैं। राजस्व संग्रह, निवेश के अधिकार, न्याय देने के अधिकार (यदि वास्तव में कहीं कोई न्याय प्रणाली पाई जाती है) तथा पुलिस के देखभाल की शक्तियाँ समान हाथों में केन्द्रित हो गई हैं। फलतः न्याय करने तथा पुलिस कार्य करने वाले विभागों की भारी उपेक्षा होने लगी है।

हेंस्टिग्ज ने यह भी अनुभव किया कि आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन पुलिस व्यवस्था को ही परिष्कृत किया जाए न कि उसे नष्ट-भ्रष्ट किया जाए। इसलिए उसने 1774 में फौजदार तथा जमींदार नामक संस्थाओं को पुनर्जीवित कर दिया, जिससे कि वे हिंसक अपराधों के दमन तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकें। भूपतियों तथा जमींदारों को यह भी धमकी दी गई कि यदि उन्होंने फौजदारों की उचित मांगों की पूर्ति नहीं की अथवा उनके सम्बन्ध ज्ञात अपराधियों के साथ में पाए गए तो उन्हें दण्डित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में यह भी जोड़ा गया कि परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक पृथक् कार्यालय स्थापित किया जाएगा जो फौजदारों द्वारा प्रेषित सूचनाओं को ग्रहण करेगा एवं उन्हें विश्लेषित भी किया जाएगा। यह कार्यालय भी वह भूषण था जो कि 'कालान्तर में आधुनिक भारत में एक पूर्णतः विकसित पुलिस व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ।' इन परिवर्तनों की एक रुचिकर विशेषता यह भी है कि इस पुलिस की प्रकार्यात्मक-



व्यवस्था में अधिकारी तथा गैर-अधिकारी दोनों प्रकार के लोग सम्मिलित थे। अधिकारियों में फौजदार तथा उसके अधीनस्थ अधिकारी आते थे तथा उनकी प्रकृति आवश्यक रूप से सैनिक की थी। गैर अधिकारियों में भूपति तथा जमींदार आते थे। वास्तविकता यह थी कि गैर अधिकारी लोग अधिकारियों से अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते थे क्योंकि अधिकारियों को भी अपने पुलिस कार्यों की व्यावहारिक प्रभावशीलता के लिए गैर-अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। वारेन हेस्टिंग्स ने 19 अप्रैल, 1774 को पुलिस के विषय में पहली बार एक व्यवस्थित संगठन का विचार व्यक्त किया। सन् 1775 में हेंस्टिंग्स ने इस व्यवस्था की देखरेख नायब नाजिम मुहम्मद रज़ा खान को सौंपी। 26 फौजदारी थानों का गठन जनपद के बड़े कस्बों में किया गया। प्रत्येक फौजदारी थानों में कई छोटे पुलिस स्टेशन और चौकी स्थापित की गई। मुहम्मद रज़ा खान के अधीक्षण में मुर्शिदाबाद में केन्द्रीय पुलिस कार्यालय खोला गया और जहां फौजदार नहीं थे वहां जमींदारों को उत्तरदायी बनाया गया। 6 अप्रैल, 1781 को फौजदार के कार्यालय को समाप्त कर दिया गया और उसके कार्यों को यूरोपीय मजिस्ट्रेटों को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार निज़ामत के नियंत्रण से पुलिस विभाग स्वतंत्र हो गया। यूरोपीय मजिस्ट्रेटों ने जमींदारों की सहायता से विद्रोहियों और अपराधियों को सजा देना प्रारम्भ कर दिया था। जमींदारों को ही थानेदार के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। वह अपनी सम्पत्ति से थाना स्थापित करता था।

सन् 1782 को हेस्टिंग्स ने पुलिस प्रशासन का दूसरा प्रस्ताव रखा, जिसे परिषद् की स्वीकृति के बाद लागू किया गया। उसके अन्तर्गत मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में कोतवाली स्थापित की गईं, लेकिन इस व्यवस्था से जमींदारों की स्थिति अधिक मजबूत हुई, उन्हें पुलिस प्रकार्यों के कुशल सम्पादन हेतु यूरोपीय मजिस्ट्रेटों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया।

जब लार्ड कार्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आए तब यहां पर आपराधिक-प्रशासन के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति विद्यमान थी। मानवीय जीवन तथा सम्पत्ति दोनों ही असुरक्षित थीं। इसलिए

उसने प्रचण्ड सुधार करने का प्रयास किया। उसने सर्वप्रथम सुधार तो यही किया कि उसने आपराधिक न्याय प्रशासन का विभाग डिप्टी गवर्नर से लेकर अपने पास रख लिया तथा उसने मुख्य अपराधिक-न्यायालय को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थानान्तरित कर दिया। उसने उसके चार क्षेत्रीय कार्यालय भी खुलवाए। लार्ड कार्नवालिस को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने पुलिस तथा न्यायिक कार्य एक ही पदधारीः मजिस्ट्रेट के हाथों में एकीकृत कर दिए। फलतः मजिस्ट्रेटों को पुलिस कार्यों के अतिरिक्त ऐसे अधिकार भी प्रदान किए गए जिसमें वे बिना फौजदारी न्यायालयों से अनुमति लिए बिना साधारण अपराधों के बारे में सभी प्रकार के आवेदनों तथा अभियोजनों को सुनने तथा निर्णय करने सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन कर सकें। मजिस्ट्रेट को हत्या, डकैती, चोरी तथा घर में सेंध लगाने के मामलों में जमानत देने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। पर जब अधिक दण्ड देने के मामले आएं तब उसे वे मामले निकटतम आपराधिक न्यायालय के पास विचारार्थ प्रेषित करने लगे।

गवर्नर जनरल ने यह भी अनुभव किया कि जमींदारों को पुलिस कार्य प्रदान करने का परिणाम यह निकला है कि इस माध्यम से डकैतियाँ तथा अन्य अपराधों में बहुत अधिक अभिवृद्धि हुई हैं। इसलिए प्रभावशाली पुलिस व्यवस्था की स्थापना के लिए उसने एक देशव्यापी समान प्रतिमान बनाने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए (जो कि अपराधियों की धरपकड़ कर सके) एक नियमित पुलिस बल का गठन करना आवश्यक समझा। उसने एक दारोगा-व्यवस्था को प्रस्तावित किया जिसके अन्तर्गत ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने समस्त पुलिस कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया तथा उसने जमींदारों को उनकी समस्त पुलिस शक्तियों से मुक्त कर दिया। इस क्रान्तिकारी सुधार करने का कारण यह भी था कि जमींदार लोग सरकार की सहायता करने की अपेक्षा स्वयं धनसंग्रह करने लगे तथा लूटमार करने वाले समूह के माध्यम से भारी मात्रा में सम्पत्ति बटोरने लगे थे। परिणाम यह निकला कि जिस अस्त्र का निर्माण शत्रु विनाश हेतु किया गया था वह भस्मासुर होकर राज्य के विरुद्ध कालदूत बन गया था तथा



जमींदार लोग व्यक्तिगत अहं की तुष्टि तथा पारस्परिक ईर्ष्या व लालच की पुष्टि के लिए एक-दूसरे के विरुद्ध ही अपना विनाश करने में जुटे हुए थे। इसका नतीजा जनता को भोगना पड़ रहा था। राज्य की सेना न तो अपने अधीनस्थों को ही वश में रख पाती थी और न ही वह विद्रोहियों तथा डाकुओं पर नियन्त्रण स्थापित कर पा रही थी।

दारोगा व्यवस्था के अन्तर्गत जिलों को अनेक थानों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक थाने को एक दारोगा तथा उचित संस्थापन (सहायक कर्मचारियों सहित) के अन्तर्गत रखा गया था। उसका कार्यक्षेत्र 20 से 30 वर्गमील तक फैला हुआ था। यद्यपि दारोगा की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती थी तथा जिसके नियन्त्रण एवं सत्ता के अन्तर्गत रहकर उन्हें कार्य करना पड़ता था, पर उन्हें सेवामुक्ति का आदेश परिषद् सहित गवर्नर जनरल द्वारा ही दिया जा सकता था। उन्हें (दारोगा) यह भी अधिकार प्राप्त था कि वे अपराधों की रिपोर्ट प्राप्त करें, तद्नुसार अपराधी को गिरफ्तार करके उसे 24 घण्टे की अवधि में ही मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें। इस भूमिका-निर्वाह में सहायता के लिए उसे 20 से 50 तक बरकान्देज प्रदान किए जाते थे। सभी ग्रामीण प्रतिष्ठानों के सुरक्षा प्रहरियों को न केवल उसके आदेशानुसार कार्य करना होता था वरन् उन्हें उसे नियमित रूप से सूचित भी करना पड़ता था। प्रत्येक दारोगा की मासिक जीवनवृत्ति साधारणतया 25 रुपए प्रतिमाह तय की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे हर डाकू के पकड़ने पर 10 रुपए की राशि नकद दी जाती थी तथा चुराई हुई धन-सम्पत्ति की बरामदगी पर उसे 10 प्रतिशत भाग प्रदान किया जाता था। यह सभी उसे तभी उपलब्ध कराया जाता था जब अपराधी अदालत द्वारा दण्डित हो जाता था। वह अपराधियों को पकड़ने के लिए दूसरे कार्यक्षेत्रों में जा सकता था लेकिन इसके लिए उसे मजिस्ट्रेट तथा अन्य दारोगाओं की सहायता लेनी होती थी। इसके अतिरिक्त उसे अपने क्षेत्र के बाजारों, मेलों तथा सार्वजनिक स्थानों में शांति बनाए रखनी होती थी तथा इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से सूचनाएं देनी होती थीं। अभी भी नगरों में कोतवाल ही पुलिस प्रशासन का कर्त्ताधर्त्ता बना हुआ था तथा

उसके अन्तर्गत कार्यरत अनेक दारोगा अपने-अपने वार्ड/मोहल्ले की देखभाल करते थे तथा कोतवाल तो सीधे ही जिला-मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करता था। पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दारोगा व्यवस्था भी असफल सिद्ध हुई। इससे अपराध नियंत्रण में कोई सुधार नहीं आया। यह अवश्य है कि इससे मजिस्ट्रेटों की शक्तियां और अधिक बढ़ गयीं। दारोगा व्यवस्था की असफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि वह एक ऐसी पराई-सी संस्था थी जिसका अपनी जनता से कोई सम्बन्ध अथवा लेना-देना नहीं था। इसलिए दारोगा-व्यवस्था को स्थानीय जातियों तथा परम्परागत नेताओं से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। इन सबके अतिरिक्त एक तथ्य यह भी था कि उसे अपने पुलिस-परक-कार्यों के निर्वाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त समझा जाता था, क्योंकि वे स्वयं ही अपनी असाधारण शक्तियों तथा सत्ता का दुरुपयोग करने में लगे थे।

सन् 1806 में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड विलियम बैंटिंक ने लॉर्ड वेलेजली की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति में लन्दन की पुलिस की भाँति बम्बई में पुलिस प्रशासन की स्थापना का सुझाव दिया। सन् 1808 में कलकत्ता, ढाका, मुर्सिदाबाद के तीन प्रभागों की पुलिस के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई इस व्यवस्था को आगे चलकर पटना, बनारस व बरेली में लागू किया गया। सन् 1820 तक यह व्यवस्था चलती रही। जनपद की पुलिस व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकार के हस्तान्तरण एवं पुलिस अधीक्षक के हटने से सारी व्यवस्था दरोगा के आधिपत्य में आ गई।

सन् 1816 में पुलिस प्रशासन में और भी परिवर्तन हुए जिसके अनुसार अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट) को एक रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक हो गया तथा उसे अपने समस्त पुलिस संस्थापनों की गतिविधियों की एक आवश्यक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती थी जिसमें ऐसे सुझाव भी देने होते थे जिनको व्यवहार में लाने से सार्वजनिक सुरक्षा को बिना प्रभावित किए हुए खर्चा कैसे कम किया जा सकता था। मजिस्ट्रेटों को भी ये निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्र के



पुलिस संस्थापनों तथा चौकीदारों के संगठन, नियमन तथा नियंत्रण के कामकाज पर पूरा ध्यान देंगे। इससे पुलिस प्रशासन के आन्तरिक मामलों में भी मजिस्ट्रेट का प्रभाव बढ़ गया तथा वह नियुक्तियों, स्थानान्तरणों तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण के कार्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करने लगा। इस व्यवस्था का एक रोचक पक्ष यह भी था कि इसमें पुलिस अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस) तथा मजिस्ट्रेटों की भूमिकाओं को एक-दूसरे का पूरक बनाया गया था तथा उनका कोई समवर्ती कार्यक्षेत्र भी नहीं था तथा जहां तक अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट) के मजिस्ट्रेट वाली क्षमता का प्रश्न था, उस विषय में वह सत्र न्यायालय (सैन्य कोर्ट) के नियंत्रण में कार्य करता था।

सन् 1820 में बंगाल में पुलिस अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस) के स्थान पर संभागीय आयुक्त (डिविजन कमिश्नर अथवा कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू) के पद का सृजन किया गया। इसका एक आंशिक कारण यह था, इससे मजिस्ट्रेट पर दोहरा नियन्त्रण रखा जा सकता था, पर मूल कारण खर्चे की कटौती करना था। इसलिए अनेक जिलों की पुलिस व्यवस्था के अधीक्षण की शक्तियां नवनिर्मित आयुक्त को सौंप दी गई थीं तथा जिला पुलिस की कार्यपालक शक्तियों का भार कलेक्टरों के हाथों में दे दिया गया था। सन् 1813 से 1834 तक के काल के काल में जो उदारवादी सुधार किए गए वे परम्परागत ब्रिटिश प्रशासन की धारा से सर्वथा भिन्न थे। ये सुधार (जो कि भारत में आपरधिक न्याय तथा पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में किए गए थे) इंग्लैण्ड के समकालीन राजनीतिक प्रवृत्तियों से अनुप्रमाणित थे। इसलिए न केवल नियमित तथा ग्रामीण पुलिस व्यवस्था के पुनर्गठन की दिशा में प्रयास किए गए वरन् न्यायालयों के जीर्णोद्धार के सन्दर्भ में भी सोचा गया। इनमें एक ओर तो मजिस्ट्रेटों की शक्तियों को बढ़ाने के प्रयास किए गए तो दूसरी ओर मुस्लिम आपराधिक-विधि में भी उचित सुधार प्रस्तावित किए गए।

सन् 1836 में 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स' के ये निर्देश थे कि पुलिस व्यवस्था में और अधिक सुधार करने को सर्वोच्च्व प्राथमिकता दी जाए। सन् 1827 में इंग्लैण्ड में पील ने जो सुधार किए थे उनसे निदेशकगण

इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत सरकार से भी यह आग्रह किया कि यहां पर भी इसी के समान सुधार किए जाएं। उन्होंने अपनी यह भावना भी अभिव्यक्त की कि चूंकि प्रशासन में ये सुधार इतने अपरिहार्य हैं कि इन्हें प्रस्तावित तथा व्यवहृत करते समय कोई वित्तीय सीमाएं बाधक नहीं बननी चाहिए। इसलिए इन सुधारों के लिए कम्पनी ने असीमित वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। एतदर्थ 'सर' टामस मेटकॉफ ने एक पुलिस समिति का गठन किया, जिसका कार्य बंगाल पुलिस की स्थिति का न केवल आकलन करना था वरन् उसे एक कुशल संगठन बनाने हेतु सुझाव भी देने थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह संकेत दिया कि पुलिस विभाग में अकुशलता का मूल कारण यह है कि मजिस्ट्रेट उसका पूरी तरह अधीक्षण या देखभाल नहीं कर पाता है। वह स्वयं अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों के बोझ तले दबा जा रहा है इसलिए अधीनस्थ पुलिस कार्मिक वर्ग भ्रष्ट तथा कर्मविमुख होता चला जा रहा है। ग्रामीण सुरक्षा प्रहरी तो दरिद्री, कर्तव्यच्युत तथा निरर्थक हो गया था। उन्होंने यह देखा कि ऐसी स्थिति में समुदाय दमित तथा विविध भांति से पीड़ित हो रहा है। क्योंकि वे पुलिस से किसी भी प्रकार की कोई सहायता के अधिकारी नहीं रह गए थे। यह भी पाया गया कि जनता शांत भाव से डाकुओं से लुटना सहन करती है या समर्पण करना अधिक उचित समझती है अपेक्षाकृत इसके कि वह उनके विरुद्ध पुलिस अधिकारियों की सहायता प्राप्त करें अथवा अपनी चुराई गयी सम्पत्ति वापस प्राप्त करें।[9]

जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने मुगलों के प्रशासन का आधिपत्य अपने हाथों में लिया, तब साम्राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत निम्न थी। ब्रिटिश शासकों ने तत्कालीन व्यवस्था का विस्तार से पुनर्निरीक्षण किया। लार्ड कार्नवलिस प्रथम ब्रिटिश शासक थे जिन्होंने पुलिस व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हाथों से पुलिस के अधिकारों को छीन लिया तथा 1793 में आदेश दिया कि जिला न्यायाधीश प्रत्येक चार सौ मील के लिए एक पुलिस स्टेशन खोले। तथा वहां एक नियमित पुलिस स्टेशन अधिकारी नियुक्त करे। वह अधिकारी दरोगा के नाम से जाना जाता था। कस्बों में पुलिस प्रभारी कोतवाल ही रहा।



लार्ड कार्नवालिस ने 1792 में, जमींदारी और थानेदारी पद्धति को समाप्त कर एक समान पद्धति पहली बार लागू की थी तथा बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट के अधीन एक पृथक पुलिस बल का गठन किया गया। जिले पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में बांट दिए गए और प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए एक मोहर्रिर, एक जमींदार, और दस वरकंदाजों के कार्मिक बल सहित दरोगा की नियुक्ति की गयी। बाद में तीन पुलिस सुधार समितियों ने राय दी कि ग्राम पुलिस को और अधिक अधिकार तथा जिम्मेदारियां दी जाएं। जिला कलेक्टर को राजस्व कर्तव्यों के अतिरिक्त, पुलिस संगठन का प्रशासनिक प्रमुख बनाया गया। जिन क्षेत्रों के लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उन्हें छोड़कर अन्य भागों में भारत में यह व्यवस्था आज भी कायम है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे बड़े शहरों में समय-समय पर पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन एवं सुधार किया जाता रहा। 1857 की क्रान्ति से पहले के समय में देश के बड़े प्रान्तों में किए गए इन सभी सुधारों ने पुलिस संगठनों की आधारशिला रखी, जिसने बाद में अपनी अलग पहचान बनाई तथा भारतीय भूमि पर कम्पनी शासन समाप्त होने के पश्चात अपने स्तर को सुधारा।

### 4. ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था/ स्वतंत्रता पूर्व पुलिस की भूमिका

ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासकों में यह चेतना जाग्रत हुई कि इस विशाल भू-भाग को नियन्त्रित रखने के लिए तथा अपना प्रभुत्व स्थापित रखने के लिए एक साक्त 'सिविल कांस्टेबुलरि' की आवश्यकता है जो न केवल आन्तरिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगी अपितु जो भारत में विद्यमान ब्रिटिशवासियों के जीवन तथा सम्पत्ति तथा अन्य हितों की भी रक्षा करेगी। इस प्रकार सन् 1860 के पुलिस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर समस्त ब्रिटिश शासित भारत के लिए एक पुलिस प्रशासन की रूप रेखा तैयार की गयी तथा 1861 में जिस पुलिस विधेयक को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था उसी के आधार पर हमारे देश की वर्तमान पुलिस व्यवस्था का सृजन

किया गया है। इस प्रकार 1861 के पुलिस अधिनियम को भारत के अधिकांश भागों में एक समान पुलिस संरचना देने वाली व्यवस्था को लागू करने वाली व्यवस्था के रूप में एक प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा पुरातन व्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन किए गए, परन्तु इसके साथ-साथ इसने उसके कतिपय अंशों एवं विशिष्टताओं को भी बनाए रखा।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कार्यकाल के दौरान पुलिस की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात इसमें तुरन्त परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गयी, जिसका परिणाम 1861 का पुलिस अधिनियम रहा। 1861 के पुलिस अधिनियम द्वारा प्रथम बार एक समरूपी पुलिस कार्यों की व्यवस्था की गयी। सन् 1860 में जिस पुलिस आयोग का गठन किया गया उसके सदस्यों को सुस्पष्ट शब्दों में यह बतलाया गया था कि भारत में जिस पुलिस बल का गठन किया जाना है उसके कार्यों की प्रकृति या तो सुरक्षात्मक व दमनात्मक होगी अथवा अन्वेषकारी होगी। उन्हें यह भी बताया गया कि नागरिक पुलिस तथा शुद्ध रूप से सैनिक कार्यों के मध्य जो लक्ष्मण रेखा अन्यत्र पाई जाती है वह रेखा भारतवर्ष में अत्यन्त धूमिल अवस्था में विद्यमान है। यदि इस अधिनियम का अध्ययन करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि नवगठित पुलिस बल की प्रकृति ही मूलतः दमनात्मक थी, जो उपर्युक्त निर्देशों का परिणाम थी तथा 1857 जैसी स्थिति पुनः न घटित हो इससे बचने का एक उपाय भी थी।

भारतीय दण्ड संहिता तथा अपराध दण्ड संहिता में पुलिस शक्तियों का जो विवरण दिया गया है उसके विश्लेषण से पता चलता है कि उनमें पुलिस के उन कार्यों को प्राथमिकता दी गयी, जिनके अन्तर्गत उसे राज्यद्रोह तथा राज्य विरोधी मामलों से तथा राज्य की सुरक्षा से सम्बन्धित अर्द्धसैनिक, कार्यों से निपटना पड़ता है। ऐसे अनेक कानूनों का प्रावधान किया गया जिनकी सहायता से पुलिस राष्ट्रीय भावनाओं को कुचल सके तथा राजनैतिक विद्रोह को दबा सके। अन्तोगत्वा इसका मूल लक्ष्य भारत में ब्रिटिश सत्ता को बनाए तथा



बचाए रखना था।

ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारत में पुलिस बल एवं समस्त आपराधिक न्याय प्रणाली की रूपरेखा इस प्रकार की तैयार की गयी थी कि वह ब्रिटिश वासियों की शोषणकारी औपनिवेशिक संरचना (ढांचे) को न केवल बनाए रखे वरन् उसे अनवरत रूप से चलाए भी, क्योंकि ब्रिटिश शासक 1857 जैसे विद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने इस तरह के कानून बनाए जिनकी सहायता से स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर सकें एवं अपने उपनिवेशवादी हितों की पूर्ति कर सकें। पुलिस बल ने इस अधिनियम के अनुरूप अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप जन-जन के मन में पुलिस के प्रति भय एवं आतंक पैदा होता गया तथा यह आम जनता से बहुत दूर हो गयी। इसकी पुष्टि 1902 में गठित उस पुलिस आयोग ने भी की थी जिसे भारत के तत्कालीन वाइसराय लार्ड कर्जन ने गठित किया था। आयोग का कहना था कि- "पुलिस कुशल नहीं है, इसका संगठन एवं प्रशिक्षण भी दोषपूर्ण रहा है तथा इसका अधीक्षण भी उचित रूप से नहीं हो पाता है। सामान्यतः इसे भ्रष्ट तथा दमनकारी माना जाता है तथा जनता की इसमें लेशमात्र भी आस्था नहीं है।" इस प्रकार ब्रिटिश शासकों ने बहुत ही सावधानीपूर्वक एक ऐसे पुलिस बल की रूपरेखा तैयार की जिसकी प्रकृति ही दमनकारी थी। उन्होंने स्वयं जनता के मानस में पुलिस के प्रति भय, अविश्वास तथा संशय की भावनाएं भी सफलतापूर्वक आरोपित कीं, क्योंकि ऐसा करने से उनके हितों की पूर्ति सरलता से हो रही थी। इसलिए उन्होंने न तो पुलिस बल में सुधार लाने की दिशा में प्रयास किए और न ही जनता में उसकी छवि सुधारने सम्बन्धी प्रयास ही किए गए। भारत में ज्यों ही राष्ट्रीय आन्दोलन गतिशील होने लगता तभी पुलिस का प्रयोग अधिक से अधिक किए जाने लगता जिसके परिणामस्वरूप इसकी भूमिका और नकारात्मक बनती गयी।

सन् 1867 में समस्त प्रांतों के 'इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस' के स्वतन्त्र पद सृजित किए गए परन्तु बम्बई प्रेसीडेन्सी में तो सन् 1855 से ही पुलिस आयुक्त (पुलिस कमिश्नर) का पद व्यवहार अस्तित्व में आ गया था। परन्तु इस पद को सन् 1860 में समाप्त कर दिया गया

था। पुलिस आयोग द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को अनेक क्षेत्रीय (डिविजनल) आयुक्तों को सौंप दिया गया तथा यह व्यवस्था 1881 तक चली परन्तु जब सन् 1881 में बम्बई गवर्नर की रिपोर्ट मिली तब यह पता चला कि पुलिस भूमिका को क्षेत्रीय आयुक्तों को देने का परिणाम यह निकला कि पुलिस प्रशासन हल्का एवं ढीला पड़ गया है इसलिए सन् 1884 में यह निर्णय लिया गया कि पुलिस को क्षेत्रीय आयुक्तों से पृथक कर दिया जाना चाहिए। इसलिए सन् 1885 में वहां पर भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद सृजित कर दिया गया।

इन परिस्थितियों में सन् 1898 में लार्ड कर्जन को भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय बनाकर भेजा गया। उनको भारतीय परिस्थितियों की अच्छी समझ थी क्योंकि वे सन् 1891-92 में ब्रिटिश मंत्री परिषद के भारत सचिव तथा सन् 1898 तक वैश्विक विषयों के उपसचिव भी रहे थे। लार्ड कर्जन यहां के पुलिस संगठन को कठोरतम, कौशलपूर्ण तथा उपयोगी बनाना चाहते थे ताकि वह संकटकाल में ब्रिटिश हितों की रक्षा कर सके। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा गठित विविध समितियों की रिपोर्टों का वास्तविक तथा गहन अध्ययन करने के उपरान्त यह सुझाव दिया कि भारतीय पुलिस के अध्ययन के लिए हमें एक पुलिस आयोग की स्थापना करनी चाहिए। भारत सचिव ने लार्ड कर्जन की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया तथा यह भी निर्णय लिया कि विगत आयोगों की कार्यवाहियों की भांति इस आयोग की कार्रवाई गुप्त रूप से नहीं होगी, परन्तु जब आयोग चाहेगा वह गुप्त रूप से ही साक्षी ले सकेगा। 9 जुलाई 1902 में आयोग का गठन किया गया। लार्ड कर्जन ने केन्द्रीय स्तर पर ही विशिष्ट पुलिस शाखा की सुदृढ़ बनाने तथा गुप्तचर व्यवस्था के पुर्नगठन जैसे सुझाव भी आयोग के अध्यक्ष को दिए।[10]

इस पुलिस आयोग का अध्यक्ष केन्द्रीय प्रान्त के मुख्य आयुक्त एच.एल, फ्रेजर को नियुक्त किया गया। आयोग के अन्य सदस्यों में चार यूरोपीय तथा 2 भारतीय सदस्य तथा कुछ सहसदस्य भी नियुक्त किए गए। आयोग का दृष्टिकोण था कि क्या पुलिस जनता की रक्षा करने, अपराधों की रोकथाम करने तथा जांच पड़ताल करने तथा



अपराधियों को पकड़ने में सक्षम हैं, यदि वह अपने कर्तव्य पालन में असमर्थ हैं तो फिर उसमें किस तरीके के सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ एक विचारणीय बिन्दु यह भी था कि जिला स्तर पर अधीक्षक का पद यूरोपीय नागरिक के लिए होगा पर दूसरा प्रश्न यह भी था कि अच्छे भारतीयों को इस सेवा में लाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए। परन्तु आयोग की बैठकों के दौरान यूरोपीय सदस्यों के विचारों को महत्व दिया गया तथा भारतीयों की उपेक्षा की गयी।

पुलिस आयोग ने पुलिस में कमियों के लिए कई चीजों को दोषपूर्ण माना। आयोग ने माना कि पुलिस संगठन में दोष के लिए आयोग की गलत बजट प्रणाली तथा साधनहीनता भी कारण रहे हैं। आयोग ने पुलिस को पुनः कलैक्टर की अधीनता में रखा गया तथा इसके लिए उन्होंने अपने विभिन्न तर्क दिए।

आयोग ने यह भी बतलाया कि उसके पास पुलिस में भ्रष्टाचार के अनेक प्रमाण है जैसे- एस.एच.ओ. यह जब चाहे मनमाने शुल्क लगा देते हैं अथवा किसी भी काम को करने के लिए चंदा उगाह लेते हैं जिससे जनता की इनमें बिल्कुल भी आस्था नहीं है। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिह्न लगाए अर्थात् उन्होंने माना कि पुलिस में संयोग से पिछड़े हुए भागों के अल्पशिक्षित तथा अज्ञानी लोग भर्ती हो गए है। जिसकें परिणाम स्वरूप अधीक्षक का उन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो पाता है। पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पर भी उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। हैड कांस्टेबलों की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। दूसरी तरफ आयोग ने पुलिस की धूमिल छवि के लिए पुलिस को निभाने वाले विविध कार्यों को भी जिम्मेदार माना जैसे घुमक्कड़ कुत्तों के मारने से लेकर छोटी चेचक के टीके लगाने के लिए जबरन बच्चों को लेकर आने तक के ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो उनकी छवि को जनता के मध्य नकारात्मक बनाते हैं। आयोग ने यह भी माना कि पुलिस अधीक्षक (सुपरिन्टेंडेन्ट आफ पुलिस) के चयन भी उच्च स्तरीय नहीं हो पाए हैं। यद्यपि (कलैक्टर) तथा पुलिस अधीक्षक के पद सन् 1893 के पश्चात लन्दन में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सफल प्रत्याशियों में से भरे जाते थे जिसके परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारियों की भी कमी बनी हुई है।[11]

आयोग की सिफारिशें व्यापक रूप से महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त उन वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के सर्वसम्मति से निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित थी, जिन्होंने आयोग के कार्यों में संयुक्त रूप से योगदान दिया था। सन् 1902 के पुलिस आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार थीः

(1) एक अपराध अन्वेषण विभाग की स्थापना प्रत्येक प्रान्त में की जाए, जिसका प्रशासनिक प्रमुख पुलिस उप महानिरीक्षक होगा, वही उस संगठन का नियंत्रण तथा कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करेगा।

(2) प्रान्त को प्रशासन की इकाई मानकर इसे अनेक रेंजों में बांटा जाए तथा प्रत्येक रेंज का नियंत्रण, इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा किया जाए।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को और सक्षम बनाया जाए तथा एक पुलिस उप अधीक्षक को उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाए।

(4) एक पृथक तथा स्वतंत्र पुलिस संगठन, जिसे रेलवे पुलिस के नाम से जाना जाएगा, का गठन भी प्रान्त के सीमाक्षेत्र के आधार पर किया जाए।

(5) संभागीय आयुक्त सीधे पुलिस प्रशासन के कार्यों एवं दिन-प्रतिदिन के मामलों में अब और हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे।

(6) भारत में पहली बार उपनिरीक्षकों के कैडर की स्थापना की जाए और उन्हें उनके पूर्व के समकक्ष पदों जैसे दरोगा, थानेदार एवं कोतवाल के रूप में जाना जाए।

(7) प्रत्येक जिला मुख्यालय में आपातकालीन स्थिति में एवं अन्य विशेष प्रकार के अतिरिक्त पुलिस कार्यों को संभालने के लिए, रिजर्व पुलिस बल के रूप में एक सशस्त्र पुलिस बल का गठन किया जाए।

(8) ग्राम प्रधान की पद्धति को जारी रखा जाए। वह ग्रामीण पुलिस के कर्तव्यों का निर्वहन गांव के चौकीदार, जो कि राज्य के नियमित पुलिस बल का सदस्य नहीं होगा, की तैनाती के माध्यम से करेगा।

आयोग की प्रमुख सिफारिशों को सामन्यतः स्वीकार कर लिया गया।



## 5. स्वतन्त्रता पश्चात पुलिस की भूमिका

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात तथा संविधान लागू होने के साथ ही आम व्यक्ति की इच्छाओं तथा अपेक्षाओं में तीव्र वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण था कि संविधान का लक्ष्य सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय दिलाना, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना तथा उन्हें पद तथा अवसर की समानता के अवसर उपलब्ध कराना रहा है। संविधान ने शासन की प्रकृति में भी तीव्र परिवर्तन ला दिए। परम्परागत तानाशाही उपनिवेशवादी व्यवस्था के स्थान पर लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को अपना लिया गया तथा नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता प्राप्त हो गयी। इस सभी के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक मशीनरी के कार्यों में तीव्र वृद्धि हुई। ब्रिटिश शासन काल तक जो प्रशासन केवल नियामकीय कार्यों तक सीमित था अब उसका कार्य इसके साथ-साथ विकास कार्यों को लागू करने तथा उसके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने तक बढ़ गया था। पुलिस प्रशासन भी प्रशासन का अभिन्न अंग होने के कारण इससे अछूता नहीं रहा। स्वतन्त्रता पूर्व तक जहां पुलिस का कार्य केवल अपराधों को नियन्त्रित करना, उनकी जांच पड़ताल करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित था, वहीं स्वतन्त्रता पश्चात इसके कार्य में वृद्धि हुई। पुलिस का कार्य स्वतन्त्रता के पश्चात निमायकीय कार्य जैसे व्यवस्था बनाए रखना, जन सामान्य के जीवन तथा जन सम्पत्ति की सुरक्षा करना, अपराधों पर नियन्त्रण करना तथा उनकी जांच पड़ताल करना तथा जो लोग सरकार के बनाए गए नियम को तोड़ते अथवा अव्यवस्था फैलाते हैं उनसे भी समाज को बचाना है। पुलिसकर्मी उन सभी बाधाओं तथा रुकावटों को भी दूर करते हैं जो सामाजिक जीवन को सामान्य रूप से चलाने में समस्याएं पैदा करते हैं। इस प्रकार वे राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो निभाते ही हैं तथा साथ ही साथ संविधान के मान एवं सम्मान की भी रक्षा करते हैं।

पुलिस के कार्य अनेक, असीमित तथा बहुआयामी प्रकृति के हैं। जहां कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय मानवीय व्यवहार के

नियमन की आवश्यकता होती है वहीं पुलिस का कार्य आरम्भ हो जाता है क्योंकि इनका प्रमुख कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना होता है। वे ट्रैफिक भी नियन्त्रित करते हैं तथा जुलूस और सभाओं को भी नियन्त्रित करते हैं पुलिस यह भी देखती है कि लोग किसी भी धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग न करें क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं तथा धर्म निरपेक्ष राज्य होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतन्त्र है। इसलिए इन संदर्भों में पुलिस यह भी देखती है कि सभी व्यक्ति अपनी इस स्वतन्त्रता का लाभ उठा सकें। पुलिस का काम मनोरंजन स्थलों की भी देखभाल करना है तथा दूसरी तरफ तस्करी तथा गैर कानूनी तरीकों से शराब बेचने की रोकथाम करना है। उनका कार्य यह भी देखना है कि व्यापारी लोग अनाज का बंटवारा तथा राशन की दुकान पर राशन का वितरण, मापतौल की व्यवस्था उचित रखे हुए हैं या नहीं।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का कार्य विभिन्न वर्गों द्वारा आयोजित रैलियों एवं प्रदर्शनों पर भी निगरानी करना होता है।, अपनी मांगों को मनवाने के लिए विभिन्न वर्ग जैसे छात्र, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, बेरोजगार इन साधनों को अपनाते हैं। इसलिए पुलिस का ये दायित्व बन जाता है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखे तथा पूर्व में आरम्भ की गयी योजनानुसार कार्य करें क्योंकि किसी भी प्रकार की लापरवाही कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकती है। इसके अतिरिक्त उनका काम सड़कों, रेलों, मैदानों, जंगलों, खदानों, संचार की लाइनों, औद्योगिक यंत्रों, सिंचाई की नहरों तथा देश के प्रगति के अन्य, साधनों की भी देखभाल करना है। आपदाओं में भी पुलिस की काफी सक्रिय भूमिका होती है, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं भौतिक आपदाएं भी पुलिस के लिए चुनौती पेश करती हैं। राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा करना, ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा बनाए रखना जैसे कार्य भी पुलिस के द्वारा ही किए जाते हैं। देश में नकली नोटों को तथा उनके अपराधियों को पकड़ना तथा जासूसों को पकड़ना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो पुलिस सामान्यतया निभाती है। पुलिस का प्रमुख कार्य लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना



जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। अर्थात् कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन् न करें और यदि ऐसी होता है तो उसकी तुरन्त रिपोर्ट दर्ज हो इस प्रकार के कार्य पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। पुलिस राज्य के उन सभी कायदे-कानूनों को असली जामा पहनाने का कार्य करती है जिन्हें उसने अपने कामकाज करने तथा अपनी रक्षा के लिए बनाया हुआ है।

## पुलिस का संगठनात्मक ढांचा

हम जब सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले पुलिस व्यवस्था संगठन का विचार आता है क्योंकि भारतीय पुलिस संगठन के द्वारा ही हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था कायम रहती है। हमारे देश की सीमा पर आर्म फोर्स हमारी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सम्भालती है। जबकि शहर, गांव कस्बों में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य भारतीय पुलिस प्रशासन सम्भालती है।

भारतीय पुलिस संगठन का वर्तमान स्वरूप मूलतः सन् 1861 में सृजित किया गया जिसे सन् 1902 में पुनः संशोधित किया गया। यह संगठन 20वीं शताब्दी में हुए बहुआयामी प्रशासनिक एवं राजनीतिक रूपान्तरण से प्रभावित हुआ है। इस संगठन को अपने प्रारम्भिक चरण में उपनिवेशीय व्यवस्था को बनाए रखने और शासक वर्ग को जनता से दूर रखने की भूमिका का निर्वाह करना पड़ा था, जबकि स्वतन्त्रता के बाद उपनिवेशीय पुलिस व्यवस्था को भंग करके नागरिक पुलिस का गठन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

संविधान के तहत् आम कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य सरकार के विषय हैं। इसलिए पुलिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है और राज्य सरकार ही उसकी देखभाल करती है। राज्य में पुलिस बल का प्रमुख पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक होता है। राज्य को सुविधानुसार कई खण्डों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें 'क्षेत्र' कहा जाता है और प्रत्येक पुलिस क्षेत्र उपमहानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। एक क्षेत्र में कई जिले होते हैं। जिला पुलिस का विभाजन पुलिस डिवीजनों, अंचलों और पुलिस थानों में किया गया है।

राज्यों के पास नागरिक पुलिस के अलावा अपनी सशस्त्र पुलिस, अलग खुफिया शाखा, अपराध शाखा आदि होती हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे आदि शहरों में पुलिस विभाग का नियंत्रण पुलिस आयुक्त के हाथों में है। जिनके पास मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) के अधिकार भी होते हैं, विभिन्न राज्यों में पुलिस के वरिष्ठ पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जिनका चयन अखिल भारतीय स्तर पर होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश की प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्था है, जो भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के अधिकारियों को प्रारम्भिक और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती है। राजस्थान के माउण्ट आबू में सन् 1948 में स्थापित इस अकादमी को सन् 1975 में हैदराबाद ले जाया गया। पुलिस से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन पर शोध करने की भी व्यवस्था इस अकादमी में है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित राज्यों में पुलिस के जवानों के प्रशिक्षण हेतु पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई है। भारत में वर्तमान समय में राज्यों के पुलिस संगठन 1861 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। इसलिए आज भी हमारे भारतीय राज्यों में जो भी पुलिस संगठन कार्य करते हैं वे उन्हीं सिद्धान्तों पर कार्य करते हैं जो 1861 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए थे। केन्द्रीय सरकार में प्रधान मन्त्री द्वारा पुलिस प्रशासन व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है एवं राज्य स्तर पर मुख्यमन्त्री द्वारा इस व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। अगर भारतीय शासन अधिनियम 1861 के आधार पर बात करें तो पुलिस प्रशासन के समस्त कार्यसंचालन पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी द्वारा होता है तथा उसकी सहायता के लिए अनेक उपमहानिरीक्षक तथा सहायक महानिरीक्षक होते हैं तथा उनकी संख्या आवश्यकतानुसार निर्धारित की जा सकती है।

राज्य में पुलिस प्रशासन में प्रशासनिक सत्ता की सर्वोच्चता का प्रतीक होती है। जहां वह एक ओर सामान्यक होता है तथा दूसरी ओर वह गैर-व्यावसायिक होता है। जिसके पास जाकर मुख्यालय में कार्य



कर रहे पुलिस के व्यावसायिक लोग सलाह तथा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उनसे अन्तिम निर्णय भी लेते हैं। भारतीय राज्यों के पुलिस प्रशासन के इस राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य के अपने व्यावसायिक लोग होते हैं। राज्य पुलिस प्रशासन में उच्च पुलिस अधिकारी अखिल भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य भी होते हैं। राज्य स्तर पर पुलिस का उच्चतम अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक होता है। वर्तमान समय में अधिकतर राज्यों में वह पुलिस महानिदेशक के नाम से जाना जाता है।

**राज्य स्तर पुलिस प्रशासन का स्वरूप**

**राज्य स्तर पर पुलिस का स्वरूप**

↓ ↓

सब-डिविजन पुलिस अधिकारी    क्राइम रिकार्ड ब्यूरो

↓

स्टेशन हाउस आफीसर/इन्चार्ज पुलिस स्टेशन    ट्रेनिंग
प्रोविसोनिंग
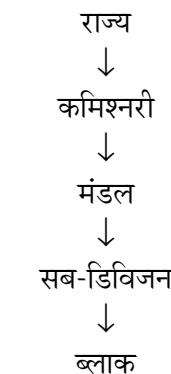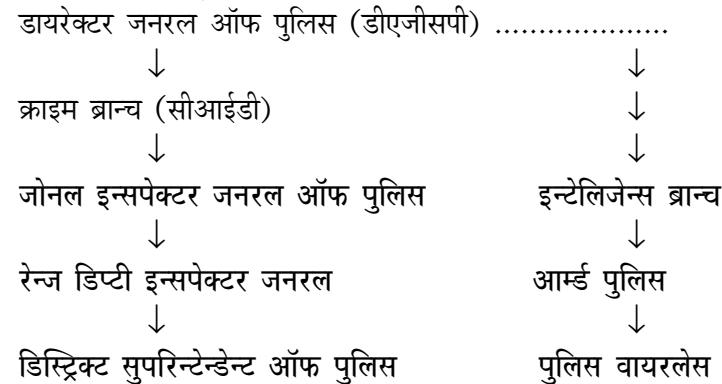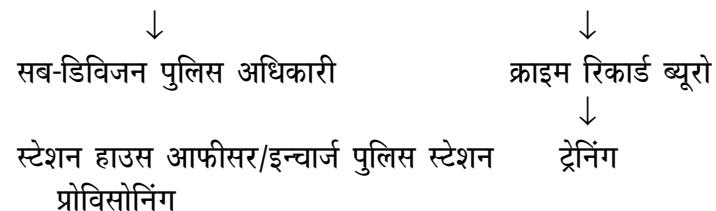
**डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी)**
**के आफिस का संगठन**
**महानिरीक्षक (आईजी)**

| *डीआईजी* | *डीआईजी* | *डीआईजी* | *डीआईजी* | *डीआईजी* | *एआईजी* | *एआईजी* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रोविजिनिंग | बजट | वेलफेयर | पर्सनल | आर्म्ड पुलिस | ट्रांसपोर्ट | ट्रेनिंग |

**पुलिस अधीक्षक (सुपरिडेंडेट आफ पुलिस) आफिस का संगठन**
**पुलिस अधीक्षक**

| क्राइम | कानफिडेनशनल | जनरल | डिस्टिक | फोरनर्स | एकाउंट्स | रजर्व |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सेक्शन | सेक्शन | सेक्शन | क्राइम ब्यूरो | सेक्शन | सेक्शन | लाइन |

*स्रोतः- पुलिस एंड सिक्यूरिटी ईयर बुक 2010-2011, मानस पब्लिकेशन, 2010।*

राज्य पुलिस प्रशासन में महानिदेशक तथा महानिरीक्षक का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है तथा वह राज्य सरकार तथा पुलिस विभाग के मध्य एक सम्पर्क सेतु का कार्य करता है। वह राज्य सरकार के मुख्य सलाहकार के नाते अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करता है। वह समस्त सूचनाओं या जानकारियों के संग्रहीत करने तथा सम्प्रेषित करने हेतु राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। इस कार्य में उसकी सहायता उपमहानिरीक्षक (सूचना विभाग प्रभारी) करता है। महानिदेशक (डीजीपी या आईजीपी) का दायित्व होता है कि वह राज्य सरकार को उन सभी घटनाक्रमों से परिचित कराता रहता है जिनसे कि कानून एवं व्यवस्था के कुप्रभावित होने का संकट होता है। वह औद्योगिक अशांति, साम्प्रदायिक तनाव, कृषकों के आन्दोलनों तथा छात्र-आन्दोलनों आदि की जानकारियों से राज्य शासन को अवगत कराता है। डीजीपी या आईजीपी न केवल राज्य सरकार अपराध की स्थिति से सूचित करता है अपितु वह यह भी बतलाते हैं कि किस विशिष्ट प्रकृति के अपराध गम्भीर रूप से ग्रहण कर रहे हैं। वह इस काम में उसकी सहायता (डीजीपी) के लिए उपमहानिरीक्षक (गुप्तचर विभाग) होता है। इसके अलावा डीजीपी के द्वारा राज्य सरकार को उन सभी मामलों से भी अवगत कराया जाता जिनसे भी राज्य का सम्बन्ध अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा बनाए रखने से होता है। (वैदेशिक सरकारों के शासनाध्यक्षों तथा प्रधानमन्त्री व राष्ट्रपति तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध) डीजीपी के द्वारा राज्य सरकारों को उन सभी गम्भीर आपदाओं अथवा प्राकृतिक विपदाओं के घटित होने की भी सूचनाएं पेषित की जाती हैं। जिनकी जानकारी उसे समय-समय पर मिलती रहती है जिनका सम्बन्ध जल, थल, वायु सीमा के परिवहनों की दुर्घटनाओं से, आग लगने, बाढ़, तूफान तथा भूचाल आने की घटनाओं से होता है तथा डीजीपी का यह दायित्व भी होता है कि वह ऐसे पुलिस प्रबन्धों की व्यवस्था करे ताकि पीड़ितों की सहायता हो सके तथा उनके कष्टों का निवारण हो सके। डीजीपी राज्य सरकार को उस समय भी परामर्श देता है जब उसे राज्यवादी कदम उठाने पड़ते हैं तथा शासन को राज्य पुलिस की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। डीजीपी का मुख्य कार्य प्रशासकीय कार्य होता है कि वह अपने सतत् अधीक्षण या निरीक्षण की सहायता से पुलिस संगठन में कुशलता बनाए ताकि पुलिस प्रशासन अपने कार्यों का (राज्यों में अपराधों की गिरती व उनके मुख्य नियन्त्रण को बनाए रखने के लिए कार्य) भली भांति निर्वाह कर सके। वह (डीजीपी) राज्य के पुलिस विभाग में आन्तरिक अर्थ प्रबन्ध के लिए भी उत्तरदायी होता है। तथा उसे लगातार निगरानी भी करनी होती है कि क्या पुलिस के पास जनशक्ति तथा अन्य साधन पूरी मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं। पुलिस महानिदेशक के द्वारा रिक्त स्थानों को भरना, सभी कर्मचारियों, कार्यालयों तथा भण्डार गृहों के लिए आवास की उचित व्यवस्था भी की जाती है। पुलिस महानिदेशक राज्य में पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता है अतः वह पुलिस विभाग से

सम्बन्धित सभी विषयों में प्रधान सलाहकार की भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिए पुलिस महानिदेशक राज्य की समस्त पुलिस व्यवस्था को एक प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता है तथा वह राज्य स्तरीय लोक प्रशासन में वह एक महत्वपूर्ण सम्मान का पात्र होता है। पुलिस महानिदेशक के पास असीमित शक्तियां प्राप्त होती है इससे राज्य, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में उसका महत्व होता है।

उपमहानिरीक्षक पुलिस (डीआईजी) पुलिस क्षेत्र (रेंज) विशेष के पुलिस प्रशासन अथवा पुलिस विभाग की विशिष्ट शाखा का प्रभारी होता है। वह गुप्तचर शाखा राज्य सशस्त्र पुलिस, डाकू विरोधी दल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय तथा अन्य शाखाओं का प्रभारी होता है। प्रत्येक रेन्ज में उसके आकार तथा महत्व के आधार पर चार से छः तक जिले शामिल किए जाते हैं। केरल राज्य में दो पुलिस रेंज बनाए गए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश राज्य को दस रेंजों में विभक्त किया गया है और वहीं राजस्थान राज्य को सात रेंजों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक रेंज का प्रभारी एव उपमहानिरीक्षक पुलिस को बनाया जाता है। रेंज विशेष के मुखिया के अलावा उसे पुलिस विभाग की विशिष्ट शाखा का अध्यक्ष या मुखिया भी बनाया जाता है। विशिष्ट शाखा के अध्यक्ष अथवा मुखिया के पद पर आजकल मुख्यतः डीआईजी से पदोन्नत पुलिस महानिरीक्षको को नियुक्त किया जाने लगा है। जिससे अधिक से अधिक लोगों को पद उन्नति दी जाने की व्यवस्था की जा सके। उपमहानिरीक्षक पुलिस का मुख्य कर्तव्य राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के मध्य समन्वय तथा समझौता कराने की भूमिका निभाता है। चूंकि डीआईजी रेंज का मुखिया होता है, अतः वह महानिदेशक के सहायक के रूप में भी कार्य करता है जो कि अपने कर्तव्यों में से कुछ कार्य उसे दे देता है। डीआईजी के द्वारा अपने नियन्त्रण अधीन पुलिस बल में कुशलता बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। वह पुलिस अधीक्षकों या नियन्त्रणाधिकारियों तथा रेंज का उपमहानिरीक्षक होने के नाते जिला मजिस्ट्रेटों से मंत्रणा करता है तथा उसके अधीनस्थ जो रिपोर्ट तथा प्रत्युत्तर प्रस्तुत होते हैं वह उनके आधार पर निर्देशों को पारित करता है। अपनी रेंज का मुखिया होने के नाते उसका कर्तव्य है कि वह अपने अधीन कार्य करने वाले



पुलिस अधीक्षकों के कार्यों का निरीक्षण करें जो कि वे अपराध के अन्वेक्षण तथा नियन्त्रण के क्षेत्र में करते हैं। डीआईजी के द्वारा गम्भीर अपराधों जैसे बलात्कार, हत्या, डकैती, घृणित अपराध तथा अन्य अपराधों के बारे में पुलिस अधीक्षकों के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो की जांच पड़ताल की जाती है तथा वह अपराध होने से लेकर अपराधी के पता चलने तक सभी मामलों पर अपनी निगरानी रख सका है। उपमहानिरीक्षक द्वारा अपने विभाग की पुलिस के अधीक्षकों तथा उसके समकक्षों द्वारा किए गए खर्चों की जांच पड़ताल, अपनी शाखा के समस्त महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से पुलिस महानिदेशक को समय-समय पर अवगत कराना, पुलिस कर्मचारियों के निवास-व्यवस्था की देखभाल एवं वह अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अन्तर जिला सहयोग की व्यवस्था करता है। डीआईजी के द्वारा अपने अधीन कार्यरत पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखने का दायित्व होता है। इसके लिए वह न केवल विभागीय कार्रवाईयों की जांच-पड़ताल करता है अपितु वह दोषियों को दण्ड दिलवाने तथा कार्यकुशल लोगों के लिए पुरस्कार दिलवाने की भी व्यवस्था करता है। इस प्रकार उपमहानिरीक्षक दोहरी भूमिका निभाते हैं जहां वह एक ओर महानिदेशक के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं वहीं दूसरी ओर वह अपने क्षेत्र के मुख्याधिकारी के दायित्वों का निर्वाह करता है।

जिला पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) जिले में पुलिस बल का प्रधान होता है। पुलिस अधीक्षक का मुख्य कार्य पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखना एवं पुलिस बल द्वारा निभाए जा रहे कर्तव्यों को उचित रीति से निभाना ही उसका मुख्य कार्य है। जहां मद्रास, मुम्बई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, मैसूर जैसे राज्यों में जहां उसे जिला पुलिस अधीक्षक शहर बुलाते हैं वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उडीसा व असम में केवल उसे पुलिस अधीक्षक कहकर बुलाते हैं। पुलिस अधीक्षक का मुख्य कार्य अपराध नियन्त्रण करना होता है पर उसे अनेक प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ता है। वह अपराध नियन्त्रण हेतु पुलिस थानों से सम्पर्क बनाए रखता है। अपराध घटने की प्रथम सूचना रिपोर्टों को ग्रहण करता है। यदि वह आवश्यक

समझता है तो वह पुलिस को अपराध नियन्त्रण हेतु अग्रिम कार्रवाई करने का आदेश प्रदान करता है।

पुलिस उपाधीक्षक सर्किल का अधिकारी होता है जिसके अन्तर्गत सामान्यतः 5 थाने कार्य करते हैं तथा वह उन समस्त थानों का निरीक्षण करता है। वह अपने क्षेत्र में अपराध नियन्त्रण तथा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। वह जनपद में पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं के सम्यक निर्वहन, संचालन एवं संपादन में सहायता उपलब्ध कराते हैं। अनेक मामलों में इनको अन्तिम आदेश देने के अधिकार नहीं होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में वे अपने अनुसंधान, प्रगति तथा अनुशंसाओं को जिला अधीक्षक को प्रेषित करते हैं। ये अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक के राजपत्रित सहायक कार्मिक होते हैं।

पुलिस थाना निरीक्षक या अधिकारी (एस.ओ./एस.एच.ओ.) पुलिस थाने का अध्यक्ष निरीक्षक तथा अनेक बार निरीक्षक के स्तर का अधिकारी होता है। जिसे थाना प्रभारी या थानेदार कहते हैं। थाना प्रभारी को जितनी अपराध नियन्त्रण तथा अनुसंधान की शक्तियां प्राप्त हैं उतनी शक्तियां अन्य किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त नहीं हैं। थाना प्रभारी की सहायता के लिए अनेक कनिष्ठ उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य कांस्टेबल तथा अन्य कांसटेबल होते हैं। थाना प्रभारी/अधिकारी का दायित्व होता है कि वह अपने निश्चित वृत्त की सामान्य दशा से अवगत रहें ताकि वह न केवल अपराध की घटनाओं को घटने से रोक सकें वरन् वह अपराधियों को न्यायधीशों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। उसे दुराचारियों की गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है ताकि वह अपराधों को नियन्त्रित करता रहे। थाना प्रभारी का कार्य अपराध अनुसंधान करना, अपराधियों का पता करना तथा उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा पुलिस भूमिका से सम्बन्धित अन्य अनेक कार्यों का भी सम्पादन महत्वपूर्ण होता है। चूंकि पुलिस थाने का अध्यक्ष एक थाना केन्द्र अधिकारी होता है जो कि प्रायः निरीक्षक के पद का अधिकारी होता है। वह देश के पुलिस प्रशासन की धुरी या प्रमुख सम्पर्क सूत्रधार होता है। इसलिए उसे भारत के पुलिस प्रशासनिक



व्यवस्था का मुख्य अधिकारी भी कहते हैं। इसलिए उसे राष्ट्र में सर्वाधिक भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। थाना प्रभारी होने के कारण उसे प्रतिदिन अनेक पुलिस पंजीयन पुस्तिकाओं तथा विविध प्रकृति के वर्गीकृत सूचना पत्रों को अपनी हस्तलिपि में तथा अपने हस्ताक्षर सहित तैयार करना तथा अंकित करना होता है, वह न केवल अपने अधीनस्थों के कार्य का अधीक्षण या निर्देशन करता है वरन् वह शारीरिक व्यायाम, मौखिक निर्देशों तथा उत्तरदायी कार्यों के हस्तान्तरण द्वारा भी उनका नैतिक बल ऊंचा बनाए रखता है। इनके अतिरिक्त भी वह अनेक वैधानिक पंजीयन पुस्तिकाओं जैसे विभिन्न रिपोर्टों, रजिस्टरों तथा संहिताओं की देखभाल भी करता है। थाना प्रभारी को महत्वपूर्ण प्रपत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट पुस्तिका, केस डायरी, आरोप प्रतियां (चार्ज शीट), अन्तिम रिपोर्टस, जमानती बाण्डस, जांच-पड़ताल सूचियां, जब्ती/अधिग्रहण सूचियां, हत्या के वादों/मामलों की रिपोर्ट रखने का प्रबन्ध, अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों का रजिस्टर आदि प्रलेखों को रखा जाता है। थाना प्रभारी को पुलिस प्रलेखों की देखभाल भी करनी पड़ती है- दण्डितों की पुस्तिका, भगोड़े लोगों का रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, अपराध प्रलेख, ग्राम सूचना की सूचियां, दण्डितों की पुस्तिका, अपराध शिक्षा निरीक्षण रजिस्टर आदि की देखभाल की जिम्मेदारी थाना प्रभारी पर ही होती है। इसके अलावा वह थाने में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी थाना प्रभारी पर ही होती है।

मुख्य कांस्टेबल तथा कान्सटेबल थाने स्तर पर कार्य करते हैं तथा जनता से इनका सीधा सम्बन्ध बना रहता है। मुख्य कांस्टेबल प्रायः 5 (पांच) प्रकार के कार्य करता है। उदाहरणार्थ उसका मुख्य कार्य मात्र रिपोर्ट लिखने तथा पंजीकरण पुस्तकों की देखभाल करना ही होता है। कभी-कभी यह अधिकारी कांस्टेबल के दरजे का होता है। उसे लेखा मुख्य कांस्टेबल अथवा लेखा कांस्टेबल के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य कान्सटेबल का कार्य यह भी होता है कि वह थाने की बाहरी चौकियों की देखभाल करें। वह अपने क्षेत्र में पुलिस भ्रमण तथा अपराध नियन्त्रण की व्यवस्था करें। उसका यह भी दायित्व होता है कि वह थाना

प्रभारी को समस्त संगीन अपराधों तथा अन्य प्रमुख घटनाओं से अवगत कराए। कांस्टेबल भी उसके निर्देशन में कार्य करते हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तथा चौकियों पर भी कार्य करते हैं। कांस्टेबल जनता से भी सम्पर्क बनाए रखते हैं तथा समितियों के माध्यम से अपराध नियन्त्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं।

**पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी**

❖ पुलिस महानिदेशक
❖ पुलिस महानिरीक्षक
❖ पुलिस उप महानिरीक्षक
❖ पुलिस अधीक्षक
❖ पुलिस सह अधीक्षक
❖ पुलिस सह अधीक्षक

**पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी**

❖ निरीक्षक
❖ सार्जेन्टस
❖ उप निरीक्षक
❖ मुख्य कांस्टेबल
❖ कांस्टेबल

**पुलिस बल की विभिन्न शाखाएं-**

1- नागरिक (सिविल) पुलिस
2- अवारोही (माउंटेड) पुलिस
3- सशस्त्र पुलिस
4- विशिष्ट सशस्त्र पुलिस
5- यातायात/परिवहन पुलिस
6- जिला गुप्तचर सेवी वर्ग
7- अभियोजन शाखा
8- रेलवे पुलिस
9- अपराधी अनुसंधान विभाग



**Table 1.1- वर्ष 2010 में भारत में पुलिस का संगठनात्मक ढांचा**

| **S. No.** | State/UT | Zones | Ranges District | Police Division | Sub Stations | Circles Police Stations | Rural Police Stations | Urban Police | Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| राज्य | | | | | | | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 14 | 13 | 33 | 179 | 420 | 1274 | 387 | 27 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 3 | 17 | 5 | 17 | 54 | 15 | 0 |
| 3. | असम | 2 | 6 | 30 | 28 | 45 | 183 | 130 | 1 |
| 4. | बिहार | 5 | 12 | 44 | 112 | 200 | 694 | 458 | 1 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 5 | 21 | 66 | 0 | 300 | 101 | 4 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 16 | 1 |
| 7. | गुजरात | 14 | 10 | 31 | 94 | 85 | 381 | 138 | 17 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 4 | 22 | 51 | 0 | 153 | 89 | 1 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 3 | 13 | 26 | 0 | 65 | 37 | 0 |
| 10. | जम्मू एण्ड कश्मीर | 2 | 7 | 29 | 39 | 26 | 121 | 63 | 2 |
| 11. | झारखण्ड | 4 | 7 | 26 | 43 | 113 | 289 | 136 | 24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | कर्नाटक | 0 | 6 | 34 | 92 | 239 | 484 | 416 | 10 |
| 13. | केरल | 2 | 4 | 18 | 54 | 198 | 311 | 159 | 4 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 11 | 15 | 53 | 142 | — | 598 | 346 | 9 |
| 15. | महाराष्ट्र | 36 | 9 | 45 | 280 | 0 | 679 | 333 | 0 |
| 16. | मणीपुर | 3 | 0 | 10 | 25 | 0 | 83 | 8 | 9 |
| 17. | मेघालय | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | 20 | 19 | 7 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 2 | 8 | 17 | 0 | 27 | 11 | 0 |
| 19. | नगालैण्ड | 1 | 10 | 11 | 25 | 17 | 20 | 30 | 1 |
| 20. | उडीसा | 0 | 9 | 36 | 35 | 99 | 372 | 174 | 5 |
| 21. | पंजाब | 4 | 7 | 25 | 90 | 0 | 202 | 157 | 5 |
| 22. | राजस्थान | 9 | 8 | 40 | 0 | 185 | 442 | 315 | 24 |
| 23. | सिक्किम | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 6 | 22 | 0 |
| 24. | तमिलनाडू | 4 | 12 | 40 | 248 | 376 | 565 | 731 | 196 |
| 25. | त्रिपुरा | 1 | 2 | 4 | 22 | 30 | 39 | 25 | 1 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0 | 18 | 72 | 312 | 393 | 1071 | 423 | 65 |
| 27. | उत्तराखण्ड | 0 | 2 | 13 | 72 | 37 | 71 | 54 | 2 |
| 28. | पश्चिमी बंगाल | 3 | 8 | 29 | 83 | 86 | 253 | 234 | 0 |
| | योग (राज्य) | 118 | 185 | 717 | 2167 | 2585 | 8766 | 4727 | 416 |
| | **केन्द्र शासित प्रदेश** | | | | | | | | |
| 29. | अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18 | 3 | 1 |
| 30. | चण्डीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 31. | दादर एण्ड नागर हवेली | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32. | दमन एण्ड द्वीव | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 0 | 3 | 11 | 54 | 0 | 0 | 184 | 0 |
| 34. | लक्ष्यद्वीप | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | — | 0 |
| 35. | पाण्डीचेरी | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 16 | 26 | 3 |
| | योग (केन्द्र शासित प्रदेश) | 1 | 4 | 20 | 69 | 16 | 45 | 227 | 4 |
| | योग (सम्पूर्ण भारत) | 119 | 189 | 737 | 2236 | 2601 | 8811 | 4954 | 420 |

@ During 2009, figure of 148 women police stations under col. 10 against Bihar was shown incorrect due to data furnished inadvertently by Bihar. Data of actual women police station in Bihar is 1 as clarified by Bihar in 2010; #As clarified by Tamil Nadu state that due to reclassification of police stations, there is variation in Rural and Urban police stations in 2010.

Each zone is headed by IGP and again these zones are breakup into ranges where head is Dy. G.P.

स्रोतः- 'भारत में अपराध' 2010 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

भारत में पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश को विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया गया है। समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को 119 जोंस में बांटा गया है जिसका इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है तथा समस्त भारत में कुल 189 रेंज बनाए गए हैं। जिनका प्रमुख डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है जो अपराध नियन्त्रण तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। कुल 737 पुलिस जनपद बनाए गए हैं जिनको 2236 सब डिविजन्स में विभाजित किया गया जिसका प्रमुख जिला सीनियर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक होता है। सर्किल्स जिनकी संख्या 8811 है, का अधिकारी सर्किल आफिसर या डिप्टी सुपरिंटेंडेन्ट ऑफ पुलिस होता है जो पुलिस अधीक्षक की निगरानी में कार्य करता है तथा यह तीन से पाँच थानों को देखता है तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों को नियंत्रण का कार्य करता है। शहरी क्षेत्रों में 4954 थाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 8811 थाने स्थापित किए गए हैं जो स्टेशन हाउस आफिसर (एस.एच.ओ.) के निर्देशन में कार्य करते हैं। एस.एच.ओ. के अन्तर्गत अनेक हैडकांस्टेबल तथा कांस्टेबल कार्य करते हैं जो उसके आदेशों का पालन करते हैं तथा एस.एच.ओ. को कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की अनुपस्थिति में थाने का प्रभारी किसी भी सीनियर पुलिस सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाता है।

देश भर में महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों को रोकने एवं उनकी जांच पड़ताल के लिए 420 थाने स्थापित किए गए हैं जिनकी प्रभारी महिला पुलिस कर्मी होती है तथा शेष पुलिसकर्मी भी अधिकतर महिलाएं ही होती हैं। सामान्यतयाः देखा जाता है कि महिलाएं अपने ऊपर होने वाली हिंसा व अपराधों को समाज के दबाव से तथा झिझक के कारण पुरुष पुलिसकर्मी से अपनी बात को नहीं कह पाती थीं। इस समस्या को दूर करने तथा महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से इन महिला थानों की स्थापना की गयी तथा वर्तमान में भी इन महिला थानों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला पुलिस थानों के परिणामस्वरूप पीड़ित महिलाएं अधिक संख्या में सामने आ रही हैं जो निश्चित रूप से अपराध करने वालों के मन में भय पैदा करता है तथा



दण्ड के भय से अपराध को अंजाम देने में डर महसूस करता है। इन थानों की स्थापना ने महिलाओं को भी पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि इन थाने में महिला पुलिस अपने कार्यों को ये अधिक सहजता के साथ निभाती हैं।

यद्यपि पुलिस संगठन में प्रत्येक पुलिसकर्मी/अधिकारी के कार्य एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए गये हैं जिनको निभाना उसका प्रमुख दायित्व होता है। परन्तु विभाग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को निम्नलिखित कार्य आवश्यक रूप से करने होते हैं। भारत में अभी भी पुलिस के कार्य 1861 के भारत पुलिस अधिनियम के आधार पर निर्धारित किए गए हैं जिनको निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है।

1. अपराध नियन्त्रण कारी कार्य- इस स्थिति से निपटने के लिए अपराधी दण्ड संहिता में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अनु. 107, 109, 110, 144, 145 तथा 146 आदि धाराएं हैं जिनमें अपराध नियंत्रण की व्यवस्था की गई है।

2. अपराध अध्ययन एवं अनुसंधान परक कार्य

3. अपराध अभियोजन सम्बन्धित कार्य

4. कानून व व्यवस्था विषयक कार्य जिसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक स्थिति, उत्सवों के प्रसंग कृषिपरक संकट, औद्योगिक अशांति के अवसर, विद्रोही राजनीतिक दल आदि ऐसी कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने सम्बन्धी कार्य पुलिस विभाग द्वारा ही किए जाते हैं।

5. गत नियुक्ति, रक्षा तथा सहायता के लिए व्यवस्था करना

6. आपराधिक न्यायालयों की प्रक्रियाओं का कार्यपालन करना

7. भीड़ एवं यातायात के नियमन का प्रयास करना

8. केसों तथा अन्य समारोह में कर्तव्यों का निर्वाह करना

9. अकाल, अतिवृष्टि (बाढ़), अग्निकांडों, दुर्घटनाओं, प्राचीन संग्रहों, सैनिक परिव्यक्तों, बिना दावों की तथा संदेहास्पद सम्पत्ति का सत्यापन करना

10. कारागृहों से भागे हुए लोगों के पता लगाने आदि की भूमिकाओ को निभाना

11. जन्म व मरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

12. विविध राज्य तथा स्थानीय शासन के अनेक कानूनों के निर्वहन कराने का उत्तरदायित्व भी पुलिस विभाग का ही होता है।

13. जब लोग/व्यक्ति आकस्मिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाएं या विषपान कर लें या हत्या का शिकार हो जाएं अथवा आत्महत्या कर लें तब उनके शरीर की अन्तिम शव परीक्षा तथा मृत्यु पत्र को तैयार करने का दायित्व भी पुलिस का ही होता है।

यद्यपि उपर्युक्त कार्य पुलिस के लिए निर्धारित किए गए हैं परन्तु स्वतन्त्रता पश्चात बदलती सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतियों ने पुलिस की भूमिका को परिवर्तित किया है तथा साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की पुलिस से अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है जिसने पुलिस के कार्यों को परिवर्तित रूप से देखने पर बल दिया है।

लेखक ने विषय का अध्ययन करने के लिए अनुसंधानात्मक अध्ययन किया तथा अध्ययन करने के लिए दो सर्वेक्षण प्रपत्र तैयार किए। प्रथम प्रपत्र जनता हेतु तथा दूसरा प्रपत्र महिला पुलिस हेतु तैयार किया गया। प्रथम प्रपत्र हेतु 311 उत्तरदाताओं का चयन जनता के विभिन्न आयु वर्ग, व्यवसाय, शैक्षिक स्तर, व्यवसाय तथा राज्यों से किया गया तथा उनसे उत्तर प्राप्त किए। दूसरे प्रपत्र हेतु 84 महिला पुलिस उत्तरदाताओं का चयन किया गया जो विभिन्न आयु पद तथा शैक्षिक स्तर के थे तथा विभिन्न राज्यों में कार्यरत थे। इसके पश्चात उनके उत्तरों के स्वरूप की समीक्षा प्रतिशत के आधार पर करने का प्रयास किया गया। प्रपत्र में विभिन्न प्रश्न दिए गए थे जिसमें से अधिकतर प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर दिए गए थे। उत्तरदाताओं से अनुरोध किया गया था कि वे स्वतन्त्र रूप से उन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर/ विभिन्न समस्याओं व प्रश्नों की समीक्षा से प्राप्त उत्तरों की सांख्यिकी गणना प्रतिशत के आधार पर की गयी है। इन सर्वेक्षण के उत्तरों को व्यक्तिगत रूप से गोपनीय रखने का आवासन दिया गया तथा उनका सांख्यकी गणना हेतु ही प्रयोग किया गया है।

भारत जैसे विशाल देश में केवल 395 व्यक्तियों के उत्तरों को



सर्वेक्षण द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं उनके आधार पर परिकल्पनाओं को सिद्ध अथवा सिद्ध करने में अनेक गलतियां एवं कमियां रह जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, परन्तु फिर भी सीमित साधन, समय व सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अन्वेषणात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन में सर्वेक्षण का उद्देश्य जनता से महिला पुलिस से अपेक्षाओं को जानना व परिकल्पनाओं को उनकी कसौटी पर कसना है।

**अध्ययन का उद्देश्य-**

इस शोध का उद्देश्य भारत में 'महिला पुलिस से अपेक्षाएं' सम्बन्धित विषय पर एक सैद्धान्तिक अध्ययन करना है। यह अध्ययन करने के लिए लेखक ने विभिन्न पद्धतियों का सम्मिश्रण करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता पश्चात महिला पुलिस की बढ़ती आवश्यकता तथा उनसे अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। सर्वेक्षण के माध्यम से 395 उत्तरदाताओं द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र में दिए गए वैकल्पिक उत्तरों की सहायता से कुछ परिकल्पनाओं को कसौटी पर कस कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है। शोधकर्ता द्वारा शोध से पूर्व कुछ परिकल्पनाएं बनायी गयी थीं जो निम्न प्रकार हैं-

**परिकल्पनाएं**

❖ वर्तमान में महिला पुलिस की भूमिका किस प्रकार की है।

❖ महिला पुलिस सामाजिक स्तर पर जनता की सहभागिता प्राप्त करती है।

❖ वर्तमान परिस्थितियां क्या महिला पुलिस की भूमिका को प्रभावित करती है।

**सर्वेक्षण की परिसीमाएं तथा पद्धतियां-**

इस अन्वेषणात्मक अध्ययन की अनेक सीमाएं व कमजोरियां हैं। भारत जैसे विशाल देश में जिसकी जनसंख्या एक अरब से ऊपर पहुंच चुकी है, के विषय में 395 व्यक्तियों के ऊपर किया गया कोई भी

अध्ययन अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है। सर्वेक्षण प्रपत्र में अधिकतर उत्तरी भारत के राज्यों से अन्वेषण प्रपत्र भरवाकर उनकी राय प्राप्त की गयी है। अपने सम्बन्धियों, मित्रों व शुभचिन्तकों की सहायता से सर्वेक्षण प्रपत्रों को विभिन्न राज्यों की जनता के लोगों से इसे भरवाया गया है। लेखक के सर्वेक्षण प्रपत्रों के अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तियों से साक्षात्कार भी किए। सर्वेक्षण के अलावा अनेक पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्र, इन्टरनेट तथा अन्य उपलब्ध स्रोतों से विषय सामग्री तथा सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन समय एवं धन के अभाव के तथा अन्य सीमाओं के कारण बहुत ही छोटा सा शोध कार्य है जो सर्वेक्षण प्रपत्र भरकर प्राप्त हुए उनका विश्लेषण तथा सांख्यिकी समीक्षा द्वारा परिकल्पनाओं को सिद्ध अथवा असिद्ध करने का प्रयास किया गया है। प्रतिशत पद्धति से इन अन्वेषण निष्कर्षों को एक सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है तथा अधिक से अधिक निष्पक्ष वैज्ञानिक तथा तटस्थ रहने का प्रयास किया गया है। यद्यपि इस शोध की अनेक कमियां व परिसीमाएं हैं परन्तु फिर भी लेखक ने एक निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

**संदर्भ सूची**


1. टी.अन्नताचारी, 'पुलिस रिफार्म-न्यू इम्पैरेटिव्स, दी इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेान, आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली, वॉल्यूम, नं. 3, जुलाई-सितम्बर 1994, पृ. 436.

2. वेद मरवाह, 'पुलिस एंड गुड गवर्नेसः प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स', दी जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली, वॉल्यूम, नं. 3, जुलाई-सितंबर, 1998, पृ. 478.

3. एस.सी. मिश्रा, 'पुलिस परफोरमेंसः सम पेरामीटर्स ऑफ अप्रेजल', दी इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली, वॉल्यूम Volume नं. 2, अप्रैल-जून, 1981, पृ. 451-452.

4. के.पी. व सिंह, 'पुलिस की जन-हितैषी छवि और आम आदमी', पूर्वोक्त, पृ. 6.

5. शर्मा, सविता, एवं रामकृष्ण पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली.

6. कुमार, मुकेश 'पुलिस का क्रमिक विकास' विज्ञान (जनवरी-मार्च 2010), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली.

7. शर्मा, ब्रजमोहन (भारतीय पुलिस) पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1989.

8. कुमार, मुकेश 'पुलिस का क्रमिक विकास' पुलिस विज्ञान (जनवरी-मार्च 2010), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली.

9. शर्मा, ब्रजमोहन 'भारतीय पुलिस' पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1989.

10. पुलिस आयोग 1902-03 की रिपोर्ट.

11. शर्मा, ब्रजमोहन 'भारतीय पुलिस' पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1989.

# अध्याय दो

# पुलिस सेवा में महिलाएं

वर्तमान समय में आए बदलावों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव महिलाओं का पुलिस व सेनाओं में नौकरी करना है। आज तक जिस क्षेत्र में सिर्फ पुरुषों के वर्चस्व को ही माना जाता था आज के समय में महिलाओं का पुलिस में नौकरी करना सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बदलाव का द्योतक है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में महिलाओं के प्रति न सिर्फ व्यवहार में बल्कि उनके प्रति नजरिए में भी बदलाव आया है। कुछ लेखक महिलाओं का भारतीय पुलिस में होना कौटिल्य के अर्थशस्त्र के आधार को मानते हैं। इतिहास से ये भी पता चलता है कि महिलाओं का पुलिस और सेना में आना ब्रिटिश काल की देन है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में महिला पुलिस का प्रयोग आरम्भ किया गया और पहली बार 1939 में कानपुर के लिए महिला पुलिस को नियुक्त किया गया परन्तु फोर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद डिस्बेन्डेड कर दिया गया। 1942 में त्रिवेणकोर (केरल) ने भी स्पेशल पुलिस कान्स्टेबल को नियुक्त किया जिसमें एक महिला हैड कान्सटेबल और 12 महिला स्पेशल पुलिस को नियुक्त किया गया। 1939 में पोर्ट ड्यूटी के लिए मुम्बई, कोलकत्ता और चेन्नई में भी महिला पुलिस को नियुक्त किया गया। 1947 के भारत विभाजन और स्वतन्त्रता प्राप्ति



के पश्चात विभिन्न राज्यों में महिलाओं को स्थायी रूप से नियुक्त किया गया। इण्डियन पुलिस सर्विस पुरुषों के साथ महिला कैडर को भी नियुक्त कर रहे हैं। महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वह पुलिस वेस्ड नौकरी में यानी सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., एन.एस.जी., रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, होमगार्ड और बार्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे सभी नौकरी में पुरुषों के बराबर एजूकेशन, ट्रेनिंग आदि प्राप्त करेगी। महिला पुलिस सामाजिक परिवर्तन में विभिन्न तरह से अपनी भूमिका निभाती है।[1]

**स्वातंत्रोत्तर भारत मे महिला पुलिस की भूमिका**

स्वातंत्रोत्तर भारत मे महिला पुलिस की अपनी विशिष्ट भूमिका है। आज जिस तरह से सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संघर्ष चल रहे हैं, भाषा सम्बन्धी विवाद, प्रान्तीयवाद व साम्प्रदायायिकता के कारण दंगे हो रहे है, विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ रहा है, फूलन देवी, कुसुम नयन, फूलश्री तथा मुन्नी जैसी डाकू महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा जिस प्रकार सभी प्रदर्शनों में महिलाएं आगे आकर उनका नेतृत्व कर रही हों, उस स्थिति का सामना करने के लिए महिला पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। रेलवे स्टेशन, बस स्टापों, सिनेमा घरों तथा बाजार आदि स्थानों पर सफेदपोश आधुनिक महिलाएं जिस प्रकार अपराध कर रही है, उन सबसे निपटने के लिए महिला पुलिस की अनिवार्यत्ता व उपयोगिता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक विकासशील समाज में अनेक कार्यों को करने के लिए महिला पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बाल अधिनियम, महिलाओं के विरुद्ध अनैतिक व्यवहार, भिक्षुक अधिनियम व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए महिला पुलिस अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

समाज शास्त्रियों के अनुसार विकासशील देश में महिलाओं द्वारा अपराध दिन प्रति दिन बढ़ेगे। हत्या, डकैती, चोरी, शराब का व्यापार तथा वेश्यावृत्ति ऐसे अपराध हैं जिन्हें महिलाएं अधिकतर मजबूरी व लाचारी के कारण करती हैं। स्वभाव से कोमल, सहनशील और सरल महिलाएं भी कभी-कभी मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक अथवा सामाजिक

परिस्थितियों वश अपराध करने लगती है। फूलन देवी, मीरा ठाकुर आदि डकैत औरतों की पृष्ठभूमि पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि परिस्थितियों के कारण महिलाएं ऐसे अपराध करने के लिए बाध्य होती हैं। सोतिया डाह, असफल प्रेम, पारिवारिक लांछन, सामाजिक तिरस्कार, पारिवारिक तनाव, बांझपन, प्रतिशोध की भावना आदि के कारण महिलाओं में अनेक अपराध विशेष अथवा क्षणिक आवेश में आकर किए हैं। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि ऐसे अपराधों के बारे में अन्वेषण, जांच पड़ताल महिला पुलिस अधिकारियो ही द्वारा हों की जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1967 में विधि प्रर्वत्तान तथा न्याय प्रशासन पर राष्ट्रपति आयोग की टास्क फोर्स के प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान विधि प्रवर्त्तन में महिला पुलिस एक अमूल्य वरदान सिद्व हो सकती है और इसलिए उनकी वर्तमान भूमिका का विस्तार किया जाना चाहिए। आज के विकासशील समाज में महिला पुलिस ऐसी भीडों को तितर-बितर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हों अथवा जिनमें अधिकतर महिलाएं हों। आज अपराध व किशोर अपराध को रोकने व उसके नियंत्रण में महिला पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि बच्चों के अपराधों को रोकने के लिए कारगार कदम उठाने के साथ-साथ प्यार, स्नेह, सही मार्गदर्शन तथा एक मानवीय व्यवहार की आवश्यकता है। अपराध के हो जाने के मामले में भी बात अपराधियों के नाजुक तथा कोमल दिलो-दिमाग को देखते हुए उनके लिए सामान्य पुलिस नहीं बल्कि महिला पुलिस की व्यवस्था ही जरूरी है। बाल कानून व बाल कल्याण के क्षेत्र में भी पुलिस एक महत्वपूर्ण योगदान विदेशों में दे रही हैं तथा ऐसी ही भूमिका की अपेक्षा भारत में भी की जा सकती है। महिला पुलिस अधिकारियों को बालमनोविज्ञान की विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। बाल-अपराधियों के दिल अत्यन्त कोमल भावुक और भोले होते हैं। इसलिए अपराध के मामले मे भी उन्हें अपराधी महसूस नहीं कराना चाहिए बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीकों से उन्हे सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। दहेज सम्बन्धी अपराधो की जांच-पड़ताल के संदर्भ में भी महिला पुलिस की भूमिका



बहुत महत्वपूर्ण है। महिला पुलिस की भूमिका बलात्कार तथा स्त्रियों पर किए गए अथवा स्त्रियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच पड़ताल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

दिल्ली पुलिस कमीशन, 1968 में सिफारिश की थी कि महिला पुलिस को महिलाओं तथा बच्चों से सम्बन्धित कार्यों में लगाया जाए तथा जन सम्पर्क के कार्य में महिला पुलिस का सहयोग लिया जाए। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग 59 प्रतिशत पुलिस कर्मचारियों के परिवारों से आती हैं तथा उनके या तो कोई रिश्तेदार या सगे सम्बन्धी पुलिस विभाग में हैं अथवा कभी पहले थे। अनेक पुलिस कर्मचारियों की विधवाओं तथा मृत पुलिस कर्मियो की पुत्रियों को सहानुभूति व आर्थिक सहायता की दृष्टि से पुलिस में महिलाओं को भर्ती किया गया है।

महिला पुलिस के कार्यों की विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुख्यतः वे निम्नलिखित कार्य करती हैं:-

1. शांति व व्यवस्था बनाए रखने सम्बन्धी कार्य जिसमें अपराधो को रोकना भी सम्मिलित है।

2. महिलाओं तथा बाल अपराधो के विषय में अनुसंधान करना अथवा ऐसे अपराधो की जांच-पडताल करना जिससे स्त्रियों अथवा बच्चों को हानि हुई है।

3. महिला अपराधियों तथा बाल अपराधियों की देखभाल का कार्य।

4. सामाजिक अभिनियमों को पालन कराने का कार्य।

5. यातायात पुलिस (ट्रेफिक पुलिस) का कार्य विशेषकर बड़ो चौराहो पर जहां स्कूल आदि हों अथवा जनता को रास्ता पार करना पड़ता हो।

6. पुलिस स्वागत कक्षों में अतिथियों व आंगतुकों की सेवा व सत्कार तथा उनको मार्ग दर्शन देना।

7. प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षकों तथा प्रबंधकों के कार्य। अनुसंधान केन्द्रो में पुलिस नियमों पर अनुसंधान कार्य करना।

8. किशोर अपराधियों के साथ कार्य तथा उन्हे मनोवैज्ञानिक रीति

से सुधारना।

9. गुप्तचर विभाग में कार्य करना तथा गुप्त भेद (इन्टीलीजेन्स) प्राप्त करना।

10. पारिवारिक झगड़ों को निपटाना तथा पारिवारिक सलाह आदि की सामाजिक सेवा करना। समाज सेवी संस्थाओं के साथ समाज सेवा का कार्य करना।

11. पुलिस में जब महिलाएं हिरासत में हों तो उनको सुरक्षा प्रदान करना तथा महिलाओं की तलाशी का कार्य करना। महिलाओं के इन्वेस्टीगेशन (जांच-पड़ताल) के कार्य को करना तथा महिला अपराधियों को गार्ड करना।

12. पुलिस थानों पर लिखा पढ़ी का कार्य करना तथा कन्ट्रोल रूम में आवश्यक रिकार्ड तैयार करना व सूचनाओं को एक अफसर से दूसरे अफसर तक तथा विभिन्न बेतार की मोटरों द्वारा गत टुकड़ियों से सम्पर्क करना।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट के 42वें अध्याय में महिला पुलिस के विषय में अनेक सुझाव दिए हैं। पुलिस के अन्वेषणात्मक कार्यों में महिला पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है तथा किशोर अपराध को रोकने के लिए "किशोर अपराध निरोधक" में महिला पुलिस शहरी क्षेत्रों में काफी कार्य कर रही है। महिला पुलिस को सामान्य पुलिस के ही एक सम्यक अंग के रूप में कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बस अड्डो पर, रेलवे स्टेशन पर, मजदूर बस्तियों में तथा झुग्गी-झोंपड़ी वाली गरीबों की बस्ती स्लमस के क्षेत्र में दिन में पेट्रोलिंग (गश्त) के कार्य आदि महिला पुलिस को दिया जा सकता है तथा वह व केवल अपराधी बालकों व अपराधी महिलाओं को ढूंढ़ेगी बल्कि जनता से सम्पर्क स्थापित करेगी तथा महिला व बालक यात्रियों का मार्ग दर्शन कर सकेंगी। इस भूमिका से पुलिस की छवि सुधारने में मदद मिलेंगी। महिला पुलिस का अच्छा उपयोग यातायात नियंत्रण में भी सफलता पूर्वक हो सकता है विशेष रूप सें स्कूल, बाजार, मेला, त्यौहार तथा अन्य ऐसी स्थितियों में जहां महिलाएं व बालक बड़ी तादाद में आते जाते



हैं आजकल जब बड़े शहरों में विश्वविद्यालयों में तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिला प्रदर्शनकारियों का मुकाबला करना पड़ता है तब महिला पुलिस की अति आवश्यकता पड़ती है।

स्वातंत्रोत्तर भारत के विकासशील समाज में महिला पुलिस की बड़ी संख्या में आवश्यकता है ताकि वे अपने उत्तरदायित्व व विशिष्ट कार्यों को ठीक से कर सकें। कम से कम महिला पुलिस का अनुपात राज्य पुलिस की कुल संख्या का 10 प्रतिशत अवश्य होना चाहिए तभी महिला पुलिस प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकती है तथा पुलिस की छवि उभर सकती है। आजकल अच्छे परिवारों की पढ़ी लिखी विश्वविद्यालय कालेजों से शिक्षित महिलाएं पुलिस में सब इन्सपेक्टर तथा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट रैक में भर्ती हो रही है। सामान्यतः यह देखा गया है कि महिला पुलिस ग्रामीण पुलिस थानों में काम करने के लिए उत्सुक नहीं है तथा वे शहरी क्षेत्रों मे ही कार्य करना पसन्द करती हैं। अगर महिला पुलिस की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे जेहन में किरन बेदी जी का नाम आएगा। जो भारत में प्रथम भारतीय पुलिस अधिकारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता व एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रहीं।

## सीमा सुरक्षा बल में महिलाएं

फोर्स में शुरुआत में सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं को नर्सो व डाक्टरों की भूमिका तक ही सीमित रखा गया था पर 1992 के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से महिलाओं के लिए प्रवेश के दरवाजे खोले गए। उत्साही युवा महिलाओं ने हजारों आपत्तियों के बावजूद भी यह कर दिखाया कि वह किसी से कम नहीं हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब इन महिलाओं के द्वारा एक नए क्षेत्र को चुना गया जहां उन्होंने परिश्रम करके अपना पद प्रास्त किया। पर यह जितना आसान रास्ता लग रहा था उतना था नहीं क्योंकि रूढ़िवादी परिवार जहां वे महिलाओं को केवल पारम्परिक भूमिका को निभाते देखता आया था उन पुरुषों के लिए यह बात स्वीकार करनी थोड़ी मुश्किल हो रही थी कि जो क्षेत्र केवल उनका कहलाता था वह अब महिलाओं का भी हो रहा है।

महिलाएं भी अपने पुरुष साथियों की भांति ही कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। सामान्य प्रशिक्षण के साथ-साथ उनको एडवांस प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

वर्तमान में महिलाएं गैर चिकित्सा संवर्ग में लघु सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) अधिकारियों के रूप में सेवा आयोग के तहत वे 5-15 साल से लेकर इस अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा कर सकती हैं। महिलाओं को अल्प सेवा कमीशन अधिकारी के रूप में कार्य करने का भी विकल्प है। वे महिलाएं जो विभिन्न परीक्षण सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करके अन्य सेवा कमीशन अधिकारी- ई.एम.ई., सिग्नल, इंजीनियर्स, सेना शिक्षा कोर, सेना आयुद्ध कोर, सेना सेवा कोर, खुफिया और जज एडवोकेट जनरल शाखा में कार्य कर सकती है।

वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध किया गया है कि महिलाएं तनाव को मानसिक रूप से बेहतर संभाल सकती हैं। यद्यपि वह शारीरिक रूप से कमजोर हैं पर यह उनकी कमजोरी नहीं है। हालांकि जो पथ इन महिलाओं ने चुना है वह कठिन है पर उन्होंने साबित कर दिया है अगर मन में विश्वास की भावना है तो साहस भी अपने आप आ जाता है। वर्तमान में महिलाएं लडाकू विमान भी उड़ा रही हैं तथा अपनी भूमिका को सारगर्भित बना रही हैं।

## वायु सेना में महिलाएं

एक ऊंचा जोखिम साहसिक कैरियर हमेशा ही साहसिक व्यक्तियों को आकर्षित करता है। परन्तु ये साहसिक कैरियर केवल पुरुषों तक ही सीमित थे परन्तु वर्तमान समय में महिलाओं ने भी अपनी पैंठ बना ली है। समय बदला, समय के साथ लोगों की सोच बदली, जिसके कारण 1993-94 में वायु सेवा में पायलट, वायु सेना के प्रशासनिक और शिक्षा शाखाओं में महिलाओं के लिए दरवाजे खोले गए। 1930 के दशक में श्रीमती उर्मिला के. पारिख ने एक पायलट बनने का साहसिक कैरियर चुना। वह एक पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। सौदायिनी देशमुख दुनिया में पहली महिला कप्तान बनी जिसने सभी महिलाओं को 27 नवम्बर, 1985 को चालक



दल आई.ए.टी.ए. अनुसूची उड़ान उड़ाया था। कल्पना चावला जो 1997 में पहली भारतीय जन्मी महिला अंतरिक्ष यात्री बनीं। 1999 में कारगिल में गुंजन सक्सेना और श्रीविदया राजन ने पहली बार उड़ान भरकर पुरुषों को संकेत दिया कि महिलाएँ उनके गढ़ में सेंध लगा रही हैं। सिर्फ घर तक सीमित न रहकर उन क्षेत्रों को अपना रही हैं जिनमें केवल पुरुषों का वर्चस्व ही माना जाता था। आज के वर्तमान समय में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिसमें महिलाएं ऐसी-ऐसी जगह अपनी पहुंच बना रही हैं जहां पहले पुरुषों का ही वर्चस्व माना जाता रहा है। वायु सेना में फ्लाइंग परिवहन, विमानों और हैलीकाप्टरों (तकनीकी और प्रशासन) शाखाओं में महिलाओं के लिए अब पाबन्दी नहीं रह गई है। फिर चाहे लडाकू विमान उड़ाने की बात हो या फिर हैलीकाप्टर उड़ाने की बात हो या फिर किसी भी तकनीकी क्षेत्र की बात हो, आज के समय में महिलाओं का वर्चस्व हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है।

## नौसेना में महिलाएं

नौसेना की बात करें तो उसमें भी महिलाओं ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। नौसेना की सभी शाखाओं में (सबमैरीन और गोताखोरी छोड़कर) महिलाओं का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। अगर फोर्स और पुलिस विंग की बात करें तो यह देखने को मिलता है कि अब हर जगह महिलाएं धीरे-धीरे अपनी जगह बना रही हैं। जहां पहले सिर्फ पुरुष ही कार्य करते थे या फिर वह पुरुषों का ही गढ़ माना जाता था। अब वहां पर महिलाएं भी अपना कब्जा जमाती जा रही हैं।

## केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सेवा में महिलाएं

देश में सेना के लिए सी.आर.पी.एफ. में एक महिला बटालियन सर्वप्रथम 1986 में अस्तित्व में आयी। पहली बटालियन नई दिल्ली में तथा दूसरी बटालियन जो 1995 में गठित की गयी, गांधीनगर गुजरात में स्थापित की गयी। देश में इसकी महिला बटालियन (135 बटालियन) को 1996 में लोक सभा चुनाव के दौरान विभिन्न राज्यों में लगाया गया। आज के समय में महिला बटालियन पूरी मुस्तैदी से जम्मू

एवं कश्मीर, अयोध्या, मणीपुर, असम और अन्य स्थानों पर बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका को निभा रही हैं। सी.आर.पी.एफ. महिला बटालियन जम्मू एवं कश्मीर और नार्थ ईस्ट तक में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। सी.आर.पी.एफ. महिला की एक बटालियन संयुक्त राष्ट्र मिशन के अन्तर्गत लीबिया में भी शांति अभियान में प्रतिभाग कर चुकी हैं। बटालियन ने वहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक किया। इन्होंने प्रमुख रूप से कतर में राष्ट्रपति हाउस की सुरक्षा, वैविक मामलों के मंत्रालय की सुरक्षा एवं लीबियन राष्ट्रीय पुलिस के साथ कानून और व्यवस्था के कार्यों में सहायता प्रदान की है।

### इण्डो तिब्बत सीमा पुलिस बल में महिलाएं

आई.टी.बी.पी. महिला बटालियन सर्वप्रथम 2010 में अस्तित्व में आई। यह बटालियन इण्डो-चाइना बार्डर, सिक्किम में नाथूला और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर तैनात है तथा कुछ नयी बटालियन राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आई.टी.बी.पी. अकादमी मसूरी में स्थित है। इसका बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर भानू में है। इस अकादमी में आउटडोर एवं इनडोर क्रियाकलापों एवं पर्वतारोहण प्रशिक्षण एवं अन्य तरह के क्रियाकलापों एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। पहली महिला बटालियन में 380 महिलाएं थीं जो 44 सप्ताह की ट्रेनिंग पास करने के बाद इस फोर्स में तैनात होती हैं।

### महिला सैल- महिला के विरुद्ध अपराध रोकने हेतु

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने हेतु महिला सेल का गठन 2009 को किया गया था। महिला सेल का गठन दिल्ली पुलिस ने नौ मण्डलों के साथ डील करके किया जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध जैसे- बलात्कार, दहेज, हत्या, शोषण, दहेज की मांग करने पर, विभिन्न उद्देश्यों हेतु अपहरण, शारीरिक व मानसिक अत्याचार, यौन-उत्पीड़न, 21 वर्ष तक की कन्याओं की खरीद-फरोख्त, महिलाओं के साथ अश्लीलता, छेड़खानी, अनैतिक व्यवहार आदि भारतीय दण्ड



संहिता (आई.पी.सी.) के तहत आने वाले अपराध आते हैं। केन्द्रीय स्तर पर महिला सेल नानकपुरा में है जिसमें उसका हैड पुलिस का ज्वाइन्ट कमिश्नर रेंक का अधिकारी होता है। इसके अलावा महिला सेल अब जनपद स्तर के साथ-साथ अब शहरों व शहरों के स्कूलों में स्थापित करने का उद्देश्य छात्राओं के साथ होने वाली छेड़खानी, अश्लील फब्तियां, एम.एम.एस. आदि को रोकने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इसमें भी केन्द्रीय महिला सेल की भांति काउन्सलिंग फैकल्टी को भी उपलब्ध कराया गया है। जिसका कार्य लडकियों की काउन्सलिंग करके उन्हें सही व गलत के बारे में बताया जा सके, ताकि वह किसी के बुरे इरादों की शिकार होने से बच सकें। शहरों में भी महिला सेल की स्थापना की जा रही है, ताकि लगातार बढ़ रहे दहेज सम्बन्धी मामले, शोषण, अत्याचार और तलाक सम्बन्धी मामलों को बढ़ावा न मिल सके। इसमें भी काउंसलिंग फैकल्टी को रखा गया है। जिनका मुख्य कार्य घरेलू विवाद, पारिवारिक कलह, दहेज हत्या जैसे मामले, छेडछाड, शोषण, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न, प्रेम विवाह आदि जैसे मामलों को निपटाना है। महिला सहायता सेवा को प्रभावशाली बनाने के लिए एक हेल्पलाइन नं. (1091) पुलिस नं. 100 में जोड़ा गया। इस नम्बर में एडिशन करके (23411091 और 23317004) को महिला शिकायत नम्बर में भी जोड़ा गया।

आंकड़े दर्शाते हैं कि अनेक कानूनों के बावजूद भी महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार, पारिवारिक हिंसा, शोषण, देह-शोषण, छेड़छाड़, हत्या जैसे अपराधों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। इसका प्रमुख कारण किसी भी कानून को न तो प्रशासन ने और न ही जनता ने गम्भीरता से लिया है। यही कारण है कि बलात्कार, हिंसा, दहेज उत्पीड़न पारिवारिक हिंसा, हत्या छेड़छाड़ जैसे अधिकांश मामले सामने नहीं आ पाते हैं। क्योंकि अधिकांश महिलाएं समाज में इज्जत बनाए रखने के नाम पर अत्याचार सहन करती हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार ऐसे केवल दो प्रतिशत मामले ही प्रकाश में आ पाते हैं जिनकी शिकायत पुलिस में दर्ज होती है और उनमें से वास्तविक सजा पांच प्रतिशत अपराधियों को ही

हो पाती है।

महिलाओं के प्रति बढ़ती क्रूरता कहीं न कहीं पूरे समाज पर गहरा असर डालती है। डर, असुरक्षा और आतंक के बीच जी रही स्त्रियों पर हम बच्चों और घर की पूरी जिम्मेदारी डालकर कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। नियम-कानूनों की बंदिश व सजा का खौफ हर राज्य में अपराधी वारदातों पर प्रभाव डालता है। पर स्त्रियों के प्रति अपराधों की बढ़ोत्तरी इस खौफ को तोड़ती है। आज भी घर, परिवार, दफ्तर, गली, मुहल्ले, पुलिस चौकी, स्कूल, कालेजों, बस स्टाप, खेत-खलिहान किसी भी जगह महिलाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं।

आज समाज एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। जहां पर घर-परिवार का स्वरूप बदल रहा है, लड़कियां पढ़ाई और नौकरी के लिए घरों से काफी बड़ी संख्या में बाहर आने लगी हैं और उन्हें आना भी चाहिए। लड़के और लड़कियों के खान-पान से लेकर शिक्षा तथा नौकरी तक में उनके साथ पक्षपात किया जाता है। अगर कोई स्त्री घर की चारदीवारी से निकलकर अपना अलग अस्तित्व बनाती है तो उसे जगह-जगह अपमानित किया जाता है। शायद ही कोई ऐसी महिला हो जिसे ये सब सहन न करना पड़ा हो और या फिर वो कहती हो कि उन्हें महिला होने का कोई दुःख नहीं है।

## नागरिक पुलिस में महिलाएं

नागरिक पुलिस सेवाओं में महिलाओं की भर्ती स्वतन्त्रता पूर्व ही की जाने लगी थी। सन् 1933 में केरल में प्रथम बार महिलाओं को उनकी आवश्यकता को देखते हुए भर्ती किया गया था। इसके बाद अन्य राज्यों में भी महिलाओं की नियुक्ति नियमित आधार पर की जाने लगी। स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में बढ़ते दहेज हत्या, अपहरण, शोषण देह व्यापार, मानसिक एवं शारीरिक शोषक एवं बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने हेतु भी महिला पुलिस की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप महिला की नियुक्ति विभिन्न स्तर के पदों पर की जा रही है। भारत में महिला पुलिस की राज्यवार स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है-



**तालिका-2.1 भारत में पुलिस में महिलाओं की भर्ती वर्षवार**

| क्रमांक | वर्ष | राज्य |
|---|---|---|
| 1 | 1933 | त्रावनकोर (केरल) |
| 2 | 1938/39 | कानपुर (उ.प्र.) |
| 3 | 1939 | बम्बई |
| 4 | प्री 1947, 1948 | पंजाब |
| 5 | 1948 | दिल्ली |
| 6 | 1948 | गुजरात |
| 7 | 1948 | कोलकाता |
| 8 | प्री 1950 व 1950 | आन्ध्र प्रदेश |
| 9 | 1952 | बिहार |
| 10 | 1955 | राजस्थान |
| 11 | 1956 | मध्य प्रदेश |
| 12 | 1960 | कर्नाटक |
| 13 | 1961 | उड़ीसा |
| 14 | 1961 | मणिपुर |
| 15 | 1961 | त्रिपुरा |
| 16 | 1965 | जम्मू और कश्मीर |
| 17 | 1966 | हरियाणा |
| 18 | 1967 | असम |
| 19 | 1968 | नागालैण्ड |
| 20 | 1973 | मेघालय |
| 21 | 1973 | तलिमनाडू |
| 22 | 1974 | उत्तर प्रदेश |

स्रोतः- पुलिस एण्ड सिक्यूरिटी ईयर बुक 2010-2011, मानस पब्लिकेशन, 2010.

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती स्वतंत्रता पूर्व से ही भारत में आरम्भ हो गयी थी परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न राज्यों में इस प्रक्रिया को तीव्र गति से अपनाया गया

तथा वर्तमान समय में महिला पुलिसकर्मी अपनी चुनौतीपूर्ण भूमिका को निभा रही हैं तथा पुरुषों के साथ-साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं।

**तालिका-2.2 विभिन्न देशों में पुलिस में महिलाओं की भर्ती**

| क्रमांक | वर्ष | देश |
|---|---|---|
| 1. | 1845 | यू.एस.ए. |
| 2. | 1896 | कनाडा (पुलिस मैट्रोन/एस. 1974) |
| 3. | 1946 | जापान |
| 4. | 1915 | आस्ट्रेलिया |
| 5. | 1957 | स्वीडन |
| 6. | 1949 | सिंगापुर |
| 7. | 1960 | इजरायल |
| 8. | 1925 | पौलैण्ड |
| 9. | 1960 | मलेशिया |
| 10. | 1951 | इण्डोनेशिया |
| 11. | 1955 | नाइजीरिया |

स्रोतः- पुलिस एण्ड सिक्यूरिटी ईयर बुक 2010-2011, मानस पब्लिकेशन, 2010.

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं पुलिस काफी समय से कार्य कर रही है। अमेरिका ऐसा पहला देश था जहां वर्ष 1845 में सबसे पहले महिलाओं की भर्ती पुलिस में की गयी थी। उसके पश्चात 1896 में कनाडा में भी महिलाओं की भर्ती की जाने लगी परन्तु बीसवीं सदी में इस क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हुई तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह महसूस किया जाने लगा कि न केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में बल्कि अन्य अपराधों को रोकने तथा व्यवस्था बनाए रखने में महिलाएं अपना सक्रिय योगदान दे सकती हैं इसका परिणाम यह रहा है कि अन्य देशों में भी महिलाओं की भर्ती नागरिक सेवाओं में की जाने लगी।

आज की महिलाएं ज्यादातर इस पुलिस सर्विस को अपना कैरियर



बना रहीं हैं, क्योंकि आज उनमें कुछ अलग करने की चाह, कुछ कर दिखाने की चाह और अपने आपको साबित करने की चाह है। आज की नारी चाहे तो वह क्या कुछ नहीं कर सकती जैसे वाक्यों के कारण ही महिलाओं में कुछ नया कर दिखाने का जज्बा दिखाई देता है। आज वह पुरानी लीक से हटकर कार्य करना चाहती हैं। ताकि वह अपने आपको साबित कर सकें। महिला पुलिस आज कठिन से कठिन स्थिति को सम्भाल रही हैं और वह विभिन्न तरह की डयूटियो में भी अकेले या पुरुष वर्ग के साथ अपनी योग्यता को सिद्ध कर रही हैं।

**तालिका-2.3 भारत में अधिक महिला पुलिस संख्या वाले पुलिस राज्य**

| राज्य/केन्द्र शासित राज्य | कुल स्वीकृत पद | वास्तविक महिला पुलिस | कुल पुलिस का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | 98,683 | 10,184 | 10.32 |
| महाराष्ट्र | 181,195 | 6,850 | 3.76 |
| दिल्ली | 62,420 | 3,141 | 5.03 |
| कर्नाटका | 76,997 | 3,127 | 4.06 |
| केरल | 43,111 | 2,783 | 6.46 |
| गुजरात | 45,156 | 2,669 | 5.91 |
| उडीसा | 72,723 | 2,470 | 3.40 |
| राजस्थान | 71,664 | 2,370 | 3.31 |
| उत्तर प्रदेश | 166,216 | 2,153 | 1.30 |

स्रोतः- पुलिस एण्ड सिक्यूरिटी ईयर बुक 2010-2011, मानस पब्लिकेशन, 2010.

उपरोक्त आंकड़ों से निष्कर्ष निकलता है कि भारत में तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पर महिला पुलिकर्मियों का प्रतिशत 10.32 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश सबसे कम प्रतिशत वाला राज्य है। जहां पर केवल 1.30 प्रतिशत महिलाएं ही पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। दिल्ली, केरल एवं गुजरात में यह प्रतिशत लगभग 5 प्रतिशत के आसपास है। महिला पुलिसकर्मियों की स्थिति यह दर्शाती है कि पुलिस विभाग में महिलाओं

की उपस्थिति निरन्तर बढ़ रही है।

**तालिका-2.4 भारत में सी.पी.एफ.एस. में महिला पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व**

| सी.पी.एफ.एस. | वास्तविक संख्या | | | कुल पुलिस में महिला पुलिस का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2007** | **2008** | **2009** | **2007** | **2008** | **2009** |
| असम राईफल्स | 524 | 529 | 521 | 0.04 | 0.81 | 0.81 |
| बी.एस.एफ. | 4 | 484 | 829 | 0.23 | 0.23 | 0.40 |
| सी.आई.एस.एफ. | 1849 | 3186 | 3999 | 2.21 | 1.59 | 1.56 |
| सी.आर.पी.एफ. | 3809 | 4159 | 4117 | 1.64 | 1.59 | 1.56 |
| आई.टी.बी.पी. | 385 | 354 | 377 | 1.15 | 0.70 | 0.83 |
| एन.एस.जी. | 47 | 49 | 43 | 0.67 | 0.67 | 0.58 |
| आर.पी.एफ. | 1121 | 1121 | – | 1.87 | 1.65 | 1.65 |
| एस.एस.बी. | 29 | 804 | 1130 | 0.07 | 1.45 | 2.35 |
| सम्पूर्ण भारत | 7725 | 10686 | 12137 | 1.06 | 1.30 | 1.3 |

स्रोतः- पुलिस एण्ड सिक्यूरिटी ईयर बुक 2010-2011, मानस पब्लिकेशन, 2010

उपरोक्त तालिका के आंकड़े दर्शाते हैं कि सी.पी.एफ.एस. में भी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2007 में महिलाओं की संख्या केवल 7725 अर्थात् केवल 1.06 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2008 में यह संख्या बढ़कर 10686 तक अर्थात् 130 प्रतिशत तक पहुंच गयी। वर्ष 2010 में यह संख्या 12137 तक पहुंच गयी जो कुल प्रतिशत का 1.3 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि न केवल नागरिक सेवाओं में बल्कि अन्य सशस्त्र सेनाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

**तालिका-2.5 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला पुलिस कर्मियों का प्रतिनिधित्व**

| देश | प्रतिशत |
|---|---|
| कनाडा | 16.5 |
| फिनलैण्ड | 24 |
| आइसलैण्ड | 7 |
| जैमिका | 17.8 (2001) |
| स्वीडन | 18 |
| दक्षिण अफ्रीका | 16.67 |
| यू.एस.ए. | 11.2 |
| इंग्लैण्ड | 19.5 |



स्रोतः- पुलिस एण्ड सिक्यूरिटी ईयर बुक 2010-2011, मानस पब्लिकेशन, 2010

तालिका के आंकड़े दर्शाते हैं कि फिनलैण्ड में सबसे ज्यादा महिला पुलिस कर्मी हैं और सबसे कम महिला कर्मी आइसलैण्ड में 7 प्रतिशत हैं। अमेरिका में भी 11.2 प्रतिशत ही महिला कर्मी हैं। यानी कुल मिलाकर आंकड़ों को देखें तो वह यह दर्शाते हैं कि अधिकतर देशों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 20 प्रतिशत से कम है।

महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी की बात करें तो पता चलता है कि भारत में महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी ज्यादा कठिन है। क्योंकि भारत में महिला पुलिस कर्मियों का मुख्य काम महिला अपराधियों को गिरफ्तार करना, सर्च करना, देह व्यापार पर नियन्त्रण रखना, एअरपोर्ट पर सुरक्षा चैकिंग व्यवस्था को देखना, बड़े रेलवे स्टेशन के लिए, एअरपोर्ट, बस स्टैण्ड आदि पर बच्चों व महिलाओं की चैकिंग करना आदि, महिला कर्मियों पर बोर्डर पर भी चेक पोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, बड़े त्यौहारों, बड़े मेलों व बड़ी जगहों पर महिलाओं व बच्चो की सुरक्षा देखना व वी.आई.पी. और अन्य सुरक्षा ड्यूटी में इनकी आवश्यकता होती है। पारिवारिक शोषण व हिंसा की तहकीकात में, महिला व बच्चों को सड़क पार कराने में मदद करना, सामाजिक संगठन को असिस्ट करना, लड़कियों व कालगर्ल की निगरानी करना, हड़ताल, सत्याग्रह, क्रमिक प्रदर्शन आदि में महिला पुलिस कर्मियों की सबसे बड़ी ड्यूटी है। क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां कानून के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों का साथ होना अनिवार्य है। जहां तक बात करें किसी महिला को गिरफ्तार या सर्च करने की तो वहां पर कानून के अनुसार सिर्फ महिला पुलिस कर्मी को ही इसकी इजाजत होती है। अगर

पुलिस में महिलाओं की तरक्की की बात करें तो पता चलता है कि आज के समय में पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए स्थिति पहले से बेहतर हो गई है क्योंकि पहले महिला कर्मियों को सिर्फ कान्सटेबल के लिए भर्ती किया जाता था। पर वर्तमान समय में महिला कर्मियों को सभी रैंक पर भी भर्ती किया जाने लगा है। आज उन्हें पारिवारिक मामलों को सुलझाने, रेप केस में तहकीकात के लिए, देह व्यापार की तहकीकात के लिए, सर्च व्यवस्था के लिए, बार्डर पर तैनाती एवं महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की जांच के लिए आदि के लिए भी नियुक्त किया जाने लगा है।

वर्तमान समय में महिला पुलिस कर्मियों की स्थिति में काफी बदलाव आया है। क्योंकि आज महिला पुलिस आफिसर को काफी अवसर मिलते हैं। महिला पुलिस आफिसर तहकीकात की गुणवत्ता को और अधिक सुधार करने के लिए तत्पर रहती हैं। महिला पुलिस पब्लिक में पुलिस की छवि व उसके कार्य करने के तरीके में भी सुधार करती रहती है ताकि आम जनता का विश्वास पुलिस व न्याय व्यवस्था पर बना रहे। क्योंकि सामान्यतया देखा जाता है पुरुष पुलिस कर्मी की अपेक्षा महिला कर्मी काम को अधिक सतर्कतापूर्वक करती हैं। इसलिए आज हर सेना में महिलाओं के लिए कार्य के अवसर प्रदान किए जाने लगे हैं। आज महिला कर्मियों को भी वो सारे कार्यों को करने के अवसर दिए जाते हैं जो पहले सिर्फ पुरुष कर्मी ही करते थे। जिला प्रशासन से तालमेल, आपराधिक बैठकें, उत्सवों और मेलों आदि में उचित व्यवस्था, दंगों की रोकथाम, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर नजर, राजनैतिक गतिविधियों पर नजर, क्षेत्र में शांति बनाए रखने का कार्य भी पुलिस का है। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा हो तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है और यदि पुलिस को अंदेशा हो तो वह संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा शांति भंग करने को रोकने के लिए उन्हें पाबन्द कर सकती है।

सन् 2006 के दौरान भारत भर में कुल 48,625 महिला पुलिस कर्मी थीं। आज सेना व पुलिस के हर क्षेत्र में महिला कर्मियों की तैनाती की जा रही है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह पुरुषों के समान



ही ट्रेनिंग व ऐजूकेशन में पुलिस कर्मी के समान रहें। फरवरी 2007 में पहली बार लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में 100 भारतीय महिला पुलिस कर्मी को पीस कीपिंग यूनाइटेड नेशन्स में भेजा गया। यू.एन. पीसकीपिंग फोर्स पहले से ही तैनात थी पर भारत से प्रथम महिला कर्मी ग्रुप 2007 में भेजा गया।

इतना सब होने के बावजूद अगर ध्यान से समाचार पत्रों, इन्टरनेट, न्यूज या टी.वी. चैनल्स को देखें तो पता चलेगा कि महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। मानसिक व शारीरिक शोषण, बलात्कार, छेड़खानी से महिलाएं यहां पर भी ग्रसित हैं। भारतीय समाज पुरुष प्रधान होने के कारण अपने पुरुषत्तव को दिखाने के लिए महिलाओं का शोषण करता है। महिलाएं बदनामी के भय के कारण ये सब ज्यादातर चुपचाप सहती हैं या फिर बदनामी के डर के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा लेती हैं। जिससे अत्याचारी की हिम्मत और बढ़ती जाती है। वह और अधिक निर्भिक होकर ये सब पहले से ज्यादा और खतरनाक तरीकों से करता है। आज महिलाएं चाहे जितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं पर भारतीय समाज की संस्कृति व सभ्यता एवं औरत के प्रति यहां के समाज का रवैया उसे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप सहने के लिए मजबूर कर देता है और जो स्त्रियां इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती हैं उन्हें बदनामी का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है या फिर उसे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की जाती है जिससे वह अपनी आवाज को दबा दे।

वर्तमान युग में देखें तो पता चलेगा कि कामकाजी महिलाएं आज ज्यादा शोषित हो रही हैं क्योंकि कामकाजी महिलाएं अपने ऊपर के अधिकारियों के अशोभनीय तथा अनुचित व्यवहार को भी सहन करती हैं। पत्नी के बाहर कार्य करने व पुरुषों के सम्पर्क में आने के कारण सम्बन्धों में तनाव सा पैदा होना, महिला की सुरक्षा सम्बन्धी समस्याएं क्योंकि पहले शोषण घर की चार दीवारी के भीतर होता था, पर अब यह शोषण खुले आम सड़कों व आफिसों में होने लगा है। अधिकतर पति, पत्नी के नौकरी करने को अपना अपमान समझते हैं, समाज भी अधिकतर नौकरी पेशा महिलाओं को अच्छी नजर से नहीं देखता है

जिसके कारण महिला हीन भावना से ग्रसित हो जाती है, और ज्यादातर नौकरी पेशा महिलाओं को अधिकतर पुरुष वर्ग के शोषण का शिकार होना पड़ता है।

नारी शोषण, हिंसा के विरुद्ध कितने ही कानून क्यों न बना लें पर वह तो तब तक सही तरीके से लागू नहीं हो सकते जब तक कि समाज व पुरुष प्रधान समाज अपनी सोच व नजरिया न बदले। इस पुरुष प्रधान समाज को अब यह समझना होगा कि महिलाएं भी इस समाज का हिस्सा हैं न कि वह सिर्फ भोग की वस्तु हैं। हमारा देश कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले पर सही मायने में वह विकसित तभी माना जा सकता है जब तक कि वह महिला को वह स्थान दें जो उसका है। क्योंकि सिर्फ कहने या फिर कानून बनाने से ही महिलाओं को उनका हक या स्थान नहीं मिल सकता है जब तक कि वह स्त्री जाति को दोयम दर्जे का मानना बन्द न कर दे या फिर उसके मान सम्मान को सिर्फ पूजा तक सीमित न करके वास्तव में उसे मान-सम्मन न देने लगे, चाहे वह नौकरी पेशा महिला हो या फिर घरेलू कामकाजी महिला सभी महिलाओं को समाज में समान दर्जा मिलना चाहिए।



**तालिका-2.6 भारत में नागरिक पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस कर्मियों की अनुमोदित एवं वास्तविक स्थिति 31.12.2010 तक (महिला एवं पुरुष)**

| क्र. सं. | राज्य/ केन्द्र शासित राज्य | डी.जी./ एडिश. डी.जी./ आई.जी./ डी.आई.जी. | | एस.एस.पी./ एस.पी./ एडिश.एस.पी./ ए.एस.पी./ डिप्टी एस.पी. | | इंस्पेक्टर, एस.आई.व ए.एस.आई. | | पर्सोनेल ए.एस.आई. रैंक से नीचे | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | राज्य | | | | | | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 74 | 83 | 751 | 749 | 15181 | 8004 | 96966 | 86534 | 112972 | 95370 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 6 | 5 | 71 | 54 | 599 | 541 | 2911 | 2906 | 3587 | 3506 |
| 3. | असम | 41 | 41 | 295 | 295 | 5008 | 4623 | 24696 | 23735 | 30040 | 28694 |
| 4. | बिहार | 49 | 50 | 484 | 333 | 14290 | 10640 | 52796 | 38892 | 67619 | 49915 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 38 | 24 | 339 | 287 | 3023 | 2175 | 22316 | 23560 | 25716 | 26046 |
| 6. | गोवा | 3 | 3 | 35 | 37 | 422 | 377 | 3860 | 3621 | 4320 | 4038 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. गुजरात | 74 | 52 | 297 | 234 | 11054 | 10188 | 50958 | 38172 | 62383 | 48648 |
| 8. हरियाणा | 46 | 42 | 249 | 189 | 6537 | 2081 | 41468 | 40649 | 48300 | 42961 |
| 9. हिमाचल प्रदेश | 14 | 39 | 95 | 93 | 1692 | 1562 | 8900 | 7977 | 10701 | 9671 |
| 10. जम्मू एंड कश्मीर | 36 | 35 | 443 | 439 | 6344 | 5670 | 44109 | 41715 | 50932 | 47859 |
| 11.झारखंड | 49 | 35 | 230 | 195 | 7330 | 4756 | 41412 | 28820 | 49021 | 33806 |
| 12.कर्नाटक | 77 | 68 | 521 | 494 | 8290 | 6558 | 68911 | 56269 | 77799 | 63689 |
| 13.केरल | 31 | 21 | 350 | 338 | 3852 | 3755 | 35470 | 33254 | 39703 | 37368 |
| 14.मध्य प्रदेश | 50 | 133 | 730 | 585 | 9049 | 6544 | 48542 | 45503 | 58371 | 52765 |
| 15.महाराष्ट्र | 105 | 103 | 925 | 696 | 31245 | 24793 | 146970 | 140148 | 179245 | 165740 |
| 16.मणिपुर | 26 | 12 | 142 | 113 | 2681 | 1343 | 14186 | 8781 | 17035 | 10249 |
| 17.मेघालय | 20 | 19 | 56 | 54 | 922 | 920 | 5431 | 4905 | 6429 | 5898 |
| 18.मिजोरम | 9 | 7 | 84 | 81 | 1133 | 1093 | 2539 | 2381 | 3765 | 3562 |
| 19.नागालैण्ड | 22 | 22 | 78 | 72 | 519 | 456 | 5394 | 5087 | 6013 | 5637 |
| 20.उड़ीसा | 45 | 43 | 541 | 338 | 8145 | 6622 | 24427 | 21962 | 33158 | 28965 |
| 21.पंजाब | 46 | 52 | 403 | 453 | 7344 | 6309 | 52109 | 41178 | 59902 | 47992 |
| 22.राजस्थान | 62 | 46 | 622 | 757 | 9685 | 7584 | 56184 | 51221 | 66553 | 59608 |
| 23.सिक्किम | 17 | 17 | 88 | 68 | 282 | 259 | 1793 | 1301 | 2180 | 1645 |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.तमिलनाडु | 89 | 76 | 870 | 835 | 11393 | 9244 | 77764 | 62731 | 90116 | 72886 |
| 25.त्रिपुरा | 14 | 14 | 200 | 163 | 1491 | 1568 | 9492 | 8926 | 11197 | 10671 |
| 26.उत्तर प्रदेश | 125 | 117 | 1156 | 939 | 19948 | 8508 | 303346 | 101670 | 324575 | 111234 |
| 27.उत्तराखंड | 16 | 13 | 128 | 98 | 979 | 909 | 12909 | 12864 | 14032 | 13884 |
| 28.पश्चिमी बंगाल | 111 | 92 | 530 | 424 | 21527 | 16391 | 53760 | 46999 | 75928 | 6396 |
| योग (राज्य) | 1295 | 1266 | 10713 | 9413 | 209965 | 153773 | 1309619 | 981761 | 1531592 | 1146213 |
| केन्द्र शासित प्रदेश | | | | | | | | | | |
| 29.अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह | 4 | 3 | 19 | 16 | 581 | 449 | 3124 | 2465 | 3728 | 2933 |
| 30.चंडीगढ़ | 2 | 2 | 18 | 14 | 626 | 604 | 5148 | 3804 | 5794 | 4424 |
| 31.दादर एंड नागर हवेली | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 14 | 285 | 191 | 315 | 208 |
| 32.दमन एंड द्वीव | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | 15 | 218 | 201 | 245 | 220 |
| 33.दिल्ली | 50 | 36 | 368 | 282 | 12736 | 11566 | 60204 | 55384 | 73558 | 67268 |
| 34.लक्ष्यद्वीप | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 23 | 469 | 307 | 556 | 332 |
| 35.पांडिचेरी | 2 | 2 | 21 | 20 | 378 | 302 | 2009 | 1397 | 2410 | 1721 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| योग (केन्द्र शासित प्रदेश) | 59 | 44 | 435 | 340 | 14455 | 12973 | 71657 | 63749 | 86606 | 77106 |
| योग (संपूर्ण भारत) | 1354 | 1310 | 11148 | 9753 | 224420 | 166746 | 1381276 | 1045510 | 1618198 | 1223319 |

# There is variation in police strength in respect of Mizoram state due to adding of non uniform staff as clarified by them in 2010.

@ Variation in police strength over 2009 in the data of Maharashtra due to furnishing of incorrect data in 2009 as clarified by them in 2010.

$$ Variation in police strength over 2009 in the data of Jammu & Kashmir due to furnishing of incorrect data in 2009 as clarified by them in 2010

स्रोतः- 'भारत में अपराध' २०१० राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

यदि पुलिस कर्मियों की स्थिति की बात करें तो भारत में पुलिस संख्या वर्तमान में बढ़ते अपराधों एवं बढ़ती



जनसंख्या के अनुपात में नितान्त ही कम एवं सीमित हैं। इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस/डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस के 1354 पद स्वीकृत हैं जबकि वास्तव में कुल 1310 पद ही भरे हुए हैं शेष रिक्त हैं या जूनियर अधिकारी उन पदों पर कार्यरत हैं। एस.एस.पी./एस.पी. एडिशनल एस.पी./एसिस्टेंट एस.पी./डिप्टी एस.पी. के 11148 पद विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में स्वीकृत हैं जबकि इनके विरूद्ध केवल 9753 पद ही भरे हुए हैं शेष पद इस स्तर पर भी रिक्त हैं। सब इंस्पेक्टर एवं एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों की स्थिति भी लगभग समान है। स्वीकृत पदों की जहां 224420 है वहीं 166746 पद ही केवल भरे हुए हैं। इन पदों पर पुलिस स्टेशन स्तर पर जूनियर पुलिसकर्मी ही चार्ज सम्भाले हुए है जो निश्चित रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं।

हैडकांस्टेबिल एवं कांस्टेबिल स्तर पर भी पुलिस कर्मियों की स्थिति लगभग कमोबेा, ऐसी ही है। देशभर में जहां हैडकांस्टेबल एवं कांस्टेबल के कुल स्वीकृत पद 1381276 हैं वहीं इनके विरुद्ध केवल 1045510 पद भरे हुए हैं शेष पद रिक्त हैं। यदि शेष भारत के सभी पदों के आंकड़ों पर प्रकाश डालें तो कुल 1618198 में से 1223319 ही भरे हुए हैं लगभग एक चौथाई पद रिक्त पड़े हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां जनसंख्या एवं अपराध की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है वहीं पुलिस की संख्या आवश्यकता से भी कहीं कम है। दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मियों की स्थिति इससे बेहतर है जो स्वीकृत पदों की तुलना से कहीं अधिक है। परन्तु यह थोड़ी सी बड़ी संख्या अपराधों को रोकने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है।

## तालिका-2.7 वर्ष 2010 में पुलिस हिरासत का विस्तृत विवरण
## (Of Persons Remanded to Police Custody By Court)

| क्र.स. | राज्य/ संघशासित | दर्ज मौत | की गई शव परीक्षा | मजिस्ट्रेट जांच के आदेशों/ कार्रवाई | न्यायिक जांच के आदेश/ कार्रवाई | मौतो से. संबधित दर्ज मामलें | आरोपित पुलिसकर्मी | दोषी पुलिसकर्मी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| राज्य | | | | | | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू एण्ड कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखण्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | केरल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | मणीपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | नगालैण्ड | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | उडीसा | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | राजस्थान | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडू | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | उत्तराखण्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिमी बंगाल | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | योग (राज्य) | 25 | 23 | 16 | 7 | 15 | 1 | 0 |
| | केन्द्र शासित प्रदेश | | | | | | | |
| 29. | अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चण्डीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | दादर एंड नागर हेवली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन एण्ड द्वीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्ष्यद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पाण्डीचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योग (केन्द्र शासित प्रदेश) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योग (सम्पूर्ण भारत) | 25 | 23 | 16 | 7 | 15 | 1 | 0 |

'स्रोतः- 'भारत में अपराध' 2010 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकर, नई दिल्ली।



अपराध को रोकने एवं उसके अन्वेषण की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर ही होती है पर ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए जहां पर रक्षक ही भक्षक बन जाएं अर्थात् पुलिस ही अपराधी बन जाए। ऐसी स्थिति में पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करना नितान्त ही कठिन कार्य हो जाता है। गत वर्ष 2010 में पुलिस कस्टडी में भारत वर्ष में कुल 25 मौतें हुईं, 23 मामलों में शव परीक्षा की गई तथा 16 मामलों में मैजिस्टेट जांच के आदेश दिए गए तथा 7 मामलों में न्यायिक जांच के आदेश किए गए। केवल 15 मामलों में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए जो निश्चित ही वास्तविक संख्या से कहीं कम हैं। केवल एक पुलिसकर्मी के विरुद्ध ही आरोप पत्र दाखिल किए गए। पुलिस कस्टडी में इस प्रकार के मामले आए दिन मीडिया के माध्यम से सामने आते रहते हैं। परन्तु इस प्रकार के मामले अधिकतर दबा दिए जाते हैं या इस प्रकार के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है इसलिए आम जनता में यह धारणा व्याप्त हो गई है कि यदि पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या मौत भी थाने में हो जाती है तो पुलिस के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस कर्मियों के द्वारा किए गए अपराधों में उनकी आम अपराधी की तरह तुरन्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती बल्कि कहीं न कहीं विभागीय होने के कारण उस पर केस रजिस्टर्ड करने में ढिलाई बरती जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप उनके ऊपर उतना डर नहीं रहता है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।

## तालिका 2.8

### महिलाओं की सशस्त्र एवं नागरिक पुलिस में अनुमोदित एवं वास्तविक उपस्थिति संख्या

| क्र. सं. | राज्य/ केन्द्र शासित राज्य | डी.जी./ एडिश. डी.जी./ आई.जी./ डी.आई.जी. | | एस.एस.पी./ एस.पी./ एडिश.एस.पी./ ए.एस.पी./ डिप्टी एस.पी. | | इंस्टपेक्टर, एस.आई.व ए.एस.आई. | | पर्सोनेल ए.एस.आई. रैंक से नीचे | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | राज्य | | | | | | | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 6 | 11 | 9 | 5 | 103 | 103 | 1890 | 1893 | 2008 | 2012 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 52 | 460 | 67 | 473 |
| 3. | असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 310 | 164 | 332 | 186 |
| 4. | बिहार | 0 | 3 | 0 | 16 | 4 | 141 | 101 | 994 | 105 | 1154 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 16 | 30 | 89 | 119 | 1021 | 1713 | 1117 | 1880 |
| 6. | गोवा | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 211 | 310 | 215 | 333 |
| 7. | गुजरात | 0 | 2 | 22 | 8 | 749 | 315 | 2734 | 1357 | 3235 | 1682 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 169 | 2720 | 1749 | 3043 | 1918 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 36 | 137 | 568 | 140 | 611 |
| 10. | जम्मू एण्ड कश्मीर | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 131 | 0 | 922 | 0 | 1064 |
| 11. | झारखण्ड | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 94 | 0 | 1380 | 0 | 1485 |
| 12. | कर्नाटक | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | NA |
| 13. | केरल | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 | 95 | 2679 | 2643 | 2775 | 2739 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 5 | 7 | 60 | 61 | 196 | 289 | 1509 | 1850 | 1770 | 2207 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | 293 | 0 | 11671 | 0 | 12018 |
| 16. | मणीपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 156 | 2008 | 450 | 2365 | 606 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 41 | 64 | 44 | 86 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 8 | 8 | 223 | 223 | 306 | 306 | 537 | 537 |
| 19. | नागालैण्ड | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 87 | 57 | 95 | 66 |
| 20. | उडीसा | 5 | 5 | 16 | 16 | 467 | 467 | 2793 | 2793 | 3281 | 3281 |
| 21. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 2144 | 0 | 2334 |
| 22. | राजस्थान | 2 | 0 | 35 | 0 | 116 | 156 | 1840 | 3507 | 1993 | 3663 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 148 | 0 | 183 |
| 24. | तमिलनाडू | 6 | 6 | 109 | 109 | 1631 | 1631 | 11794 | 8935 | 13540 | 10681 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. त्रिपुरा | 0 | 0 | 3 | 6 | 127 | 87 | 805 | 608 | 935 | 701 |
| 26.उत्तर प्रदेश | 4 | 4 | 67 | 67 | 338 | 330 | 2084 | 2005 | 2493 | 2406 |
| 27.उत्तराखण्ड | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 80 | 695 | 1203 | 703 | 1302 |
| 28.पश्चिमी बंगाल | 0 | 1 | 1 | 10 | 387 | 318 | 2031 | 2005 | 2419 | 2334 |
| योग (राज्य) | 28 | 51 | 349 | 444 | 4996 | 5530 | 37839 | 51917 | 43212 | 57942 |
| केन्द्र शासित प्रदेश | | | | | | | | | | |
| 29.अण्डमान एण्ड निकोबारद्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 254 | 19 | 274 |
| 30.चण्डीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 429 | 0 | 466 |
| 31.दादर एण्ड नागर हेवली | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 32.दमन एण्ड द्वीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. दिल्ली | 0 | 2 | 1 | 26 | 645 | 548 | 4003 | 3980 | 4649 | 4556 |
| 34.लक्ष्यद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 8 | 16 |
| 35.पाण्डीचेरी | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 76 | 79 | 81 | 85 |
| योग (केन्द्र शासित प्रदेश) | 0 | 2 | 1 | 27 | 654 | 612 | 4111 | 4765 | 4766 | 5406 |
| योग (सम्पूर्ण भारत) | 28 | 53 | 350 | 471 | 5650 | 6142 | 41950 | 56682 | 47978 | 63348 |

# There is variation in police strength in respect of Mizoram state due to adding of non uniform staff as clarified by them in 2010.

@ Variation in police strength over 2009 in the data of Maharashtra due to furnishing of incorrect data in 2009 as clarified by them in 2010.

$$ Variation in police strength over 2009 in the data of Jammu & Kashmir due to furnishing of incorrect data in 2009 as clarified by them in 2010.

NA Stands for not available.

* Variation in 2010 plice strength data of Jharkhand due to furnishing of incorrect data in 2009 as clarified by them in 2010.

स्रोतः-'भारत में अपराध' 2010 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकर, नई दिल्ली।

भारत में यदि महिला पुलिस कर्मियों/अधिकारियों की बात करें तो अभी तक भारत में सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में महिला नागरिक पुलिस सेवा एवं सशस्त्रा बल के कुल 47978 पद स्वीकृत है। स्वीकृत पदों में 41950 पद कांस्टेबल एवं हैड कांस्टेबल के लिए स्वीकृत हैं। विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के 28 पद स्वीकृत है। जबकि वर्तमान में महिला आई.जी. की संख्या 53 है।

पुलिस अधीक्षक के कुल पद 350 स्वीकृत हैं जबकि सभी स्थानों पर कुल मिलाकर इनकी संख्या 470 है जो स्वीकृत पदों से कहीं अधिक हैं। इंस्पेक्टर/सब इंस्पेक्टर एवं सहायक सब इंस्पेक्टर रैंक के महिला पुलिस अधिकारियों की कुल स्वीकृत पद 9650 है जबकि वास्तव में इनकी संख्या 6142 है, यह वास्तविक संख्या भी स्वीकृत पदों से कहीं अधिक है। निचले स्तर के महिला पुलिसकर्मियों के कुल स्वीकृत 41950 है जबकि इसके विपरीत इनकी उपस्थित संख्या 56682 है जो स्वीकृत से कहीं अधिक है। कुल महिलाओं के लिए स्वीकृत पद 47978 हैं जबकि वास्तव में इनकी संख्या 63348 हैं जो स्वीकृत पदों से कहीं अधिक हैं। स्वीकृत पदों से अधिक कर्मियों का उपस्थिति होने का एक प्रमुख कारण सामान्य पदों पर महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती है तथा दूसरी तरफ मृत आश्रित पदों पर महिलाओं की भर्ती भी अधिक संख्या होने का एक प्रमुख कारण है। परन्तु दूसरी तरफ पुरुष पुलिस कर्मियों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। सरकार के द्वारा प्रयास किए जाने के फलस्वरूप यद्यपि इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है परन्तु बदलती परिस्थितियों के अनुसार इससे और अधिक वृद्धि की आवश्यकता है।



तालिका-2.9 सशस्त्र महिला पुलिसकर्मियों की अनुमोदित एवं वास्तविक संख्या वर्ष 31.12.2010

| क्र. सं. | राज्य/ केन्द्र शासित राज्य | डी.जी./ एडिश. डी.जी./ आई.जी./ डी.आई.जी. | | एस.एस.पी./ एस.पी./ एडिश.एस.पी./ ए.एस.पी./ डिप्टी एस.पी. | | इंस्टपेक्टर, एस.आई.व ए.एस.आई. | | पर्सोनेल ए.एस.आई. रैंक से नीचे | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक | अनुमोदित | वास्तविक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | राज्य | | | | | | | | | | |
| | 1.आन्ध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 179 | 151 | 198 | 163 |
| | 4. बिहार | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 | 0 | 853 | 0 | 913 | 0 |
| | 5.छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 96 |
| | 7. गुजरात | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 521 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 11 | 2 | 51 | 9 | 871 | 552 | 933 | 563 |
| 10.जम्मू एण्ड कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 1175 | 0 | 1205 |
| 11.झारखण्ड | 0 | 0 | 13 | 2 | 72 | 0 | 1288 | 894 | 1373 | 896 |
| 12.कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.केरल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.मध्य प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 118 | 110 | 132 | 125 |
| 15.महाराष्ट्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.मणीपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93 | 100 | 93 |
| 18.मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.नागालैण्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 |
| 20.उडीसा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 22.राजस्थान | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 723 | 5 | 752 |
| 23.सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24.तमिलनाडू | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.उत्तराखण्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 241 | 225 | 247 | 234 |
| 28.पश्चिमी बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योग (राज्य) | 0 | 1 | 41 | 18 | 211 | 93 | 7777 | 8852 | 8029 | 8964 |
| केन्द्र शासित प्रदेश | | | | | | | | | | |
| 29.अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.चण्डीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
| 31.दादर एण्ड नागर हेवली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.दमन एण्ड द्वीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 170 | 112 | 174 | 121 |
| 34.लक्ष्यद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.पाण्डीचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| योग (केन्द्र शासित प्रदेश) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 170 | 331 | 174 | 340 |

| योग (सम्पूर्ण भारत) | 0 | 1 | 41 | 21 | 215 | 99 | 7947 | 9183 | 8203 | 9304 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

\# Variation in 2010 police strength data of Jharkhand due to furnishing of incorret data in 2009 as clarified by them In 2010.

\## There is vriation in police strength in respect of Mizoram state due to adding of non uniform staff as clarified by the in 2010.

@ Variation in police strength over 2009 in the data of Maharashtra due to furnishing of incorrect data in 2009 as clarified by them in 2010.

$$ Variation in police strength over 2009 in the data of Jammu & Kashmir due to furnishing of incorrect data in 2009 as clarified by them in 2010.

स्रोतः-'भारत में अपराध' 2010 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।



उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मौजूदा सशस्त्र महिला पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या 9304 है। जबकि इसके विपरीत अनुमोदित संख्या केवल 8203 है। डी.जी./एडी.डी.आई.डी.जी./आई.जी./डी.आई.जी. रैंकों पर महिला पुलिस कर्मियों की वास्तविक व अनुमोदित संख्या संख्या में भारी अन्तर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पद अनुमोदित न होने पर उच्च स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं।

एस.एस.पी./एस.पी./एडी.डी.आई.एस.पी./ए.एस.पी./डिप्टी एस.पी. रैंकों पर भी कुछ राज्यों में स्थिति अनुमोदित से काफी अधिक है। वास्तविक संख्या में काफी अन्तर मिलता है। जबकि इसके विपरीत ही गुजरात (0-1), मध्य प्रदेश (0-2) और सिक्किम (0-2) जैसे राज्यों में अनुमोदित संख्या शून्य और वास्तविक संख्या उसके विपरीत है। अगर अन्तर की बात करें तो स्पष्ट होता है कि इंस्पेक्टर, एस.आई. और ए.एस.आई. रैंक पर भी कुछ राज्यों में असम (19-12), बिहार (49-0), हिमाचल प्रदेश (51-9), झारखण्ड (72-0), मध्य प्रदेश (14-12) में वास्तविक व अनुमोदित संख्या स्थिति में बड़ा अन्तर देखा जा सकता है। जबकि इसके विपरीत उत्तराखण्ड जैसे राज्यों में यह संख्या अनुमोदित से कहीं अधिक है।

ए.एस.आई. स्तर के नीचे रैंक के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो वहां पर भी अनुमोदित व वास्तविक संख्या में काफी अन्तर देखने को मिलता है। यहां पर भी कुछ राज्यों में असम (179-151), बिहार (853-0), हिमाचल प्रदेश (871-552), झारखण्ड (1288-894), मध्य प्रदेश (118-110), मेघालय (100-93) और उत्तराखण्ड (241-225) जैसे राज्यों में अनुमोदित व वास्तविक संख्या में काफी अन्तर मिलता है। जबकि इसके विपरीत कुछ राज्यों में गुजरात (0-520), जम्मू एण्ड कश्मीर (0-1175) और पंजाब (0-200) एवं राजस्थान में (0-723) अनुमोदित संख्या शून्य एवं वास्तविक संख्या इसके विपरीत कहीं ज्यादा है। जबकि एक राज्य में अनुमोदित व वास्तविक संख्या एक समान है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्यों में सशस्त्र महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में अन्तर पाया जाता है। कुछ राज्यों में यह सीमा से

कहीं कम है तो दूसरी तरफ यह संख्या अनुमोदित से कहीं अधिक है। परन्तु यदि कुल संख्या की बात करें तो सशस्त्र महिला पुलिस कर्मियों की यह संख्या अनुमोदित से कहीं अधिक है जो यह दर्शाता है कि महिलाएं भी सशस्त्र सेना को पेशे के रूप में अपना रही हैं।

इंटेलीजोंस कार्यालय में तैनात जब महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि एक शाम आरोपी हैड कांस्टेबिल उसके बराबर कुर्सी पर बैठ गया। महिला ने आरोप लगाया कि कागज उठाने के बहाने उसने छेड़छाड़ शुरू कर दी। इससे पहले भी उसने कई बार ऐसी हरकत की थी लेकिन वह नजर अंदाज करती आ रही थी परन्तु एक दिन जब महिला सिपाही ने विरोध किया तो उसने मारपीट की जिससे उसका चश्मा टूट गया तथा नाक से खून बहने लगा। इसके पश्चात महिला सिपाही ने अपने अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट दी तथा अपना मेडिकल परीक्षण भी कराया तथा थाने में लिखित शिकायत भी करा दी। इस घटना ने फिर खाकी पर बदनुमा दाग लगा दिया। पर इस बार यह आरोप आम व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि अपने विभाग की महिला सहकर्मी द्वारा ही लगाया गया है।

यह घटना यह दर्शाती है कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मी स्वयं भी सुरक्षित नहीं है। विभाग में उनके सहकर्मी के कारण वे वहां पर सुरक्षित नहीं थीं। मीडिया के द्वारा यह मामला प्रकाश में आने के कारण यह सुर्खियों में आ सका अन्यथा और भी ऐसे मामले हो सकते हैं जो परिवार, समाज व विभाग के दबाब व डर के कारण दर्ज नहीं हो पाते है।[2]

### दिल्ली पुलिस में महिला कमान्डोज की भर्ती

पिछले वर्ष (2011) में दिल्ली पुलिस में 25 महिला पुलिस कमान्डोज की भर्ती की गयी है। इन कमान्डोज को सुपर कमान्डोज का प्रशिक्षण पुरुष कमान्डोज की भांति ही दिया गया तथा ये क्षमता के आधार पर किसी से कम नहीं हैं। इन कमान्डोज के कार्य करने का समय 9 से 5 नहीं बल्कि 24 × 7 होता है। सुरक्षा इनका प्रमुख कार्य होता है जिसमें ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा विदेशी डेलीगेट्स की



सुरक्षा जैसे कार्यों को बखूबी निभाती हैं। इन कमान्डोज का मानना है कि जब वे सादी वर्दी में होते हैं तो लोग इनको भी छेड़ देते हैं जिसके लिए वे पहले तो उन्हें बोलकर समझाती हैं पर नहीं मानते तो उनको वो एक-दो लगा भी देती हैं।

महिला कमान्डोज AK 47, MP4, मशीन पिस्टल, 9 एमएम, ब्राउनिंग पिस्टल, SAF कार्बाइन, X-95 रायफल, SLR बंदूकट INS AS रायफल एवं चाकू को चलाने में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं। ये कमान्डोज जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं उसका भार 12 किलो होता है जिसको पहनकर वे उपरोक्त समस्त शस्त्रों को चलाने में प्रशिक्षित हैं तथा पैरों में जंगल शूज पहनती हैं। कमान्डोज बनने के लिए 12वीं के बाद लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। जिसका उद्‍देश्य प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति तथा गणितीय क्षमता का परीक्षण करना होता है। लिखित परीक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है। इनको उत्तीर्ण करने के पश्चात लड़कियों को कांस्टेबिल का 16 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कांस्टेबिल के समूह में से सबसे अच्छे 25 लड़कियों को कमान्डोज प्रशिक्षण के लिए चयनित किया जाता है। चयन के पश्चात इनको 3 महीने का कमान्डोज का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका यह प्रशिक्षण पुरुष पुलिस कमान्डोज की भांति होता है। जिसमें उनको कठिन शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उनको कमान्डोज बनाया जाता है।[3]

इस प्रकार यह प्रवृति यह दर्शाती है कि महिलाएं न केवल नागरिक पुलिस बल्कि विशेष पुलिस में भी इच्छा से आ रही हैं। इस विभाग को वे चुनौती के रूप में ले रही हैं तथा कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभा रही हैं।

**संदर्भ सूची**

1 पुलिस एण्ड सिक्यूरिटी ईयर बुक 2010-2011, मानस पब्लिकेशन, 2010.

2 टाइम्स ऑफ इण्डिया, 17 जुलाई 2012, पृष्ठ संख्या 4.

3 टाइम्स ऑफ इण्डिया, 14 जुलाई 2012, पृष्ठ संख्या 10.

## अध्याय... तीन

# समाज में महिलाओं की स्थिति

❖ *पीडिता के रूप में*

❖ *अपराधी के रूप में*

अपराध के आंकड़ों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के प्रति अत्याचार अपराध व हिंसा जैसी घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि- "यत्र नार्याः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते।" अर्थात्- जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवता निवास करते हैं। पर आज के वर्तमान समय में जिस प्रकार के हिंसात्मक व्यवहार नारियों के साथ किये जा रहे है उसको देखकर तो लगता है कि नारियों का सम्मान धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। अतः आज यह बात मिथ्यक लगती है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्योंकि जहां हम अपने त्यौहारों की बात करें तो जहां एक ओर हम नौ दिनों तक देवी के नौ रूपों की उपासना करते हैं तथा दीपावली पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है वहीं पर दूसरी तरफ इन नारियों के सम्मान का हरण होता है। पैदा होते ही या पैदा होने से पहले इनकी हत्या कर दी जाती है। ताकि इनकी जगह लड़का आए और वंश को आगे बढ़ाए। पर जब यह देवियां ही नहीं होंगी तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। यह एक विचारनीय विषय है।



यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध के आंकड़ों पर प्रकाश डालें तो ज्ञात होता है कि दुनिया भर में जितने भी अपराध होते हैं उनमें से अधिकांश अपराध महिलाओं के विरुद्ध होते हैं। कुल होने वाले अपराधों में सबसे अधिक अपराध हत्या, अपहरण, बलात्कार वेश्यावृत्ति, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, छेड़खानी और दहेज उत्पीड़न के ही होते हैं और ये सभी अपराध महिलाओं के खिलाफ ही होते हैं। इसके अलावा ऐसे अपराधां की संख्या भी कम नहीं है जो महिलाओं के विरुद्ध ही किए जाते हैं। प्रेम के वशीभूत होने वाले अपराध भी इसी श्रेणी में आते हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे अधिक अपराधिक मामले घरेलू हिंसा के होते हैं। प्रत्येक वर्ग व समाज की महिलाऐं घरेलू हिंसा को किसी न किसी रूप में कभी न कभी इसका शिकार होती है। आजकल वैवाहिक हिंसा के काफी मामले निरन्तर सामने आ रहे हैं। इसमें पति अपनी पत्नी को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है और साथ ही कई बार मार-पिटाई भी करने लगता है। घरेलू हिंसा के मामले केवल कम पढ़े लिखे परिवारों में नहीं बल्कि शिक्षित वर्गों में भी इनके मामले निरन्तर बढ़ रहे हैं।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध केवल घर तक ही सीमित नहीं रह गए हैं अपितु महिलाओं के घर से बाहर कार्य करने के कारण उनके विरुद्ध अपराध घर से बाहर भी निरन्तर बढ़ रहे हैं। कार्यालय जाते समय कार्य स्थल पर, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी उनके विरुद्ध नए-नए प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं। सरकार के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं परन्तु इन सभी प्रयासों के बावजूद भी यह आंकड़ा निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

महिलाएं कहीं भी कभी भी किसी भी समय अपराध का शिकार हो सकती हैं। चाहे ठगी हो, कत्ल हो या डकैती आदि। परन्तु कुछ अपराध ऐसे हैं जिनकी केवल महिलाएं ही शिकार होती है या जो केवल महिलाओं के प्रति होते हैं। वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति निम्न अपराधों में वृद्धि हुई है-

## हिंसात्मक अपराध

हिंसात्मक व्यवहार शारीरिक या मानसिक या दोनों ही प्रकार का हो सकता है। मैगारगी के मुताबिक "हिंसा शक्ति का ऐसा प्रयोग है जिससे किसी के शरीर, भावना या प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता हो।" विधिक या कानूनी रूप से कहा जा सकता है कि "हिंसा वह मानवीय व्यवहार है जिसमें व्यक्ति अपनी शक्ति के मद में चूर होकर कानून का उल्लंघन करता है और किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देता है वहां पर हिंसात्मक अपराध आते हैं।

## वैवाहिक हिंसा

पुरुष वर्ग द्वारा की जाने वाली इस हिंसा में महिलाओं की अलग-अलग भूमिका होती है। महिला एक पत्नी के रूप में भी पुरुष की हिंसा का शिकार हो सकती है तो प्रेमिका के रूप में उसे पुरुष की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक अटूट बंधन के रूप में मान्यता दी जाती है। परन्तु जब यह बन्धन ढीला पड़ जाता है और दोनों वर्गों के बीच अविश्वास की भावना घर कर जाती है। तो इसका सबसे अधिक नुकसान महिला वर्ग को ही उठाना पड़ता है। जिसमें वैवाहिक हिंसा के मामले काफी प्रकाश में आ रहे हैं। वैवाहिक हिंसा में पति अपनी पत्नी को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता ही है साथ ही साथ कई बार मार पिटाई भी करने लगता है। वैवाहिक हिंसा घरेलू हिंसा का ही दूसरा रूप है। परन्तु वैवाहिक हिंसा एक संकुचित शब्द है। क्योंकि इसमें केवल पति-पत्नी के बीच होने वाली हिंसात्मक कार्रवाई को रखा जाता है। वैवाहिक हिंसा में पति द्वारा पत्नी के खिलाफ और पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध दोनों प्रकार की हिंसाओं को सम्मिलित किया गया है। परन्तु इस तरह के अपराध ना के बराबर ही हमें दिखते हैं। क्योंकि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा आक्रामकता काफी कम पाई जाती है। वैवाहिक हिंसा के शिकार युगल का व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाता है और तो और इसके कारण उनका सामाजिक जीवन भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। वर्तमान समय के भोगविलास वाले युग में वैवाहिक हिंसा के मामले बहुत अधिक बढ़



गए हैं। क्योंकि पति और पत्नी दोनों ही अपनी-अपनी सुविधाओं के लिए एक-दूसरे का शोषण करते हैं।

वैवाहिक हिंसा के कई रूप समाज में दिखाई पड़ते हैं। कुछ मामलों में वैवाहिक हिंसा की गम्भीरता को और अधिक बढ़ा दिया है। जब वैवाहिक हिंसा लम्बे समय तक चले तो यह गम्भीर शारीरिक हिंसा का रूप ले लेती है। वस्तुतः वैवाहिक हिंसा की मुख्य वजह पति व पत्नी के मध्य आपसी समझदारी का खत्म हो जाना होता है। जिसके कारण आपसी अलगाव और विभिन्न प्रकार के अपराधों को भी बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही कई बार सम्बन्ध विच्छेद का रूप भी सामने जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैवाहिक हिंसा पति-पत्नी के मध्य होने वाली वैवाहिक हिंसा है। इसलिए वैवाहिक हिंसा किसी एक वर्ग या सामाजिक स्तर तक ही सीमित नहीं है। निम्न वर्ग के अशिक्षित लोगों के बीच वैवाहिक हिंसा होती है तो मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के लोगों के मध्य भी वैवाहिक हिंसा को देखा जा सकता है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वैवाहिक युगल में जब किसी कारणवश असंतोष पनपता है तो इसके लगातार बढ़ने के कारण बात मार-पिटाई तक पहुंच जाती है। ज्यादातर पुरुष वर्ग द्वारा ही हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है क्योंकि पुरुष शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है और उसमें आक्रामकता का स्तर भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसी कारण अधिकतर पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है। अक्सर यह हिंसात्मक कार्रवाई लम्बे समय तक चलती रहती है। क्योंकि पत्नी द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि परिवार की शांति व्यवस्था बनी रहे और परिवार टूट न पाए तथा इसके साथ-साथ सामाजिक दबाव के कारण भी वह अपनी समस्याओं को उजागर नहीं करती है। वैवाहिक युगालों के बीच हिंसात्मक कार्रवाई की प्रकृति व गम्भीरता अलग-अलग स्तर की होती है। कुछ युगलों द्वारा एक दूसरे की उपेक्षा करके अपने-अपने अहं को सन्तुष्ट करने में लगे रहते हैं जो आजकल प्रायः युवा वर्ग में देखने को मिल रहा है। कुछ युगल मनोवैज्ञानिक हिंसा का सहारा लेते हैं तो कुछ युगल आमतौर पर सामान्य बने रहते हैं लेकिन जब कोई एक पक्ष शराब या अन्य प्रकार का सेवन करता है तो उनके बीच हिंसा होने लगती है। कई बार प्रायः

दूसरे पक्ष से बचने के लिए या उसकी हिंसा का जवाब देने के लिए भी उस पक्ष द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाता है। इसे रक्षात्मक हिंसा कहा जाता है। वैवाहिक सम्बन्धों में प्रायः एक तरफा हिंसा का ही प्रयोग होता है। जिसमें एक पक्ष हिंसा करता है और दूसरा पक्ष उस हिंसा का शिकार बनता है।

**घरेलू हिंसा**

यह एक ऐसा महिलाओं के विरुद्ध अपराध है जिसमें हर वर्ग और हर जाति की महिलाएं शिकार होती हैं। यह बात महिला के व्यक्तित्व पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव डालती है। क्योंकि इसके कारण महिलाओं का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। घरेलू हिंसा का सीधा-साधा अर्थ है घर के अन्दर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और मार-पिटाई। विवाह मानव सभ्यता का मूल अंग है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस विवाह बंधन को एक मजबूत बंधन माना जाता रहा था वो भी घरेलू हिंसा जैसे अपराध के कारण आज ढीला पड़ता जा रहा है।

घरेलू हिंसा एक व्यापक शब्द है जिसे पारिवारिक हिंसा भी कहा जाता है। क्योंकि इस तरह के अपराध में सिर्फ पति ही शामिल न होकर बल्कि उसके अन्य रिश्तेदार जिसमें पति के माता-पिता, बहन-भाई आदि द्वारा स्त्री यानी विवाहिता को सताना और मारना-पीटना भी शामिल है। चूँकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। जिसमें हिंसा की शिकार अधिकतर महिलाएं ही होती हैं। एक सर्वे के अनुसार सभी वर्गों की महिलाओं को जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर हिंसात्मक कार्रवाई का शिकार होना पड़ता है। ज्यादातर हिंसा का शिकार नव-विवाहिता को होना पड़ता है। जिसमें सास-ससुर, ननद और देवर द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। जिसके कई कारण प्रस्तुत करके जैसे कम दहेज लाना, लड़का पैदा न होना आदि तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगाकर परिवार के सदस्यों द्वारा उसे निरन्तर प्रताड़ित किया जाता है। अधिकतर घरों में शराब भी घरेलू हिंसा का कारण बन जाती है। जिसमें पत्नी या अन्य लोगों द्वारा समझाने पर शराबी व्यक्ति मार-पिटाई और गाली-गलोच तक शुरू कर देता है। जिससे सामने वाला व्यक्ति डर कर



शांत बैठ जाता है और शराबी व्यक्ति उसे अपनी विजय समझता है। ऐसे ही अन्य कारण भी घरेलू हिंसा का पर्याय बन जाते हैं। क्योंकि यह कुरीति हमारे समाज में अपनी जड़े इतनी मजबूती से जमा चुकी है कि इसको अधिकतर परिवार अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं कि घर में आयी नई-नवेली दुल्हन जब अपेक्षित दहेज नहीं ला पाती है तो उसके खिलाफ घर के बाकी सदस्य मोर्चा खोल देते हैं। नव-विवाहिता पर ताने कसे जाते हैं। उसके हर कामकाज में कमियां निकाली जाती हैं और उसे परिवार से अलग-थलग करने का प्रयास किया जाता है, जो घरेलू हिंसा का ही एक रूप है।

अतः स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा एक विश्वव्यापी समस्या है। जिसका दुनिया भर की महिलाएं किसी न किसी रूप में शिकार होती रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की लगभग 70 फीसदी महिलाऐं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक ब्रिटेन में लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में घरेलू हिंसा के मामले 5.3 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं।

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे अधिक आपराधिक मामले घरेलू हिंसा के होते हैं। प्रत्येक वर्ग व समाज की महिलाएं घरेलू हिंसा की किसी न किसी रूप में शिकार होती रहती है। चाहे वह भावनात्मक रूप में हो या फिर शारीरिक रूप में या फिर दोनों ही रूप में क्यों न हों। आज अगर किसी भी न्यूज चैनल या फिर अखबारों या फिर सामाजिक मैग्जीनों में देखें तो आंकड़ों से भी पता चलता है कि घरेलू हिंसा जैसी वारदातों और बलात्कार एवं छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का आंकड़ा निरन्तर बढ़ रहा है। इसमें अपराधी कुछ प्रतिशत जान-पहचान, पड़ौसी, कुछ प्रतिशत अन्जाने लोगों एवं सबसे ज्यादा प्रतिशत अपने ही घर के पारिवारिक सदस्य होते हैं।

अगर आंकड़ों की बात करें तो पता चलता है कि घरेलू हिंसा में ज्यादातर आंकड़े सभी केन्द्रशासित प्रदेशों एवं राज्यों में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर घरेलू हिंसा पति या उसके रिश्तेदार या मां, बाप के

द्वारा होती है। घरेलू हिंसा के आंकड़ों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये हिंसा अधिक होती हैं। क्योंकि ग्रामीण महिलाएं शहरी महिलाओं की तरह जागरूक नहीं होती हैं और वे सामाजिक भय व बदनामी के कारण चुप रह जाती हैं जबकि घरेलू हिंसा के आंकड़े शहरों में भी होते हैं पर यहां पर नागरिक जागरूक के साथ-साथ अपने हक के लिए लड़ने को तैयार रहती है।

घरेलू हिंसा के आंकड़ों की बात करें तो परिवार के डर से, समाज के डर से पीड़ित महिला घर से बाहर अपनी बात कहने से घबराती है। अधिकांश महिलाओं के पति या अन्य पारिवारिक सदस्यों के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर होने के कारण वह इन मामलों को चाहकर भी बाहर नहीं ला पाती है। जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार के मामले निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं।

**दहेज हत्या**

महिला अपराधों की बात करते हैं तो आंकड़ों से पता चलता है कि दहेज अपराध के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और न जाने कितनी मासूम लड़कियों की बलि चढ गई और न जाने कितनों की ओर चढ़ेगी। जहां एक ओर हम आधुनिकता, औद्योगिकरण एवं विकास की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर दहेज लेने देने जैसे अपराध भी खुले आम आम करते हैं और ताज्जुब की बात है कि इसका विरोध करने की जगह ज्यादातर लोग इसका समर्थन करते हैं। भारतीय समाज में स्त्री को देवी का दर्जा दे रखा है वहीं दूसरी ओर उसकी हत्या, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना अपनों के द्वारा ही की जाती है तो उसको देवी का दर्जा देने का क्या फायदा। इन अपराधिक मामलों में अनपढ़ वर्ग के साथ साथ शिक्षित वर्ग कहीं अधिक शामिल हैं। जहां हमारे समाज में यह प्रचलित है कि लड़के को लिखाने पढ़ाने व आदि कार्यों में जो धन का निवेश हुआ है उसकी वापसी उस लड़की के साथ दहेज आदि के रूप में होगी और न लाने की स्थिति में वधु को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। सिर्फ भाषण देने या लेख लिख देने या बड़ी बड़ी बातों को करने से यह दहेज रूपी दानव का खात्मा नहीं होगा। इसके लिए



सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे ताकि इन आपराधिक मामलों के आंकड़ों में कमी आए और आगे ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस दहेज रूपी दानव से सुरक्षित रह सकें।

यदि हम वर्ष 2009 के दहेज के मामलों पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि इस वर्ष भारतवर्ष में कुल 5650 मामले दर्ज हुए। पिछले वर्षों की तुलना में ये आंकड़े निरन्तर बढ़ रहे हैं। उपरोक्त आंकड़े केवल दर्ज हुए मामले दर्शाते हैं। जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। इस प्रकार के मामले समाज का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। दर्ज हुए मामले वे हैं जो गंभीर प्रकृति के हैं इसलिए यह संख्या वास्तविकता से काफी कम हैं। अभी भी अनेक ऐसे मामले हैं जो पारिवारिक व सामाजिक भय एवं दबाब के कारण सामने ही नहीं आ पाते हैं।

वर्तमान समय में दहेज के कारण नवविवाहिताओं की हत्याएं भी की जा रही हैं। हमारे शस्त्रों के अनुसार विवाह एक बंधन है जो दो व्यक्तियों के बीच दो दिलों के बीच बनता है। लेकिन अक्सर स्थिति इसके विपरीत नजर आती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आधुनिक समाज में भी विवाहिताओं को दहेज के लिए प्रताड़ित या मार दिया जाता है। भारत सरकार के आंकड़े गवाह हैं कि प्रतिवर्ष अनेक नवविवाहिताओं को मात्र दहेज के लिए ही जलाकर मार दिया जाता है। अथवा उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वे आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती हैं। हमारी कुछ प्राचीन परम्पराएं भी महिलाओं के प्रति हिंसा को उत्प्रेरित करती हैं।

आज दहेज ने समाज के चेहरे पर एक कलंक का रूप ले लिया है। तो इसका एक कारण यह है कि इस परम्परा को अब आवश्यक बना दिया गया है। अब कन्या के चाल-चलन, उसकी सुन्दरता और उसकी बौद्धिकता से ज्यादा महत्व दहेज की रकम पर दिया जाता है। यह तो रहा इसका आर्थिक पक्ष लेकिन इसका एक आपराधिक पक्ष भी है जो बेहद खौफनाक है। इस कुरीति का खौफनाक पक्ष यह है कि यदि वर पक्ष को इच्छित दहेज नहीं मिल पाता है तो वह नवविवाहिता पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देनी शुरू कर देते है। नवविवाहिता को

तरह-तरह से परेशान किया जाता है और उसे और अधिक दहेज लाने के लिए विवश किया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वधू पक्ष द्वारा मांग पूरी न किए जाने पर नवविवाहिता की हत्या तक कर दी जाती है। इसके अलावा कई बार ससुराल पक्ष की शारीरिक प्रताड़ना और दुर्व्यवहार से तंग आकर नवविवाहिता भावनात्मक रूप से टूट जाती है और अंततः वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। वर्तमान में महिलाओं द्वारा की जाने वाली अधिकतर आत्महत्याओं के पीछे दहेज भी एक कारण है। दहेज प्रताड़ना का एक शर्मनाक पहलू यह भी है कि नवविवाहिता को दहेज के लिए अक्सर महिलाओं (सास, ननद) द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता है। कई बार तो दहेज उत्पीड़न के मामलों में इतनी वीभत्सता देखने को मिलती है कि स्वयं मानवता भी कांप उठती है और दहल जाती है, जो दहेज की भयंकरता को प्रदर्शित करती है।

**बलात्कार**

प्राचीन समय से ही भारत में बलात्कार को बेहद घृणित अपराध के रूप में जाना जाता है। और इसके लिए कठोर दण्ड का प्रावधान भी था। बलात्कार का अर्थ है कि किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती स्थापित किया जाने वाला यौन सम्बन्ध बलात्कार कहलाता है। किसी महिला के साथ पुरुष द्वारा किया गया यौन बलात्कार केवल एक जघन्य अपराध न होकर मानवता के प्रति यह एक पैश्चिक कुकृत्य है। जिसके कारण पीड़ित महिला तो शारीरिक मानसिक व भावनात्मक रूप से अपराध का दंश झेलती ही है, साथ ही सम्पूर्ण महिला जाति अपने आपको ठगा सा महसूस करती है। अति प्राचीन काल रहा हो या मध्ययुगीन संस्कृति अथवा आधुनिक वर्तमान समय बलात्कार जैसा जघन्य अपराध सभी जगह और हर समय होते रहे हैं।

भारत जैसे धर्मभीरू देश में धर्म के नाम पर ढोंगी बाबाओं और तांत्रिकों द्वारा भी बलात्कार किए जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे पैदा नहीं होते या पुत्र पैदा नहीं होते वो उनकी चाह में कुछ ढोंगी बाबाओं या तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर इस



अपराध का शिकार हो जाती हैं। आजकल प्रेम-सम्बन्ध भी बलात्कार का एक प्रमुख कारण बन गया है। कई बार युवक और युवती प्रेम-सम्बन्धों के चलते एक दूसरे के साथ विवाह का सपना देखते हैं और यदि किसी कारणवश लड़की बाद में शादी करने से इंकार कर दे तो इससे अंह को ठेस लगती है जिसके कारण वह बलात्कार के मौके ढूंढने लगता है। जिसमें उसका मुख्य मकसद उस लड़की से बदला लेना होता है।

आज बलात्कार एक देशव्यापी समस्या है। क्योंकि इसका कारण है कि कामुकता किसी एक वर्ग, धर्म, सम्प्रदाय, नस्ल या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। कामुकता सभी वर्ग के सभी पुरुषों में पायी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी पुरुष में कामुकता का स्तर कम होता है और किसी में अधिक। अनपढ़ों के साथ-साथ शिक्षित एवं उच्च शिक्षित लोग भी बलात्कार जैसे कृत्य में शामिल होते हैं। ठीक ऐसे ही अविकसित और विकासशील देशों के साथ-साथ दुनिया के सभी अतिविकसित देशों में लगातार बहुतायत से बलात्कार जैसे अपराध होते हैं।

**अपहरण एवं भगा ले जाना**

शोध और सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में जितने भी अपराध होते हैं उनमें से अधिकांश अपराध महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में से हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में से सबसे अधिक अपराध वेश्यावृत्ति, हत्या, अपहरण, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, छेड़खानी और दहेज उत्पीड़न के होते हैं। और अधिकतर ये अपराध महिलाओं के खिलाफ ही होते हैं। अधिकतर अपहरण से सम्बन्धित अपराध भी महिलाओं के विरुद्ध होते हैं। इसके अलावा ऐसे अपराधों की संख्या भी कम नहीं है जो महिलाओं के लिए किए जाते हैं। भारत में अपराध 2009-10 के अनुसार पूरे भारत में महिलाओं और लड़कियों के अपहरण सम्बन्धित अपराध वर्ष 2009 में 33860 अपराधिक मामले प्रकाश में आए जबकि वर्ष 2010 में कुल 38440 मामले दर्ज किए गए। अर्थात् वर्ष 2009 से वर्ष 2010 में अपहरण

सम्बन्धित मामले अधिक देखे गए। अपराध सम्बन्धित अपराध में एक श्रेणी वो है जिसमें जबरदस्ती किसी महिला या नाबालिग लड़की का अपहरण कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तथा इसी अपराध में दूसरी श्रेणी वो है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की रजामन्दी द्वारा भाग जाते हैं या भगा ले जाते हैं। तो वहां पर अपहरण सम्बन्धी अपराध का मुकदमा बनता है। जिसमें भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार दण्ड का प्रावधान रखा जाता है। अतः अपहरण से सम्बन्धित मामले भी आज के वर्तमान समय में महिलाओं के खिलाफ निरन्तर हो रहे हैं। जिसमें महिलाओं को विभिन्न प्रकार की यातनाओं और शोषणों का सामना करना पड़ता है।

**सती होने के लिए बाध्य करना**

वर्तमान समय में सती प्रथा अतीत की बात लगती है। परन्तु यह कुप्रथा आज भी जिन्दा है। इतिहास में देखे तो पता चलता है कि सती प्रथा का जन्म प्राचीन यूनानी संस्कृति में हुआ था। यूनान के अलावा जर्मन, स्लाव और अन्य यूरोपियन प्रजातियों में भी विधवा दहन प्रथा मौजूद थी। इन संस्कृतियों में यह प्रथा राज परिवारों व सामंतों तक ही सीमित थी। जबकि भारत में सती प्रथा का प्रादुर्भाव ब्राह्मण-काल में हुआ। तथा कुछ विद्वानों द्वारा कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में सती प्रथा का प्रारम्भ मानते हैं। सती होने से पहले विधवा स्त्री पूरा साज श्रृंगार करके दुल्हन का जोड़ा पहन कर कुल देवता की पूजा करती है और फिर पति की चिता पर ही स्वयं को जलाकर भस्म कर देती है।

कम्प्यूटर के इस युग में भी आज अगर महिलाऐं सती हो रही हैं तो इसके लिए दोषी है हमारी पुरुष मानसिकता और स्त्री के अस्तित्व को नकारने वाली हमारी सामाजिक व्यवस्था। प्रस्तर युगीन पुरुष मानसिकता, स्त्री को आज भी दासी मानती है और इसी माहौल में पली-बड़ी महिलाएं बिना पुरुष के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाती हैं। वह जन्मजात और जीवनपर्यन्त पुरुष आश्रिता है और सुरक्षा चाहती है। हमारे समाज में पति की मौत पत्नी के लिए जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। हालांकि आज सती प्रथा का लगभग उन्मूलन हो



चुका है लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं यदा-कदा प्रकाश में आती रहती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2005 में भी एक महिला द्वारा सती होकर अपने प्राण त्याग दिए गए।

**कन्या भ्रूण हत्या**

कन्या-भ्रूण हत्या के आंकड़े दर्शाते हैं कि लिंग अनुपात में कन्या लिंग अनुपात दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जब हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं तो यह कहना गलत होगा क अशिक्षित लोग इस अपराध को ज्यादा करते हैं। जबकि इसका बिल्कुल उल्टा है कि शिक्षित व सम्भ्रान्त परिवार के लोग इस अपराध को ज्यादा करते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में माना गया है कि लड़के के द्वारा ही वंश चलता है और पितरों की आत्मा तभी शांत होती है जब लड़के द्वारा दाह संस्कार व पिण्डदान या श्राद्ध करा जाता है। लड़कियों को इन कार्यों की अनुमति नहीं दी गई है। शास्त्रों के द्वारा माना जाता रहा है कि लड़कियों का पालन-पोषण व विवाह करना लड़के के लालन-पालन व विवाह की अपेक्षाकृत कठिन है। इसलिए लड़कियों के साथ लड़कों को प्रधानता दी जाती है। यह स्थिति सिर्फ भारत में नहीं अपितु विकसित पश्चिमी देशों में भी है और सबसे आश्चर्य की बात है कि इस अपराध में केवल पुरुष व उसके परिवार ही शामिल नहीं है बल्कि जिसके गर्भ में पल रही वह माँ खुद उसके जन्म लेने के खिलाफ होती है और वह दिन दूर नहीं होगा जब लड़कियों का लिंगानुपात बहुत कम रह जाएगा और लड़कों को अपनी शादी के लिए दहेज लेना नहीं देना पड़ा करेगा।

हमारे यहां लाखों कन्याओं को जन्म लेने से पूर्व ही कोख में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। मादा भ्रूण हत्या के कारण भारतवर्ष में स्त्री-पुरुष अनुपात में भारी अन्तर आ गया है। जिसकी वजह से अनेक सामाजिक समस्याऐं पैदा होने लगी हैं। कन्या भ्रूणों का गर्भपात एक गम्भीर आपराधिक कुकृत्य है। लेकिन उससे बड़ा यह एक सामाजिक अपराध है। क्योंकि जो समाज अपनी बच्चियों को जन्म नहीं लेने देता उसे कैसे सभ्य और विकसित देश कह सकते हैं। यद्यपि प्रसव-पूर्व लिंग परीक्षण और फिर मादा भ्रूण का गर्भपात करवाना कानूनन

जुर्म घोषित किया जा चुका है और इसको रोकने के लिए कई कानून भी अस्तित्व में आ चुके हैं। परन्तु फिर भी इस अपराध की दर घटने की बजाय बढ़ रही है।

भारतीय समाज में कन्या जन्म को एक मुसीबत और एक अभिशाप माना जाता है। जिसके लिए कई सामाजिक कुरीतियां और भ्रान्तियां जिम्मेदार हैं। चूंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और यहां किसी लड़की को पालना पोसना अपेक्षाकृत मुश्किल भरा होता है। चूंकि यहां पर दहेज रूपी परम्परा ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि लोग कन्या के जन्म लेते ही घबरा जाते हैं। चूँकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान और पितृसत्तात्मक प्रधान देश है। इसलिए बेटे को वंश चलाने वाला माना जाता है। जिसकी वजह से प्रत्येक परिवार पुत्र जन्म को वरीयता देता है। यही कारण है कि बुर्जुग लोग नवविवाहिता को पुत्रवती होने का ही आशीर्वाद देते हैं।

गर्भ में पल रही कन्याओं के दुश्मन केवल पुरुष ही नहीं होते बल्कि महिलाएं भी इस जुर्म में बराबर की भागीदार होती हैं। कई बार तो स्वयं गर्भवती स्त्री ही गर्भ में कन्या के पलने की जानकारी होने पर उसका गर्भपात करवा देती है और यदि महिला स्वयं गर्भपात नहीं करवाना चाहती है तो अक्सर पति या परिवार के अन्य सदस्य उस पर दबाव बनाकर गर्भपात करवा देते हैं। किसी भी स्त्री के लिए मां बनना एक गौरवशाली क्षण होता है। लेकिन पुत्र-मोह में उससे मातृत्व का अधिकार छीन लिया जाता है। जिस कारण वह विषाद और अवसाद में डूब जाती है। कई बार तो वह अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठती है।

अतः स्पष्ट है कि यह समस्या जिस तरह से हमारे देश में विकराल रूप लिए हुए है उसी तरह यह समस्या अन्य देशों में भी व्याप्त है। इस प्रकार समूची दुनिया में मातृत्व शक्ति को कमजोर किया जा रहा है। यदि कन्याओं को यूं ही गर्भ में मारा जाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब स्त्री प्रजाति ही लुप्त हो जाएगी। क्योंकि जब स्त्री ही नहीं रहेगी तो पुरुष भी नहीं रहेगें। जब जननी को जन्म ही नहीं लेने दिया जाएगा तो सृष्टि का सृजन कैसे होगा? इसी का परिणाम है कि भारत में महिलाओं का अनुपात निरन्तर गिरता जा रहा है।



**यौन उत्पीड़न व छेड़छाड़**

महिलाओं का यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ सम्बन्धित अपराध यौन अपराध में आते हैं। यौन उत्पीड़न का अर्थ है कि अपनी वासना पूर्ति के लिए किसी दूसरे को प्रताड़ित करना। इसके अन्तर्गत साधारण छेड़छाड़ से लेकर गम्भीर शारीरिक उत्पीड़न तक सभी कुछ आ जाता है। यौन उत्पीड़न एक ऐसा अपराध है जिसमें पुरुषों द्वारा महिलाओं को परेशान किया जाता है। इसके तहत उसके साथ मौखिक छेड़छाड़ के साथ-साथ उससे शारीरिक छेड़छाड़ भी की जाती है। महिलाओं के सामने अश्लील इशारे किए जाते हैं, उन पर अश्लील टिप्पणियां की जाती हैं और उन्हें अश्लील चित्र आदि दिखाए जाते हैं और शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है।

वर्तमान समय में यौन-उत्पीड़न के आंकड़ों में काफी वृद्धि हुई है। क्योंकि आज के आधुनिक युग में महिलाएं सिर्फ घर के कार्यों तक ही सीमित नहीं रह गई हैं। आज की महिलाएं स्कूल-कालेज जाती हैं, कार्यालय जाती हैं, व्यापार के सिलसिले में लोगों से उसका मिलना-जुलना आदि निरन्तर बढ़ता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप देखा जाए तो उनके विरुद्ध यौन उत्पीड़न के मामले घर से बाहर भी बढ़ते जा रहे हैं। आज के समय में यौन उत्पीड़न या शोषण किसी विशेष एक सामाजिक वर्ग, आम वर्ग या क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। बल्कि सभी वर्ग की महिलाओं को यौन उत्पीड़न या शोषण का शिकार होना पड़ता है। चाहे वह सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हो या निजी क्षेत्र में कार्यरत हो, महिला किसी भी वर्ग या आयु से क्यों न ताल्लुक रखती हों वे सभी स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं।

भारत में वर्ष 2009 के अन्तर्गत कुल 38711 मामले दर्ज किए गए जबकि वर्ष 2010 में कुल 40613 मामले प्रकाश में आए। अर्थात् 2009 के मुकाबले वर्ष 2010 में इन अपराधों के मामले में अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। इन अपराधों में शारीरिक छेड़छाड़ सम्बन्धी अपराध सिर्फ निम्न वर्ग तक सीमित नहीं है। बल्कि इसमें सभी वर्ग की महिलाएं इसका शिकार होती हैं। कार्यालय में किसी भी अधीनस्थ महिला को भी इस तरह के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। भारतीय संविधान ने

महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए हैं। और प्रत्येक नागरिकों को सभी प्रकार के अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान की गई है। जिसमें महिलाओं को भी समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया गया है। परन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद, शर्मसार करने वाला है। जिसमें महिलाओं को व्यावसायिक परिसरों, स्कूल कालिजों, उद्योग धन्धों और कार्यालयों तक में भी शारीरिक छेड़छाड़ जैसे उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराध जेलों में भी किए जाते हैं। भारत ही नहीं अपितु दुनिया भर की जेलों में इस तरह के अपराध प्रकाश में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति अमेरिका जैसे देश में है। जहां पर 48 फीसदी महिला कैदियों के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है।

अतः स्पष्ट है कि यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ सम्बन्धित अपराध आज हर जगह महिलाओं के साथ हो रहे हैं। किसी महिला के साथ किया जाने वाला वह गलत कृत्य जो उसके साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि वह महिला है वह यौन उत्पीड़न कहलाता है। इस कार्य के पीछे अधिकांश अपराधियों की मंशा सिर्फ यौन आनन्द लेने की होती है। प्रत्येक महिला की एक व्यक्तिगत शालीनता होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसकी शालीनता को भंग करने का प्रयास करता है तो वह यौन उत्पीड़न कहलाता है जो एक शर्मनाक कृत्य है। हाल के सर्वेक्षणों से आए आंकडें बताते हैं कि छेड़छाड़ के बाद बलात्कार जैसी समस्या भी निरन्तर बढ़ रही हैं। यह समस्या विश्व भर की हैं चाहे वह देश विकसित हो या अर्ध विकसित या अति विकसित ही क्यों न हो। आज के आधुनिकरण की भाग-दौड़ में इस अपराध को करने में किसी भी वर्ग के लोग नहीं शरमाते हैं। चाहे वह साधु, धनिक वर्ग के बिगडैल लड़के, शिक्षक, वकील, डाक्टर, राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों न हों। इन सब के अलावा अगर हम अपनी आंखों को खोलकर चारों तरफ देखें तो पता चलता है कि महिलाएं सिर्फ बाहर ही नहीं घर की चार दीवारी में भी बलात्कार जैसे कुकृत्यों से अपनों के द्वारा भी पीडित होती है।



### अनैतिक व्यापार

इस अपराध के अन्तर्गत महिलाओं/ लड़कियों के साथ अनैतिक व्यापार सम्बन्धी अपराध किए जाते हैं। जिसमं उन्हें एक देश से दूसरे देश में वेश्यावृत्ति/ वेश्यागमन और अन्य प्रकार के घरेलू कार्यों के लिए उन्हें कुछ समय के लिए इस तरह का व्यापार करने वाले दलालों द्वारा भेजा जाता है। जिसमें उस महिला/लड़की के घरवालों को कुछ रुपए देकर उन्हें इसके लिए राजी करवा लिया जाता है। घरवालों को यह कहकर राजी करवा लिया जाता है कि उनकी लड़की बाहर जाकर खूब सारा रुपया कमाकर लाएगी और तुम्हारी जिन्दगी भी औरों की तरह ऐशो-आराम से भर जाएगी। अनैतिक व्यापार के लिए ज्यादातर गरीब परिवारों की महिलाएं या लड़कियों को अधिक तव्वजो दी जाती है। क्योंकि यहां पर इस अपराध के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होता है। वर्तमान समय में यह व्यापार किसी भी महिला को अगुवा करके करवाया जाता है। जिसमें उस महिला को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न द्वारा प्रताड़ित कर उसे इस व्यापार के लिए रजामन्द करवाया जाता है।

### वेश्यावृत्ति/ वेश्यागमन

यह एक ऐसा कृत्य है जो कभी भी मंदा नहीं पड़ता। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक इस तरह के कार्य को हमेशा गंदा ही माना जाता रहा है। परन्तु इसका प्रभाव समाज पर निरन्तर बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारी कुरीतियां, परम्पराएं, बाल-विवाह, विधवा जीवन आदि ऐसी कुरीतियाँ हैं जो महिलाओं को इस तरह का कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ जनजातियों में वेश्यावृत्ति ही एकमात्र व्यवसाय होता है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में कुछ जनजातियों में वेश्यावृत्ति की परम्परा है जिसमें महिलाएं अपना जिस्म बेचकर पूरे परिवार का भरण-पोषण करती हैं तथा इन परिवारों में यह व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उडीसा, महाराष्ट्र और आन्ध्रप्रदेश में देवदासी प्रथा के तहत मां-बाप अपनी बच्चियों को दक्षम्मा का समर्पित कर देते हैं। जिसमें वहां के पुजारी इस प्रथा की आड़ में बच्चियों और

महिलाओं के साथ अपनी कामपूर्ति के लिए उनका शोषण करते हैं।

अधिकतर महिलाएं निर्धनता के चलते इस कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। जिसके कारण उन पर शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। और इस तरह से महिलाओं के विरुद्ध अपराध को बढ़ावा मिलता है। अगर महिलाओं के प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के काल पर नजर डालें तो पता चलता है कि महिलाओं पर किसी न किसी वजह से शोषण/अत्याचार होते ही रहे हैं। अत्याचार को बढ़ावा कुछ महिलाओं की चुप्पी ने तो कुछ हमारे भारतीय संस्कारों के कारण, तो कुछ महिलाओं के सहन करने के कारण इन अत्याचारों/ शोषण को बढ़ावा मिलता रहता है। वर्तमान समय में तो यह हालात और भी अधिक चिन्ताजनक होते जा रहे हैं। क्योंकि महिलाओं को काम करने की स्वतन्त्रता, शिक्षा की, घूमने-फिरने की स्वतंत्रता ने उनके उत्पीड़नों को और अधिक बढ़ा दिया है। जिसके कारण उनके विरुद्ध अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

अगर यौन शोषण की श्रेणी में आने वाले वेश्यावृत्ति जैसे अपराध की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से पता चलता है कि देश में वेश्यावृत्ति के कुल मामले 0.2 प्रतिशत है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़ों के अनुमान ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जागरूकता के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़ों की जानकारी नहीं हो पाती हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में जागरूकता के कारण आंकड़े उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन ये आंकड़े वे हैं जो इसको किसी मजबूरी में या जबरदस्ती अपनाने में मजबूर किया जाता है। पर कुछ लड़कियां या महिलाएं ऐसी भी हैं जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि अपनी सुविधाओं की पूर्ति के लिए इस पेशे को अपनाती हैं।

उपर्युक्त आंकड़ों के विवरणों से स्पष्ट है कि इस काम को करने के लिए कुछ उनके पारिवारिक हालत आर्थिक, जैविक व सामाजिक कारण भी उत्तरदायी होते हैं। पर वर्तमान समय में अत्याधुनिकता के प्रभाव के कारण इस कार्य को बढ़ावा मिल रहा है। जिसमें लड़कियां सिर्फ मौज मस्ती, अपनी अत्यधिक लग्जरी सुविधाओं की प्राप्ति के लिए इस काम को करने से नहीं हिचकिचाती हैं।



इन शोषण/अत्याचारों को रोकने के लिए सिर्फ सामाजिक स्तर पर ही प्रयास काफी नहीं हैं। बल्कि समाज के हर वर्ग द्वारा अपना योगदान इन शोषणों को रोकने के लिए देना होगा, तभी शायद इन अत्याचारों/शोषण पर कुछ लगाम लग सकेगी। अतः हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिनसे महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को सजा दी जा सकेगी। इसको और मजबूत और अधिक साक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा भी सहयोगी प्रयास जरूरी हैं। ताकि इन शोषणों की बढ़ती दर को रोका जा सकेगा।

महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि जितनी तेजी से शहरीकरण होता जा रहा है उतनी ही तेजी से अपराधों का ग्राफ खासकर महिलाओं के ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है। अगर शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के आंकडे देखें तो पता चलता है कि दोनों में काफी अन्तर है। जहां एक तरफ शहरी आंकड़ों में बलात्कार दर 1.6 है तो वहीं दूसरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानतः बलात्कार अपराध दर 0.6 है क्योंकि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव के कारण एवं सामाजिक भय के कारण वहां पर होने वाले अपराधिक मामलों के आंकड़े लिखित रूप में इस तरह के कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि सामाजिक बदनामी के कारण वहां पर इसके खिलाफ लिखित रूप में कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि शहरी क्षेत्रों में जागरूकता के कारण, मीडिया की सक्रिय भूमिका के कारण आंकड़े लिखित रूप में देखने को मिल जाते हैं। इन आंकड़ों को अगर और गहराई में जाकर देखें तो पता चलता है कि विभिन्न उम्र की लड़कियों और महिलाओं को हर उम्र में इस शोषण से दो-चार होना पड़ता है। चाहे वह जान पहचान द्वारा हो या फिर पड़ौसी या अनजान व्यक्तियों के द्वारा हो।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़ों का यदि विश्लेषण करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध के आंकड़ों में बड़ा अन्तर है। आंकड़े दर्शाते हैं कि बड़े शहरों में अपहरण एवं छेड़छाड़ के 3544 केस दर्ज किए गए अर्थात् अपराध दर लगभग 3.3 रहा क्योंकि शहरों में जागरूकता के परिणामस्वरूप लोगों के द्वारा

इसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज करा कर न्याय की मांग की जाती है। जबकि इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब अपराधों की अपराध दर लगभग एक अनुमान के अनुसार 0.3 रही है। क्योंकि वहां के लोगों में जागरूकता का अभाव है और सामाजिक बदनामी के डर के कारण लोग इसके विरुद्ध बोलने से घबराते हैं।

मौजूदा आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी वर्ग की महिलाएं (चाहे वह निम्न, मध्यम या उच्च वर्ग) सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वह आफिस, स्कूल, कालेज, सरकारी आफिस या फिर जेल क्यों न हो। हर जगह महिलाओं को किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न का शोषण का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा सड़क पर चलती महिलाओं, बुजुर्ग या स्कूली लड़कियों की छेडछाड़ जैसी या गन्दी फब्तियां या गन्दे इशारों आदि चीजों से दो चार होना पड़ता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में महिलाएं, लड़कियां और बुजुर्ग वर्ग तक सुरक्षित नहीं हैं।

वर्तमान समय में महिला आपराधिक मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में कुल 203804 मामले महिला अपराधिक मामलों को दर्शाते हैं। उत्तर प्रदेश में 25569 मामले पश्चिम बंगाल में 23307, मध्य प्रदेश में 15827 मामले, महाराष्ट्र में 15048 मामले और राजस्थान में 17316 मामले देखने को मिलते हैं। यहां तक कि जिन्हें विकसित राज्यों की श्रेणी में लाते हैं उनमें गुजरात में 8009 मामले, पंजाब में 2631 मामले, तमिलनाडु में 6051 मामले, केरल में 8049 मामले, हरियाणा में 5318 मामले दर्शाते हैं कि यह ऐसे राज्य हैं जिनमें साक्षरता स्तर भी और राज्यों के मुकाबले ज्यादा सही स्थिति में हैं। जबकि इसके विपरीत गोवा में 164 मामले, हिमाचल प्रदेश में 954, सिक्किम में 41 मामले, अरुणाचल प्रदेश में 164 मामले देखने को मिलते हैं। अगर अपने देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पता चलेगा कि यहाँ महिला अपराधिक के 4251 मामले यहां देखने को मिलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे राज्यों का विकास होता जा रहा है वैसे-वैसे वहां पर महिलाओं के प्रति अपराध के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे-जैसे लोग आधुनिक सुख-सुविधाओं की ओर



खिंचते जा रहे हैं वैसे ही हमें उन सुख-सुविधाओं की कीमत महिला अपराधिक मामलों में बढ़ोत्तरी के रूप में चुकानी पड़ रही है। क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उदारीकरण का जिस तरह से विकास हुआ है तथा सकारात्मक परिणाम आए हैं उसी प्रकार आचर्यजनक रूप से बलात्कार, बालिका यौन शोषण, तलाक, महिला उत्पीड़न एवं महिला अपराध की घटनाएं भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। जिस समाज में आर्थिक राजनीतिक, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका बढ़ती हुई बताई जा रही है वहीं उसी समाज में उसके तिरस्कार, शोषण व अपमान का स्तर भी बढ़ रहा है।

सन् 1991 में हमारे देश में कुल 23 महानगर थे जबकि सन् 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में कुल 35 महानगर हो गए। पिछले कुछ समय में हमारे महानगरों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे 35 महानगरों में भारत की कुल 10 फीसदी आबादी निवास करती है। इसके अलावा हमारी कुल आबादी की लगभग 28 प्रतिशत संख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। मुख्यतः 4 महानगर ही हैं- मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। पर इनके अलावा भी जो महानगरों की श्रेणी में आते हैं उनमें भी महिलाओं के प्रति अपराधिक ग्राफ बढ़ता हुआ ही मिलता है। यदि सर्वप्रथम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित जगह मानी जाती है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में सर्वाधिक 3701 मामले देखने को मिलते हैं महिला अपराध में मुम्बई में 1330, अहमदाबाद में 1474, बंगलौर में 1471, हैदराबाद में 1896 मामले और जयपुर जैसे शहर में भी यह आंकड़ा 1013 है जबकि इस शहर में सबसे कम यानी नाम मात्र को अपराध होते थे और अब तक यह शहर सिर्फ बाल-विवाह जैसी प्रथा के लिए ही प्रसिद्ध था। कानपुर की बात करें तो 1217 मामले, लखनऊ में 1258 मामले देखने को मिलते हैं, जबकि इनके विपरीत वाराणसी में 140 मामले, मदुरई में 141, अमृतसर में 170, चेन्नई में 437, कोयम्बटूर में 170, धनबाद में 68, पटना में 390 और पूने में 600 के मामले देखने को मिलते हैं, जबकि कुल महानगरों का महिला अपराध दर 23983 है।

यद्यपि महानगरों में कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था का दावा किया जाता है लेकिन महानगर महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में ही इतने महिला अपराधिक मामले बढ़ गए हैं कि यह शर्मनाक स्थिति हो गई है। अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर निगाह डालें तो ये अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक ओर महानगर हमारी आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक की प्रगति का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर इन महानगरों में आधुनिकता की कीमत महिला यौन शोषण, अत्याचार यौन उत्पीड़न जैसी कीमतों को देकर चुकानी पड़ती है।

मीडिया समाज व विकास एक-दूसरे को इतना अधिक प्रभावित करते हैं कि इनमें से किसी को भी अलग करके नहीं देखा जा सकता। मीडिया के अन्तर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाओं, जैसे प्रिंट मीडिया व रेडियो, टेलिविज़न, कम्प्यूटर, इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रानिक मीडिया को देख सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक जागरूकता, वाणिज्य व व्यापार के विस्तार, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं एवं विचारों के आदान-प्रदान तथा सांस्कृतिक मूल्यों व मान्यताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मीडिया अपनी खबरों को सर्वश्रेष्ठ बताने के चक्कर में हिंसा, बलात्कार, अनैतिक सम्बन्ध, नशा, सामाजिक व्यवस्था का मजाक, संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन, भारतीय संस्कृति का मजाक व पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा आदि जैसे व्यवस्थाओं को नकारात्मक तरीके से दिखाता व बतलाता है।

महिला अपराध को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, क्योंकि अश्लीलता, पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति ने भी महिला अपराध को बढ़ावा दिया है। इन सबकी वृद्धि के कारण ही महिला अपराध में यौन शोषण, रेप, छेड़छाड़, किडनैप आदि अपराधों की वृद्धि हुई है। भौतिकतावाद में हर चीज बिकती है, इसलिए नए जमाने में नारी शरीर को भी ज्यादा से ज्यादा बेचकर मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। जिसके लिए हर माध्यम का उपभोग आज के आधुनिक युग में अपनाया जा रहा है। पिछले दशकों



की बात करें तो मीडिया के विभिन्न स्वरूपों के द्वारा साफ-सुथरी छवि वाली नारी को ही प्रस्तुत किया जाता था। वह भारतीय संस्कृति को बताती व लज्जा के लिबास में लिपटी रहती थीं। पर आधुनिकता बढ़ने के साथ ये सब बातें खोखली सी प्रतीत होती हैं क्योंकि आज के आधुनिक युग में नारी को कम से कम कपड़े में दिखाना, जितना हो सके उसके शरीर को उत्पादकता की वस्तु मानकर प्रस्तुत करना ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। विज्ञापनों ने अश्लीलता की सीमा को ही खत्म कर दिया है। हर विज्ञापन में उसकी देह व उसको प्रस्तुत करना, ताकि उपभोक्ता आकर्षित होकर उस वस्तु का क्रय करे। कुछ विज्ञापन ऐसे हैं जो नारी के मन में नारी के प्रति हीन भावना को ग्रसित कर देती है- सावंली रंगत वाली को हीन भावना से दिखाना और गोरी रंगत वाले को ज्यादा महत्व देना जैसे विज्ञापन हीन भावना को जन्म देती हैं। विज्ञापनों के अलावा इन्टरनेट पर भी अश्लीलता देखी जा सकती है। इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण स्रोत है पर इसका उपयोग गलत जानकारी प्राप्त करने में भी किया जाता है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार इस समय लगभग 40 हजार ऐसे चैट रूम हैं, जिसके द्वारा यौन उत्कुंठा उत्पन्न करके यौन शोषण व अत्याचार को बढ़ावा दिया जाता है। कुछ समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिए कमाई को बढ़ावा देने में अश्लीलता भरे विज्ञापनों को भी प्रकाशित किया जाता है। अधिकतर उपभोक्ता मानता है कि महिला मॉडल का उपयोग अनावश्यक रूप से विज्ञापनों में किया जाता है तथा कुछ उपभोक्ता मानते हैं कि फिल्मों के द्वारा भी अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके कारण बलात्कार, अपहरण व छेड़छाड़ जैसी वारदातें भी बढ़ रही हैं। पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति की चकाचौंध में देह व्यापार जैसा अपराध भी बढ़ोत्तरी की ओर है क्योंकि अधिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति के लिए यह अपराध भी फल-फूल रहा है। पर हम मीडिया व उसके विभिन्न अंगों की नकारात्मक भूमिका को ही न देखें बल्कि उसके सकारात्मक प्रभावों की भूमिका को भी देखना चाहिए जिसके कारण सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, समाज में सजृजनात्मकता व सकारात्मक परिवर्तन, रूढ़िवादी व विकास विरोधी

मानसिकता की समाप्ति व भौतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए राष्ट्रीय साक्षरता, परिवार कल्याण, पोलियो व मलेरिया उन्मूलन, फोटो-पहचान पत्र जैसे कार्यक्रमें की सफलताओं को गिनाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे अधिक उसने महिला सशक्तिकरण, कार्यक्रमों को बढ़ावा, महिला विकास कार्यक्रम, महिलाओं के प्रति समाज व दुनिया में सम्मान का भाव जाग्रत करना, महिलाओं के ऊपर हो रहे वे अपराध जिनको या तो दबा दिया जाता था या फिर बताया ही नहीं जाता था, उन सबको मीडया के द्वारा समाज में प्रकाश में लाया गया कि नारी सिर्फ उपभोग या अत्याचार या उसके ऊपर सिर्फ हक जताने की वस्तु नहीं है। वह सिर्फ घर की चार-दीवारों में कैद होकर सिर्फ भोजन पकाने एवं बच्चों के लालन-पालन का कार्य ही नहीं कर सकती, बल्कि वह भी वह सब कार्य कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। पिछले 25 वर्षों में बड़े समाचार-पत्रों की सभी सीमाओं के बावजूद महिला संगठनों ने जनचेतना जागृत करने के लिए इनका उपयोग किया है। दरअसल महिलाओं के मुद्दों को समाचार जगत ने श्रम जैसे मुद्दों की तुलना में अपना अधिक समर्थन दिया है। दहेज, हत्या, बलात्कार और हिंसा विरोधी महिलाओं के बड़े-बड़े अभियान सुर्खियों में रहे हैं।

## महिलाओं के विरुद्ध अपराध के प्रति पुलिस व न्यायिक प्रतिक्रियाएं-

आधुनिक समय में समाज में आधुनिक परिवर्तन या बदलाव की बात करें तथा समाचारों पर प्रकाश डालें तो आधी से ज्यादा खबरे महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की ही होंगी। अगर गहराई में जाकर देखे, तो पता चलता है कि ज्यादातर ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया अधिक सकारात्मक देखने को नहीं मिलती। क्योंकि आधे से अधिक पुलिस थानों के इन्चार्ज का नज़रिया शोषित महिला के प्रति छींटाकशी या नकारात्मक ही देखने को मिलता है और बहुत से इन्चार्ज तो रिपोर्ट लिखने से ही मना कर देते हैं। बहुत ही कम थाना इन्चार्ज शोषित महिला के प्रति सकारात्मक व सहानुभूतिपूर्ण



नज़रिया रखते हैं।

यदि इसी सन्दर्भ में हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो पता चलता है कि आधे से अधिक मामलों को दबाव बनाकर दबा दिया जाता है या फिर उन्हें 'घरेलू मामला' कहकर बन्द करवा दिया जाता है और बाकी बचे मामलों के अपराधी ही पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। अधिकतर पुलिस का रवैया शोषित महिला के प्रति शोचनीय ही होता है और वह शोषित महिला को डरा धमकाकर केस को दर्ज न करवाने की सलाह तक दे डालती है और अगर केस दर्ज हो जाता है तो किसी न किसी वजह को कारण बनाकर गिरफ्तारी में देरी लगाते हैं, शोषित महिला पर दबाव बनवाते या बनाते हैं, क्योंकि शोषण करने वाला खुद एक पुरुष वर्ग से ताल्लुक रखता है जिसकी वजह से पुरुष पुलिस कर्मियों का नज़रिया पीड़ित महिला के प्रति सकारात्मक व सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है। सामान्यतः देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पुलिस सेल/थाना न होने के कारण ज्यादातर ऐसे मामले साधारण पुलिस थानों में ही दर्ज करवाए जाते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से वहां पर अशिक्षा, पुरानी सोच का नज़रिया और पुरुष प्रधान समाज की वजह से ऐसे मामले या तो दबा दिए जाते हैं या फिर साधारण पुलिस थानों में दर्ज करवाए जाते हैं। जहां पर बैठा पुलिस इंचार्ज का नज़रिया शोषित महिलाएं के प्रति छींटाकशी व नकारात्मक होता है। अगर बात शहरी क्षेत्रों की करें तो वहां की भी स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। क्योंकि यहां पर महिला सेल/थाने होने के बावजूद भी शोषित महिला पर छींटाकशी /नकारात्मक नज़रिया ही हावी रहता है, या फिर उसे रफा-दफा करवा दिया जाता है। न्यायिक अफसरों का दृष्टिकोण भी देखा जाए तो भी बहुत ज्यादा सकारात्मक व सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है क्योंकि यहां पर भी शोषित महिला से व्यंग्यात्मक कथन, दबाव डलवाना, पुलिस द्वारा धमकी या धमकाया जाना और व्यर्थ के वाद-विवाद द्वारा पीड़ित महिला के प्रति अफसरों की सोच नकारात्मक दृष्टिकोण को ही दर्शाती है।

## महिलाओं के प्रति हो रहे शोषण को प्रभावित करने वाले कारक-

आधुनिक समय के बदलते भौतिकतावादी युग में भी महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है। आज भी वह अपने वजूद को कायम रखने के लिए एवं पुरुषों के समाज को यह बताने के लिए, वह भी उनकी तरह हर वो काम कर सकती है जो वह यह सोचते हैं कि ये काम महिलाओं के बस की बात नहीं है के लिए संघर्षरत है।

आज के आधुनिकरण समाज में बदलाव के कारण महिलाएं आज अनेक चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने का दमखम दिखा रही हैं और वे चुनौतीपूर्ण बदलाव या हालातों को भी स्वीकार कर रही हैं। जिन पर सामान्यतया पुरुषों का भी वर्चस्व पाया जाता रहा है। पर इतना होने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति अपराधों व शोषण में कोई बदलाव नहीं आया है। बल्कि दिनों दिन इनकी बढ़ोत्तरी हो रही है। इनके शोषण के लिए बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। अगर निम्न तालिकाओं को देखें तो पता चलेगा कि महिलाओं के शोषण के लिए निम्न कारक प्रभावित करते हैं-

तालिका-3.1 महिलाओं के शोषण को प्रभावित करने वाले कारक

| सामाजिक पृष्ठभूमि | समर्थन का स्तर या समर्थन व्यवस्था | दूसरी की अपेक्षाएँ | आर्थिक आधार या वर्ग सदस्यता के आधार | स्वय की छवि |
|---|---|---|---|---|
| 1. आयु | 1. पति का | 1. प्रति की | 1. निम्न वर्ग | 1. लज्जालू |
| 2. शिक्षा | 2.माता पिता का | 2. सुसराल वालों की | 2. मध्यम वर्ग | 2.साहसी |
| 3. दीक्षा | 3. सुसुराल वालो का | 3.पडौसियां की | 3.उच्च वर्ग | 3. असहाय |
| | 4. बच्चों का | 4. साथियों की | 4. कमजोर | |
| | 5. रिश्तेदारों का | 5. काम करने वाले सहयोगियों की | | |
| | 6. सहेलियों का | | | |

स्रोत- महिलाओं के प्रति अपराध, राम आहूजा व मुकेश आहूजा, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ-252.



सामाजिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले आयु की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर बचपन से ही शोषण की कहानी शुरू हो जाती है। क्योंकि बचपन में घर में लड़की है तो लड़के की कामना हो जाती है ताकि वह उस वंश को आगे बढ़ा सके। फिर लड़के के आने के बाद लड़कियों का परिवार व्यवस्था को सम्भालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है फिर किशोरावस्था में छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, अनैतिक व्यापार जैसे शोषण व शादी के बाद दहेज मांग, दहेज हत्या, और अन्य प्रकार के शोषण या अत्याचार होते ही रहते हैं जिसमें आयु के कोई मायने नहीं रहते हैं।

शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां पर भी महिलाओं साथ पक्षपात पूर्ण स्थिति ही कायम रहती है। क्योंकि यहां पर भी लड़कों की पढ़ाई को अधिक महत्व ज्यादा दिया जाता है, लड़कियों के लिए यह महत्व वाली स्थिति बहुत कम प्रतिशत में रहती है। अधिकतर भारतीय परिवार लड़के की पढ़ाई-लिखाई को ज्यादा महत्व देना स्वीकार करते हैं। क्योंकि उनका कहना होता है कि लड़की को दूसरे घर भी जाकर घर के काम ही करने हैं। लड़के को घर-परिवार चलाना होता है जिसके लिए उसका पढ़ा-लिखा और कमाऊ होना ज्यादा जरूरी है।

तीसरी कड़ी दीक्षा की बात करें तो यह व्यवस्था भी और व्यवस्थाओं की तरह ही पक्षपात पूर्ण है, क्योंकि इस व्यवस्था के अन्तर्गत लड़की को यह दीक्षा दी जाती है कि दोनों घरों की लाज़ मान-सम्मान का तुम्हें ख्याल रखना है, तुम्हारा धर्म परिवार व पति की सेवा करना व उनकी हर बात को आज्ञा की तरह मानना, पति को ईश्वर का दर्जा देना आदि ऐसी अनेक दीक्षा, लड़कियों को बचपन से ही दी जाती हैं और कहा जाता है कि यही सामाजिक पृष्ठभूमि है जबकि लड़कों पर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है।

समर्थन का स्तर या समर्थन व्यवस्था की बात करें तो उसके अन्दर सबसे पहला नम्बर पति का आता है। जिसमें भारतीय समाज की महिलाओं को उसकी हर बात का समर्थन करना होता है चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक समर्थन का स्तर ही क्यों न हो। अधिकांश महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर उनका समर्थन करना ही होता है।

माता-पिता द्वारा कही गई हर बात को भी समर्थन देने की लड़कियों से उम्मीद रखी जाती है चाहे वह शिक्षा व्यवस्था, शादी व्यवस्था, लड़को को पंसद या ना पसंद का स्तर हो या फिर लड़की के द्वारा अपनी मर्जी से अपना कैरियर या लड़का पसंद करने का कोई भी स्तर क्यों न हो। सभी व्यवस्थाओं में लड़कियों से ही उम्मीद की जाती है कि हर व्यवस्था स्तर में उनका समर्थन करें।

इसी तरह की कुछ व्यवस्था ससुराल वालो की भी रहती है, क्योंकि वहां पर भी लड़की से ही उम्मीद की जाती है कि वह ही हर प्रकार की व्यवस्था स्तर को अपना समर्थन दे। चाहे वह ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग को पूरा करना, बहू द्वारा पूरे घर का काम करवाना या फिर अन्य कोई काम क्यों न हो। हर स्तर पर लड़की को ही समर्थन देना होता है। इसी तरह का कुछ स्तर बच्चों, रिश्तेदारों व सहेलियों का भी रहता है। इन सभी स्तरों पर लड़की को किसी न किसी रूप में इन सभी का समर्थन करना होता है। चाहे वह उन समर्थनों से पूर्ण रूप से सहमत हो या न हो। इसी सब को हम समर्थन का स्तर या समर्थन व्यवस्था कहते हैं।

अपेक्षाओं की बात करें तो पहले स्थान पर पति की अपेक्षाएं आती हैं। जिसमें पति द्वारा हर काम करने की अपेक्षा की जाती है कि पत्नी द्वारा पति के जूते साफ करने से लेकर पति के कपड़ों को धोने आदि कार्यों तक की पत्नी के द्वारा किया जाये। न करने पर उसे प्रताडित भी किया जाता है। फिर दूसरे नम्बर पर ससुराल वालों की अपेक्षाएं आती हैं। क्योंकि अधिकतर ससुराल पक्ष में आने वाली बहु से उम्मीद की जाती है कि वह हर बात में अपना समर्थन दे चाहे वह उसे पसंद हो या न पसंद हो और वह पूरे घर-परिवार के सदस्यों का हर कार्य बिना शिकायत किए पूरा करें फिर चाहे वह बीमार हो या फिर उसे और कोई तकलीफ ही क्यों न हो।

पड़ौसियों द्वारा भी अपेक्षाएं रखी जाती हैं कि वह जब चाहे तब घर में घुसकर उससे अपना कार्य करवाएं व फिर वह उसकी बुराई उसके ससुराल पक्ष या फिर और आस-पड़ौस वालों से करें एवं जब पड़ौसी चाहें तब वह उससे जाकर कोई भी चीज मांग सकें। फिर



साथियों एवं साथ काम करने वाले सहयोगियों द्वारा भी महिलाओं से बहुत सारी अपेक्षाएं रखी जाती हैं। जिसमें ज्यादातर साथियों एवं सहयोगियों द्वारा उनके काम को उक्त महिला द्वारा पूरा किया जाने एवं उनकी हर बात को अपनी सहमति देने की अपेक्षाएं रखी जाती हैं।

आर्थिक आधार पर सदस्यता के आधार की बात करें तो सबसे पहले निम्न वर्ग आता है जिसमें महिलाओं को कमाई का एक ज़रिया या साधन माना जाता है। जिसमें उनका तर्क होता है कि हम गरीब कैसे खाएंगे-पिएंगे? इसी वजह से अगर लड़की काम कर रही है तो कोई बुराई नहीं है। फिर अगर मध्यम वर्ग और उच्च्य वर्ग की बात करें तो वहां पर महिलाओं की स्थिति भी ज्यादा सम्मान जनक नहीं होती है। क्योंकि मध्यम वर्ग मान-सम्मान को ज्यादा महत्व देता है, जबकि उच्च्य वर्ग सिर्फ अपनी शान-शौकत को महत्वपूर्ण मानकर महिलाओं को समाज में सिर्फ दिखावे के लिए उनके मान-सम्मान को महत्वपूर्ण मानकर दिखावा करता है। जबकि वास्तविक स्थिति इसके बिलकुल विपरीत होती है। क्योंकि ये दो वर्ग, मध्यम एवं उच्च्य सिर्फ अपनी शान-शौकत व मान-सम्मान के लिए नारियों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का दिखावा करते हैं। परन्तु वास्तविकता को देखें तो पता चलेगा कि इन दो वर्गों में महिलाओं की स्थिति भी ज्यादा सम्मानजनक नहीं है।

महिलाओं के विरुद्ध शोषण या अत्याचार महिलाओं के प्राकृतिक स्वभाव, असाहसी, असहाय, कमजोर जैसी स्थितियों के कारण भी होते हैं, क्योंकि अगर शोषण व अत्याचार का पूर्ण शोध करके निष्कर्ष निकालें तो पता चलता है कि महिलाएं भी काफी हद तक अपनी-अपनी सामाजिक व प्राकृतिक स्थितियों व स्वभाव के कारण इन सबकी जिम्मेदार होती है।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में न केवल पुराने सिद्धांत प्रतिपादित हैं बल्कि नए सिद्धांत भी इस दिशा में प्रतिपादित हो रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध दर्शाने वाले नवीन सिद्धान्त भी काफी कुछ महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की नवीन व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं। नवीन सिद्धान्तों में सबसे पहले सामाजिक संरचनात्मक दशाएं

आती हैं। जिसके अन्तर्गत-पारिवारिक संकट, भूमिका सम्बन्धी कुण्ठाएं, अनुपयुक्त लालन-पालन एवं जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आती हैं जिसमें महिलाएं अनेक अत्याचारों व शोषणों की शिकार होती हैं एवं काफी कुछ जिम्मेदार आज की भौतिकतावादी युग की भागदौड़ एवं अनेक जरूरतों की पूर्ति के लिए अनेक अपराधों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण चिन्ताएं, असुरक्षा की भावना, तनाव व सापेक्ष वन्चनाएं, प्रभावित करती हैं- समायोजन (प्रस्थिति में), लगाव (व्यक्तियों के प्रति), प्रतिबद्धता (दायित्वों के प्रति) तथा महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है कि वे महिलाओं के प्रति कैसा नज़रिया रखते हैं तथा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अपराधी सम्बन्धी गुण से ताल्लुक न रखता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महिलाओं के प्रति अपराध एवं शोषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारण सामाजिक पृष्ठभूमि से, पारिवारिक पृष्ठभूमि से, आर्थिक आधार पर एवं कुछ सीमा तक स्वयं की छवि भी इन कारणों को प्रभावित करती है। ये सभी कारण समय-समय पर महिलाओं के प्रति अपराधों को बढ़ावा देते हैं।

## महिलाओं के प्रति अपराधियों की प्रवृति

महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की बात करें तो देखने को मिलता है कि महिलाओं के शोषक/शोषित करने वाले ज्यादातर अपराधी पुरुष वर्ग होता है। जिनका सिद्धान्त सिर्फ अपने पुरुषत्व को कायम रखना और महिलाओं को अपने नीचे रखने की प्रवृत्ति को पुरुष समाज अपने अहं के लिए महत्वपूर्ण मानता है। शोषित महिलाओं के शोषक पुरुषों की प्रवृत्ति भी विभिन्न होती है। महिलाओं के शोषक की प्रवृत्ति अधिकतर निम्न अपराधी पुरुषों में पायी जाती है-

- बचपन में हिंसा कि शिकार हुए हों,
- परिवार में तनावपूर्ण परिवेश का शिकार हों,
- हीनता की भावना या निम्न स्व-मूल्यांकन से पीड़ित हों,
- जिसमें दक्षता की कमी हो या सामाजिक निष्क्रियता हो,
- विकृत व्यक्तित्व वाले या मनोविकारी हों,



- अधिकारधारी, सन्देही और निरकुंश हों,
- आपराधिक पारिवारिक पृष्ठभूमि,
- जो बराबर मद्यपान करता हो।

अतः जो उपर्युक्त प्रवृत्तियों के विवरण के बाद स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यतः महिलाओं के अपराधी पुरुष उपर्युक्त प्रवृत्तियों से ग्रासित होते हैं। परन्तु पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि सभी पुरुष वर्ग उपर्युक्त प्रवृत्तियों से ग्रसित होते हैं।[1]

महिलाओं के प्रति अपराध एवं हिंसा के लिए केवल पुरुष वर्ग ही जिम्मेदार नहीं है। बल्कि महिलाएं भी घरेलू हिंसा के लिए उत्तरदायी होती हैं। घरेलू हिंसा का शिकार अधिकतर महिलाएं अधिक दहेज न लाने के कारण, पुत्र पैदा न करने के कारण या केवल अहम की संतुष्टि के लिए घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं। यह हिंसा कभी-कभी इतनी अधिक होती है कि पीड़ित महिला की मौत भी हो जाती है। अधिकतर यह मध्यम एवं निम्न वर्ग में अधिक होती हैं। परन्तु उच्च वर्ग भी इससे बचा नहीं है। इस वर्ग में भी इस प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं।

## महिला अपराधिता (Female Criminality)

यदि अपराध की बात करते हैं तो मस्तिक में सबसे पहले पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों की गणना ही आती है। पर आज के बदलते इस भौतिकतावादी युग में पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी अपराधों में लिप्त मानी जाती हैं। भौतिकतावादी युग की चकाचौंध व आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा ने महिलाओं को भी अपराध करने पर मजबूर कर दिया है। राजस्थान, मध्यप्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में महिलाओं में अपराध की प्रवृति के साथ-साथ देश की राजधानी दिल्ली, मेट्रो शहर मुम्बई, बैंगलोर, चेन्नई, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति अधिकायक पायी जाती है।

महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति के प्रमुख कारणों में दोषपूर्ण पारिवारिक वातावरण, माता-पिता द्वारा दोषपूर्ण अनुशासन, माता-पिता द्वारा तिरस्कार, बच्चों में भेद-भावपूर्ण व्यवहार एवं बदलते सामाजिक

मूल्यों की समस्या, विलासितापूर्ण ज़िन्दगी की तलब एवं और अधिक पाने की चाह ने भी इस प्रवृत्ति को जन्म दिया है। काफी सीमा तक इस तरह की प्रवृत्ति को पैदा करने के लिए जिम्मेदार समाज, समाज में भेद-भावपूर्ण व्यवहार, समाज द्वारा महिलाओं को दूसरे दर्जे का स्थान देना व पुरुष प्रधान समाज आदि भी इस प्रवृत्ति को जन्म देने के अपराधी जन्मदाता है।

अपराध के आंकड़े का विश्लेषण करें तो निष्कर्ष निकलता है कि महिलाएं भी काफी गम्भीर अपराधों जैसे- हत्या, नववधू को जलाना, मादक पदार्थो की तस्करी, डकैती, आत्महत्या को उकसाने, अनैतिक पतन, चोरी, आवारागर्दी आदि में लिप्त पाई गई हैं। यह स्थिति भारत देश में ही नहीं अपितु पश्चिमी देशों में भी देखने को मिलती है। वहां पर महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति भारत से अधिक गम्भीर स्थिति में है। वहां पर आधुकीकरण की आवश्यकताओं की मांग की पूर्ति, बदलते सामाजिक माप-दण्ड व नज़रिया आदि इन अपराधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

समाजशास्त्रियों व मनोशास्त्रियों ने महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति को उनकी आयु, समूह, अनपढ़, पढा-लिखा समूह, ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों का समूह, विवाहिता/अविवाहित समूह, घरेलू/कामकाजी महिलाओं का समूह एवं बहुत गम्भीर अपराध/गम्भीर अपराध/साधारण छोटे अपराधों समूह जैसे भागों में बांट कर उनकी इस बढ़ती प्रवृत्ति का अध्ययन किया है। इन अध्ययन रिपोर्ट को देखने पर पता चलता है कि हर समूह का अपराध करने का अपना तरीका होता है। ग्रामीण एवं शहरी महिला अपराधी का अपराध करने का तरीका अलग-अलग होता है। यदि ऐतिहासिक सन्दर्भ में देखें तो निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति पुरानी है। प्राचीन समय में भी महिलाओं द्वारा अपराध जैसे- बच्चों व बड़ों को जहर देना, यौन अपराध, आत्म हत्या के लिए मजबूर, बच्चा चुराना, चोरी आदि अपराधों में लिप्त रहती थीं। वर्तमान समय की स्थिति भी इससे मिलती जुलती है पर आज समय के साथ अपराध भी आधुनिक हो गए हैं। बाल अपराध, अनैतिक पतन, आबकारी अपराध, अपहरण, चोरी



करना, हत्या या हत्या के लिए प्रयास, डकैती, मद्यपान में लिप्त, दहेज अधिनियम, यौन अपराध आदि अपराधों में आज की महिलाएं लिप्त पाई गई हैं।

महिला अपराध के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के अनुसार महिला अपराध व्यक्ति की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का परिणाम है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में स्थान, लिंग आधार पर भेद-भाव, सामाजिक बंधनों का जाल, सामाजिक पर्यावरण, पारिवारिक संरचना संगठन आदि ऐसे अनेक कारक हैं जो महिलाओं के ऊपर मानसिक व शारीरिक प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं में स्वभाव परिवर्तन, अभिरुचियां, कुण्ठाएं, तनाव-प्रलोभन, उत्तेजना, पर्यावरण दबाव, असुरक्षा आदि ऐसे अनेक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनके कारण महिलाएं अपराधों में लिप्त होती चली जाती हैं। जिसके फलस्वरूप वे चोरी, दंगे, हत्या, अपहरण, आबकारी अपराध, तस्करी, यौन अपराध, समूह के साथ डकैती करना या लूट में शामिल होना, आत्महत्या के लिए मजबूर करना, दहेज जैसे आदि अपराधों में लिप्त भी देखने को मिलती हैं। प्रारम्भ में जब महिला अपराधियों का अध्ययन नहीं किया जाता था या मालूम होते हुए भी अनदेखा किया जाता था तब उनको कानून व्यवस्था द्वारा अधिकतर दण्डित नहीं किया जाता था या इतने सख्त कानून नहीं थे। जिसकी वजह महिलाओं के प्रति समाज मे एक 'अबला नारी' वाला दृष्टिकोण था। पर जैसे-जैसे समाज में परिवर्तन व सोच में बदलाव आया वैसे वैसे महिलाओं द्वारा किए अपराधों की संख्या बढ़ती चली गयी और साथ ही साथ कानून व्यवस्था में उनको दण्डित करने का प्रावधान भी शामिल कर लिया गया। तथा महिलाओं द्वारा अपराधों पर शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन किया जाने लगा। जिससे पता चला कि अपराध केवल पुरुषों द्वारा ही नहीं बल्कि महिलाओं द्वारा भी किए जा रहे हैं तथा साथ ही साथ आज के आधुनिक युग के बदलाव के कारण महिलाएं न सिर्फ अकेले बल्कि पुरुषों के साथ, गिरोह बनाकर काम कर रही है तथा कुछ गिरोह की मुखिया खुद महिलाएं ही होती हैं। जिसमें अपराध करने की शुरुआत से आखिर तक सारा काम वह खुद ही अंजाम देती हैं तथा

अपराधों को अंजाम देती हैं। इन सब अपराधों के जन्म के लिए काफी सीमा तक समाज, परिवार, बदलते युग की जरूरतें व मांगे, आधुनिकीकरण की चकाचौंध, जरूरत से ज्यादा पाने की चाह आदि कारणों ने महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। यह स्थिति भारत के साथ-साथ पश्चिमी, यूरोपीय देशों में भी पायी जाती है, जहां पर किशोरावस्था में किशोरियां अधिकतर हत्या, लूट, डकैती, दंगा-फसाद, यौन शोषण आदि जैसे अपराधों में लिप्त पाई जाती हैं।

मनोशास्त्री, समाजशास्त्रियों व अन्य विद्वानों के दृष्टिकोणों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि महिलाओं पर अत्यधिक सामाजिक प्रतिबन्धों और सघन देख-रेख होने के कारण समाजीकरण चेतना का विकास लड़कों और लड़कियों में काफी भिन्न होता है। लड़कियों को आमतौर पर निरपेक्ष घरेलू तथा अहिंसात्मकता रूप में प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें अस्त्रशस्त्र आदि से लड़ने की अनुमति नहीं होती। इसके विपरीत लड़के आक्रामक व महत्वाकांक्षी होते हैं। इस प्रकार लड़कियां हिंसा से बचती हैं और उनमें हिंसात्मक अपराध, लूटपाट तथा गिरोह, युद्ध करने की शक्ति और आवश्यक तकनीकी योग्यता नहीं होती। अधिक से अधिक वे छोटे-छोटे या घरेलू अपराधों में उलझ जाती हैं।

महिला अपराध के कारणों में यौन समानता और पुरुष और स्त्रियों की प्रौढ़ सामाजिक भूमिकाओं की विशेषताओं में अलगाव की प्रवृत्तियों तथा महिला अपराध के कारणों को जानने का पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि महिलाओं में बढ़ती अपराध की प्रवृत्ति को कम/रोका जा सके और सामाजिक सन्तुलन कायम रह सके। लेकिन अगर इतिहास पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि महिला में अपराध की प्रवृत्ति आज के युग की देन न होकर बल्कि राजा-महाराजाओं/शहंशाहओं के समय से चली आ रही है। बस फर्क इतना है कि आज के अपराध में और कल के अपराध करने की प्रवृत्ति में सिर्फ थोड़ा-बहुत ही अंतर है।

राम आहूजा व मुकेश आहूजा ने माना कि महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति के लिए विभिन्न कारक जैसे महिला के जीवन में उत्तेजना, प्रलोभन तथा तनाव आदि होते हैं। ये उत्तेजनाएं, दबाव, तनाव,



सामाजिक और कानूनी प्रतिमानों से विचलन की इच्छा पैदा करते हैं। व्यक्तित्व संरचना अथवा स्वभाव, अभिरुचियां, कुण्ठाएं, वचनाएं या तीव्र निहित आवश्यकताओं जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक लक्षण कुछ महिलाओं को इस विचलन से रोकती हैं पर अन्य मामलों में असफल रहती हैं। अतः व्यक्तित्व व्यवस्था और पर्यावरण का दबाव जिसमें महिला कार्य करती है, दोनों ही महिला अपराधिता में योगदन करते हैं।[2]

भारत में महिला अपराधों की प्रकृति की तुलना अमरीका और आस्ट्रेलिया में महिला अपराध की प्रवृत्ति से करते हैं तो महत्वपूर्ण अन्तर प्रकट होते हैं। 1980 में कुल अपराधों में से महिला अपराध 2.0 प्रतिशत के और 1995 में 4.1 प्रतिशत वहीं 1980 में अमेरीका में 16.0 प्रतिशत और आस्ट्रेलिया में 7.6 प्रतिशत थे। 1980 में कुल महिला अपराधों में से चोरी का प्रतिशत अमेरिका में 30.7 प्रतिशत और आस्ट्रेलिया में 15.6 प्रतिशत था। जबकि इसके विपरीत भारत में यह 20.0 प्रतिशत ही था, अमरीका में ठगी 32.6 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में ठगी 0.1 प्रतिशत और भारत में ठगी 0.7 प्रतिशत थी और हत्या 14.6 प्रतिशत अमरीका में, 4.1 प्रतिशत आस्ट्रेलिया में और 3.2 प्रतिशत भारत में ये आंकड़े न केवल भारत और अन्य दो देशों में महिला अपराध में महिलाओं की भागीदारी की मात्रा में तुलना का न केवल एक साधन प्रदान करते हैं बल्कि हमारे समाज में महिला अपराधियों की प्रकृति का सार्थक मूल्यांकन करने में भी सहायक होते हैं। अपराध का प्रकार दर्शाता है कि हमारे देश में महिलाएं यौन अपराधों और दुकान से चोरी आदि जैसे परम्परागत अपराध कम करती हैं और चोरी, सेंधमारी, हत्या, अपहरण आदि में अधिक हिस्सो ले रही हैं।

अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि महिला अपराध उनकी शारीरिक व मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का समावेश होता है। जिसमें सामाजिक संरचनात्मक कारकों को महत्व नहीं दिया जाता है। महिला अपराधियों की यह शारीरिक या मनोवैज्ञानिक विशेषताएं स्त्रियों के स्वभाव में या तो सामान्यता से हटकर या व्याधिग्रस्त विकृतियाँ समझी

जाती थी। इस दृष्टिकोण से 50 प्रतिशत महिलाओं में उनके सामान्य स्वभाव के विपरीत आक्रामकता जैसे लक्षण पाए जाते हैं तथा इन विद्वानों ने शारीरिक सम्बन्धी व्याख्या का विवरण देते हुए बताया है कि सामान्य स्त्रियां स्त्रीत्व की सामाजिक परिभाषा को स्वीकार व आत्मसात कर लेती हैं जबकि महिला अपराधी पुरुष भावना से पीड़ित होती हैं। इस प्रकार सामान्य स्त्रियाँ सामान्य स्त्रियोचित गुणों को प्रदर्शित करती हैं जबकि अपराधी महिला जैविक रूप से स्वाभाविक स्त्रियोचित भूमिका विरोध में विद्रोह स्वरूप या विकृति स्वरूप स्वभाव का प्रदर्शन करती हैं तथा सरलता से अपराधों में लिप्त हो जाते हैं।[3]

कुछ विद्वानों ने महिला अपराध के लिए स्वतन्त्रता आन्दोलन और महिला अग्रहिता को कारण माना है। उनका मानना है कि शिक्षित लड़कियां और महिलाएं पारस्परिक बन्धनों और सामाजिक भूमिकाओं को पहले की अपेक्षा, अधिक चुनौती देने लगी है। महिलाओं पर प्रतिबन्धों में ढीलेपन के कारण अपराधों के बढ़ने की सम्भावना अधिक हो जाती है। तथा महिलाओं के पति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अन्तर्ववैयक्तिव सम्बन्धों में तनाव पति के विवाहोतिरिक्त सम्बन्ध, जीवन मूल्य आवश्यक आवश्यकताओं (जैसे स्नेह, सुरक्षा आदि) से बचना या उपेक्षा आदि कुण्ठा के प्रमुख कारण रहे हैं जो कि अन्ततोगत्वा अपराध के लिए उत्तरदायी बनते हैं।

अपराध में केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि कम उम्र की लड़कियां भी संलिप्त हो रही हैं। सामान्यतयाः समाज में माना जाता है कि आर्थिक तंगी के कारण ही अधिकतर अपराध होते हैं, परन्तु उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि इन कारणों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। पढ़ी लिखी एवं आर्थिक रूप से समृद्ध घरों की लड़कियां भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पायी जाती हैं पैसों की अधिकता, माता-पिता के नौकरी करने या समय न देने के कारण, एकल परिवार एवं समाज ये के अन्य कारणों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण उनका किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है जिससे वे छोटे अपराधों के साथ बड़े अपराधों में भी लिप्त हो जाती हैं। जिसका पता अभिभावकों को बहुत देर से पता चल पाता है।



महिलाओं के विरुद्ध अपराध और महिला अपराधिता की बात करें तो निष्कर्ष निकलता है कि दोनों ही प्रवृत्तियां, समाज में बढ़ती जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन कारणों को जानना आवश्यक हो जाता है कि किस कारण यह प्रवृति समाज में निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा साथ-साथ उन तरीकों को निकालना भी आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार से इस नकारात्मक प्रवृति को समाज से रोका जा सकता है। इन सभी को जानने के लिए एक अनुभावात्मक अध्ययन किया गया। अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए उनको अगले अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

## संदर्भ सूची

1- राम आहूजा व मुकेश आहूजा, महिलाओं के प्रति अपराध, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 245.

2- राम आहूजा, मुकेश आहूजा (2008), रावत पब्लिकेशंन, नई दिल्ली, पृष्ठ- 165-66 (महिला अपराध).

3- राम आहूजा, मुकेश आहूजा (2008), रावत पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृष्ठ- 157-158.

## अध्याय चार

# जनता का महिला पुलिस के प्रति दृष्टिकोण

भारत में पिछले कुछ दशकों के अपराध के आंकडों की बात करें तो आंकडे दर्शाते हैं कि अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आम व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। विशेषकर महिलाएं एवं बच्चे जो शारीरिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होते हैं तथा जिनको अपराधी आसानी से अपना शिकार बनाते हैं। अपराधी के आंकडों को ध्यानरत रखते हुए महिलाओं को पुलिस में भर्ती के लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि भारतीय परिवेश में इस पेशे की तरफ रूझान दूसरे पेशों की अपेक्षा कम पाया जाता है परन्तु कुछ महिलाएं स्वयं अपनी अभिवृतियों एवं चुनौतियों को स्वीकार करने के कारण इस विभाग को व्यवसाय के रूप में स्वेच्छा से चुन रही हैं। आज महिलाएं नागरिक पुलिस में विशेष रूप से नियुक्त की जा रही हैं। वर्ष 2011 में दिल्ली पुलिस में 20 महिला पुलिस कंमाडोज की भी नियुक्ति की गयी है। इन महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा ये महिला कंमाडोज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दूसरो देशों से आए वी.आई.पी. को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कर रही हैं। प्रश्न



उठता है कि महिला पुलिस अपनी भूमिका को किस सीमा तक सारगर्भित रूप से निभा पायी है। समाज इन महिला पुलिस से क्या अपेक्षा रखता है। इसको जानने के लिए सामान्य नागरिकों से उत्तरदाताओं का चयन किया गया। उत्तरदाताओं का चयन उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से आयु, जाति, धर्म एवं व्यवसाय के आधार पर चयनित किया गया है।

लेखक ने विषय का अनुसंधानात्मक विश्लेषण तथा अध्ययन करने की दृष्टि से एक सर्वेक्षण प्रपत्र बनाया तथा उस प्रपत्र के माध्यम से जनता के विभिन्न आयु, राज्य, व्यवसाय तथा विभिन्न शिक्षा स्तर के उत्तरदाताओं से उत्तरों को प्राप्त किया तथा फिर उनके उत्तरों के स्वरूप की समीक्षा प्रतिशत के आधार पर करने का प्रयास किया है। सर्वेक्षण प्रपत्र में कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं तथा अधिकांश प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उत्तरदाताओं से यह अनुरोध किया गया कि वे स्वतन्त्र रूप से उन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से जो उन्हें पसन्द हों उत्तर दें तथा कुछ प्रश्नों के खुले रूप से उत्तर देने का भी अनुरोध किया गया है। इस अध्ययन में विभिन्न समस्याओं के प्रश्नों की समीक्षा प्राप्त उत्तरों की सांख्यिकी गणना व प्रतिशत के आधार पर की गई है। लेखिका के द्वारा उत्तरदाताओं को सर्वेक्षण प्रपत्र के उत्तरों को व्यक्तिगत रूप से गोपनीय रखने का आश्वासन दिया गया है तथा उनको सांख्यिकी गणना हेतु ही प्रयोग किया गया है। शोधात्मक अध्ययन के लिए सर्वेक्षण प्रपत्र लेखिका द्वारा स्वयं तैयार किया गया तथा विभिन्न उत्तरदाताओं से उसको भरवाया गया।

यद्यपि सर्वेक्षण के द्वारा उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण तथा सांख्यिकी समीक्षा द्वारा परिकल्पनाओं को सिद्ध अथवा असिद्ध करने का प्रयास किया गया है। प्रतिशत पद्धति से इन अन्वेषण निष्कर्षो को एक सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान किया गया है। लेखक के द्वारा इस दौरान अधिक निष्पक्ष, वैज्ञानिक तथा तटस्थ रहने का प्रयास किया गया है, जिससे निष्कर्षो में अधिक से अधिक वैज्ञानिकता लाई जा सके। सर्वेक्षण प्रपत्र को अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं अपने हाथों से भरा गया है। वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर में उत्तरदाताओं ने निशान लगाकर तथा दीर्घ प्रश्नों के उत्तर

में उन्होंने अपने विचार खुले रूप से व्यक्त किए हैं। उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि को निम्न तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

**तालिका-4.1 उत्तरदाताओं का आयुवार विवरण**

| क्रमांक | उत्तरदाताओं की आयु | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | 15 से 30 वर्ष की आयु | 87 | 27.97 |
| 2. | 31 से 45 वर्ष की आयु | 128 | 41.16 |
| 3. | 45 वर्ष से अधिक | 96 | 30.87 |
| | योग | 311 | 100.00 |

सर्वेक्षण प्रपत्र भरवाने के लिए विभिन्न राज्यों से 311 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। चयनित उत्तरदाताओं में 15 से 30 आयु वर्ग के 27.97 प्रतिशत तथा 31 से 45 वर्ष के 41.16 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। शेष 30.87 प्रतिशत 45 वर्ष से ऊपर वर्ग के हैं जो उम्र का लम्बा अनुभव रखते हैं। विभिन्न वर्ग के उत्तरदाताओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है जिससे समस्या से सम्बन्धित सही आंकड़ों को एकत्रित किया जा सके।

**तालिका-4.2 उत्तरदाताओं का शैक्षिक स्तर**

| क्रमांक | शैक्षिक स्तर | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | अशिक्षित एवं निम्न शिक्षित (हाईस्कूल स्तर तक) | 172 | 55.30 |
| 2. | उच्च शिक्षित (हाईस्कूल के ऊपर) | 139 | 44.70 |
| | योग | 311 | 100 |

शिक्षा के आधार पर भी उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। उत्तरदाताओं का एक वर्ग उच्च शिक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखता है तथा दूसरा अशिक्षित या कम शिक्षित वर्ग है जो समाज का एक बड़ा हिस्सा है। निम्न शिक्षित वर्ग से 44.69 प्रतिशत तथा 55.31 प्रतिशत उच्च शिक्षित वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। इस वर्ग में कुछ उत्तरदाता विशेष प्रकार की उपाधि प्राप्त तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते हैं।



**तालिका-4.3 उत्तरदाताओं का व्यवसाय**

| क्रमांक | विवरण | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | सरकारी नौकारी | 84 | 27.00 |
| 2. | निजी व्यवसाय | 92 | 29.59 |
| 3. | अन्य | 135 | 43.41 |
| | योग | 311 | 100.00 |

उत्तरदाताओं का चयन समाज के विभिन्न व्यवसाय के लोगों से किया गया है। 27.00 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं तथा 29.50 प्रतिशत अपना व्यवसाय रखते हैं। शेष 43.41 प्रतिशत अन्य प्रकार के रोजगार में संलग्न हैं जैसे किसान, मजदूर, गृहिणी, पत्रकार, राजनीतिक नेता तथा अध्यायक आदि हैं। विभिन्न व्यवसाय के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान कदने का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के मतों को जानना था।

**तालिका-4.4 पुरुष एवं महिला उत्तरदाता**

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष | 181 | 58.20 |
| 2. | महिला | 130 | 41.80 |
| | योग | 311 | 100 |

विभिन्न वर्ग के उत्तरदाताओं में महिला एवं पुरुषों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। चयनित उत्तरदाताओं में से 58.20 प्रतिशत पुरुष तथा 41.80 प्रतिशत उत्तरदाताएं महिलाऐं हैं। महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देने का उद्देश्य यह है कि जिससे वे महिला पुलिस के सम्बन्ध में अपना निष्पक्ष मत अभिव्यक्त कर सकें।

**तालिका-4.5 उत्तरदाताओं का महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में दृष्टिकोण**

| उत्तरदाताओं का विवरण | बहुत अच्छा | | अच्छा | | पता नहीं | | अच्छा नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 49 | 28.49 | 77 | 44.77 | 19 | 11.05 | 27 | 15.70 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 21 | 15.11 | 65 | 46.76 | 34 | 24.46 | 19 | 13.67 | 139 | 100.00 |
| योग | 70 | 22.51 | 142 | 45.66 | 53 | 17.04 | 46 | 14.79 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 16 | 19.05 | 42 | 50.00 | 15 | 17.86 | 11 | 13.10 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 25 | 27.17 | 37 | 40.22 | 16 | 17.39 | 14 | 15.22 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 29 | 21.48 | 63 | 46.67 | 22 | 16.30 | 21 | 15.56 | 135 | 100.00 |
| योग | 70 | 22.51 | 142 | 45.66 | 53 | 17.04 | 46 | 14.79 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 31 | 17.13 | 75 | 41.44 | 38 | 20.99 | 37 | 20.44 | 181 | 100.00 |
| महिला | 39 | 30.00 | 67 | 51.54 | 15 | 11.54 | 9 | 6.92 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 70 | 22.51 | 142 | 45.66 | 53 | 17.04 | 46 | 14.79 | 311 | 100.00 |



वर्तमान में पुलिस विभाग में महिलाएं पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं तथा अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। उनकी उपस्थिति एवं कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में जानने के लिए उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि वे उनकी उपस्थिति एवं कार्य प्रणाली को कैसा मानते हैं, निम्न शिक्षित वर्ग के दो तिहाई से अधिक एवं उच्च शिक्षित वर्ग के 61.87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उनकी उपस्थिति को निश्चित रूप से सराहा तथा व्यवसाय के आधार वर्ग पर वर्गीकृत उत्तरदाताओं में से लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं ने उनकी उपस्थिति को सराहा तथा स्वीकार किया कि वे बेहतर तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। पुरुषों की तुलना में महिला उत्तरदाताओं ने अधिक स्वीकार किया कि उनकी उपस्थिति से निश्चित रूप से विभाग में सकारात्मक परिवर्तन आया है तथा वे समस्याओं को बेहतर तरीके से समझती हैं।

पुरुषों की तुलना में महिला उत्तरदाताओं ने महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति को विभाग तथा समाज के लिए अच्छा माना उनका मानना था कि महिला पुलिसकर्मियों के समक्ष पीड़ित महिला अपनी समस्या को सरलता से कह सकती है। 14.79 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति से विभागीय स्थिति एवं कार्य प्रणाली में कोई तीव्र सकारात्मक परिवर्तन आने की आशा नहीं है, क्योंकि सभी पुलिसकर्मी एक ही संस्कृति में कार्य करते हैं जिससे सभी की कार्य प्रणाली बहुत कुछ सीमा तक समान ही होती है।

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने से निष्कर्ष निकलता है कि महिला पुलिसकर्मियों को अधिकतर उत्तरदाता सकारात्मक मानते हैं तथा उनका विश्वास है कि उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से विभाग की कार्य प्रणाली एवं समाज में उनकी छवि को बेहतर बनाने में सहयोग देगी।

**तालिका-4.6 उत्तरदाताओं का महिला पुलिस कर्मियों के व्यवहार के संबंध में दृष्टिकोण**

| उत्तरदाताओं का विवरण | बहुत अच्छा | | अच्छा | | पता नहीं | | अच्छा नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 23 | 13.37 | 71 | 41.28 | 31 | 18.02 | 47 | 27.33 | 31 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 34 | 24.46 | 38 | 27.34 | 45 | 32.37 | 22 | 15.83 | 45 | 100.00 |
| **योग** | 57 | 18.33 | 109 | 35.05 | 76 | 24.44 | 69 | 22.19 | 76 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 22 | 26.19 | 41 | 48.81 | 8 | 9.52 | 13 | 15.48 | 8 | 100.00 |
| व्यवसायी | 7 | 7.61 | 35 | 38.04 | 27 | 29.35 | 23 | 25.00 | 27 | 100.00 |
| अन्य | 28 | 20.74 | 33 | 24.44 | 41 | 30.37 | 33 | 24.44 | 41 | 100.00 |
| **योग** | 57 | 18.33 | 109 | 35.05 | 76 | 24.44 | 69 | 22.19 | 76 | 100.00 |
| पुरुष | 23 | 12.71 | 46 | 25.41 | 52 | 28.78 | 60 | 33.15 | 52 | 100.00 |
| महिला | 34 | 26.15 | 63 | 48.46 | 24 | 18.46 | 9 | 6.92 | 24 | 100.00 |
| **योग** | 57 | 18.33 | 109 | 35.05 | 76 | 24.44 | 69 | 22.19 | 76 | 100.00 |



सामान्यतयाः यह माना जाता है कि पुलिस कर्मियों के व्यवहार में कठोरता रहती है उनका वास्ता अधिकतर अपराधियों एवं टपोरियों जैसे व्यक्तियों से ही पड़ता है, जिसके कारण उनका स्वभाव भी सख्त हो जाता है। पर जब बात महिला पुलिस कर्मियों के व्यवहार एवं स्वभाव की होती है तो अधिकतर यह माना जाता है कि महिला होने के नाते उनके स्वभाव में नम्रता व मधुरता होनी चाहिए और देखा जाता है कि वे अपने व्यवहार में भी एक शालीनतापूर्ण रवैया ही अपनाती हैं, पर शायद समय की मांग के अनुरूप आज महिला पुलिस कर्मियों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहे हैं। वह भी सख्त व्यवहार को अपना रही हैं, क्योंकि उनका भी वास्ता आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों से पाला पड़ रहा है।

महिला पुलिस कर्मियों के व्यवहार के सम्बन्ध में विभिन्न वर्ग के उत्तरदाताओं के उत्तरों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। सर्वप्रथम निम्न शिक्षित वर्ग के 54.65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अच्छे रूप में एवं नकारात्मक श्रेणी में (27.33 प्रतिशत) तथा पता नहीं में (18.02 प्रतिशत) द्वारा उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर दिया। जबकि उच्च शिक्षित वर्ग द्वारा (24.46 प्रतिशत) बहुत अच्छे में, एवं (27.34 प्रतिशत) द्वारा सिर्फ अच्छे की श्रेणी में जबकि (15.83 प्रतिशत) अच्छा नहीं में एवं पता नहीं में (32.37 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर दिया गया।

उच्च शिक्षित तथा निम्न शिक्षित उत्तरदाताओं में से अधिकांश उत्तरदाताओं ने महिला पुलिस कर्मियों के व्यवहार को संतोषजनक बतलाया तथा इस सम्बन्ध में अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि महिला पुलिसकर्मियों का व्यवहार सामान्यजन के प्रति पुरुष पुलिसकर्मियों की तुलना में बेहतर है।

व्यावसायिक वर्गीकरण में नौकरीपेशा द्वारा 26.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बहुत अच्छे की श्रेणी को बतलाया, जबकि 48.81 प्रतिशत उत्तरदाता द्वारा सिर्फ अच्छे रूप में और 15.48 प्रतिशत द्वारा नकारात्मक रूप में एवं केवल 9.52 प्रतिशत उत्तरदाता द्वारा अपना उत्तर पता नहीं की श्रेणी में रखा। इसी वर्ग के व्यावसायिक के 45.65

प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक रूप में दिया और एक चौथाई उत्तरदाताओं ने नकारात्मक रूप में (29.35 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा ने अपना उत्तर पता नहीं की श्रेणी में दिया क्योंकि वे उत्तरदाता पुलिस सम्पर्क में आए ही नहीं थे जिसके कारण वे उनके व्यवहार का विश्लेषण नहीं कर पाए।

पुरुष और महिला वर्गीकरण के आधार पर पुरुष वर्ग के 12.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तर बहुत अच्छे की श्रेणी में दिया जबकि महिला वर्ग द्वारा भी (26.15 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर बहुत अच्छे की श्रेणी में दिया। पुरुष वर्ग के 25.41 प्रतिशत उत्तरदाता ने अच्छे एवं महिला वर्ग के 48.46 प्रतिशत उत्तरदाता द्वारा भी महिला पुलिस कर्मियों को अच्छे की श्रेणी में ही उत्तर दिया। पुरुष वर्ग के लगभग एक तिहाई द्वारा नकारात्मक रूप में एवं महिला वर्ग के 6.92 प्रतिशत उत्तरदाता ने अच्छे नहीं में ही उत्तर दिया। पुरुष वर्ग के लगभग एक तिहाई उत्तरदाता एवं महिला वर्ग के भी 18.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अपना उत्तर पता नहीं की श्रेणी में दिया है।

उपरोक्त तालिका का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न वर्ग जैसे- शिक्षित वर्ग, व्यावसायिक वर्ग एवं पुरुष व महिला वर्ग के 35.05 प्रतिशत उत्तरदाता द्वारा उत्तर अच्छे की श्रेणी में और 18.33 प्रतिशत उत्तरदाता द्वारा अपने उत्तर को बहुत अच्छे की श्रेणी में अर्थात् सकारात्मक रूप में रखा है। जबकि एक चौथाई उत्तरदाताओं द्वारा नकारात्मक उत्तर दिया। एक चौथाई उत्तरदाता द्वारा पता नहीं की श्रेणी में उत्तर देता है। सम्पूर्ण तालिका का अध्ययन करें तो पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं के उत्तर से महिला पुलिस कर्मियों के व्यवहार के सम्बन्ध में सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है।

**तालिका 4.7 महिला पुलिस कर्मियों एवं पुरुष पुलिस कर्मियों के मध्य व्यवहार में अन्तर पर उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण**

| उत्तरदाताओं | हाँ | | नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| का विवरण | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 109 | 63.67 | 63 | 36.63 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 81 | 58.27 | 58 | 41.73 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 190 | 61.09 | 121 | 38.91 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 57 | 67.86 | 27 | 32.14 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 40 | 43.48 | 52 | 56.52 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 93 | 68.89 | 42 | 31.11 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 190 | 61.09 | 121 | 38.91 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 100 | 55.25 | 81 | 44.75 | 181 | 100.00 |
| महिला | 90 | 69.23 | 40 | 30.77 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 190 | 61.09 | 121 | 38.91 | 311 | 100.00 |



पुलिस विभाग से सम्बन्धित शोध की बात करें तो पुलिस विभाग में महिला पुलिस कर्मी एवं पुरुष पुलिस कर्मी के व्यवहार की चर्चा जरूर आती है, क्योंकि आज के परिवर्तनशील समय के साथ पुलिस विभाग में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जिसके कारण महिला पुलिस कर्मी एवं पुरुष पुलिस कर्मी के व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कार्यशैली भी प्रभावित हो रही है परन्तु समाज की अपेक्षाएं उनसे दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जिसके लिए उनको भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इस परिवर्तनशीलता को ठीक प्रकार से समझने के लिए महिला एवं पुरुष पुलिस कर्मियों के मध्य व्यवहार में अन्तर को उपरोक्त तालिका के द्वारा भलीभांति समझा जा सकता है। निम्न शिक्षित वर्ग के आधे से अधिक उत्तरदाताओं द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सकारात्मक अन्तर बतलाया गया और हां में उत्तर दिया गया। जबकि लगभग एक तिहाई उत्तरदाताओं द्वारा नहीं में उत्तर दिया गया। उच्च शिक्षित वर्ग के उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का विश्लेषण करें तो 58.27 प्रतिशत के उत्तरदाताओं द्वारा हां ओर 41.73 प्रतिशत द्वारा नकारात्मक रूप में उत्तर दिया गया।

व्यावसायिकरण की श्रेणी के आधार पर नौकरी पेशा वर्ग के लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं द्वारा सकारात्मक परिवर्तन बतलाया गया जबकि 32.14 प्रतिशत द्वारा नकारात्मक रूप में उत्तर दिया गया। जबकि व्यवसायी और अन्य वर्ग के 43.48 प्रतिशत तथा 68.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सकारात्मक रूप में उत्तर दिया गया तथा

शेष उत्तरदाताओं ने नकारात्मक रूप से उत्तर दिया।

महिला एवं पुरुष उत्तरदाताओं से एकत्र आंकड़ों के वर्गीकरण के आधार पर पुरुष वर्ग के 55.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा हां में उत्तर दिया गया जबकि 44.75 उत्तरदाताओं द्वारा नकारात्मक रूप में जवाब दिया गया और महिला वर्ग में दो तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने हां में और लगभग एक तिहाई से कम उत्तरदाताओं द्वारा ना में उत्तर दिया। अर्थात पुरुषों की तुलना में महिला उत्तरदाताओं ने महिला पुलिस कर्मियों के व्यवहार में अधिक सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है।

तालिका का सम्पूर्ण विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि महिला एवं पुरुष पुलिस कर्मियों के मध्य व्यवहार में अन्तर पर दृष्टिकोण सकारात्मक रूप में अधिक दिखता है अर्थात् महिला पुलिस द्वारा बेहतर व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है तथा आम व्यक्ति के साथ भी सामान्य व्यवहार किया जाता है जो निश्चित रूप से पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों की छवि को बेहतर दर्शाता है।

**तालिका-4.8 महिला पुलिस कर्मियों एवं पुरुष पुलिस कर्मियों के सकारात्मक एवं नकारात्मक व्यवहार के अन्तर पर उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण**

| उत्तरदाताओं | सकारात्मक | | नकारात्मक | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| का विवरण | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 68 | 62.39 | 41 | 3761 | 109 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 55 | 67.90 | 26 | 32.10 | 81 | 100.00 |
| **योग** | 123 | 64.74 | 67 | 35.260 | 190 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 45 | 78.95 | 12 | 21.05 | 57 | 100.00 |
| व्यवसायी | 28 | 70.00 | 12 | 30.00 | 40 | 100.00 |
| अन्य | 50 | 53.76 | 43 | 46.24 | 93 | 100.00 |
| **योग** | 123 | 64.74 | 67 | 35.26 | 190 | 100.00 |
| पुरुष | 53 | 53.00 | 47 | 47.00 | 100 | 100.00 |
| महिला | 80 | 88.89 | 10 | 11.11 | 90 | 100.00 |
| **योग** | 133 | 70.00 | 57 | 30.00 | 190 | 100.00 |



पुलिस विभाग के कर्मियों के व्यवहार को कठोर व सख्त माना जाता है, क्योंकि उनके विभाग में अनुशासन की कठोरता एवं सख्त नियम होने के कारण पुलिस कर्मियों के व्यवहारों में नम्रता कहीं छिप जाती है, जिसके कारण उनका स्वभाव कठोर बन जाता है। इसी का परिणाम है कि उनके व्यवहार में सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक पुट भी आ जाता है। अब पुलिस में पुरुष कर्मियों के साथ-साथ महिला वर्ग भी शामिल हो रहा है, जिसके कारण दोनों ही वर्गों में सकारात्मक व नकारात्मक व्यवहारों में अन्तर पाया जाता है।

इसी अन्तर को और विस्तार से समझने के लिए तालिका के माध्यम से विभिन्न वर्ग के उत्तरदाताओं के उत्तरों का विश्लेषण करने के उपरान्त निष्कर्ष निकाला गया कि उच्च शिक्षित वर्ग 67.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक रूप में उत्तर दिया है जबकि एक तिहाई उत्तरदाताओं द्वारा नकारात्मक उत्तर दिया गया। इसी वर्ग के निम्न शिक्षित वर्ग द्वारा 62.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तर अच्छे व्यवहार के रूप में तथा 37.60 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा खराब व्यवहार की श्रेणी में रखा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च शिक्षित वर्ग निम्न शिक्षित वर्ग की तुलना में अधिक सकारात्मक अन्तर महसूस करता है।

व्यावसायिक वर्ग के वर्गीकरण के आधार पर उत्तरदाताओं के उत्तर देखें तो नौकरी पेशा वर्ग के 78.95 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सकारात्मक रूप में जबकि 21.05 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा नकारात्मक रूप में उत्तर दिया गया तथा व्यावसायिक वर्ग 70 प्रतिशत व अन्य वर्ग द्वारा 53.76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने उत्तर सकारात्मक रूप में अपने उत्तर दिए। अर्थात् अधिकांश उत्तरदाता महिला पुलिसकर्मी की भूमिका को कुछ सीमा तक सकारात्मक स्वीकार करते हैं।

पुरुष वर्ग की तुलना में महिला उत्तरदाताओं ने अधिक रूप से यह स्वीकार किया कि पुरुष एवं महिला पुलिस में सकारात्मक अन्तर पाया जाता है तथा महिला पुलिस अधिक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करती है।

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों के विश्लेषण पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं 61.41 प्रतिशत का उत्तर सकारात्मक रूप में रहा जबकि कुल 38.59 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर नकारात्मक रूप में दिया है। परन्तु महिला पुलिस कर्मियों व पुरुष पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सकारात्मक व नकारात्मक अन्तर का दृष्टिकोण का तुलनात्मक पक्ष अधिकतम सकारात्मक श्रेणी के पक्ष में है। जो यह दर्शाता है कि महिलाएं, महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका से काफी कुछ सीमा तक संतुष्ट हैं।

**तालिका-4.9 महिलाओं को और अधिक पुलिस सेवा में आने के संदर्भ में उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण**

| उत्तरदाताओं | हां | | नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| का विवरण | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 120 | 69.77 | 52 | 30.23 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 103 | 74.10 | 36 | 25.90 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 223 | 71.70 | 88 | 28.30 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 73 | 86.90 | 11 | 13.10 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 51 | 55.43 | 41 | 44.57 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 99 | 73.33 | 36 | 44.57 | 92 | 100.00 |
| **योग** | 223 | 73.33 | 36 | 26.67 | 135 | 100.00 |
| पुरुष | 101 | 55.80 | 80 | 44.20 | 181 | 100.00 |
| महिला | 122 | 93.85 | 8 | 6.15 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 223 | 71.70 | 88 | 28.30 | 311 | 100.00 |

वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ते अपराधों के परिणामस्वरूप आज जितनी आवश्यकता पुरुष पुलिस कर्मियों की है उतनी ही आवश्यकता महिला पुलिस कर्मियों की भी है। बदलते समय में महिलाओं के प्रति अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। क्योंकि पीड़ित महिला की पीड़ा को महिला पुलिस ही अच्छी तरह से समझ सकती है और उन्हें सांत्वना देकर उनका मनोबल बढ़ा सकती हैं। अतः महिलाओं को अपनी योग्यता व सक्षमता को सिद्ध करने के लिए पुलिस सेवा में आना चाहिए। ताकि वे



महिला समाज को सुरक्षा व अपनत्व प्रदान कर सकें। इसी सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या महिलाओं को पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं के अनुसार उच्च शिक्षित वर्ग के 69.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं तथा निम्न शिक्षित वर्ग के तीन चौथाई उत्तरदाताओं द्वारा हाँ में उत्तर दिया गया। जबकि निम्न शिक्षित वर्ग ने 30.23 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षित के 25.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं की श्रेणी में उत्तर दिया।

व्यवसाय वर्ग के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि नौकरीपेशा उत्तरदाता अधिकाधिक रूप से महिलाओं को पुलिस में आने के पक्षधर हैं। जबकि दूसरी तरफ व्यवसाय एवं अन्य वर्ग के उत्तरदाताओं में यह प्रतिशत कम है। पुरुष एवं महिलाओं के वर्गीकरण में पुरुष उत्तरदाताओं द्वारा (55.80 प्रतिशत) हां की श्रेणी में उत्तर एवं महिला वर्ग द्वारा (93.85 प्रतिशत) भी हां की श्रेणी में रखा गया। महिला वर्ग के अधिकाधिक उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि महिलाओं को पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जिससे वे पीड़ित महिला को अधिकाधिक न्याय प्रदान करा सकें।

**तालिका-4.10 महिला पुलिस क्या महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को अधिक अच्छी प्रकार देखती हैं?**

| उत्तरदाताओं | हां | | नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| का विवरण | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 112 | 65.12 | 60 | 34.88 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 109 | 78.42 | 30 | 21.58 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 221 | 71.06 | 90 | 28.94 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 74 | 88.10 | 10 | 11.90 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 53 | 57.61 | 39 | 42.39 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 94 | 69.63 | 41 | 30.37 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 221 | 71.06 | 90 | 28.94 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 112 | 61.88 | 69 | 38.12 | 181 | 100.00 |
| महिला | 109 | 83.85 | 21 | 16.15 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 221 | 71.06 | 90 | 28.94 | 311 | 100.00 |

अपराध की बात की जाए तो सर्वप्रथम महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की बात सामने आती है। परन्तु आज भी समाज में महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों को ज्यादा गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। समाज द्वारा आज भी महिला को दोयम दर्जे का ही प्राणी माना जाता रहा है। इसलिए उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों को अधिकतर अनदेखा कर दिया जाता है। वर्तमान समाज में समय की परिवर्तनशील मांग को देखते हुए महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की गम्भीरता से लिया जा रहा है। जिसके लिए अलग से महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती एवं महिला थानों की स्थापना की जा रही है। ताकि पीड़ित महिला बिना किसी संकोच के अपने ऊपर हुए अत्याचारों को महिला पुलिस को बता सकें तथा उचित न्याय प्राप्त कर सकें।

इसी संदर्भ में तालिका के द्वारा उत्तरदाताओं के उत्तरों को विश्लेषित प्रतिशत के माध्यम से विलेषित किया गया है। जिसमें निम्न शिक्षित वर्ग के 65.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक रूप में उत्तर दिए जबकि उच्च शिक्षित वर्ग ने 78.42 प्रतिशत उत्तर हां में दिए। अधिक शिक्षित उत्तरदाताओं ने तुलनात्मकरूप में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका को प्रभावी बताया।

व्यावसायिक वर्ग में, नौकरी पेशा 88.10 प्रतिशत अन्य वर्ग में 69.63 प्रतिशत व्यवसाय वर्ग में 57.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक उत्तर दिया कि महिला पुलिस महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को अच्छी तरह से देख सकती हैं। पुरुषों की तुलना में महिला वर्ग ने महिला पुलिस में अधिक भरोसा दिखाया।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 71.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिला पुलिस की भूमिका में विश्वास दिखाया। उनका मानना है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में महिला पुलिस की भूमिका निश्चित रूप से बेहतर हो सकती है तथा वे अधिक बेहतर तरीके से जांच पड़ताल कर सकती है।



**तालिका-4.11 उत्तरदाताओं की दृष्टि में महिला पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली**

| उत्तरदाताओं का विवरण | अच्छी | | पत्ता नहीं | | खराब | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 97 | 56.40 | 32 | 18.60 | 43 | 25.00 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 66 | 47.48 | 44 | 31.65 | 29 | 20.86 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 163 | 52.41 | 76 | 24.44 | 72 | 23.15 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 53 | 63.10 | 25 | 29.76 | 6 | 7.14 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 35 | 38.04 | 31 | 33.70 | 26 | 28.26 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 75 | 55.56 | 20 | 14.81 | 40 | 29.63 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 163 | 52.41 | 76 | 24.44 | 72 | 23.15 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 80 | 44.20 | 37 | 20.44 | 64 | 35.36 | 181 | 100.00 |
| महिला | 83 | 63.85 | 39 | 30.00 | 8 | 6.15 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 163 | 52.41 | 76 | 24.44 | 72 | 23.15 | 311 | 100.00 |

सामान्यतः आम जनता पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप में नहीं देखती है, क्योंकि अधिकतर पुलिस कर्मियों का व्यवहार एवं कार्य प्रणाली कठोर, सनकी, रूढिवादिता एवं भ्रष्टाचार में लिप्त छवि को माना जाता है। इसी सन्दर्भ में आम उत्तरदाताओं के द्वारा यह जानने एवं समझने का प्रयास किया गया कि वे महिला पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली को कैसा मानते हैं।

निम्न शिक्षित वर्ग 56.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा महिला कर्मियों की कार्य प्रणालियों को अच्छी स्थिति में मानते हैं जबकि उच्च शिक्षित वर्ग में 47.48 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा उनकी कार्य स्थिति को अच्छा माना जाता है। जबकि एक चौथाई निम्न शिक्षित वर्ग तथा 20.86 प्रतिशत से अधिक उच्च शिक्षित वर्ग ने उनकी कार्य प्रणाली को असन्तोषजनक बतलाया तथा शेष वर्ग के दो तिहाई उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि वे उनकी कार्य प्रणाली से परिचित नहीं हैं।

व्यवसाय के आधार पर यदि उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का विश्लेषण करें तो नौकरी पेशा 63.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इनकी कार्य प्रणाली को अच्छा बताया। इसी तरह से व्यवसायी वर्ग द्वारा 38.04 प्रतिशत और अन्य वर्ग के उत्तरदाताओं द्वारा भी 55.56 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मियों की कार्य प्रणालियों को अच्छी श्रेणी में रखा गया है। जबकि खराब कार्य प्रणालियों के रूप में नौकरी पेशा 7.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने, व्यवसायी वर्ग के लगभग एक चौथाई उत्तरदाताओं और अन्य वर्ग के उत्तरदाताओं द्वारा 29.63 प्रतिशत ने महिला कार्य प्रणाली स्थिति को खराब बताया है। इस प्रश्न के उत्तर में लगभग एक चौथाई उत्तरदाताओं ने महिला पुलिस कर्मियों की कार्य प्रणाली का पता नहीं में उत्तर दिया है। पुरुष व महिला वर्ग के उत्तरदाताओं में पुरुष उत्तरदाताओं ने 44.20 प्रतिशत तथा महिला वर्ग में 63.85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अच्छी कार्य प्रणाली में उत्तर दिया। जबकि खराब स्थिति में पुरुष उत्तरदाताओं (35.36 प्रतिशत) द्वारा खराब कार्य प्रणाली एवं महिला वर्ग द्वारा (6.15 प्रतिशत) ने खराब कार्य प्रणाली में उत्तर दिया है। जबकि पुरुष उत्तरदाताओं ने (24.44 प्रतिशत) और महिला उत्तरदाताओं ने (30.00 प्रतिशत) पता नहीं की



स्थिति में उत्तर दिया। अर्थात यह वह वर्ग है जो पुलिस के सम्पर्क में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं आया है तथा उनकी कार्य प्रणाली से भी परिचित नहीं है।

यदि उपरोक्त तालिका का पूर्ण विश्लेषण करें तो निष्कर्ष निकलता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता (52.41 प्रतिशत) महिला पुलिस की कार्यप्रणाली को अच्छा मानते हैं जबकि लगभग एक चौथाई उत्तरदाता उनकी कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है। दूसरी तरफ एक चौथाई उत्तरदाता ने पता नहीं में उत्तर दिया अर्थात वे पुलिस के सम्पर्क में न आने के कारण उनकी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दे सके।

**तालिका-4.12 महिला पुलिसकर्मियों को महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता दिए जाने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का मत**

| उत्तरदाताओं का विवरण | पूर्ण स्वतंत्रता | | सुविधा के अनुसार | | सदैव नहीं | | नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 47 | 27.33 | 73 | 42.44 | 30 | 17.44 | 22 | 12.79 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 34 | 24.46 | 30 | 21.58 | 40 | 28.78 | 35 | 25.18 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 81 | 26.05 | 103 | 33.12 | 70 | 22.51 | 57 | 18.33 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 25 | 29.76 | 33 | 39.29 | 15 | 17.86 | 11 | 13.10 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 30 | 32.61 | 23 | 25.00 | 22 | 23.91 | 17 | 18.48 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 26 | 19.26 | 47 | 34.81 | 33 | 24.44 | 29 | 21.48 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 81 | 26.05 | 103 | 33.12 | 70 | 22.51 | 57 | 18.33 | 311. | 100.00 |
| पुरुष | 23 | 12.71 | 55 | 30.39 | 57 | 31.49 | 46 | 25.41 | 181 | 100.00 |
| महिला | 58 | 44.62 | 48 | 36.92 | 13 | 10.00 | 11 | 8.46 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 81 | 26.05 | 103 | 33.12 | 70 | 22.51 | 57 | 18.33 | 311 | 100.00 |



जब पुलिस विभाग की बात आती है तो वहां पर सबसे ज्यादा संख्या महिला अपराधों से सम्बन्धित केसों की होती है। समाज व समय कितना ही क्यों न बदल गया हो पर समाज के लोगों की मानसिकता आज भी ज्यादा परिवर्तित नहीं हुई है, जिसका खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ता है। अगर बात पुलिस कर्मियों की करें तो आज वहां पर महिला पुलिस कर्मी भी होते हैं जो अधिकतर महिला केसों से सम्बन्धित मामलों को ही देखती हैं। परन्तु महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ती संख्या के पश्चात यह प्रश्न आता है कि क्या महिला पुलिसकर्मियों को केवल महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए या यह स्वतन्त्रता सदैव न होकर आवश्यकतानुसार प्रदान की जाए।

महिला पुलिस कर्मियों को महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता दिए जाने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का मत लिया गया। निम्न शिक्षित उत्तरदाता के 27.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि महिला पुलिस कर्मियों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। जबकि 12.79 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिए जबकि 17.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि सदैव स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिए। जबकि 42.44 प्रतिशत शिक्षित उत्तरदाताओं ने कहा कि सुविधा के अनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए जिससे कि उनकी कार्य प्रणाली प्रभावित न हो। उच्च शिक्षित वर्ग में एक चौथाई उत्तरदाताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता 21.58 ने सुविधा के अनुसार तथा एक चौथाई ने सदैव नहीं के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया।

व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं के उत्तरों का विश्लेषण करें तो देखते हैं कि एक तिहाई नौकरी पेशा उत्तरदाता सकारात्मक रूप में उत्तर देते हैं जबकि एक चौथाई उत्तरदाता नकारात्मक रूप में उत्तर देते हैं। एक तिहाई उत्तरदाताओं ने कहा कि महिला पुलिस कर्मियों को यह स्वंतत्रता सदैव नहीं दी जानी चाहिए जबकि एक चौथाई उत्तरदाताओं का मानना है कि यह स्वतंत्रता सुविधा के अनुसार दी जानी चाहिए अन्य वर्ग में अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना है कि सुविधा के अनुसार स्वतन्त्रता दी जाए क्योंकि अधिक स्वतंत्रता उनकी कार्य प्रणाली को

प्रभावित कर सकती है।

पुरुष व महिला वर्ग के वर्गीकरण के आधार पर पुरुष वर्ग के 12.71 प्रतिशत और महिला वर्ग के 44.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने उत्तर सकारात्मक रूप में दिए हैं अर्थात महिला पुलिस को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जबकि 25.41 प्रतिशत पुरुष वर्ग ने और 8.46 प्रतिशत महिला वर्ग द्वारा नकारात्मक रूप में उत्तर दिए अर्थात महिला पुलिस कर्मियों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए और यह स्वतंत्रता सदैव के लिए न होकर बल्कि सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। 31.49 प्रतिशत पुरुष वर्ग और 10.00 प्रतिशत महिला वर्ग द्वारा सदैव नहीं की श्रेणी में उत्तर दिया और पुरुष वर्ग के 30.39 प्रतिशत एवं महिला वर्ग के 36.92 प्रतिशत द्वारा सुविधा के अनुसार श्रेणी में उत्तर दिया।

उपरोक्त तालिका के सम्पूर्ण आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी वर्गों के उत्तरदाताओं द्वारा एक चौथाई सकारात्मक रूप में उत्तर दिया गया जबकि 18.33 प्रतिशत उत्तर नकारात्मक के रूप में दिए गए हैं। अर्थात् यह कि स्वतंत्रता महिला पुलिस कर्मियों को नहीं दी जानी चाहिए। एक तिहाई उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि सुविधा के अनुसार स्वतंत्रता दिए जाने के पक्ष में हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वह महिला पुलिसकर्मियों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए परन्तु यह स्वतन्त्रता आवश्यकता और सुविधा के अनुसार ही प्रदान की जाए।



**तालिका-4.13 महिला पुलिसकर्मी क्या महिलाओं एवं बच्चों से बेहतर पूछताछ कर सकती हैं?**

| उत्तरदाताओं | निश्चित रूप से | | कुल सीमा तक | | नहीं | | बिल्कुल नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| का विवरण | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 74 | 43.02 | 63 | 36.63 | 20 | 11.63 | 15 | 8.72 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 68 | 48.92 | 50 | 35.97 | 10 | 7.19 | 11 | 7.91 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 142 | 45.66 | 113 | 36.33 | 30 | 9.65 | 26 | 8.36 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 39 | 46.43 | 26 | 30.95 | 12 | 14.29 | 7 | 8.33 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 32 | 34.48 | 44 | 47.83 | 10 | 10.87 | 6 | 6.52 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 71 | 52.59 | 43 | 31.85 | 8 | 5.93 | 13 | 9.63 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 142 | 45.66 | 113 | 36.33 | 30 | 9.65 | 26 | 8.36 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 97 | 53.59 | 47 | 25.97 | 19 | 10.50 | 18 | 9.94 | 181 | 100.00 |
| महिला | 45 | 34.62 | 66 | 50.77 | 11 | 8.46 | 8 | 6.15 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 142 | 45.66 | 133 | 36.33 | 30 | 9.65 | 26 | 8.36 | 311 | 100.00 |

पुलिस विभाग के द्वारा अपराधियों से पूछताछ की जाती है। जिसमें वह अपराधी से अपराध से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पूछताछ के लिए महिला व बच्चों की बात आती है तो यह कोशिश की जाती है कि इन लोगों से पूछताछ महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा ही करवाई जाए। भारतीय समाज की बात करें तो समाज में अभी भी महिलाएं अपनी समस्या उतनी सरलता से नहीं बता पाती हैं। इसी सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से यह पूछा गया है कि क्या महिला पुलिस कर्मी महिलाओं एवं बच्चों से बेहतर पूछताछ कर सकती हैं।

इसी मत का पूर्ण रूप से विश्लेषण करने के लिए विभिन्न उत्तरदाताओं द्वारा विभिन्न मत लिए गए हैं। निम्न शिक्षित वर्ग के 43.02 प्रतिशत एवं उच्च शिक्षित वर्ग के 48.92 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे बेहतर तरीके से पूछताछ कर सकती हैं। जबकि 36.63 प्रतिशत निम्न शिक्षित वर्ग एवं 35.97 प्रतिशत उच्च शिक्षित वर्ग का उत्तरदाता कुछ सीमा तक की श्रेणी में उत्तर देता है। 8.72 प्रतिशत निम्न शिक्षित वर्ग एवं 15.10 प्रतिशत उच्च शिक्षित वर्ग के उत्तरदाताओं ने कहा कि वे इस बात से सहमत नहीं है कि केवल महिला पुलिसकर्मी ही बेहतर तरीके से पूछताछ कर सकती हैं।

व्यावसायिक वर्ग के वर्गीकरण के आधार पर नौकरी पेशा वर्ग के 46.43 प्रतिशत उत्तरदाता बहुत कुछ सीमा तक एवं 30.95 प्रतिशत कुछ सीमा तक जबकि 22.62 प्रतिशत तक इस बात से सहमत नहीं हैं। अर्थात् वे उपरोक्त कथन से सहमत नहीं हैं कि केवल महिला पुलिस कर्मी ही महिला एवं बच्चों से बेहतर पूछताछ कर सकती हैं। अन्य वर्ग के उत्तरदाताओं में एक तिहाई ने बहुत कुछ सीमा तक तथा लगभग आधे उत्तरदाताओं ने बहुत कुछ सीमा तक के रूप में सकारात्मक उत्तर दिया जबकि एक चौथाई उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं थे। पुरुष व महिला वर्गीकरण के आधार पर पुरुष वर्ग के 53.59 प्रतिशत एवं महिला वर्ग के 34.62 प्रतिशत उत्तरदाता बहुत कुछ सीमा तक जबकि एक चौथाई पुरुष वर्ग का एवं महिला वर्ग के आधे उत्तरदाताओं का



मानना है कि कुछ सीमा तक महिलाएं इस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकती हैं। परन्तु अधिकतर उत्तरदाता उपरोक्त कथन से सहमत नहीं हैं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 45.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी बेहतर तरीके से कर सकती हैं क्योंकि समाज में अभी भी महिलाएं अपनी समस्या पुरुषों से कहने में झिझकती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वास्तविक तथ्य सामने नहीं आ पाते हैं तथा पीड़ित को उचित न्याय नहीं मिल पाता है।

**तालिका-4.14 उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में महिला पुलिस कर्मियों के कार्य किससे सम्बन्धित होने चाहिए**

| उत्तरदाताओं का विवरणें | पुरुष पुलिस कर्मियों के समान | | केवल महिलाओं से सम्बन्धित | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 68 | 39.53 | 104 | 60.47 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 83 | 59.71 | 56 | 40.29 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 151 | 48.55 | 160 | 51.45 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 44 | 52.38 | 40 | 47.62 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 43 | 46.74 | 49 | 53.26 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 64 | 47.41 | 71 | 52.59 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 151 | 48.55 | 160 | 51.45 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 109 | 60.22 | 72 | 39.78 | 181 | 100.00 |
| महिला | 42 | 32.31 | 88 | 67.69 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 151 | 48.55 | 160 | 51.45 | 311 | 100.00 |

जब कार्यों को विभाजित करने की बात उठती हे तो अधिकतर महिला कर्मियों को आसान कार्यों को दे दिया जाता है। यह माना जाता रहा है कि महिलाएं कठिन एवं चुनौती पूर्ण कार्यों को नहीं कर पाती हैं और ये काम सिर्फ पुरुषों द्वारा ही सम्पन्न किए जा सकते हैं। इसलिए महिलाएं सिर्फ आसान व सरल कार्य ही कर सकती हैं। पर आज समय बदल रहा है। आज महिलाएं भी कठिन से कठिन कार्यों को एक चुनौती

मानकर पूरा कर रही हैं। वे आज वो काम भी करने को तैयार हैं जहां पर सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व माना जाता रहा है। परन्तु आज परिस्थितियाँ बदल रही हैं और इस बदलते समाज में महिलाओं की भूमिका भी परिवर्तित हो रही है।

महिला पुलिस कर्मियों के कार्य किससे सम्बन्धित होने चाहिए इस दृष्टिकोण को जानने के लिए विभिन्न वर्ग के उत्तरदाताओं द्वारा उनके विचारों को जानने का प्रयास किया गया है। जिसमें उच्च शिक्षित वर्ग के लगभग दो तिहाई उत्तरदाता पुलिस कर्मियों के समान श्रेणी को जबकि 40.29 प्रतिशत उत्तरदाता केवल महिलाओं से सम्बन्धित कार्यों को दिए जाने के पक्ष में हैं। निम्न शिक्षित वर्ग के लगभग एक तिहाई से अधिक उत्तरदाता पुरुष पुलिस कर्मियों के समान कार्य दिए जाने के पक्ष में है तथा 60.47 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों को केवल महिलाओं से सम्बन्धित ही कार्य दिए जाने के पक्ष में हैं। कुछ उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी न होने के कारण अपना उत्तर नहीं दिया।

व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो नौकरी पेशा वर्ग के 52.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पुरुष पुलिस कर्मियों के समान कार्यों की बात कही जबकि 47.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने केवल महिलाओं से सम्बन्धित कार्यों के पक्ष में अपना उत्तर दिया। दूसरी तरफ पुरुष वर्ग के 60.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि महिला पुलिस कर्मियों को भी पुरुष महिला कर्मियों के समान ही कार्य करने चाहिए तथा उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए जबकि महिला उत्तरदाताओं में से केवल एक तिहाई ने ही भी समान कार्यों की बात कही। महिला उत्तरदाताओं में से दो तिहाई उत्तरदाताओं ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों को केवल महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों एवं पूछताछ के बारे में कार्य दिए जाने चाहिए जिससे कि समाज में बढ़ते अपराधों को रोकने में वे अपनी भूमिका का सही प्रकार से निर्वाह कर सकें।

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न वर्ग के कुल 48.55 उत्तरदाताओं ने अपने



उत्तर पुलिस कर्मियों के समान की श्रेणी में रखा। जबकि शेष उत्तरदाताओं ने केवल महिलाओं से सम्बन्धित श्रेणी में रखे । अधिकतर उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण दर्शाता है कि महिला पुलिस कर्मियों को केवल महिलाओं से सम्बन्धित व्यवस्था बनाने, अपराध रोकने एवं पूछताछ के कार्य दिए जाने चाहिए जिससे महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोका जा सके तथा उनसे पूछताछ मानवीयता के साथ की जाय जिससे कि वे समस्या को बिना झिझक के बता सकें।

**तालिका-4.15 उत्तरदाताओं की दृष्टि में महिला पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली**

| उत्तरदाताओं का विवरण | बहुत कुछ सीमा तक | | कुछ सीमा तक | | कोई भूमिका नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 29 | 16.86 | 85 | 49.92 | 58 | 33.72 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 58 | 41.73 | 51 | 36.69 | 30 | 21.58 | 139 | 100.00 |
| योग | 87 | 27.97 | 136 | 43.73 | 88 | 28.30 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 32 | 38.10 | 43 | 51.19 | 9 | 10.71 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 26 | 28.26 | 35 | 38.04 | 31 | 33.70 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 29 | 21.48 | 58 | 42.96 | 48 | 35.56 | 135 | 100.00 |
| योग | 87 | 27.97 | 136 | 43.73 | 8 | 28.30 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 36 | 19.89 | 67 | 37.02 | 78 | 43.09 | 181 | 100.00 |
| महिला | 51 | 39.23 | 69 | 53.08 | 10 | 7.69 | 130 | 100.00 |
| योग | 87 | 27.97 | 136 | 4373 | 88 | 28.30 | 311 | 100.00 |



आज के परिवर्तनशील समय व समाज की तस्वीर को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि आज के आधुनिक युग की अंधी दौड पुराने समय से बिलकुल विपरीत है। आज के सांस्कृतिक मूल्य पश्चिमी देशों की नकल पर चल रहे हैं। हमारे मान-सम्मान, धरोहर धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं। जिसके कारण समाज के लोग एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं और इसी परिवर्तनशील युग में महिला पुलिस कर्मी किस सीमा तक अपनी भूमिका का निर्वाह सकारात्क दिशा में कर सकते हैं। इसको जानने के लिए सामान्य उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि किस सीमा तक वे सामाजिक परिवर्तन में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है।

इसी बात का विवेचन करने के लिए तालिका द्वारा उत्तरदाताओं के उत्तरों का विश्लेषण दिया गया है। जिसमें दो तिहाई उच्च्च शिक्षित उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि महिला पुलिस निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन में अपनी सशक्त भूमिका का निर्वाह कर सकती है।

व्यवसाय के वर्गीकरण के आधार पर नौकरी पेशा लगभग एक तिहाई उत्तरदाताओं द्वारा महिला पुलिस कर्मियों की सामाजिक भूमिका को बहुत कुछ सीमा तक जबकि 51.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा यह उत्तर दिया गया कि वे कुछ सीमा तक इस दिशा में सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। जबकि एक चौथाई से अधिक उत्तरदाताओं द्वारा कोई भूमिका नहीं की श्रेणी में रखा गया। अन्य श्रेणी के उत्तरदाताओं में भी अधिकतर ने स्वीकार किया कि वे आधुनिक समाज में परिवर्तन लाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है तथा समाज को एक नवीन दिशा दे सकती है।

पुरुषों की तुलना में महिला उत्तरदाताओं का अधिक रूप से यह मानना है कि वे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं तथा महिलाओं को जागरूक बनाकर उनके अधिकारों को सुरक्षित कर सकती हैं।

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने के उपरान्त निष्कर्ष निकलता है कि कुल 71.70 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि महिला पुलिस कर्मी भारत जैसे विकासशील देश में समाज में

परिवर्तन लाने में साक्त रूप में अपनी भूमिका निभा सकती है तथा समाज को सही दिशा प्रदान कर सकती है। एक तिहाई से कम उत्तरदाता महिला पुलिस कर्मियों की इस भूमिका से सहमत नहीं दिखायी दिए तथा उनका मानना है कि इस दिशा में कोई वह वे सारगर्भित भूमिका नहीं निभा सकती है।



**तालिका-4.16** उत्तरदाताओं के अनुसार महिलाओं से पूछताछ निम्न में से किसके द्वारा की जानी चाहिए?

| उत्तरदाताओं का विवरण | केवल महिला कर्मियों | | महिला पुलिस की उपस्थिति में पुरुष कर्मियों द्वारा द्वारा | | किसी के द्वारा भी | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 75 | 43.60 | 55 | 31.98 | 42 | 24.42 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 56 | 4029 | 71 | 51.08 | 121 | 8.63 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 131 | 42.12 | 126 | 40.51 | 54 | 17.36 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 35 | 41.67 | 38 | 45.24 | 11 | 13.10 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 30 | 32.61 | 41 | 44.57 | 21 | 22.83 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 66 | 48.89 | 47 | 34.81 | 22 | 16.30 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 131 | 42.12 | 126 | 40.51 | 54 | 17.36 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 55 | 30.39 | 78 | 43.09 | 48 | 26.52 | 181 | 100.00 |
| महिला | 76 | 58.46 | 48 | 36.92 | 6 | 4.62 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 131 | 42.12 | 126 | 40.51 | 54 | 17.36 | 311 | 100.00 |

पुलिस विभाग पर ही समाज के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। जिसके लोग अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें और समाज अपराध रहित बन सके। पुलिस का मुख्य कार्य समाज में शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। इसके लिए वह अपराधियों से पूछताछ भी करता है, पर जब बात महिलाओं से पूछताछ की आती है तो ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि महिलाओं से पूछताछ का काम महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जाए ताकि यह काम ज्यादा सुविधा पूर्वक हो जाए क्योंकि कुछ बातों को सिर्फ महिला, महिला को ही बताना पसन्द करती हैं जिसकी वजह से महिलाओं से पूछताछ के लिए महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा ही पसन्द की जाती है। इसी तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। निम्न शिक्षित वर्ग का 43.60 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत है कि केवल पूछताछ महिला पुलिस कर्मियों से ही करवानी चाहिए जबकि 31.98 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि पूछताछ महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा की जानी चाहिए तथा एक चौथाई प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि पूछताछ किसी के द्वारा भी करवाई जा सकती है परन्तु पूछताछ भयमुक्त वातावरण में की जानी चाहिए। उच्च शिक्षित वर्ग के 40.29 प्रतिशत उत्तरदाता महिला पुलिस द्वारा पूछताछ को सही मानता है जबकि 51.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं का उत्तर महिला पुलिस की उपस्थिति में पुरुष कर्मियों द्वारा पूछताछ को सही मानता है। केवल 8.13 प्रतिशत उत्तरदाता किन्हीं भी पुलिस कर्मियों के द्वारा पूछताछ को सही मानकर अपना उत्तर देता है।

व्यवसायिक वर्गीकरण के आधार पर नौकरी पेशा वर्ग को देखें तो 41.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा महिला पुलिसकर्मी से पूछताछ को सही माना गया जबकि 45.24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिला कर्मी उपस्थिति में पुरुष कर्मी द्वारा पूछताछ को सही ठहराते हैं जबकि 13.10 प्रतिशत उत्तरदाता किसी के द्वारा भी पूछताछ को सही मानते हैं। व्यावसायी वर्ग के 32.61 प्रतिशत उत्तरदाता एवं अन्य वर्ग के 48.89 प्रतिशत उत्तरदाता महिला कर्मियों के द्वारा पूछताछ को ही सही



मानते हैं। जबकि व्यावसायी वर्ग के 44.57 प्रतिशत उत्तरदाता एवं अन्य वर्ग के 34.81 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर महिला कर्मी की उपस्थिति में पुरुष कर्मियों द्वारा पूछताछ को सही माना है जबकि 22.83 प्रतिशत व्यवसायी उत्तरदाता एवं 16.30 प्रतिशत अन्य वर्ग के उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में अपने पक्ष को तटस्थ रखा है तथा पुलिस एवं महिला पुलिसकर्मियों को समान रूप से पूछताछ के लिए उपयुक्त माना है। पुरुष व महिला वर्ग के वर्गीकरण के आधार पर 30.39 प्रतिशत पुरुष वर्ग उत्तरदाता एवं 58.46 प्रतिशत महिला वर्ग उत्तरदाताओं द्वारा महिला कर्मियों से पूछताछ को ही सही माना है। जबकि 43.09 प्रतिशत पुरुष वर्ग उत्तरदाताओं एवं 36.92 प्रतिशत महिला वर्ग, उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर महिला कर्मी की उपस्थिति में पुरुष कर्मियों के द्वारा पूछताछ को बेहतर मानते हैं जबकि शेष उत्तरदाताओं ने किसी के द्वारा भी पूछताछ को सही ठहराया है।

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि 42.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि केवल महिला पुरुष कर्मी ही बेहतर तरीके से पूछताछ कर सकती है तथा 40.51 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में पुरुष पुलिस कर्मी भी बेहतर तरीके से अपना कार्य कर सकते हैं जबकि 17.36 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि किसी के द्वारा भी पूछताछ की जा सकती है। परंतु वातावरण भयमुक्त एवं ज्यादा परेशानी वाला न हो। महिला उत्तरदाताओं के अधिकतर उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि महिलाओं से पूछताछ महिला पुरुष कर्मियों के द्वारा या महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थितियों में ही पूछताछ की जानी चाहिए जो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि महिला महिला पुलिस कर्मियों के समक्ष अपने पक्ष को बेहतर तरीके से रख सकती है।

**तालिका-4.17 महिला पुलिस अधिकारियों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण**

| उत्तरदाताओं का विवरण | बहुत अच्छा | | अच्छा | | कोई अन्तर नहीं | | अच्छा नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 36 | 20.93 | 62 | 36.05 | 40 | 23.26 | 34 | 19.77 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 40 | 28.78 | 35 | 25.18 | 43 | 30.94 | 21 | 15.11 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 76 | 24.44 | 97 | 31.19 | 83 | 26.69 | 55 | 17.68 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 36 | 42.86 | 24 | 28.57 | 16 | 19.05 | 8 | 9.52 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 21 | 22.83 | 27 | 29.35 | 27 | 29.63 | 17 | 18.48 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 19 | 14.07 | 46 | 34.07 | 40 | 29.63 | 30 | 22.22 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 76 | 24.44 | 97 | 31.19 | 83 | 26.69 | 55 | 17.68 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 23 | 12.71 | 51 | 28.18 | 64 | 35.36 | 43 | 23.76 | 181 | 100.00 |
| महिला | 53 | 40.77 | 46 | 35.38 | 19 | 14.62 | 12 | 9.23 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 76 | 24.44 | 97 | 31.19 | 83 | 26.69 | 55 | 17.68 | 311 | 100.00 |



पुलिस के द्वारा ही अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इसलिए आम जनता को पुलिस अधिकारियों की कार्य प्रणाली को जानना बेहद जरूरी है। जिसके कारण वह मौजूदा हालातों में अपनी सुरक्षा व समाज की सुरक्षा को लेकर पुलिस की कार्यप्रणालियों के बारे में चिन्तन कर सकें और सुरक्षा के क्षेत्र में पुलिस की सहायता कर सकें ताकि समाज देश व उसके नागरिक सुरक्षित व शांति से रह सकें। वर्तमान में महिलाएं केवल निचले रैंक पर ही नहीं बल्कि उच्च पदों पर भी कार्य कर रही हैं तथा विभिन्न जनपदों में वे पुलिस कप्तान के पद पर कार्य कर रही हैं तथा जनपद में पुलिस का नेतृत्व करती हैं। इसी तथ्य को जानने के लिए उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि वे पुलिस अधिकारियों की कार्य प्रणाली को कैसा मानते हैं। निम्न शिक्षित वर्ग के 56.98 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बेहतर माना। जबकि उच्च शिक्षित 53.96 प्रतिशत ने भी उनकी भूमिका को अच्छा माना है परन्तु शेष उत्तरदाता इससे सहमत नहीं हैं।

व्यवसायिक श्रेणी के आधार पर नौकरी पेशा वर्ग के 42.86 प्रतिशत उत्तरदाता तथा व्यावसायी वर्ग के 22.83 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग के 14.07 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा सकारात्मक रूप में उत्तर दिया गया तथा वे इस बात से सहमत हैं कि वे अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छी प्रकार से करते हैं। जबकि सामान्य श्रेणी के आधार पर लगभग एक चौथाई से अधिक नौकरी पेशा वर्ग 29.35 प्रतिशत व्यावसायिक श्रेणी ने और 34.07 प्रतिशत अन्य वर्ग के उत्तरदाताओं ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका को सामान्य कहा। कुछ उत्तरदाता पुलिस अधिकारियों की भूमिका से अनभिज्ञता रखते हैं। लगभग एक तिहाई उत्तरदाता महिला अधिकारियों की भूमिका से असंतुष्ट है। पुरुष एवं महिला उत्तरदाताओं में से अधिकतर महिला उत्तरदाताओं में 76.15 प्रतिशत ने पुलिस अधिकारियों की कार्य प्रणाली को अधिक बेहतर माना जबकि पुरुष उत्तरदाताओं में 66.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उनकी कार्य प्रणाली को सामान्य बतलाया।

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि एक चौथाई उत्तरदाता उनकी भूमिका को बहुत अच्छा

मानते हैं जबकि 31.19 प्रतिशत उनको अच्छा की श्रेणी में रखते हैं। केवल 17.68 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे थे जो महिला पुलिस अधिकारियों की भूमिका से संतुष्ट नहीं हैं तथा 26.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि वे भी अन्य पुरुष अधिकारियों की भांति कार्यों को सम्पादन करती हैं तथा विभाग की कार्य प्रणाली को ही अपनाती हैं।



**तालिका-4.18 महिलाओं की अधिकता वाले स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण**

| उत्तरदाताओं का विवरण | उपयुक्त | | कोई अन्तर नहीं | | अनुपयुक्त | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 103 | 59.88 | 30 | 17.44 | 39 | 22.67 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 76 | 54.68 | 41 | 29.50 | 22 | 15.83 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 179 | 57.68 | 71 | 22.83 | 61 | 19.61 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 53 | 63.10 | 18 | 21.43 | 13 | 15.48 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 47 | 51.09 | 30 | 32.61 | 15 | 16.30 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 79 | 58.52 | 23 | 17.04 | 33 | 24.44 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 179 | 57.56 | 71 | 22.83 | 61 | 19.61 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 80 | 44.20 | 46 | 25.41 | 55 | 30.39 | 181 | 100.00 |
| महिला | 99 | 76.15 | 25 | 19.23 | 6 | 4.62 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 179 | 57.56 | 71 | 22.83 | 61 | 19.61 | 311 | 100.00 |

आज की बदलती परिस्थितियों एवं महिला जागरूकता के कारण आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इसी वजह से महिला पुलिस कर्मियों की आवश्यकता भी अधिक होने लगी है। महिलाओं की अधिकता वाले स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थिति आज बहुत आवश्यक हो गयी है। महिलाओं की भीड़ को सम्भालने के लिए महिला पुलिस कर्मी की आवश्यकता अधिक मानी जाती है, क्योंकि महिला होने के कारण पुरुष पुलिस कर्मियों का उन्हें नियन्त्रित करना सामाजिक रूप से सही नहीं माना जाता है। महिलाओं के अधिकाधिक घर से बाहर निकलने के कारण उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए इस सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे महिला प्रधान स्थानों पर महिला पुरुषकर्मियों की उपस्थिति को सकारात्मक मानते हैं।

उच्च शिक्षित एवं निम्न शिक्षित वर्ग के आधे से अधिक उत्तरदाताओं द्वारा इसको उपयुक्त बताया गया तथा शेष उत्तरदाता इससे सहमत नहीं हैं।

व्यावसायिक आधार पर नौकरी पेशा 63.10 प्रतिशत, व्यावसायी 51.09 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग के 58.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक उत्तर दिया तथा स्वीकार किया कि वे निश्चित रूप से ऐसे स्थानों पर सरलता से कानून व्यवस्था बनाए रख सकती हैं तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जबकि शेष उत्तरदाताओं के मत में से उत्तरदाताओं ने यह माना कि इस तरह से स्थिति में कोई तीव्र परिवर्तन नहीं आने वाला है। पुरुषों की तुलना में महिला उत्तरदाताओं द्वारा इसमें अपना विश्वास अधिक दिखाया।

पुरुष व महिला वर्ग के वर्गीकरण में जबकि पुरुष वर्ग के 40.20 प्रतिशत उत्तरदाता तथा महिला वर्ग ने 76.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया कि महिला पुरुष कर्मी इस स्थिति को भली भांति नियन्त्रित कर सकती हैं।

उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि 57.56 प्रतिशत उत्तर सकारात्मक रूप में दिया गया अर्थात वह सहमत हैं कि महिला कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए।



जबकि 19.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक श्रेणी में उत्तर दिया कि वह इस मत से सहमत नहीं हैं और 22.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं की श्रेणी में उत्तर दिया। अधिकतर उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण इस सम्बध में सकरात्मक दिखाई देता है।

**तालिका-4.19 महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने में महिला पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है**

| उत्तरदाताओं | हां | | पता नहीं | | नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| का विवरण | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 82 | 47.67 | 49 | 28.49 | 41 | 23.84 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 81 | 58.27 | 40 | 28.78 | 18 | 12.95 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 163 | 52.41 | 89 | 28.62 | 59 | 18.97 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 50 | 59.52 | 22 | 26.19 | 12 | 14.29 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 52 | 56.52 | 19 | 20.65 | 21 | 22.83 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 61 | 45.19 | 48 | 35.56 | 26 | 19.26 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 163 | 52.41 | 89 | 28.62 | 59 | 18.97 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 77 | 42.54 | 56 | 30.94 | 48 | 26.52 | 181 | 100.00 |
| महिला | 86 | 66.15 | 33 | 25.38 | 11 | 8.46 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 163 | 52.41 | 89 | 28.62 | 59 | 18.97 | 311 | 100.00 |



बदलती परिस्थितियों एवं समय के अनुरूप आज पुलिस विभाग को भी अपनी कार्य प्रणाली में विशेष बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि जहां पहले पुलिस विभाग में केवल पुरुष पुलिस कर्मी ही कार्य करते थे, वहीं आज के दौर में पुरुष पुलिस कर्मियों के साथ-साथ महिला पुलिस कर्मी भी काम करने लगी हैं। जिसके कारण पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली में बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी। महिला के प्रति अपराधों में तीव्रता से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में महिला पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वह महिला अपराधों की गुत्थी को आसानी से सुलझा सकें और इन कार्यों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें तथा साथ ही साथ इन अपराधों की तीव्रता को भी कम कर सकें।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने में महिला पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा उनके मत को जानने का प्रयास किया गया। जिसमें 47.67 प्रतिशत निम्न शिक्षित वर्ग के उत्तरदाताओं एवं लगभग 58.27 प्रतिशत उच्च शिक्षित वर्ग के उत्तरदाताओं ने सकारात्मक रूप में उत्तर दिया तथा कुछ उत्तरदाताओं का मानना था कि पुलिस में आने के बाद तो सभी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं इसलिए विशेष प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग एक चौथाई उत्तरदाताओं को जानकारी न होने के कारण उन्होंने अपना मत व्यक्त नहीं किया।

व्यावसायिक क्षेत्र के आधार पर नौकरी पेशा वर्ग के 59.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा और व्यावसायी श्रेणी के 56.52 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के 45.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर सकारात्मक रूप में दिया। जबकि नकारात्मक रूप में नौकरी पेशा द्वारा (14.29 प्रतिशत), व्यावसायी ने (22.83 प्रतिशत) तथा अन्य श्रेणी द्वारा (19.26 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना मत व्यक्त किया।

दो तिहाई महिला उत्तरदाताओं (66.15 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि महिला पुलिस को और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों ने इसकी आवश्यकता को और अधिक तीव्र कर दिया है। महिला पुलिस यदि आधुनिक रूप से

प्रशिक्षित होगी तो वह न केवल अपराधों की जांच पड़ताल करने में बल्कि अपराधों को रोकने में भी उतनी ही अधिक कारगर सिद्ध होंगी।

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि लगभग आधे से अधिक उत्तरदाता महिला पुलिस को और अधिक प्रशिक्षण दिए जाने के पक्ष में है। उत्तरदाताओं का मानना है कि अपराधियों के द्वारा अपराधों को अंजाम देने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है इसलिए महिला पुलिस को भी अधिक एवं आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जिससे वे अपराधों को रोकने में अपनी सारगर्भित भूमिका का निर्वाह कर सकें।



**तालिका-4.20 महिला पुलिस कर्मियों का सामान्य पुरुषों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण**

| उत्तरदाताओं | अच्छा | | सामान्य | | पता नहीं | | खराब | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| का विवरण | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 41 | 23.84 | 76 | 44.19 | 43 | 25.00 | 12 | 6.98 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 35 | 25.18 | 52 | 37.41 | 27 | 19.42 | 25 | 17.99 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 76 | 24.44 | 128 | 41.16 | 70 | 22.51 | 37 | 11.90 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 36 | 42.86 | 24 | 28.57 | 16 | 19.05 | 8 | 9.52 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 17 | 18.48 | 46 | 50.00 | 17 | 18.48 | 12 | 13.04 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 23 | 17.04 | 58 | 42.96 | 37 | 27.41 | 17 | 12.59 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 76 | 24.44 | 128 | 41.16 | 70 | 22.51 | 37 | 11.90 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 28 | 15.47 | 73 | 40.33 | 53 | 29.28 | 27 | 14.92 | 181 | 100.00 |
| महिला | 48 | 36.92 | 55 | 42.31 | 17 | 13.08 | 10 | 7.69 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 76 | 24.44 | 128 | 41.16 | 70 | 22.51 | 37 | 11.90 | 311 | 100.00 |

सामान्यतया समाज में अधिकतर व्यक्ति महसूस करते हैं कि पुलिस का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं होता है और कभी कभी तो वह अमानवीय भी होता है। सामान्य व्यक्ति कुछ सीमा तक महसूस करता है कि पुलिस का व्यवहार महिलाओं के प्रति कुछ बेहतर होता है। इसी सन्दर्भ में प्रश्न उठता है कि महिला पुरुषकर्मियों का व्यवहार समाज में पुरुषों के प्रति कैसा होता है क्या उनका व्यवहार भी अपने पुरुष सहपुलिसकर्मियों के समान होता है या उनसे भिन्नता रखता है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रश्न किया गया कि महिला पुलिसकर्मियों का व्यवहार समाज में पुरुषों के प्रति कैसा होता है। निम्न शिक्षित वर्ग के 68.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तथा उच्च शिक्षित वर्ग के 62.59 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि उनका व्यवहार समान्तयाः अच्छा होता है व्यावसायी वर्ग में लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं ने भी महिला पुलिसकर्मियों के व्यवहार को पुरुषों के मुकाबले अधिक सराहा तथा उनके व्यवहार को सकारात्मक बताया।

व्यवसाय के आधार पर व्यावसायी एवं अन्य वर्ग में तीन चौथाई प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि महिला पुरुषकर्मियों का व्यवहार तुलनात्मक रूप से सामान्य रहता है तथा वे पुरुष कर्मियों की तुलना में अधिक सहज दिखायी देती हैं। पुरुष 55.80 प्रतिशत तथा महिला 79.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भी उनके व्यवहार को अच्छा व सामान्य बतलाया तथा उनके व्यवहार में सकारात्मक दृष्टिकोण को अधिक सराहा। महिलाओं का अधिक प्रतिशत निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि पुरुष कर्मियों की तुलना में महिला कर्मियों का व्यवहार से काफी कुछ सीमा तक संतुष्ट हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के व्यवहार के सम्बन्ध में भी 11.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा नकारात्मक उत्तर दिया गया तथा उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि इनका व्यवहार भी अपने अन्य सहकर्मियों के समान ही होता है तथा वे भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने में भी नहीं हिचकिचाती हैं। उनका यह व्यवहार न केवल पीड़ितों बल्कि सामान्य व्यक्ति के मन में भी भय पैदा करता है।

उपरोक्त तालिका का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष



निकलता है कि एक चौथाई प्रतिशत उत्तरदाता इनके व्यवहार को पुरुष पुलिसकर्मियों की तुलना में बेहतर मानते हैं जबकि दूसरी तरफ 41.16 प्रतिशत उनके व्यवहार को सामान्य मानते हैं। उत्तरदाताओं का एक छोटा सा समूह (11.90 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि उनका व्यवहार भी अपने अन्य सहकर्मियों के समान होता है तथा वे किसी भी प्रकार से बेहतर व्यवहार नहीं करती हैं। कुछ प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो महिला पुलिसकर्मियों के सम्पर्क में न आने के कारण उनके व्यवहार से परिचित नहीं हैं। जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करने में अनभिज्ञता जताई।

**तालिका-4.21 क्या महिला पुलिस जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने में सफल रही है**

| उत्तरदाताओं का विवरण | बहुत कुछ | | कुछ सीमा तक | | पता नहीं सीमा तक | | असफल | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 17 | 9.88 | 90 | 52.33 | 44 | 25.58 | 21 | 12.21 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 25 | 17.99 | 58 | 41.73 | 43 | 30.94 | 13 | 9.35 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 42 | 13.50 | 148 | 47.59 | 87 | 27.97 | 34 | 10.93 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 15 | 17.86 | 44 | 52.38 | 16 | 19.05 | 9 | 10.71 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 9 | 9.78 | 40 | 43.48 | 30 | 32.61 | 13 | 14.13 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 18 | 13.33 | 64 | 47.41 | 41 | 30.37 | 12 | 8.89 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 42 | 13.50 | 148 | 47.59 | 87 | 27.97 | 34 | 10.93 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 16 | 8.84 | 76 | 41.99 | 63 | 37.81 | 26 | 14.36 | 181 | 100.00 |
| महिला | 26 | 20.00 | 72 | 55.38 | 24 | 18.46 | 8 | 6.15 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 42 | 13.50 | 148 | 47.59 | 87 | 27.97 | 34 | 10.93 | 311 | 100.00 |



आधुनिक परिस्थितियों में बदलते हुए समय ने पुलिस विभाग की कार्य प्रणालियों एवं कार्य करने की पद्धति को काफी सीमा तक प्रभावित किया है। बढ़ते अपराध एवं बदलती अपराध की प्रकृति ने पुलिस के कार्यभार को भी निश्चित रूप से बढ़ाया है। इसलिए इस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस विभाग में महिलाओं को स्थान दिया गया। आज पुरुष पुलिस कर्मियों के साथ-साथ महिला पुलिस कर्मियों की आवश्यकता को भी प्रत्येक स्थान पर महसूस किया जा रहा है। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के ग्राफ को देखते हुए महिला पुलिस कर्मियों एवं महिला थानों की जरूरत को महसूस किया गया है, ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित एवं अपनत्व की भावना को महसूस कर सके। इसी सन्दर्भ में पिछले कुछ दशकों में देश भर में महिला पुलिस कर्मियों की नई भर्तियां एवं नवीन महिला थानों की स्थापना की गयी।

उत्तरदाताओं के उत्तर से यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है कि क्या महिला पुलिस कर्मी समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने में सफल रही है? अधिक शिक्षित वर्ग में 59.72 प्रतिशत तथा निम्न शिक्षित में 62.21 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि कुछ सीमा तक महिला पुलिस कर्मी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। जबकि व्यवसायी वर्ग में 53.26 प्रतिशत उत्तरदाता उनकी भूमिका से कुछ सीमा तक संतुष्ट है। पुरुषों की अपेक्षा 77.38 प्रतिशत महिला उत्तरदाता उनकी इस भूमिका से अधिक संतुष्ट है। नौकरी पेशा एवं अन्य वर्ग के अधिकतर उत्तरदाता महिला पुलिस की भूमिका से काफी कुछ संतुष्ट हैं।

10.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला पुलिसकर्मी भी अपने सहकर्मियों की भांति ही कार्य करती हैं तथा जो अपेक्षा उनसे की गयी थी वे उस पर खरी नहीं उतर सकी हैं।

तालिका का विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि लगभग आधे उत्तरदाता महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका से कुछ सीमा तक संतुष्ट हैं जबकि 13.50 प्रतिशत उनकी भूमिका से बहुत कुछ सीमा तक संतुष्ट हैं और मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी भूमिका को पुरुषों की तुलना में बेहतर सिद्ध किया है। उत्तरदाताओं का

एक छोटा वर्ग (10.93 प्रतिशत) वर्ग इनकी भूमिका से संतुष्ट नहीं है तथा उन्हें भी अन्य पुलिस कर्मियों की भांति ही मानता है। लगभग एक चौथाई उत्तरदाता जो अभी तक महिला पुलिस कर्मियों के सम्पर्क में नहीं आए उन्होंने उनकी भूमिका के आंकलन में अपनी असमर्थता दिखलायी है।



**तालिका-4.22 महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु क्या ग्रामीण क्षेत्रों महिला थानों की स्थापना प्रभावी भूमिका निभा सकती है**

| उत्तरदाताओं का विवरण | हां | | पता नहीं | | नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 88 | 51.16 | 52 | 30.23 | 32 | 18.60 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 66 | 47.48 | 30 | 21.58 | 43 | 30.94 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 154 | 49.52 | 82 | 26.37 | 75 | 24.12 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 55 | 65.48 | 12 | 14.29 | 17 | 20.24 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 39 | 42.39 | 22 | 23.91 | 31 | 33.70 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 60 | 44.44 | 48 | 35.56 | 27 | 20.00 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 154 | 49.52 | 82 | 26.37 | 75 | 24.12 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 80 | 44.20 | 44 | 24.31 | 57 | 31.49 | 181 | 100.00 |
| महिला | 74 | 56.92 | 38 | 29.23 | 18 | 13.85 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 154 | 49.52 | 82 | 26.37 | 75 | 24.12 | 311 | 100.00 |

उत्तरदाताओं से भी यह भी पूछा गया कि महिला थानों की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना क्या महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस संदर्भ में उच्च एवं निम्न शिक्षित वर्ग के लगभग आधे उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि इस प्रकार की योजना निश्चित रूप से अपराधों को नियंत्रित करने में सहायक होंगी क्योंकि महिला पुलिसकर्मी महिलाओं की समस्याओं को भली भांति समझती हैं तथा पीड़िता भी इनको अपनी समस्या अच्छी प्रकार से समझा सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ व्यावसायिक आधार पर 65.48 प्रतिशत नौकरी पेशा, 42.39 प्रतिशत व्यावसायी तथा 44.44 प्रतिशत अन्य वर्ग के उत्तरदाताओं ने माना कि महिला थानों की स्थापना से स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। पुरुष उत्तरदाताओं की तुलना में महिला उत्तरदाता 21.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि वर्तमान में ये थाने अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के महिला थानों की प्रासंगिकता सीमित हो जाती है। उपरोक्त तालिका का पूर्ण रूप से विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि आधे उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला सेल व थाने निश्चित रूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं तथा साथ ही साथ उनमें विश्वास पैदा कर सकते हैं कि यदि उनके विरुद्ध कोई अपराध होता है तो वे उसकी रिपोर्ट कराएं जिससे उनको न्याय मिल सके तथा अपराधी को दण्ड भी मिल सके। इसके विपरीत लगभग एक चौथाई उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि महिला थानों की स्थापना से भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली भी अपने अन्य सहकर्मियों के समान ही होती है।



**तालिका-4.23 अपराध रोकने हेतु महिला थानों की स्थापना**

| उत्तरदाताओं का विवरण | अधिक सक्रिय | | सामान्य थानों के समान | | असक्रिय | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| निम्न शिक्षित | 63 | 36.63 | 74 | 43.02 | 35 | 20.35 | 172 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 49 | 35.25 | 58 | 41.73 | 32 | 23.02 | 139 | 100.00 |
| **योग** | 112 | 36.01 | 132 | 42.44 | 67 | 21.54 | 311 | 100.00 |
| नौकरी पेशा | 50 | 59.52 | 26 | 30.95 | 8 | 9.52 | 84 | 100.00 |
| व्यवसायी | 24 | 26.09 | 32 | 34.78 | 36 | 39.13 | 92 | 100.00 |
| अन्य | 38 | 28.15 | 74 | 54.81 | 23 | 17.04 | 135 | 100.00 |
| **योग** | 112 | 36.01 | 132 | 42.44 | 67 | 21.54 | 311 | 100.00 |
| पुरुष | 40 | 22.10 | 88 | 48.62 | 53 | 29.28 | 181 | 100.00 |
| महिला | 72 | 55.38 | 44 | 33.85 | 14 | 10.77 | 130 | 100.00 |
| **योग** | 112 | 36.01 | 132 | 42.44 | 67 | 21.54 | 311 | 100.00 |

बढ़ते नगरीकरण के कारण तथा नगरों की जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है तथा जनसंख्या के बढ़ते दबाव एवं संसाधनों के अभाव के कारण अपराधों की गति भी तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रत्येक प्रकार के अपराध समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ घट रहे हैं। अपराधों को रोकने हेतु सभी स्थानों पर पुलिस थानों की स्थापना की गयी है। परन्तु कुछ दशकों में कुछ स्थानों पर महिला थानों की स्थापना भी अपराधों को रोकने के लिए जा रही है। इस सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या महिला थाने अपराध रोकने में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में 36.01 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि महिला थाने निश्चित रूप से अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए इन उत्तरदाताओं का मानना था कि महिला थानों की स्थापना अधिक से अधिक की जानी चाहिए। दूसरी तरफ केवल 42.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि महिला थाने वर्तमान में अधिक सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं तथा ये थाने भी अन्य थानों के समान ही कार्य प्रणाली अपनाते हैं इसलिए जनता की अपेक्षाएं भी इन थानों से अधिक नहीं हैं।

वर्तमान में बढते अपराध महिला पुलिस की आवश्यकता को और प्रबल बनाते है? महिला पुलिस अपराधों को रोकने के साथ-साथ उनके जांच पड़ताल में भी अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। जांच पड़ताल के दौरान मानवीयता की भावना भी अहम होती है जिसका निर्वाह महिला पुलिस कर्मियों द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा सकता है तथा जांच-पड़ताल के दौरान उनकी उपस्थिति ही पीडिता को मनोवैज्ञानिक सबलता प्रदान करती है।



## अध्याय पांच

# महिला पुलिस कर्मियों का स्वयं तथा समाज के प्रति दृष्टिकोण

वर्तमान समय में महिलाएं पुलिस जैसे चुनौतीपूर्ण व्यवसाय को स्वेच्छा से अपना रही हैं तथा इनकी संख्या पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर बढ़ रही है। परन्तु पुरुषों के अनुपात में इनकी संख्या अभी भी काफी कम है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जनपदवार महिला थानो की स्थापना की जा रही है। इन थानो में अधिकतर महिला पुलिस ही नियुक्त रहती हैं। जो महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों को विशेष रूप से देखती रहती है। समाज में महिला पुलिस की उपस्थिति को देखते हुए उनसे अपेक्षाएं भी निरन्तर बढ़ती जा रही है।

पुलिस का प्रमुख कार्य अपराधों को रोकना एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। कुछ समय पूर्व तक अपराधो को अंजाम देने का कार्य केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है परन्तु आज महिलाएं भी अपराध की दुनिया में लिप्त हो रही है। वे न केवल छोटे अपराधों, बल्कि बड़े अपराधों को भी अंजाम दे रही हैं। कुछ मामलों में देखने में आया है कि वे भी अपने गैंग बनाती है तथा कही-कही गैंग की मुखिया

भी होती है। ऐसी परिस्थितियों में महिला पुलिस की भूमिका न केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने बल्कि समाज को महिला अपराधियों से बचाने की भी है। महिला अपराधी को पकड़ पाना पुरुष पुलिस के लिए पुरुषों की तुलना निश्चित में रूप से कठिन कार्य होता है। इन परिस्थितियों में महिला पुलिस की भूमिका और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। इस पृष्ठभूमि को ध्यानगत रखते हुए महिला उत्तरदाताओं से कुछ प्रश्न किए गए। महिला पुलिस कर्मियों में से कुल 84 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। इन उत्तरदाताओं का चयन उनकी आयु, शिक्षा एवं पदों के आधार पर किया गया। जिससे सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि को निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

**तालिका-5.1 महिला पुलिस कर्मियों का आयुवार विवरण**

| क्रमांक | उत्तरदाताआ का आयु वर्ग | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | 18 से 35 वर्ष तक | 50 | 59.52 |
| 2. | 35 वर्ष तक | 34 | 40.48 |
| | योग | 84 | 100 |

महिला पुलिस में से उत्तरदाताओं का चयन विभिन्न आयु वर्ग से किया गया है। 59.52 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी 18 से 35 आर्यु वर्ग के हैं जबकि 40.48 प्रतिशत उत्तरदाता 35 से ऊपर आयु वर्ग के हैं। जो उम्र एवं विभाग का लम्बा अनुभव रखती हैं। कम वर्ग के आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का चयन अधिक इसलिए किया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाएं पुलिस विभाग में अधिक संख्या में भर्ती हो रही है तथा विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

**तालिका-5.2 महिला पुलिसकर्मियों की शैक्षिक योग्यता**

| क्रमांक | शैक्षिक योग्यता | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | निम्न शिक्षित (इंटरमीडिएट तक) | 56 | 66.67 |
| 2. | उच्च शिक्षित (इंटरमीडिएट के ऊपर) | 28 | 33.33 |
| | योग | 84 | 100 |



शिक्षा के आधार पर विभिन्न शैक्षिक स्तर के उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। 66.67 प्रतिशत निम्न शिक्षित हैं तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ही रखते हैं तथा 33.33 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च्च शिक्षित हैं तथा स्नातक, स्नातकोत्तर तथा कुछ उच्च्च उपाधियां प्राप्त भी हैं।

**तालिका-5.3 महिला पुलिसकर्मियों का पदवार विवरण**

| क्रमांक | विवरण | आवृत्ति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | निम्न अधिकारी (कान्स्टेबिल तक) | 57 | 67.86 |
| 2. | उच्च्च अधिकारी (हैड कान्स्टेबिल एवं ऊपर) | 27 | 32.14 |
| | योग | 84 | 100 |

महिला पुलिस कर्मी उत्तरदाताओं में विभिन्न स्तर के कर्मियों को चयनित किया गया है। 67.86 प्रतिशत उत्तरदाता कान्स्टेबिल तथा 32.14 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी हैड कान्स्टेबिल एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी हैं। ये महिला पुलिस कर्मी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा विभाग में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

सभी महिला पुलिस उत्तरदाताओं उत्तरदाताओं से विभाग एवं उनके सन्दर्भ में कुछ प्रश्न पूछे गए जैसे आप नौकरी की परिस्थितियों में स्वयं को किस सीमा तक संतुष्ट महसूस करती है। उनके उत्तरों को तालिका के माध्यम से निम्न प्रकार विश्लेषित किया गया है।

**तालिका-5.4 आप नौकरी की परिस्थितियों से किस सीमा तक संतुष्ट हैं?**

| उत्तरदाताओं का विवरण | बहुत सीमा तक | | कुछ सीमा तक | | संतुष्ट नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 18-35 वर्ष | 6 | 12.00 | 22 | 44.00 | 22 | 44.00 | 50 | 100.00 |
| 35 वर्ष के ऊपर | 4 | 11.76 | 17 | 50.00 | 13 | 38.24 | 34 | 100.00 |
| **योग** | 10 | 11.90 | 39 | 46.43 | 35 | 41.67 | 84 | 100.00 |
| निम्न शिक्षित | 7 | 12.50 | 26 | 46.43 | 23 | 41.07 | 56 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 3 | 10.71 | 13 | 46.43 | 12 | 42.86 | 28 | 100.00 |
| **योग** | 10 | 11.90 | 39 | 46.43 | 35 | 41.67 | 84 | 100.00 |
| निम्न अधिकारी | 5 | 8.77 | 25 | 43.86 | 27 | 47.37 | 57 | 100.00 |
| उच्च अधिकारी | 5 | 18.52 | 14 | 51.85 | 8 | 29.63 | 27 | 100.00 |
| **योग** | 10 | 11.90 | 39 | 46.43 | 35 | 41.67 | 84 | 100.00 |



महिलाओं के कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। अधिकतर व्यक्तियों का मानना है कि महिलाएं सिर्फ घर के कार्य क्षेत्र को ही ठीक प्रकार से सम्भाल सकती हैं। व्यवसाय उनकी क्षमता से बाहर है। परन्तु महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर स्वयं को सिद्ध कर दिया है। आज वे दोनों ही क्षेत्रों को ठीक प्रकार से सम्भाल रही हैं और कुछ क्षेत्रों में पुरुषों से बेहतर तरीके से कार्यों को अन्जाम दे रही हैं। परिस्थितियों के बदलते स्वरूप के कारण महिलाओं को कार्य क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जिसकी वजह से कभी-कभी परिस्थितियां बेकाबू सी हो जाती हैं। परन्तु महिलाएं विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को अपना कर उन परिस्थितियों से लड़ लेती हैं और जीत भी जाती हैं।

इस संदर्भ में महिला पुलिस कर्मियों से पूछा गया कि वे नौकरी की परिस्थितियों से किस सीमा तक सन्तुष्ट हैं? जिसमें 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के (44.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि वे कुछ सीमा तक अपनी नौकरी की परिस्थितियों से संतुष्ट हैं। जबकि 12.00 प्रतिशत ने उत्तर बहुत कुछ सीमा तक में दिया अर्थात वे बहुत कुछ सीमा तक संतुष्ट हैं और 44.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि वे नौकरी की परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं। इन परिस्थितियों में इसी वर्ग में 35 वर्ष से ऊपर के वर्ग के (50.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कुछ सीमा तक में और (11.76 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर बहुत कुछ सीमा तक की श्रेणी में दिया, जबकि 38.24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने संतुष्ट नहीं के रूप में उत्तर दिया गया कि वह इस संदर्भ में अपने आपको संतुष्ट नहीं मानती हैं अर्थात उनका मानना है कि पुलिस विभाग की कठिन परिस्थितियों में वे कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करती हैं।

पदों के आधार पर उत्तरदाताओं का विश्लेषण करें तो निम्न शिक्षित वर्ग के 12.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक रूप में अपना उत्तर दिया कि वे अपनी नौकरी की परिस्थितियों से संतुष्ट हैं जबकि 46.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ सीमा तक में अपना उत्तर दिया कि वे कुछ सीमा तक ही संतुष्ट हैं और 41.07 प्रतिशत

उत्तरदाताओं ने संतुष्ट नहीं की श्रेणी में अपना उत्तर दिया। जबकि उच्च शिक्षित वर्ग के (10.71 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बहुत कुछ सीमा तक में अपना उत्तर दिया तथा 46.43 प्रतिशत द्वारा कुछ सीमा तक की श्रेणी में और 42.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अपना उत्तर नकारात्मक में दिया गया और बताया कि वे नौकरी की परिस्थितियों से किसी भी सीमा तक संतुष्ट नहीं हैं।

स्तर के आधार पर विश्लेषण करें तो निम्न स्तर के कर्मियों की तुलना में उच्च स्तर के अधिकारी अधिक संतुष्ट हैं। अधिकतर उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि नौकरियों की परिस्थितियां कठिन होने के कारण उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसका प्रभाव कभी-कभी उनकी कार्यक्षमता पर भी परिलक्षित है।



**तालिका-5.5 विभाग में सहयोगियों का सहयोग किस सीमा तक प्राप्त होता है**

| उत्तरदाताओं | बहुत सीमा तक | | कुछ सीमा तक | | बिल्कुल नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| का विवरण | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 18-35 वर्ष | 8 | 16.00 | 31 | 62.00 | 11 | 22.00 | 50 | 100.00 |
| 35 वर्ष के ऊपर | 7 | 20.59 | 15 | 44.12 | 12 | 35.29 | 34 | 100.00 |
| **योग** | 15 | 17.86 | 46 | 54.76 | 23 | 27.38 | 84 | 100.00 |
| निम्न शिक्षित | 5 | 8.93 | 37 | 66.07 | 14 | 25.00 | 56 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 10 | 35.71 | 9 | 32.14 | 9 | 32.14 | 28 | 100.00 |
| **योग** | 15 | 17.86 | 49 | 54.76 | 23 | 27.38 | 84 | 100.00 |
| निम्न अधिकारी | 7 | 12.28 | 37 | 64.91 | 13 | 22.81 | 57 | 100.00 |
| उच्च अधिकारी | 8 | 29.63 | 9 | 33.33 | 10 | 37.04 | 27 | 100.00 |
| **योग** | 15 | 17.86 | 46 | 54.76 | 23 | 27.38 | 84 | 100.00 |

आज बदलती हुई परिस्थितियों, समय व मांग के अनुसार महिलाएं आज उन क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रख रही हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही दबदबा रहा है। पर बदलते समय की मांग एवं परिवर्तन के अनुसार आज महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर अपने आपको निकाल रही हैं। जिसके कारण समाज में एक नयी क्रांति आ गई है। इतना होते हुए भी समाज में रह रहे पुरुष वर्ग के द्वारा इस परिवर्तन को पचा पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि जहां पर सिर्फ उनका दबदबा था आज वहां पर महिलाएं भी अपना वजूद बना रही हैं और वे उनसे बेहतर कार्यों के परिणाम दे रही हैं। इसी के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के पुरुष कर्मियों द्वारा असहयोग, छींटाकशी आदि की भावनाएं घर कर रही हैं, जिसका परिणाम सामान्य जनजीवन में महिलाओं द्वारा महसूस किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में महिला पुलिसकर्मी उत्तरदाताओं से पूछा गया कि वे किस सीमा तक अपने पुरुष सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करती हैं।

महिला पुलिस कर्मी उत्तरदाताओं के विश्लेषण के आधार पर देखें तो 18-35 वर्ष वर्ग के दो तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें कुछ सीमा तक सहयोग मिलता है जबकि वरिष्ठ उत्तरदाताओं में 44.12 प्रतिशत ने इस तथ्य को स्वीकार किया। अधिकारी वर्ग की बात करें तो वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में कनिष्ठ अधिकारियों को अधिक सहयोग प्राप्त होता है। शिक्षित वर्ग में उच्च्य शिक्षित वर्ग को कम शिक्षित वर्ग की तुलना में अधिक सहयोग प्राप्त होता है।

उत्तरदाताओं में 16.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कम आयु वर्ग के तथा अधिक आयु वर्ग में (20.59 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि वे बहुत कुछ सीमा तक सहयोग प्राप्त करते हैं। यदि बहुत अधिक सहयोग की बात करें तो निम्न शिक्षित वर्ग के 8.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वे अपने पुरुष सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करते हैं। यह परिणाम दर्शाता है कि महिला पुलिस कर्मियों को अपने पुरुष सहकर्मियों से कुछ सीमा तक ही सहयोग मिलता है।



नकारात्मक दृष्टिकोण वाले पुरुष सहकर्मियों के सम्बन्ध में 40 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 35.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि उनको अपने सहयोगियों का बिल्कुल सहयोग प्राप्त नहीं होता है तथा इस तथ्य को निम्न शिक्षित एक चौथाई उत्तरदाताओं ने भी स्वीकार किया। जबकि शिक्षा के आधार पर वर्गीकृत उत्तरदाताओं में निम्न शिक्षित एक चौथाई तथा 32.14 प्रतिशत उच्च्य शिक्षित उत्तरदाताओं ने यह स्पष्ट किया कि उनको अपने सहयोगियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है।

उपरोक्त तालिका का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि कुल उत्तरदाताओं में 54.76 प्रतिशत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वे कुछ सीमा तक सहयोग करते हैं जबकि 17.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि वे अपने सहयोगियों से बहुत अधिक सहयोग प्राप्त करते हैं। 27.38 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे थे जिन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया अर्थात् उनका मानना था कि उन्हें किसी प्रकार का सहयोग अपने पुरुष सहयोगियों से प्राप्त नहीं होता है। अधिकतर उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे निश्चित रूप से विभाग में सहयोग प्राप्त करते हैं। परन्तु ओर अधिक सहयोग प्राप्ति की स्थिति में वे अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी बना सकती हैं।

**तालिका-5.6 महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में कठिनाई का अनुभव करते हैं**

| उत्तरदाताओं का विवरण | हां | | नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 18-35 वर्ष | 37 | 74.00 | 13 | 26.00 | 50 | 100.00 |
| 35 वर्ष के ऊपर | 22 | 64.71 | 12 | 35.29 | 34 | 100.00 |
| **योग** | 59 | 70.24 | 25 | 29.76 | 84 | 100.00 |
| निम्न शिक्षित | 39 | 69.64 | 17 | 30.36 | 56 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 20 | 71.43 | 8 | 28.57 | 28 | 100.00 |
| **योग** | 59 | 70.24 | 25 | 29.76 | 84 | 100.00 |
| निम्न अधिकारी | 48 | 84.21 | 9 | 15.79 | 57 | 100.00 |
| उच्च अधिकारी | 11 | 40.74 | 16 | 59.26 | 27 | 100.00 |
| **योग** | 29 | 70.24 | 25 | 29.76 | 84 | 100.00 |



पुलिस विभाग द्वारा अपराध रोकने की बात होती है तो सबसे पहले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने की बात होती है, क्योंकि यह सबसे अधिक दीमक की तरह समाज को खोखला करने वाला कीड़ा है। अतः अगर समाज को खोखला होने से बचाना है तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकना होगा ताकि समाज में व्याप्त असमानता की खाई पट सके। इसके लिए पुलिस विभाग एवं सरकार को भी प्रयास करना होगा ताकि समाज में महिलाएं सुरक्षित रह सकें ओर अपने आपको भी समाज का एक अभिन्न अंग मान सकें। पुलिस विभाग के महिला पुलिस कर्मियों को इस संदर्भ में विशेष प्रयास करने होंगे।

इसी संदर्भ में महिला पुलिस कर्मी उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। आयु के आधार पर युवा 74.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि वे निःसन्देह रूप से कठिनाई का अनुभव करते हैं। पदों के आधार पर 84.21 प्रतिशत निम्न अधिकारियों तथा शिक्षा के आधार पर निम्न शिक्षित वर्ग के 69.64 प्रतिशत उत्तरदाता यह महसूस करते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में उन्हें कठिनाई होती है। कुछ महिला पुलिस कर्मियों द्वारा मेरठ एवं गाज़ियाबाद में चलाए गए मज़नू अभियान का उदाहरण दिया गया जिसके माध्यम से उन्होंने महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ को कम करने का प्रयास किया गया था परन्तु मीडिया एवं विभागीय दबाव के कारण महिला पुलिस अधिकारियों को ही दण्डित किया गया जिसने निश्चित रूप से उनके मनोबल को गिराया।

29.76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही यह स्वीकार किया कि वे महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं तथा अपनी भूमिका को पूर्ण प्रभावशीलता से निभाते हैं। उपरोक्त तालिका के सम्पूर्ण परिणाम यह दर्शाते हैं कि महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में कठिनाई होती है क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो केवल घटित होने पर उनके समक्ष आते हैं इसलिए इन अपराधों को नियंत्रित करना उनके लिए निश्चित रूप से कठिन होता है।

**तालिका-5.7 क्या पारिवारिक परिस्थितियां पुलिस की नौकरी करने में बाधा पहुंचाती हैं?**

| उत्तरदाताओं का विवरण | बहुत कुछ सीमा तक | | कुछ सीमा तक | | बिल्कुल नहीं पहुंचता | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 18-35 वर्ष | 20 | 40.00 | 28 | 56.00 | 2 | 4.00 | 50 | 100.00 |
| 35 वर्ष के ऊपर | 11 | 32.35 | 17 | 50.00 | 6 | 17.65 | 34 | 100.00 |
| **योग** | 31 | 36.90 | 45 | 53.57 | 8 | 9.52 | 84 | 100.00 |
| निम्न शिक्षित | 20 | 35.71 | 33 | 58.93 | 3 | 5.36 | 56 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 11 | 39.29 | 12 | 42.86 | 5 | 17.86 | 28 | 100.00 |
| **योग** | 31 | 36.90 | 45 | 53.57 | 8 | 9.52 | 84 | 100.00 |
| निम्न अधिकारी | 21 | 36.84 | 32 | 56.14 | 4 | 7.02 | 57 | 100.00 |
| उच्च अधिकारी | 10 | 37.04 | 13 | 48.15 | 4 | 14.81 | 27 | 100.00 |
| **योग** | 31 | 36.90 | 45 | 53.57 | 8 | 9.52 | 84 | 100.00 |



जहां पर महिलाओं की नौकरी करने की बात आती है तो समाज या परिवार द्वारा बाहर के काम के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियों को भी सम्भालने की उम्मीद की जाती है और अधिकतर यह माना जाता है कि महिलाओं का प्रमुख कार्य परिवार और पति और बच्चों को सम्भालने का होता है जिससे वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकती हैं। बदलते समय और परिवर्तन के कारण महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। जिसको देखकर कहा जा सकता है कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को तो आज महिला व पुरुष दोनों ही मिलकर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। फिर भी यदि सामान्यतः देखा जाए तो महिलाओं के कामकाज के क्षेत्र को पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ हद तक प्रभावित करती हैं।

इस मत को और अच्छी तरह से जानने के लिए कि क्या पारिवारिक परिस्थितियां पुलिस की नौकरी करने में बाधा पहुंचाती हैं या नहीं, के संदर्भ में कुछ महिला पुलिसकर्मी उत्तरदाताओं के विभिन्न वर्गों के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया। 18 से 40 आयु वर्ग के 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बहुत कुछ सीमा तक में अपना उत्तर दिया कि उन्हें काफी हद तक पारिवारिक परिस्थितियाँ प्रभावित करती हैं जबकि 56.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ सीमा तक में अपना उत्तर दिया और केवल 04.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अपना उत्तर नहीं में दिया गया कि उन्हें पारिवारिक परिस्थितियां उनकी नौकरी करने में बाधा नहीं पहुंचाती हैं। इसी वर्ग के 40 से ऊपर के 32.35 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बहुत कुछ सीमा तक में अपना उत्तर दिया और 50.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ सीमा तक में अपना उत्तर प्रस्तुत किया जबकि ना में 17.65 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा इस श्रेणी में उत्तर दिया गया कि पुलिस की नौकरी करने में उनकी पारिवारिक परिस्थितियां बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं अर्थात वे आराम से अपनी नौकरी करती हैं।

अधिकारी वर्ग के वर्गीकरण के आधार पर निम्न अधिकारी के (36.84 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बहुत कुछ सीमा तक में अपना उत्तर

दिया कि वास्तव में पारिवारिक परिस्थितियां उनकी नौकरी करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। क्योंकि कार्य की अवधि अधिक होने के कारण उन्हें अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने में कठिनाई होती है। जबकि (56.14 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कुछ सीमा तक में अपना उत्तर रखा तथा सकारात्मक श्रेणी में (37.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा अपना उत्तर दिया गया कि अर्थात पारिवारिक परिस्थितियां पुलिस की नौकरी में बाधा नहीं पहुंचाती हैं। उच्च अधिकारियों ने भी इस सन्दर्भ में अपना उत्तर बहुत कुछ सीमा तक अपने कनिष्ठ कर्मियों के समान ही प्रकट किया।

शिक्षित वर्ग के विश्लेषण के आधार पर निम्न शिक्षित वर्ग के 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर बहुत कुछ सीमा तक में दिया कि उन्हें पारिवारिक परिस्थितियां पुलिस की नौकरी में बाधा पहुंचाती है। जबकि 58.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ सीमा तक में अपना उत्तर प्रस्तुत किया यानी वह काफी हद तक इस मत से सहमत हैं कि पारिवारिक परिस्थितियां बाधा उत्पन्न करती हैं। केवल 5.36 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा नहीं में उत्तर दिया गया। जबकि उच्च शिक्षित वर्ग के (39.29 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बहुत कुछ सीमा तक में अपना उत्तर दिया तथा 42.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सिर्फ सकारात्मक रूप में कुछ सीमा तक में उत्तर दिया कि वे इस मत से कुछ हद तक ही सहमत हैं जबकि 17.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा नहीं की श्रेणी में उत्तर दिया गया। अर्थात वे मानते हैं कि पारिवारिक परिस्थितियां उनकी नौकरी करने में बाधा उत्पन्न नहीं करती है तथा वे पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ-साथ अपनी नौकरी की भी जिम्मेदारी को सरलता से पूरा करती हैं।

अतः तालिका का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात विभिन्न वर्ग के कुल 36.90 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बहुत कुछ सीमा तक में अपने उत्तर को रखा अर्थात् वह मानते हैं कि पारिवारिक परिस्थितियां उनकी नौकरी में बहुत बाधा पहुंचाते हैं। जबकि 53.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुछ सीमा तक में अपने उत्तर दिए कि कुछ सीमा तक पारिवारिक परिस्थितियां उनके नौकरी करने में बाधा उत्पन्न करती हैं और कुल



केवल 9.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना जवाब दिया कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियां उनके नौकरी करने में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। इसीलिए निष्कर्ष रूप से सम्पूर्ण तालिका का विश्लेषण एवं विभिन्न वर्ग के उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए उत्तर की श्रेणियों को देखकर कहा जा सकता है कि महिला पुलिस कर्मियों को पारिवारिक परिस्थितियां पुलिस नौकरी में बाधा उत्पन्न करती हैं क्योंकि कार्य की अवधि अधिक होने के कारण वे अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों को ठीक ढंग से नहीं निभा पाती हैं। महिलाओं की कठोर दिनचर्या निश्चित रूप से उनके निजी एवं सरकारी कार्यों को भी बहुत कुछ सीमा तक प्रभावित करती है।

**तालिका-5.8 महिला पुलिसकर्मी उत्तरदाताओं के अनुसार विभागीय परिस्थितियों में कार्य करने में कठिनाई का अनुभव**

| उत्तरदाताओं | हां | | नहीं | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| का विवरण | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 18-35 वर्ष | 39 | 78.00 | 11 | 22.00 | 50 | 100.00 |
| 35 वर्ष के ऊपर | 23 | 67.65 | 11 | 32.35 | 34 | 100.00 |
| **योग** | 62 | 73.81 | 22 | 26.19 | 84 | 100.00 |
| निम्न शिक्षित | 43 | 76.79 | 13 | 23.21 | 56 | 100.00 |
| उच्च शिक्षित | 19 | 67.86 | 9 | 32.14 | 28 | 100.00 |
| **योग** | 62 | 73.81 | 22 | 26.19 | 84 | 100.00 |
| निम्न अधिकारी | 43 | 75.44 | 14 | 24.56 | 57 | 100.00 |
| उच्च अधिकारी | 19 | 70.37 | 8 | 29.63 | 27 | 100.00 |
| **योग** | 62 | 73.81 | 22 | 26.19 | 84 | 100.00 |



पुलिस विभाग के कर्मियों में महिला पुलिसकर्मी भी अधिकाधिक शामिल हो रही हैं। जिसके कारण पुलिस विभाग की ढांचागत एवं कार्य क्षमता में भी काफी परिवर्तन आया है। बदलती परिस्थितियों के कारण एवं महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा महिला पीड़ितों के लिए अलग से महिला सेल की स्थापना की गई है, जो केवल महिलाओं से सम्बन्धित मामलों को निपटाती हैं।

इस मत का विश्लेषण करने के लिए महिला पुलिस कर्मी उत्तरदाताओं द्वारा मत लिया गया कि क्या विभागीय परिस्थितियों में कार्य करने में उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है या नहीं। पुलिस विभाग में कार्य करने का समय अन्य विभागों की तरह 10 से 5 बजे तक का नहीं होता और न ही छुट्टियों का प्रावधान अन्य विभागों की तरह पाया जाता है। त्यौहारों या अन्य मुख्य अवसरों पर जब अन्य महिलाएं अपने बच्चों एवं परिवार के साथ समय बिताती हैं तब महिला पुलिसकर्मी अपने घरों से दूर रहकर अपनी भूमिका निभाती हैं।

पुलिस विभाग की परिस्थितियां अन्य विभागों की तुलना में कठिन होती है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों से पूछा गया कि विभागीय परिस्थितियों में कार्य करते हुए क्या वे कठिनाई का अनुभव करती हैं। उपरोक्त आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता हैं कि महिलाएं पुलिस जैसे कठिन व्यवसाय को अपना रही हैं तथा अपनी कार्यक्षमता को विभिन्न तरीके से सिद्ध कर रही हैं। यद्यपि अपने उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें इस नौकरी को करने में कठिनाई का अनुभव है परन्तु वे इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करती हैं तथा अपने व्यवसाय का अपने परिवार की परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने का भी प्रयास करती हैं। अधिकतर पुलिस कर्मियों का ये भी मानना है कि विभाग की परिस्थितियां भी उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी तथा अन्य कमियां उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। महिला पुलिस की संख्या कम होने के कारण उन्हें अधिक समय तक कार्य करना होता है। जिसके फलस्वरूप वे कार्यभार में दबा हुआ महसूस करती हैं तथा उत्तरदाताओं ने यह भी स्वीकार किया अधिकांश

परिस्थितियों में उनको अपने पुलिस सहकर्मियों का भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है तथा वो संख्या अनुपात में कहीं अधिक है। इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि यदि परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है तो निश्चित रूप से उनकी कार्यक्षमता में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

लगभग तीन चौथाई उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि उनको वर्तमान परिस्थितियों में कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्होंने बताया कि अधिक कार्य करने की अवधि, कठिन कार्य, विभाग में मूलभूत सुविधाओं की कमी आदि अनेक ऐसी कठिनाई हैं जिन्हें विभागीय स्तर पर ही दूर किया जा सकता है। केवल एक चौथाई उत्तरदाताओं ने माना कि कुछ सीमा तक ही वे अपनी विभागीय परिस्थितियों से संतुष्ट हैं। उपरोक्त तालिका के परिणाम यह दर्शाते हैं कि पुलिस विभाग में अधिकांश महिला पुलिसकर्मी अपनी विभागीय परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं तथा कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करती हैं जो कुछ सीमा तक उनकी कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है।

यद्यपि महिलाएं आज पुलिस की नौकरी को स्वेच्छा से अपना रही हैं। परन्तु पारिवारिक जिम्मेदारियों एवं कठिन विभागीय परिस्थितियों के कारण उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ पुलिस महिला आज कमान्डोज की भूमिका भी निभा रही हैं जो निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। उनका मानना है कि यदि उन्हें उचित विभागीय वातावरण, कार्य करने की सुविधाऐं एवं उचित सहयोग प्रदान किया जाए जो निश्चित रूप से वे अपनी भूमिका को और सारगर्भित बना सकती हैं तथा अपराध रोकने एवं कानून व्यवस्था बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकती हैं।



## अध्याय-छह

# निष्कर्ष एवं सुझाव

आधुनिक युग में भारतीय समाज में महिलाओं की काम करने की परिस्थितियां बदल रही है, क्योंकि जहां तक पहले समय में महिलाएं सिर्फ घर के काम-काज व बच्चों को सम्भालने तक सीमित थीं वहीं पर आज वे न केवल घर-परिवार, बच्चों बल्कि वे देश की सीमाओं पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हैं। आज वह विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपनी भूमिका का निर्वाह बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक कर रही हैं। जो कार्यक्षेत्र कभी पुरुषों तक ही सीमित होता था आज वह कार्यक्षेत्र महिलाएं भी अपना रही हैं। आज की सशक्त नारी किसी भी कार्यक्षेत्र में जाने से नहीं डरती हैं उसके लिए चाहे उसे कितना ही संघर्ष व कठिन परीक्षाओं से क्यों न गुजरना पड़े। समाज में जहां पुलिस विभाग में केवल पुरुषों का ही वर्चस्व होता था वहां पर भी आज महिलाओं ने अपनी पैंठ बनानी शुरू कर दी है। आज की महिलाएं पुलिस विभाग में उन समस्त कार्यों को निभा रही हैं जो पहले केवल पुरुषों द्वारा ही किए जाते थे।

आज समाज महिला पुलिस से शायद अधिक उम्मीद करता है कि वह अपनी भूमिका को पूरी तरह से ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठता के साथ निभाए क्योंकि समाज द्वारा आज भी यह उम्मीद कायम है कि महिलाएं

पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती हैं। यदि पुलिस विभाग की बात करें तो सामान्यतयाः देखा जाता है कि पुरुष पुलिस कर्मी की अपेक्षा महिला पुलिस कर्मी अपने कर्तव्यों को अधिक ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठता के साथ निभाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप महिला पुलिस कर्मियों से अपेक्षाएं अधिक बढ़ गयी हैं। पहले महिला पुलिस कर्मी न होने की वजह से अधिकतर महिला केस पुरुष पुलिस कर्मियों के द्वारा ही देखे जाते थे। पर वर्तमान में समय परिवर्तन व महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के आंकड़े देखने के बाद महिला पुलिस कर्मियों की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसके फलस्वरूप कानून में परिवर्तन करते हुए महिला थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई तथा जनपद स्तर पर महिला पुलिस थानों की स्थापना की गयी है। महिलाओं से सम्बन्धित अपराध निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी भावनाओं एवं उनके साथ हुए अत्याचारों का ठीक प्रकार से विवरण जानने के लिए एवं मानसिक व भावनात्मक सहयोग के लिए महिला पुलिस कर्मियों की आवश्यकता को समाज व सरकार द्वारा महसूस किया जा रहा। समाज शास्त्रियों एवं मनोशास्त्रियों द्वारा यह माना गया है कि पीड़ित महिलाएं या अन्य महिलाएं अपने मानसिक एवं भावनात्मक विचारो को महिलाओं से ही ठीक प्रकार से व्यक्त कर सकती हैं। क्योंकि उनका मानना होता है कि एक महिला को दूसरी महिला ही ठीक प्रकार से समझ सकती है। परिणामस्वरूप समाज व सरकार ने भी स्वीकार किया है कि पीड़ित महिला को एक महिला पुलिस कर्मी ही ठीक प्रकार से संभाल व न्याय का विश्वास दिला सकती है। जिस प्रकार एक घर को सम्भालने में किसी महिला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ठीक उसी प्रकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में व समाज में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार कोई महिला किसी घर को भावनात्मक व सुरक्षात्मक रूप से अपना सहयोग प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार किसी पीड़ित महिला एवं शोषित महिला को भी महिला पुलिस कर्मियों द्वारा भावनात्मक व सुरक्षात्मक सहयोग प्रदान करती हैं।



आज की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में काम करने से नहीं घबराती हैं, क्योंकि समाज में यह बदलाव की स्थिति को स्वीकार करते हुए महिलाओं की आवश्यकताओं एवं उनकी समाज के प्रति भूमिकाओं को महसूस किया गया है। चाहे वह देश सम्भालने, सीमाओं की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात हो तो जितनी जरूरत पुरुष कर्मियों की है उतनी ही जरूरतें महिला कर्मियों की हैं, क्योंकि समय की मांग एवं व्यवस्था बनाए रखने की जरूरतों को देखते हुए महिला कर्मियों की भी आवश्यकता को महसूस किया गया।

ट्रैफिक व्यवस्था सम्भालने की भूमिका हो या फिर सीमाओं पर सीमा सुरक्षा व्यवस्था की भूमिका हो या फिर स्पेशल टास्क पुलिस फोर्स की भूमिका या फिर सिविल पुलिस द्वारा समाज में शांति व व्यवस्था बनाए रखने की भूमिका हो, हर भूमिका को महिला कर्मियों द्वारा पूरी कर्तव्यनिष्ठता के साथ निभाया जाता है। अगर महिला कर्मियों की तैनाती की बात करें तो आंकड़े दर्शाते हैं कि आज की वर्तमान स्थिति में महिला कर्मियों की तैनाती की संख्या का आंकड़ा भी काफी बड़ा है। जहां तक यह क्षेत्र पहले पुरुष कर्मियों तक ही सीमित माना जाता था पर आज यह क्षेत्र महिलाओं का भी होने लगा है। जिस तरह स्थितियां समनुरूप बदल रही हैं उसके कारण ही महिला कर्मियों की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा है।

पीड़ित एवं शोषित महिला से वास्तविक स्थिति को ठीक प्रकार से जानने की भूमिका महिला कर्मियों द्वारा ही अच्छे से निभायी जा सकती है, क्योंकि महिलाएं भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। जिसके कारण महिला पुलिसकर्मी अधिक अच्छी तरह से पीडित एवं शोषित को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सहयोग प्रदान कर सकती हैं। वही दूसरी तरफ पुरुषकर्मी द्वारा इस तरह का भावनात्मक लगाव कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि पुरुषों का स्वभाव थोड़ा कठोर व सख्त माना जाता है इसलिए माना जाता है कि अधिकतर महिला पीड़ितों को ठीक प्रकार से समझकर उनकी समस्या का समाधान हेतु महिला कर्मियों का सहयोग अधिक सारगर्भित रहता है।

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्पेशल महिला थानों की

स्थापना की गई है ताकि जो महिला समस्याएं सिर्फ साधारण पुलिस थाने में ही सुनी जाती थीं और जहां पर अधिकतर पुरुष कर्मी द्वारा पुरुषों का साथ व सहयोग देने के आरोप लगते थे अतः इसको समाप्त खत्म करने व पीड़ित महिला के साथ सहयोग न्याय, भावनात्मक सुरक्षा के हेतु महिला सेल एवं महिला थानों की स्थापना की गई। जिसमें महिला कर्मियो द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो महिलाओं से सम्बन्धित होती हैं उनको सुलझाने व उनकी मदद करने में महिला कर्मियों की भूमिका सार्थक रही हैं और आज की स्थिति यह है कि आज महिला सेल में वे सब समस्याएं भी महिलाएं लेकर आ रही हैं जिनको कहने में वह पहले हिचकिचाती थीं या फिर पुरुष दबाव के कारण खुलकर नहीं कह पाती थीं। आज महिलाओं में बदलाव आया है वह अपने अधिकार के प्रति जागरूक, अपनी समस्याओं के प्रति जुझारू एवं अपनी उपस्थिति को हर उस क्षेत्र में दर्ज करवाना चाहती हैं, जिसमें कभी पहले पुरुषों का वर्चस्व रहा हो।

वर्तमान समय में समय की मांग एवं बदलाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि महिला कर्मियों की भूमिका आज हर जगह बनी हुई है। समाजशास्त्री एवं मनोशास्त्री भी यह मानने लगे हैं कि शोषित व पीड़ित महिला को समझने के लिए महिला कर्मियों की आवश्यकता है, क्योंकि आज हर छोटे-बड़े शहर या गांव में जिस तरह महिला सेल की स्थापना की जा रही है और उनमें बढ़ती महिला पीड़ितों की समस्याएं के आंकड़े देखने को मिलते हैं, उससे महसूस किया जा सकता है कि आज की महिला कर्मी इस तरह की समस्याओं का समाधान खुद कर रही हैं। जहां पहले समय में उसे दोयम दर्जे का माना जाता रहा है और जिसकी पहचान पुरुषों के द्वारा ही होती थी। आज वह खुद की पहचान व किसी भी तरह की समस्या को खुलेवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वर्तमान में दर्ज आंकड़े दर्शाते हैं कि आज महिलाओं से सम्बन्धित अधिक से अधिक मामलों की रिपोर्ट दर्ज की जाती हैं और उन्हें सुलझाने व दूर करने का प्रयास किया जाता है। महिला पुलिस कर्मी होने की वजह से महिलाएं खुलकर अपनी समस्याओं को बता पाती हैं जो पहले



पुरुष कर्मियों के साथ सम्भव नहीं था। क्योंकि आज भी भारतीय समाज में महिलाएं अपनी समस्याएं या परेशानी महिलाओं के साथ खुलकर ही बता सकती हैं जबकि ऐसी स्थिति पुरुष कर्मियों के साथ नहीं हैं। समाज व हमारी संस्कृति ऐसी है कि महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर पुरुषों के साथ बात नहीं कर पाती हैं। बदलते समाज की परिस्थितियों व महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महिला थानों की स्थापना की जा चुकी है एवं की जा रही है। जिसके माध्यम से इस तरह की समस्याओं को समझने व सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

महिला कर्मियों की भूमिका की बात करें तो वर्तमान समय में यह स्थिति बदलाव पूर्ण रही है। आज सभी परिस्थितियों में चाहे कोई मेला हो, बुक फेयर, ट्रेडफेयर वी.आई.पी. व्यवस्था, किसी जगह सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका हो या फिर किसी दंगे-फसाद की जगह हो या फिर कर्फ्यू जैसी स्थिति क्यों न हो, महिला कर्मियों ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभायी है। आज हर जगह महिला पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश की जा रही है। अगर बात महिला थाने में दर्ज शिकायतों के आंकड़ों की बात करें तो पता चलता है कि पहले के मुकाबले आज महिलाएं अपनी खुलकर समस्याएं बता रही हैं एवं शिकायतों को दर्ज करवा रही हैं। आज उनकी सुनवाई के लिए उनके पास एक मानसिक एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने वाली महिला पुलिस कर्मी हैं। जो उनको समझकर उनकी समस्याओं का भावनात्मक रूप से समाधान निकालती हैं और उनकी समस्याओं को ठीक प्रकार से समझकर उन्हें समझाती हैं कि किस प्रकार वह ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकती हैं। महिला पुलिस कर्मी अच्छी तरह से महिलाओं की समस्या के समाधान का निष्कर्ष निकालती हैं और उन्हें समझने व समझाने का प्रयत्न करती हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण करने से निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति अपराध की वारदातें दिनोंदिन बढ़ रही हैं तथा महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अपराधों व शोषण के विरुद्ध पुलिस थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा रही है एवं वह न्याय पाने के

लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में भी नहीं हिचकती हैं। उनको न्याय दिलाने में आज महिला पुलिस कर्मी भी पीछे नहीं हैं, चाहे वह बलात्कार, घरेलू हिंसा, अनैतिक व्यापार, शोषण एवं अन्य प्रकार के आपराधिक मामले ही क्यों न हों, पुलिस महिला कर्मी इन सबसे सभी महिलाओं को न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। आज महिला पुलिस कर्मी इन सब अपराधों व शोषण के विरुद्ध महिलाओं की रिपोर्ट भी दर्ज करती हैं तथा उन्हें भावनात्मक रूप से सहयोग भी प्रदान करती हैं, ताकि वह खुलकर अपनी समस्याओं व अपने ऊपर हो रहे शोषणों को बता सकें। ताकि महिला पुलिस कर्मी उन्हें भावनात्मक व मानसिक रूप से सुरक्षा व सांत्वना प्रदान कर उचित न्याय दिलवा सकें।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने जनता के 395 उत्तरदाताओं के माध्यम से सर्वेक्षण प्रपत्र द्वारा महिला पुलिस से अपेक्षाओं पर महिला पुलिस कर्मियों पर एक अनुसंधानात्मक सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण उत्तर भारत के राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान आदि राज्यों में किया गया। उत्तरदाताओं के उत्तर अनवेषणात्मक विश्लेषण के निष्कर्षो पर आधारित हैं। सर्वेक्षण में विभिन्न वर्ग के उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है। उत्तरदाताओं में से 15 से 30 वर्ष वर्ग में 27.97 प्रतिशत तथा 31 से 45 तक 41.16 तथा 45 से ऊपर 30.87 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। निम्न शिक्षित 44.70 प्रतिशत तथा 55.30 उच्च्य शिक्षित उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। व्यवसाय के आधार पर 27 प्रतिशत नौकरी पेशा, व्यवसायी 29.59 प्रतिशत तथा 43.41 प्रतिशत अन्य वर्गों में से हैं। 41.80 प्रतिशत महिलाएं तथा 58.20 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता हैं। सभी जातियों, धर्मो एवं क्षेत्रों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।

महिला पुलिस उत्तरदाताओं में से 59.52 प्रतिशत तथा 30 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 40.48 प्रतिशत हैं। 66.67 प्रतिशत निम्न अधिकारी तथा 33.33 प्रतिशत उच्च्य अधिकारी वर्ग से हैं। शिक्षा के आधार पर 67.86 प्रतिशत निम्न शिक्षित 32.14 प्रतिशत उच्च्य शिक्षित वर्ग से हैं। इन उत्तरदाताओं के माध्यम से सभी को उचित



प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। यद्यपि इस अनवेषणात्मक अध्ययन की अपनी अनेक सीमाएं हैं परन्तु फिर भी यह अनवेषण अपना सार्वभौमिक स्वरूप रखता है। सर्वेक्षण के माध्यम से कुछ परिकल्पनाओं को परखने का प्रयास किया गया है। सामान्य तथा महिला पुलिस उत्तरदाताओं से विषय से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न पूछे गए जिनके उत्तर देने के लिए उत्तरदाताओं के समक्ष विभिन्न विकल्प रखे गए तथा कुछ प्रश्नों के माध्यम से उत्तरदाताओं का खुला मत जानने का प्रयास किया गया। संग्रहित आंकड़ों को प्रतिशत के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है।

पुलिस विभाग में महिलाओं की उपस्थिति निरन्तर बढ़ रही है तथा वे विभिन्न पदों पर कार्य कर रही हैं। इस सम्बन्ध में दो तिहाई उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला पुलिस की उपस्थिति से विभाग में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया हैं पीड़ित महिला, महिला पुलिस के समक्ष अपनी बात को अधिक सरलता से कह सकती है। दूसरी तरफ कुछ उत्तरदाता महिला पुरुष कर्मियों की उपस्थिति के प्रति अधिक आशावान नहीं है।

सामान्य नागरिकों के द्वारा यह महसूस किया जाता है कि पुलिस कर्मियों का व्यवहार कठोर रहता है यद्यपि उसके अनेक कारण हैं। पर जब बात महिला पुलिसकर्मियों की आती है तो वो आधे से अधिक उत्तरदाताओं 53.38 प्रतिशत का मानना है कि उनका व्यवहार तुलनात्मक रूप से बेहतर होता है। केवल 22.19 प्रतिशत उत्तरदाता उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं। जबकि कुछ प्रतिशत मतदाता ऐसे हैं जो अभी तक महिला पुलिस कर्मियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके सम्पर्क में नहीं आए हैं परिणाम स्वरूप वे अपना मत व्यक्त नहीं कर पाए।

सामान्य उत्तरदाता वर्ग के लगभग तीन चौथाई 71.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं को अधिक से अधिक पुलिस सेवाओं में आना चाहिए जिससे कि वे महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर नियन्त्रण लगा सकें तथा साथ ही साथ महिला पीड़ितों को भी सुरक्षा व अपनत्व प्रदान कर सकें। आंकड़े दर्शाते हैं कि वो ही

महिलाएं पुलिस विभाग में अधिक हैं जिनके परिवार से इस विभाग में कोई कार्यरत हैं या कुछ संख्या में मृतक आश्रित के रूप में भी कार्य कर रही हैं। उत्तरदाताओं का मानना है कि समाज के शेष वर्ग से भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। महिलाओं की संख्या में वृद्धि के लिए उनको प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता है जिससे वे अन्य व्यवसायों की तरह इस व्यवसाय को भी अपना सकें।

52.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह सुझाव दिया कि महिला पुलिस को आधुनिक प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। यदि पिछले कुछ वर्षों के अपराध के आंकड़ों की बात करें तो इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। परम्परागत अपराधों की अपेक्षा नवीन प्रकार के अपराध अधिक घट रहे हैं, जिन पर नियंत्रण करना पुलिस के लिए निश्चित रूप से कठिन कार्य होता है। इसलिए महिला पुलिस यदि आधुनिक रूप से प्रशिक्षित होतीं हैं तो वह न केवल अपराधों की जांच पड़ताल में अधिक सक्षम होंगी बल्कि अपराधों को रोकने में भी अभी कारगर भूमिका निभा सकती हैं।

लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि महिला पुलिस अपनी भूमिका को निभाने में बहुत कुछ सीमा तक सफल रही हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में अपनी भूमिका को पुरुष पुलिस की तुलना में बेहतर सिद्ध किया है। इन उत्तरदाताओं ने यह भी प्रत्युत्तर दिया कि महिला पुलिस अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा सकती है तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकती हैं, तथा जनता की अपेक्षाओं को विभिन्न अवसरों पर पूरा कर सकती हैं। उत्तरदाताओं का एक छोटा समूह ऐसा था जो इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं था तथा उनका मानना था कि महिला पुलिस कर्मी अपने पुरुष सहकर्मियों की भांति ही कार्य करती हैं तथा समाज के उनसे जो अपेक्षा है वे उस पर खरी नहीं उतरती हैं।

उत्तरदाताओं का एक बड़ा समूह 49.52 प्रतिशत का मानना है कि शहरों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला सेल व थानों की स्थापना की जानी चाहिए। जिससे ये महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर अंकुश लगा सकें तथा महिलाओं के अन्दर विश्वास पैदा कर सकें।



पुरुष की अपेक्षा महिला उत्तरदाताओं ने इस बात को दृढ़ रूप से कहा कि ये सेल/थाने निश्चित रूप से अपराध नियंत्रण एवं व्यवस्था बनाए रखने में अपना सक्रिय सहयोग देंगे तथा जनता के मध्य पुलिस की खराब छवि को दूर करने में सहायक होंगे। केवल एक चौथाई, उत्तरदाताओं ने अपना मत व्यक्त किया कि महिला थानों की स्थापना से भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली भी अपने अन्य सहकर्मियों के समान ही होती है।

महिला पुलिस के सम्बन्ध में सामान्य उत्तरदाताओं का अपना दृष्टिकोण है परन्तु दूसरी तरफ महिला पुलिस कर्मियों की विभाग में अपनी कुछ समस्याएं हैं जिनके रहते उन्हें अपनी भूमिका को निभाना होता है।

नौकरी की परिस्थितियां कठिन होने के कारण उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कार्य घंटों की अधिकता और सुविधाओं की कमी तथा अन्य विभाग की परिस्थितियां भी उन्हें कठिनाई पैदा करती हैं जिसका प्रभाव कभी-कभी उनकी कार्य क्षमता पर भी पड़ता है।

विभाग में सहकर्मियों के सहयोग की बात करें तो महिला पुलिस का मानना था कि सहकर्मी उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं जिससे मिलकर कार्य करना उनके लिए सरल हो जाता है। परन्तु कुछ उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनके पुरुष सहकर्मी उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं। मेरठ जनपद की बात करें तो महिला पुलिस के द्वारा अपने सहकर्मी पर छेड़खानी का आरोप भी लगाया था जिसकी शिकायत उसने एस.एस.पी. स्तर पर इस बात की शिकायत की तथा उचित न्याय न मिलने पर वह विभाग से छुट्टी लेकर चली गयी। इस तरह के मामले ये दर्शाते हैं कि सहयोग की बात तो दूर वे विभाग में स्वयं भी सुरक्षित नहीं हैं। इस प्रकार के विभागीय मामले न केवल विभाग में बल्कि सामान्य लोगों के मध्य भी अविश्वास की भावना पैदा करते हैं तथा अभिभावक अपनी लड़कियों को इस नौकरी में भेजने से हिचकिचाते हैं।

दो तिहाई से अधिक महिला पुलिसकर्मी उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में कठिनाई का

अनुभव होता है, क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अपराध घटित पर उनके समक्ष आते हैं इसलिए इन अपराधों को नियंत्रित करना उनके लिए निश्चित रूप से कठिन कार्य होता है। दूसरी तरफ उन्होंने उत्तर दिया कि विभागीय एवं राजनीतिक दबाव के कारण भी वे परेशानी महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा चलाए गए 'आपरेशन मजनू' को भी उन्हें दबाव के कारण बंद करना पड़ा था तथा कुछ मामलों में महिला पुलिस कर्मियों को सस्पेंड तथा स्थानान्तरण के रूप में दण्डित भी किया गया था। इस प्रकार की कार्रवाई उनको अपराध को नियंत्रण करने में बाधा पहुंचाती है, तथा उनके मनोबल को भी कम करती है तथा साथ ही साथ समाज में उनकी छवि को भी धूमिल करती है।

महिला पुलिस में से अधिकतर 90.48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियां भी किसी न किसी रूप में बाधा पहुंचाती हैं। भारतीय समाज में अभी भी महिलाओं को घर की पूर्ण जिम्मेदारी निभानी होती है चाहे वे किसी भी प्रकार की नौकरी करती हों। पुलिस विभाग में होने के कारण उनके कार्य करने के घंटे निश्चित नहीं होते हैं जिससे उन्हें अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में कठिनाई होती है। स्थानान्तरण के कारण भी महिला पुलिस अपने परिवार से दूर हो जाती हैं जिससे परिवार एवं कार्यालय में तालमेल बैठाना उनके लिए कठिन कार्य होता है।

महिला पुलिसकर्मियों 73.81 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि अपनी विभागीय परिस्थितियों में उन्हें कार्य करने में कठिनाई का अनुभव होता है। कार्य करने के घंटों की अधिकता, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, अवकाश समय पर न मिल पाना, आवासीय कमी, अधिकारियों का सहयोग न मिलना, कार्य की अधिकता, विभागीय एवं राजनीतिक दबाव उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। दबाव के कारण होने वाले स्थानान्तरण न केवल पारिवारिक कठिनाई पैदा करते हैं बल्कि विभागीय स्तर पर भी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आवासीय कमी के कारण महिलाओं को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है जो कि निश्चित रूप से उनकी मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है। विभाग में सहयोग न मिलने के कारण



अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

महिला पुलिस अपनी भूमिका को निभाने का हर सम्भव प्रयास करती है यद्यपि पारिवारिक एवं विभागीय परिस्थितियां उनके इस मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है परन्तु इसके उपरान्त भी वे इनको चुनौती के रूप में स्वीकार करती हैं।

अनुभव के आधार पर 71.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि महिला पुलिस महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को अधिक कारगर तरीके से देखती हैं। वे न केवल अपराधों के रोकने में बल्कि अपराधों की जांच पड़ताल के लिए भी अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित महिलाओं तथा अन्य वर्गों में महिला पुलिस की उपस्थिति अपनत्व की भावना पैदा करती है।

पुलिस की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करें तो आधे से अधिक 55.63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिला पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं तथा उनका मानना है कि महिला पुलिस अपनी भूमिका का निर्वहन सफलता पूर्वक कर रही है परन्तु एक चौथाई उत्तरदाता इस मत से असहमत थे।

सामान्य उत्तरदाताओं में एक चौथाई का मानना है कि महिला पुलिस को महिला सम्बन्धित मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए। उनका मानना था कि महिला पुलिस महिला पीड़ितों को न्याय दिलाने में तथा साथ ही साथ महिला अपराधियों से सम्बन्धित मामलों की जांच पड़ताल करने में सार्थक भूमिका निभा सकती है परन्तु उसके लिए इनको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए तथा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 18.33 प्रतिशत इस मत से असहमत थे उनका मानना था कि महिला पुलिस को सामान्य पुलिस की भांति सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए। 33.12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात पर बल दिया कि महिला पुलिस को सुविधा के अनुसार स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिए। उनका मानना था कि निश्चित रूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है परन्तु अन्य अपराध भी उसी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं इसलिए महिला पुलिस को सभी प्रकार के अपराधों को रोकने से सम्बन्धित कार्य करने चाहिए।

82.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि महिला पुलिस ही महिलाओं एवं बच्चों से अपराधों के सम्बन्ध में बेहतर पूछताछ कर सकती हैं। समाज में अभी भी महिलाएं अपनी समस्या पुरुषों से कहने में झिझकती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वास्तविक तथ्य सामने नहीं आ पाते हैं और न ही पीड़ितों को उचित न्याय मिल पाता है। इसलिए महिला पुलिस द्वारा की गयी पूछताछ निश्चित रूप से अपराधियों एवं पीड़ितों में विश्वास पैदा करती है।

लगभग तीन चौथाई उत्तरदाताओं का मानना है कि वर्तमान बदलते परिवेश में महिला पुलिस सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। वैश्वीकरण के दौर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं जिसका प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक या दोनों प्रकार का होता है। ऐसी परिस्थितियों में महिला पुलिस समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकती है तथा अप्रत्यक्ष रूप से विकास को गति भी प्रदान कर सकती है।

57.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं की अधिकता वाले स्थानों पर महिला पुलिस की उपस्थिति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों पर नियन्त्रण बनाए रखने में कारगर सिद्ध होती है। आज महिलाएं कार्य हेतु अधिकाधिक घर से बाहर आ रही हैं। महिलाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, रेलवे स्टेशन, बस स्टापों, सिनेमाघरों तथा बाजार, स्थानों पर सफेदपोश आधुनिक महिलाएं अपराध कर रही हैं तथा आज महिलाएं प्रदर्शनों में भी आगे आकर उनका नेतृत्व कर रही हैं, उन सबसे निपटने के लिए महिला पुलिस की अनिवार्यता व उपयोगिता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हो रहे आपराधिक मामलों को सुलझाने में महिला पुलिस कर्मियों का योगदान सराहनीय रहा है। महिला पुलिस कर्मियों के प्रयत्नों के कारण शोषित महिला खुलकर अपनी समस्या व उसके समाधान हेतु बात करती है। इन्हीं सब प्रयासों को और सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा महिला सेल की स्थापना की गई है। जिसमें मैरिज काउन्सिलिंग से लेकर अन्य समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है ताकि पीड़ित महिला



को उचित न्याय मिल सके। महिला सेल को स्थापित करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि पीड़ित महिला, को उचित न्याय मिल सके ताकि वह समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखें, पीड़ित महिला महिला पुलिस कर्मी को खुलकर अपनी समस्या को बता सके ताकि उस समस्या का उचित समाधान निकाला जा सके और पीड़ित महिला को न्याय मिल सके तथा अपराधी को सजा मिले। इसी वजह से महिला सेल में सिर्फ महिला पुलिस कर्मियों की ही नियुक्ति की गई है, ताकि वह पीड़ित की समस्या को अधिक भलीभांति प्रकार से समझकर उसका समाधान व न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके।

पीड़ित महिलाओं के प्रति अधिकतर पुरुष पुलिस कर्मी का रवैया अपमानजनक व व्यंग्यात्मक रहता है। पुरुष पुलिस कर्मियों के द्वारा शोषित महिला के प्रति कोई सहानुभूति जैसी भावनाएं भी सामान्यतः देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि पुरुष पुलिस कर्मी खुद एक पुरुष है और अपराध करने वाले भी अधिकतर पुरुष ही होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में एक पुरुष दूसरे पुरुष को बचाने की हर सम्भव कोशिश करता है, जिसके कारण पीड़ित महिला को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखकर ही महिला सेल/महिला पुलिस थानों की व्यवस्था की गई जिसमें सिर्फ महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई जो पीड़ित महिला को ठीक प्रकार से न्याय दिला सकें और उन्हें भावनात्मक सुरक्षा प्रदान कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पीड़ित महिला को जल्द व उचित न्याय मिल सके। सरकार द्वारा महिला न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिसमें न्यायाधीश महिलाएं होती हैं जो सिर्फ महिलाओं से सम्बन्धित मामलों की ही सुनवाई होती है। इसमें सिर्फ दोषी व उसका वकील ही पुरुष हो सकते हैं। इन न्यायालयों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिला को जल्द व उचित न्याय दिलवाना, उसे अपने ऊपर किए गए शोषण या अपराधों का ब्यौरा निर्भिक होकर देने का माहौल प्रदान करना होता है, आम न्यायालय में पीड़ित महिला को व्यंग्यों व अपनामनजनक बातों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह अपने ऊपर हुए शोषण/अत्याचार को खुलकर बयान नहीं कर पाती है।

जिससे पीडिता को उचित न्याय नहीं मिल पाता है और दोषी सजा पाने से बच जाता है।

इन सभी परिस्थितियों में महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि महिला पुलिस पीड़ित महिला की व्यथा को ठीक प्रकार से समझ सकती है और वह पीड़िता को भावनात्मक व मानसिक सुरक्षा व शांति प्रदान करती हैं।

**महिला पुलिस के कार्य एवं अपेक्षाएं**

वर्तमान समय की परिस्थितियों का विश्लेषण करें तो महसूस होता है कि हमारे समाज को जितनी जरूरत पुरुष पुलिस स्टाफ की है उतनी ही जरूरत महिला पुलिस स्टाफ की है क्योंकि कुछ कार्यों को केवल महिला पुलिस द्वारा ही अच्छे ढंग से पूर्ण किया जा सकता है। आज समाज में आए परिवर्तनों के कारण एवं महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों एवं अपराधी महिलाओं को पकड़ने व उनकी समस्याओं को सुनने व समझने में महिला पुलिस कर्मियों की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है। महिला पुलिस के कार्य समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के केसों को सुलझाने में मदद करना, पारिवारिक कलह व मतभेदों को महिला सेल के द्वारा सुलझाना, पारिवारिक समस्या समाधान सेल में परामर्श सलाहकारों द्वारा आपसी मतभेदों व समस्याओं का समाधान करवाना, महिला सेल की स्थापना स्कूलों व कालेजों में करवाना आदि ताकि मनचले युवकों पर पाबन्दियां लग सकें। महिला पुलिस के कार्यों में दंगे-फसाद, हड़ताल, जैसी स्थितियों में महिलाओं को सुरक्षित करना एवं आन्दोलनकारी महिलाओं को समझा-बुझाकर उन्हें उग्र होने से रोकना आदि, सम्मिलित किए जा सकते हैं।

महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा दहेज पीड़ित या अन्य प्रकार से पीड़ित महिलाओं की समस्या को सुनकर उन्हें सांत्वना प्रदान करना तथा उनकी समस्या यानी पीड़िता को न्याय दिलवाने की कोशिश करना महिला पुलिस कर्मियों का मुख्य कार्य है। महिला पुलिस कर्मियों के कार्यों का विस्तार दिन प्रतिदिन हो रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे या बस स्टैण्ड जैसी जगहों पर चैकिंग जैसे कार्यों में भी उनकी जरूरत महसूस



होने लगी है तथा बलात्कार की शिकार महिलाओं, बच्चों का संरक्षण और महिला कैदियों को सम्भालने का कार्य भी महिला पुलिस द्वारा ही किया जाता है।

महिला पुलिस कर्मियों से अपेक्षाओं की बात करें तो वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के बराबर कन्धे से कन्धे मिलाकर कार्य कर रही हैं तो उन्हें अबला या सिर्फ नाजुक स्त्री मानकर उनके स्वाभिमान को या फिर कहें कि आत्मबल को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसी कारण आज बदलते परिवेश के कारण समाज भी उनसे अधिक अपेक्षाएं करने लगा है। महिला सिर्फ महिला न होकर महिला पुलिस कर्मी है तो उससे समाज व सब लोगों की अपेक्षाएं निश्चित रूप से बढ़ जाती हैं। महिला पुलिस कर्मियों से समाज की अपेक्षाएं होती हैं कि जिस तरह से पुरुष पुलिस कर्मी महिला पीड़िता से व्यवहार करते हैं या फिर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है तो समाज उम्मीद करता है कि महिला पुलिस कर्मी द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाया जाए, पीड़िता की समस्या को सुनकर उसे सांत्वना एवं सहारा दे ताकि पीड़िता को लगे कि वह अकेली नहीं है। महिला पुलिस कर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता के साथ अपने कार्यों की जिम्मेदारी को पूर्ण करें, ताकि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार थोड़ा कम किया जा सके।

महिला पुलिस कर्मी, अन्य महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करें ताकि पीड़िता या फिर अन्य महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए व पुरुष प्रधान समाज से लड़ सके। महिला पुलिस कर्मी से खासतौर पर महिलाएं अधिक अपेक्षाएं करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज कोई भी जो उसकी समस्या को सुनकर उसे न्याय दिलवा सकता है और उसे समाज में स्थान दिलवा सकती है वे पुलिसकर्मी ही हैं। महिला कैदियों व उसके बच्चों को संरक्षण प्रदान किए जाने के लिए भी महिला पुलिस द्वारा अपेक्षाएं की जाती हैं ताकि महिला कैदी व उसके बच्चे सुरक्षित संरक्षण में रह सकें।

**जनता के साथ मधुर व्यवहार-**

पुलिस का व्यवहार आम व्यक्ति के लिए अधिकतर आलोचनात्मक रहा है और आम व्यक्ति की यह शिकायत रहती है कि पुलिस उनके साथ अपराधी न होने पर भी अपराधियों जैसा ही व्यवहार करती है। पर दूसरी तरफ जब महिला व्यवहार का विचार आता है तो यह माना जाता है कि महिला व्यवहार सबसे अधिकतर शिष्टाचार से पूर्ण होता है और जबकि इसके विपरीत पुरुषों का व्यवहार ज्यादा मधुरता पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए हमारे समाज द्वारा महिला पुलिस कर्मियों से यही उम्मीद की जाती है कि उनका व्यवहार भी जनता के प्रति मधुरता पूर्ण रहे तथा जनता के साथ-साथ महिला पुलिस कर्मी पीड़ित महिलाओं एवं महिला कैदियों व उनके बच्चों के साथ भी मधुरतापूर्ण व्यवहार करें।

हड़ताल एवं दंगे-फसाद की स्थिति में, किसी केस के मामले की तहकीकात में एफ.आई.आर. दर्ज कराने में या फिर परामर्श केन्द्रों में आदि में महिला पुलिस कर्मियों से जनता के साथ खासकर महिला जनता के साथ मधुरपूर्ण व्यवहार की उम्मीद की जाती है ताकि मानसिक रूप से पीड़िता अपने आपको अपराधी या फिर स्वयं को ही उस होने वाली घटना का जिम्मेदार न मानने लगे। समाज और उसमें रहने वाले लोग महिला पुलिस कर्मियों से अपने प्रति या समाज के अन्य नागरिकों के प्रति मधुर व्यवहार भी ही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अधिकतर पीड़ित या शोषित महिला मानसिक रूप से ज्यादा पीड़ित होती है और ऐसे समय में उसे मानसिक सहारे और शांति की जरूरत होती है। इसलिए जब पीड़िता अपनी समस्या को लेकर महिला थाने जाती है तो वह मानसिक सहारे व मधुर व्यवहार की उम्मीद करती है और उसे उम्मीद होती है कि सामने वाली चूंकि महिला ही है अतः वह उसको व उसकी समस्या को समझते हुए मधुरतापूर्ण व्यवहार की उम्मीद रखती है। इसी के परिणामस्वरूप महिला पुलिस कर्मियों से उनकी अपेक्षा और भी अधिक हो जाती है।



**स्कूल व कालिज स्तर पर शिक्षा-**

इस सन्दर्भ में महिला पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी व उनसे अपेक्षाएं समाज द्वारा काफी बढ़ गई हैं आज के वर्तमान समय की आधुनिकता को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्कूल व कालिज स्तर पर शिक्षा के स्तर को ओर अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। किशोरियों से छेडछाड, रेप, किडनैपिंग, अनैतिक व्यवहार, छींटाकशी आदि वारदातें स्कूलों व कालेजों से ही शुरू होती है और किशोर उम्र के कारण ज्यादातर किशोरियां इन सब वारदातों की शिकार बनती रहती हैं। अतः इन सबसे किशोरियों को बचाने के लिए एवं उन्हें जागरूक करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को स्कूलों व कालिजों में शिक्षा के साथ-साथ इन सबके प्रति भी जागरूक करवाने की कोशिश करनी चाहिए। ताकि छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा की भी जानकारी दी जा सके और समाज में हो रहे आपराधिक घटनाओं के प्रति स्कूली व कालिजों की छात्राओं को सतर्क रखा जा सके। छात्राओं को सतर्क करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को स्कूलों व कालिजों के प्रबन्धकों से मिलकर महिला सेल की स्थापना करवाने के लिए जागरूक करवाना चाहिए और साल में या फिर छः महीने में एक बार व्यावहारिक शिक्षा के लिए अलग से व्याख्यान की बात करने की सलाह देनी चाहिए। व्यावहारिक शिक्षा की जानकारी से युवा छात्र-छात्राएं आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधी से बच सकें और अपने आस-पास के लोगों को भी अपराध से बचने के लिए प्रेरित कर सकें। जब तक इन स्तरों पर शिक्षा के माध्यम से जागरूकता नहीं होगी तब तक अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की हिम्मत बढ़ती रहेगी ओर ऐसे ही अपराध होते रहेंगे।

**गैर सरकारी संगठनों के साथ तालमेल-**

आज वर्तमान समय में जितना जरूरी तालमेल समाज के संगठनों के साथ होना जरूरी है उतना ही जरूरी तालमेल गैर सरकारी संगठनों के साथ होना है। क्योंकि आज के समय में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। गैर संगठनों द्वारा वे भी सारे कार्य

किए जाते हैं जो एक सरकारी संगठनों के द्वारा किए जाते हैं। महिला पुलिस कर्मी भी गैर सरकारी संगठनों के साथ तालमेल स्थापित करके अपराधों को रोकने में एवं समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं व्याप्त कुरीतियों को काफी हद तक रोक सकती है। महिला पुलिस द्वारा इन संगठनों पर दबाव न बनाकर बल्कि उनके साथ तालमेल करने की कोशिश की जानी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर महिला पुलिस पीड़ित महिला एवं महिला के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता एवं महिला अधिकारों, बच्चों की शिक्षा एवं उनके पालन-पोषण आदि की जानकारियां प्रदान कर सकती हैं। महिला पुलिस गैर संगठनों के साथ मिलकर समाज में जागरूकता ला सकती है जिससे समाज में पीड़ित महिला को न्याय मिल सके और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा महिला पुलिस विकास कार्यक्रमों को चलवा सकती है और उन्हें सरकारी मदद भी दिलवा सकती है।

**ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाना-**

शहरी जागरूकता के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता लाने की अधिक आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण समाज का पर्यावरण शहरी पर्यावरण से भिन्न होता है और गांव में ज्यादातर कानूनी व्यवस्था का जिम्मा पंचायत और पंचायत अध्यक्ष व सरपंच के पास होता है। इसलिए इनमें अधिकतर पुरुषों की ही भागीदार होती हैं। औरतों की संख्या तो नगण्य होती है। अतः महिला पुलिस को शहरी जागरूकता के साथ-साथ ग्रामीण जागरूकता लाना भी उतना ही आवश्यक है। प्रथम पहल महिला सेल की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए ताकि महिला सेल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीड़ित महिला को न्याय दिलवाना एवं महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को सामने लाकर उन पर अंकुश लगाया जा सके।

महिला पुलिस को गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता लानी चाहिए ताकि ग्रामीण नागरिक भी अपने आपको जागरूक बना



सकें ओर अपने अधिकारों को जानकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह कर देश के विकास के साथ अपने कदम बढा सकें।

**अशिक्षित महिलाओं को जागरूक करना-**

महिला पुलिस से समाज द्वारा यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास करें। ताकि अशिक्षित महिलाएं शिक्षित होकर समाज में अपना योगदान दे सकें ओर भावी पीढ़ी को शिक्षित कर सकें। महिला पुलिस द्वारा अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें। ताकि अपने ऊपर हो रहे शारीरिक व मानसिक अत्याचारों से वे दृढतापूर्वक लड़ सकें और अन्य महिलाओं को भी इसके प्रति जागरूक कर सकें।

अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करके महिला पुलिस समाज में व्याप्त अशिक्षा के अन्धेरे को दूर कर शिक्षा के प्रकाश का उजाला समाज में चारों ओर फैला सकती हैं एवं उनके इस प्रयास के कारण, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी लाभान्वित हो सकेगी एवं रोजगारों के क्षेत्रों में भी वह अपनी भूमिका निभा सकेंगी और अपने बच्चों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित कर उन्हें एक जिम्मेदार एवं शिक्षित नागरिक बना सकेंगी। इसलिए महिला पुलिस से समाज को और विशेषकर महिला समाज को काफी अपेक्षाएं हैं। उनका मानना है कि महिला होने के नाते वह दूसरी महिलाओं की परेशानियों एवं मजबूरियों को समझकर उनका उचित समाधान निकालेंगी और उन्हें एक मजबूत स्थिति भरा वातावरण प्रदान करके उन्हें सुरक्षा व संरक्षण प्रदान कराने में सहायता प्रदान करेगी। ताकि वह अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।

**महिलाओं के साथ संगठन बनाकर कार्य करना-**

महिला पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ संगठन बनाकर कार्य करके भी महिलाओं की सहायता की जा सकती है। महिलाओं के साथ संगठन बनाकर महिला पुलिस एन.जी.ओ. के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों- प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, रोजगारपरक कार्यक्रम, युवा शिक्षा कार्यक्रम, महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों

के लालन-पोषण के कार्यक्रम, अशिक्षित महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, जनसंख्या रोधक कार्यक्रम, देश के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति प्रेरणास्रोत कार्यक्रम, युवा लड़कियों को यौन शिक्षा के प्रति जागरूक कार्यक्रम, विभिन्न तरह के वातावरण में विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के प्रति जागरूकता बनाना एवं स्वावलंबी कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों के द्वारा महिला संगठन के कार्यकर्ता देश व समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर सकते हैं।

महिलाओं के साथ संगठन बनाकर महिला पुलिस कर्मी समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डलवाकर समाज को जागरूक कर सकती हैं। जिससे कि महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों एवं हिंसा की रोकथाम की जा सके। महिलाओं के संगठन ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि भविष्य में महिला समाज कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के प्रति जागरूक होकर उनसे लाभान्वित हो सके ओर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को कम करें अन्य महिलाओं को भी इसका लाभ बताकर उन्हें जागरूक कर सकें।

**जनसंचार साधनों के प्रयोग द्वारा अपराध रोकना-**

महिला पुलिस को और अधिक प्रभावी व सक्रिय बनाना है तो पुलिस विभाग को चाहिए कि वह महिला पुलिस विभाग को जनसंचार साधनों के प्रयोग की जानकारी देते हुए उन्हें अपराधों को रोकने में जनसंचार माध्यमें के प्रयोग के बारे में पूर्ण प्रशिक्षित किया जाए जिससे महिला पुलिस नई जनसंचार तकनीकों का प्रयोग अपराधों को रोकने में कर सकें, क्योंकि वर्तमान समय में तकनीकी अपराधों में तीव्र बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए इनको जनसंचार की तकनीकी के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। साइबर क्राइम जैसे अपराध जनसंचार तकनीकी की ही देन हैं। जिससे कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। साइबर क्राइम के अपराधियों की पकड़ थोडी मुश्किल हो जाती है क्योंकि अपराधी जनसंचार तकनीकी के प्रयोग व दुरुपयोग में माहिर होता है और आसानी से पुलिस की पकड़ से बाहर रहता है।



पुलिस विभाग में महिला थानों की स्थापना के साथ-साथ उसमें साइबर तकनीकी व जनसंचार तकनीकी के प्रयोग द्वारा अपराधों को रोकने के लिए भी महिला पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया है। अधिकतर महिला पुलिस कर्मी को नई तकनीकी का विशेषकर जनसंचार माध्यमें का प्रयोग करना नहीं आता है। अतः बिना जानकारी के वे आज के समय में हो रहे आधुनिक अपराधों के अपराधियों को पकड़ने व अपराधों को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। जनसंचार साधनों के प्रयोग द्वारा ही महिला पुलिस आज के आधुनिक समय में हो रहे बदलाव एवं अपराधों को रोकने में सफल हो सकेंगी एवं उसके माध्यम से ही वह साइबर क्राइम के अपराधियों को पकड़ने में एवं जनसंचार माध्यमों द्वारा वह अन्य अपराधों पर भी लगाम लगाने में सफल हो सकती है।

**महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में विशेष रुचि-**

महिला पुलिस को महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध को रोकने में विशेष रुचि रखनी चाहिए जिससे महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों व यातनाओं के बारे में पीड़ित महिलाओं को उचित न्याय दिलवाकर उसे समाज में पुनः उचित स्थान दिलवा सके। महिला पुलिस की जब तक महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों में विशेष रुचि या ध्यान नहीं होगा तो तब तक इन अपराधों को रोकने में वह असफल साबित होंगी और अपराधियों को और अपराध करने वालों को ढील मिलती रहेगी। समाज द्वारा महिला पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों एवं अत्याचारों को रोकने में विशेष रुचि रखें जिससे महिला समाज खुद को सुरक्षित व संरक्षित महसूस कर सके क्योंकि जब तक हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक हम अपने आपको विकसित देश के नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक या फिर एक जिम्मेदार पुलिस कर्मी नहीं कह सकते हैं। इसलिए महिला पुलिस कर्मियों से विशेषतः महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों व अत्याचारों को रोकने के लिए विशेष ध्यान केन्द्र की आवश्यकता को महसूस किया गया है। महिला पुलिस इन अत्याचारों के

विरुद्ध विशेष अभियान चलवाकर या चलाकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकें ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह के अपराधों के प्रतिशत में कमी आए ओर महिला नागरिक खुद को सुरक्षित व सम्मानजनक स्थिति में पा सकें। महिला पुलिस द्वारा इस तरह के प्रयास निरन्तर चलते रहने चाहिए, जिससे महिलाऐं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें।

**महिलाओं के लिए विशेष कैम्प का आयोजन-**

महिला पुलिस का कार्य सिर्फ अपराध रोकना नहीं बल्कि उनके कार्यों का विस्तार व समाज से उनसे अपेक्षाएं भी निरन्तर बढ़ रही हैं। समाज की मांग व समय के परिवर्तन के अनुरूप महिला पुलिस के कार्यों में भी परिवर्तन आया है। अगर महिला पुलिस के कार्यों का विश्लेषण किया जाए तो उनमें महिलाओं के लिए विशेष कैम्पों के आयोजन का भी कार्य शामिल किया जा सकता है। महिलाओं के लिए विशेष कैम्प के अन्तर्गत एड्स के प्रति जागरूकता, यौन शिक्षा कार्यक्रम, जच्चा-बच्चा सुरक्षा कार्यक्रम, जनसंख्या रोकथाम कार्यक्रम, युवा किशोरियों के प्रति हो रहे अपराध से सचेत कार्यक्रम, महिला जागरूकता अभियान, महिला रोजगार कार्यक्रम, महिला शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा महिला कार्यक्रम और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों से लड़ने हेतु कार्यक्रम आदि हो सकते हैं, ऐसे विशेष कैम्पों का आयोजन महिला पुलिस विभाग द्वारा किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं जागरूक हो सकें और वह अन्य महिलाओं को भी जागरूक बना सकें। महिला पुलिस को महिलाओं को अपने हक के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास करना चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति लड सकें और वह उनके प्रति जागरूक रह सकें। इसलिए महिला पुलिस द्वारा समय-समय पर महिलाओं के लिए विशेष कैम्प का आयोजन करना चाहिए ताकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को विशेष जानकारियां मिल सकें, जिससे वह अपने परिवार व बच्चों को सुरक्षित व संरक्षित कर सकें।



**महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना-**

महिला पुलिस के कार्यों से दिनोंदिन अपेक्षाएं समाज द्वारा बढ़ रही हैं। जिस तरह देश के लिए योजना नीति का विस्तार होता है वैसे ही महिला पुलिस के कार्यों का विस्तार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। समय की मांग व परिवर्तन के कारण महिला पुलिस सिर्फ अपराधों को रोकने तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि उनका कार्य क्षेत्र का विस्तार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महिला पुलिस के कार्यक्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना भी महिला पुलिस के कार्य क्षेत्र में शामिल हो गया है। महिला पुलिस द्वारा अशिक्षित महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना ताकि वह शिक्षित होकर अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें ओर अपने परिवार को ठीक प्रकार से सम्भाल सकें। महिला पुलिस द्वारा युवा महिलाओं के साथ साथ किशोरियों एवं प्रौढ़ महिलाओं को भी शिक्षा के क्षेत्र की ओर अग्रसर करना चाहिए ताकि वह अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाकर अपने परिवार व बच्चों को ठीक प्रकार से सम्भाल सकें एवं आत्मनिर्भर होकर अपनी जिन्दगी को बिना किसी दूसरे की सहायता से ठीक प्रकार से व्यतीत कर सकें। महिला पुलिस अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करके उनको अधिकारों के प्रति वह जागरूक करे, जिससे कि वे अपने न्याय के हक को पहचान सकें एवं दूसरी महिलाओं को भी जागरूकता के लिए प्रेरित कर सके।

**महिलाओं में 'न्याय' के प्रति आस्था पैदा करना-**

बढ़ते अपराधों एवं अपराधियों को दण्ड न मिलने के कारण महिलाओं एवं शेष समाज का विश्वास न्याय से उठता जा रहा है महिला पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं में 'न्याय' के प्रति आस्था पैदा करें। महिला पीड़िता अपने को न्याय दिलाने के लिए कानून का सहारा छोड़कर खुद ही न्याय की व्यवस्था न करने लगे अतः ऐसी स्थिति को न आने देने के लिए महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उनमें न्याय के प्रति आस्था पैदा करना चाहिए। अधिकतर देखने को मिलता है कि पीड़िता के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हो पाता है जिसके कारण उसमें न्याय व्यवस्था के प्रति रोष उत्पन्न हो जाता है और उसका विश्वास न्याय से

खत्म होने लगता है। लाचार कानून व्यवस्था के कारण अधिकतर निर्दोष व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए काफी लम्बे समय तक इंतजार एवं एवं जगह-जगह भटकना पड़ता है जिसके उपरान्त भी सजा नहीं मिल पाती है ओर वह खुलेआम घुमता रहता है जिसकी वजह से निर्दोष व्यक्ति का न्याय व्यवस्था से मोह भंग हो जाता है।

अतः सरकार, पुलिस विभाग विशेषकर महिला पुलिस कर्मियों को जनता में खासतौर पर महिला जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वह न्याय पाने के लिए गलत रास्तों को न चुन सकें एवं उनका न्याय व्यवस्था प्रणाली पर पूरा विश्वास बना रहे और वह न्याय के लिए न्याय प्रणाली पर ही भरोसा करें। ये सब करने में अन्य व्यक्तियों को भी महिला पुलिस की मदद करनी चाहिए ताकि वह महिला समाज में न्याय के प्रति आस्था पैदा कर सके और उसके प्रति विश्वास को भी जागृत कर सकें।

**लड़कियों को पुलिस में भर्ती के लिए प्रेरित करना-**

महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विशेष कैम्प के जरिए लड़कियों को पुलिस में भर्ती के लिए प्रेरित करने की कोशिश करनी चाहिए। जिससे कि वे स्वयं की एवं समाज में अन्य महिला वर्गों की भी सुरक्षा कर सकें। कोई भी लड़की या महिला तब तक अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है जब तक कि वह दूसरों पर निर्भर होती है और इसके विपरीत जब लड़कियां या महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाती हैं तब वह अन्दर से अपने आपको सुरक्षित व पुरुषों के बराबर अपने आपको सक्षम मानने लगती हैं आत्मनिर्भर होने के पश्चात वह खुद को एवं अपने आपको पहचानने लगती है। महिला पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लड़कियों को पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रेरित करें ताकि भविष्य में लड़कियां सही व गलत रास्तों को पहचानकर अपने को सुरक्षित कर सकें और अपने मनोबल को बढ़ाकर अपने अन्दर आत्मविश्वास को पैदा कर सकें। देखा जाता है कि हमारे समाज में अधिकतर लोग लड़कियों की पढ़ाई एवं नौकरी के खिलाफ होते हैं। उनका मानना होता है कि पढ़ी लिखी व नौकरी वाली लड़कियां घर को नहीं सम्भाल सकतीं।



इसलिए उनकी पढ़ाई-लिखाई व नौकरी के समय व पैसा बर्बाद न करके उन्हें घर के काम काज को सीखने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ताकि वह भविष्य में अपने पति व बच्चों को सम्भाल सके। उनकी ऐसी सोच को परिवर्तित करने एवं लड़कियों की शिक्षा एवं नौकरी के बारे में सकारात्मक सोच को उनके सामने प्रस्तुत करने में महिला पुलिस कर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लड़कियों को पुलिस विभाग में आने के लिए प्रेरित करने से उनको नौकरी के लाभों को उनके सामने रखना चाहिए। जिससे अधिक से अधिक लड़कियां इस पुलिस विभाग में आ सकें तथा समाज में व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग दे सकें।

**महिलाओं के ऊपर हुए अपराधों को रजिस्ट्रर करने के साथ-साथ उनका मनोबल बढ़ाना-**

महिला पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों को रजिस्ट्रर करने के साथ उनका मनोबल भी बढ़ाएं। सामान्यतयाः पुलिस थानों में पीड़ित महिला के साथ हुए हादसे को दर्ज नहीं किया जाता बल्कि उसे समाज में बदनामी का भय दिखाकर बात रफा-दफा करने की सलाह दी जाती है। इसलिए इन सबको देखते हुए महिला सेल की स्थापना की गई, जिसमें पीड़ित महिला अपने ऊपर हुए अत्याचारों को दर्ज करवाकर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवा सकती है। महिला पुलिस कर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पीड़िता के ऊपर हुए अपराधों को दर्ज करते हुए उसके मनोबल को भी बढ़ावा दें ताकि पीड़िता खुद को ही दोषी न मानकर बल्कि अपने ऊपर अत्याचार या हिंसा करने वाले को सजा दिलवा सके और वह खुद को निर्दोष सिद्ध करके समाज में सिर ऊंचा करके चल सके। महिला पुलिस उनमें न्याय के प्रति आस्था पैदा करें जिससे वह न्याय पाने के लिए किसी गलत मार्ग को न चुने और अपने अधिकारों को जानकर न केवल अपने लिए एवं दूसरी महिलाओं के लिए भी लड़ सके और उन्हें भी उत्साहित कर उनका मनोबल बढ़ाए।

**महिला थानों को अधिक सक्रिय बनाना-**

महिला पुलिस से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वह महिला थानों को अधिक सक्रिय बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आधुनिक समय के साथ वह भी अपने आपको आधुनिक बना सके और यह प्रयास महिला पुलिस एवं पुलिस विभाग द्वारा ही किया जाना चाहिए। जब तक महिला थानों को भी हाइटैक नहीं किया जाएगा तब तक महिला पुलिस अपनी योग्यताओं ओर क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाएंगी। अभी भी अधिकतर पुलिस विभागों में पुरानी तकनीकें ही देखने को मिलती हैं। जबकि इसके विपरीत अपराधियों के द्वारा अपराध करने में नई-नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। अतः यदि पुलिस को अपराधियों तक पहुंचना है और समाज से अपराधों को कम करना है तो उन्हें भी नई तकनीकों को सीखना व लागू करना होगा, तभी वह अपने आपको एवं अपने विभागों व अन्य कर्मचारियों को अपडेट रख सकते हैं।

जहां तक महिला पुलिस थानों को अधिक सक्रिय बनाने की बात है तो सबसे पहले महिला कर्मियों को खुद नई तकनीकीयों से अपडेट करना होगा। जिससे वह अपडेट होकर अपने आपको एवं अपने विभाग को भी सक्रिय कर सकती है। महिला थानों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के ऐसे आपराधिक मामले प्रकाश में आते हैं जिनके बारे में जानकर महिला पुलिस कभी-कभी खुद भी चकित रह जाती है। अतः ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए महिला पुलिस कर्मियों एवं महिला पुलिस थानों को अधिक सक्रियशीलता प्रभावी होने की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान समय की जरूरत एवं मांग को समझते हुए सरकार एवं पुलिस विभागों द्वारा महिला थानों को अधिक सक्रिय करने की कोशिश करनी चाहिए।

### महिलाओं के अपराध के विरुद्ध जनचेतना जाग्रत करना-

महिला पुलिस द्वारा समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के प्रति जनचेतना जाग्रत करने का कार्य भी महिला पुलिस द्वारा किया जा सकता है। जब तक समाज इन अपराधों के विरुद्ध जागृत नहीं होगा तब तक ऐसे अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही रहेगा और महिला पीड़ितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। अतः अगर अपराधों के ग्राफ में



गिरावट लानी है तो महिला पुलिस द्वारा अपराधों के विरुद्ध जनचेतना कैम्प लगवाकर आम जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसी जागरूकता के कारण ही महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों में कमी ला सकते हैं। अधिकतर अपराध तभी होते हैं जब व्यक्ति उनके प्रति सचेत या जागरूक नहीं होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर अपराधी महिला का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिचित होता है।

सरकार, महिला पुलिस, एवं पुलिस विभागों को भी इन दायित्वों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करना जरूरी है, ताकि आम जनता जागरूक होकर इनके बारे में जाने तथा इसके दुष्परिणामों से भी परिचित होकर इसके प्रति जागरूक बनें। महिला पुलिस द्वारा महिलाओं के अपराध के विरुद्ध जनचेतना की जाग्रत करना जरूरी है। जिसके लिए वह विभिन्न  सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की मदद भी ले सकती है या फिर शिक्षित महिलाओं का संगठन बनाकर भी इस दिशा में पहल कर सकती है।

### सामुदायिक पुलिस व्यवस्था में महिला पुलिस का योगदान

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था एक ऐसा दर्शन तथा संगठनात्मक तकनीक है जो पुलिस कर्मियों तथा जनता को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिससे कि समाज से अपराध, अपराध का भय तथा अन्य समस्याओं को नए-नए उपायों से कम कर सके तथा अपराधों पर नियन्त्रण बना सके। इस व्यवस्था में कानून पसन्द नागरिकों को पुलिस प्रक्रिया से जोड़ा जाता है जिससे ये नागरिक पुलिस कार्यों में सहयोग तथा समर्थन देंगे।

आज के सभ्य समाज के लिए सामुदायिक पुलिस व्यवस्था एक आवश्यकता हो गयी है जीवन का कोई भी क्षेत्र पुलिस से अछूता नहीं रहा है पुलिस अपने इस बहुआयामी कर्तव्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करने लगी है इसलिए आज यह महसूस किया जाता है कि वह जनता के साथ हाथ मिलाकर अपने इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकती है। इसी का परिणाम है कि आज कई देशों में यह व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

भारत के सन्दर्भ में यदि सामुदायिक पुलिस की बात करें तो हमारे यहां पुलिस के कार्यों में जनता तथा समाज की साझेदारी बहुत पुरानी है। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था वास्तव में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का ही एक रूप है। ग्रामीण पुलिस का कार्य चाहे मुकद्दम के हाथ में हो या पाटिल के हाथ में हो, उनकी सहायता स्थानीय नागरिकों के द्वारा की जाती थी क्योंकि अपराध को रोकने की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से उन पर ही होती थी इसी प्रकार नगरीय पुलिस व्यवस्था में कोतवाल सर्वाधिकार सम्पन्न पुलिस अधिकारी होता था किन्तु पीड़ितों के लिए सदा उपलब्ध रहने के सिद्धान्त के कारण उसे भी स्थानीय नागरिकों की सहायता लेनी पड़ती थी यह भी सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का ही एक रूप था।

स्वतन्त्रता के पश्चात सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को व्यवहार में अपनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं और विभिन्न राज्यों में भिन्न -भिन्न नाम से यह योजना लागू की जा रही हैं पर अभी भी यह व्यवस्था अपेक्षित परिणाम नहीं दे पायी है। व्यवस्था के प्रति उदासीनता, प्रेरणा का अभाव, विभिन्न प्रकार की भ्रान्तियां, प्रशिक्षण का अभाव, महिलाओं की अपेक्षा, नेतृत्व की कमी एवं पुलिसकर्मियों का व्यवहार है। इसके लिए प्रमुख रुप से उत्तरदायी कागजों पर तो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करके पुलिसकर्मियों के व्यवहार में परिवर्तन की बात की जाती है, परन्तु व्यवहारिक पक्ष कुछ और ही रहता है। आज भी समाज में यह लोकोक्ति मशहूर है कि पुलिस से दोस्ती तथा दुश्मनी, दोनों ही खतरनाक हैं। इसलिए आम व्यक्ति आज भी पुलिस के पास जाने से घबराता है चाहे वह पीड़ित व्यक्ति ही क्यों न हो।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का महत्व सम्पूर्ण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में अभी भी यह व्यवस्था प्रारम्भिक अवस्था में है इस व्यवस्था को भारत में प्रभावी बनाने के लिए महिला पुलिस की पहल भी सार्थक पहल हो सकती है।

आंकड़े दर्शाते हैं कि अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बदलते हुए परिवेश के कारण अपराध की प्रकृति एवं तीव्रता में



भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए महिला पुलिस की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावी हो सकती है।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को व्यवहारगत बनाने के लिए प्रत्येक जनपद में एक सामुदायिक पुलिस स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए इस स्टेशन का प्रमुख कार्य अपराध को नियन्त्रित करना, अपराधों की खोजबीन, जांच पड़ताल करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना होना। इन स्टेशन को प्रभावी बनाने के लिए महिला पुलिस की उपस्थिति निश्चित रूप से प्रभावी हो सकती है। क्योंकि अधिकतर उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया था कि महिला पुलिस पुरुष पुलिस की तुलना में प्रभावी है तथा उनका व्यवहार भी आम व्यक्तियों के साथ तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकता है।

महिला पुलिस, पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने में पहल कर सकती है पीड़ित महिला अभी भी पुलिस के पास जाने से घबराती है चाहे वह कितने भी कष्ट एवं भय में क्यों न हों। महिला पुलिस इस स्थिति को परिवर्तित करने की दिशा में सकारात्मक पहल कर सकती है तथा अपने व्यवहार से समाज के अधिकाधिक लोगों को अपराधों को नियन्त्रित करने में अपने साथ जोड़ सकती है तथा उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकती है।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पुलिसकर्मियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाय। वर्तमान समय में समाज तथा पुलिस के बीच की खाई बहुत बढ़ती जा रही है अतः उसको कम करने के लिए नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत में उन प्रतिमानों को भी अपनाने का प्रयास किया जा सकता है जो दूसरे देशों एवं विकासशील विकासशील देशों में सफलतापूर्वक परिणाम दे रहे हैं।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि पुलिस के निचले स्तर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए अधिकतर जनता का प्रारम्भिक सामना पुलिस के कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी से ही होता है इसके बाद ही ऊपर के अधिकारियों से सामना

होता है। इसलिए जनता के मन से पुलिस के क्रियाकलापों का भय दूर करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से उनकी छवि सुधारने में भी सहायक होंगे। संचार के साधन भी इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में सहायक हो सकते हैं। पुलिस कर्मी समय-समय पर टी.वी., इंटरनेट एवं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा सकते हैं तथा जनता से फीडबैक भी प्राप्त कर सकते हैं। टी.वी. एवं रेडियो के माध्यम से पुलिस समय-समय पर अपने फोन नम्बर शिकायत हेतु जनता को उपलब्ध करा सकती है।

व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समाज के आम व्यक्ति को इससे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के दबाव से यह व्यवस्था मुक्त होनी चाहिए। सामान्यतयाः देखा जाता है कि समाज के विशिष्ट वर्ग को ही पुलिस के द्वारा वरीयता दी जाती है और शेष वर्ग को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज में किसी भी आधार पर हो रहे भेदभाव को दूर करके निष्पक्ष व्यवहार किया जाय तथा लोगों के मन में इस बात का विश्वास पैदा किया जाय कि समाज में सभी व्यक्तियों का महत्व समान है।

महिला पुलिस के द्वारा समय-समय पर महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए कैम्प का आयोजन किया जाना चाहिए। कैम्प के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता लाना भी महिला पुलिस का उद्देश्य होना चाहिए। कैम्पों के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित रहने के उपाय बताने चाहिए तथा महिलाओं को इस बात के लिए भी प्रेरित किया जाए कि यदि उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वे उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दें। इससे न केवल पीड़िता को न्याय मिलेगा बल्कि अपराधी को भी दण्ड मिलेगा। इस प्रकार की कार्रवाईयों में महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका निश्चित रूप से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकती है।

### महिला पुलिस को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव

महिला पुलिस कर्मियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा भी



उचित कदम उठाए जाने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरुप महिला पुलिस कर्मी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठता के साथ निभा सकें। सरकार द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते को बढ़ाना, उन्हें प्रोत्साहित करना ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह और अच्छे तरीके से कर सकें। महिला पुलिस कर्मियों के बच्चे एवं परिवार के लोगों की सुख-सुविधाओं की पूर्ति करना, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करना, लालन-पालन की सुविधाएं प्रदान करना एवं उनकी नियुक्ति उनके घर के आस-पास की जानी चाहिए जिससे वे अपने घर-परिवार एवं बच्चों का ध्यान रख सकें एवं सेवानिवृत्त हो जाने पर उनकी पेंशन की व्यवस्था करना ताकि सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात उन्हें आर्थिक रूप से अधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे अपना शेष जीवन सरलता से बिता सकें।

महिला कर्मियों को भी वे सारे सम्मान व हक दिए जाने चाहिए जो एक पुरुष कर्मी को मिलते हैं। जब तक हमारे द्वारा महिला कर्मियों को सम्मानपूर्ण नज़र व सोच नहीं मिलेगी और उन्हें जब तक वह स्थान नहीं मिलेगा जिसकी वह हकदार है तब तक वह पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से अपनी भूमिकाओं का निर्वाह नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार हम सरकार से उम्मीदें करते हैं ठीक उसी तरह से समाज व परिवार से भी उम्मीदें की जाती हैं। कि वे महिला कर्मी को मानसिक व भावनात्मक सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करें जिससे वे अपनी भूमिकाओं का निर्वाह उचित ढंग व तरीके से कर पाएं।

मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्रियों का मानना है कि अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ पाना चाहते हैं तो उसे पहले कुछ देना होगा। सम्मान के बदले सम्मान एवं प्यार के बदले प्यार। ठीक वैसे ही जब तक हम, महिला कर्मियों को प्रोत्साहन, सम्मान, प्यार नहीं देंगे तब तक वह न तो शारीरिक और न ही मानसिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक ढंग से निभा पाएंगी। इसलिए चाहे वह सरकार हो समाज हो या फिर परिवार द्वारा हो या फिर महिलाओं के प्रति पुरुषों के परम्परागत दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत ही क्यों न हो। ये सब परिवर्तन ही किसी भी महिला कर्मी को भूमिका या कर्तव्य निर्वाह करने के दायित्वों

में नई स्फूर्ति व ताजगी ला सकते हैं।

परिवार के अन्दर या समाज के अन्दर स्त्री अपने प्रति सम्मान पूर्ण नजरिया व वह स्थान चाहती है जिसकी वह वास्तविकता में अधिकारी है। महिला पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं चाहती है, पर वह इतना जरूर चाहती है कि उसे उसके द्वारा किए गए कार्यों को सम्मान व प्रोत्साहन मिलता रहे ताकि वह अपने कर्तव्यों व जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वाह करती रहे। एक महिला कर्मी या फिर घरेलू महिला चाहती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसकी राय भी ली जाए। उसको व्यंग बातों से पीड़ित करने तथा सताने की जगह वह मधुर वचन तथा प्रोत्साहन भरे शब्दों के बोलने की अपेक्षा करती है और वह यह महसूस करना चाहती है कि परिवार व समाज में उसकी आवश्यकता है। परिवार के बाहर व अपने निर्णय स्वयं करने की आजादी चाहती है। वह सब कुछ स्वयं नहीं करना चाहती किन्तु वह पुरुष के कन्धे का सहारा सदैव नहीं चाहती। अतः यह सत्य है कि जब तक हम किसी को उसके द्वारा किये गए सही कार्यों पर प्रोत्साहित न करें तब तक वह अपने कार्य के प्रति लगनशील नहीं रह सकता है। जिस प्रकार हम छोटे बच्चों को उनके सही कार्य करने पर को प्रोत्साहित करते हैं और गलत कार्यों पर उसे डांटते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति बड़ों के साथ भी है कि सही काम पर प्रोत्साहन न मिले तब तक वह भी अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं करते हैं। इसी प्रकार महिला पुलिसकर्मियों को विभाग एवं सरकार द्वारा समय-समय पर प्रोत्साहन एवं पारितोषिक भी प्रदान किए जाने चाहिए। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्रोत्साहन द्वारा ही व्यक्ति अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता है इसलिए व्यक्ति को जब तक अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहता है तब तक वह अपनी भूमिका का निर्वाह समाज परिवार एवं देश के लिए बखूबी कर सकता है। पर जब उसके कार्यों को प्रोत्साहित न किया जाए तो वह अपने कार्यों को ईमानदारी एवं लगावपूर्ण तरीके से नही करता है।

सरकारी स्तर पर बात करें तो आंकड़े दर्शाते हैं कि महिला पुलिस कर्मियों को उनके ही विभागीय स्तर पर भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विभागीय स्तर पर मकान की सुविधा स्तर को देखें तो पता



चलता है कि महिला कर्मियों की भी नियुक्ति पुरुष कर्मियों की भांति दूर-दराज के क्षेत्रों में कर दी जाती है। जिसके कारण वह अपने बच्चों व घर परिवार के सदस्यों से दूर हो जाती है। जिसके कारण उसके बच्चों के लालन-पोषण में कठिनाईयां आने लगती हैं। अतः विभाग एवं सरकारी स्तर पर यह प्रयास किया जाना चाहिए कि महिला कर्मियों की नियुक्ति उनके होम टाउन या फिर घर के आस-पास में की जानी चाहिए। जिससे कि महिला कर्मी अपने परिवार व बच्चों का ध्यान भलीभांति रख सके और उनके लालन-पालन को ठीक प्रकार से कर सके ताकि बच्चे पढ़े लिखें और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने परिवार, समाज एवं देश के प्रति दायित्वों का निर्वाह कर सकें इसलिए सरकार व विभागीय स्तर पर इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि महिलाओं को उनके घर के आस-पास का क्षेत्र या फिर होम टाउन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं ताकि वह अपने कार्यों को सुचारू रूप से बिना किसी मानसिक परेशानी के पूरा कर पाएं तथा अपने परिवार व बच्चों के दायित्वों को भी पूरा कर सकें।

महिला कर्मियों की ड्रेस की बात करें तो सरकारी व विभागीय स्तर पर उनकी ड्रेस की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर महिला पुलिस कर्मी सुविधाजनक ड्रेस को पहनना ही पसन्द करती हैं। पुलिस विभाग में होने के कारण उन्हें किसी केस को सुलझाने के लिए जाना या फिर किसी मेले व त्यौहार व दंगें जैसी स्थिति के समय उनकी नियुक्ति की जाती है, जहां पर उन्हें ड्रेस के कारण असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए विभाग को चाहिए कि वह ऐसी ड्रेस को निर्धारित करे जो सुविधाजनक हो और खासतौर से गर्भवती महिलाओं की स्थिति के समय तो यह स्थिति और ज्यादा गम्भीर हो जाती है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं जिसके कारण उनके कपड़ों के आकार भी छोटे-बड़े एवं बदलते रहते हैं। इसलिए विभागीय स्तर पर गर्भवती महिलाओं की ड्रेस को सुविधाजनक बनाना चाहिए या फिर उन्हें अपनी सुविधानुसार ड्रेस पहनने की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। ताकि वह अपने कर्तव्यों का सुविधाजनक निर्वाह कर सके। जब तक सरकार एवं विभाग द्वारा

उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा तब तक महिला कर्मी अपने काम की योग्यता को सिद्ध नहीं कर सकती है। इसलिए उनकी स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार ही विभाग को वर्दी निर्धारित करनी चाहिए।

महिला पुलिस कर्मियों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, जहां वह एक तरफ नौकरी की जिम्मेदारी को सम्भालती हैं वहीं वह दूसरी तरफ घर-परिवार एवं बच्चों की जिम्मेदारी भी सम्भालती हैं। इसलिए महिला कर्मी को अपनी जिन्दगी में दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य व्यवसाय सरकारी विभाग में छुट्टियां काफी मिलती हैं, चाहे वह सरकारी छुट्टी हो या फिर किसी त्यौहार में छुट्टी हो या कोई मेडिकल अवकाश हो। पुलिस विभाग को छोड़कर बाकी सरकारी विभागों में अवकाश की स्थिति अच्छी है, इसलिए इन सब बातों को देखते हुए पुलिस विभाग को भी चाहिए कि वह महिला कर्मियों के लिए अवकाश की सुविधाओं को ध्यान में रखे, ताकि महिला पुलिस कर्मी द्वारा अपनी दोहरी भूमिका को निभाने की जिम्मेदारी का बोझ कम हो सके और वह अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी मानसिक व शारीरिक परेशानी के निभा सके। गर्भवती स्त्रियों की सुविधाओं व उनकी उस स्थिति को देखते हुए विभाग स्तर पर उन्हें सुविधाजनक अवकाश की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे वह गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों से बच सकें और वह स्वयं व अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकें। महिला पुलिस कर्मियों के लिए चाइल्ड केयर छुट्टियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि एक मां अपने बच्चे की परवरिश ठीक प्रकार से कर सके। क्योंकि अगर हम विज्ञान सिद्धान्त की बात करें तो पता चलता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में मानसिक व शारीरिक क्षमता थोड़ी कम होती है और फिर महिला को काफी सारे दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है चाहे वह कोई त्यौहार का कार्य हो, घरेलू कार्य हो नौकरी की जिम्मेदारी हो या फिर बच्चों के प्रति जिम्मेदारी हो। इन सब कार्यों की जिम्मेदारी लगभग पूर्णतः महिलाओं पर ही होती है। अतः पुलिस विभाग को इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के अवकाश के प्रति थोड़ा नम्र होना



चाहिए ताकि महिला कर्मी अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा सके।

महिला पुलिस कर्मियों के प्रति अधिकारियों के सहयोग की बात करें तो अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह स्थिति भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकांशतः पुरुष अफसरों द्वारा महिला कर्मियों के प्रति सहयोग की परस्पर भावना कम देखने को मिलती है। मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों द्वारा भी यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिकांश पुरुष अपने साथ काम करने वाली या नीचे काम करने वाली महिला कर्मियों को अपने बराबर का दर्जा देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज होने के कारण वह महिलाओं को बराबर का स्थान नहीं देता है वह उस पर आदेश तो चला सकता है पर वह उसे अपने से ऊपर या अपने साथ या फिर सहयोग की भावना से नहीं देख पाता है। जिसके कारण महिला पुलिस कर्मी अधिकतर तनावग्रस्त रहती हैं। समय परिवर्तन के साथ भी इन परिस्थितियों में अधिक सुधार नहीं आया है। आज भी पुरुष कर्मी महिला कर्मियों को सहयोग देने से कतराते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि महिला नीचे रहकर कार्य करे तो ठीक है पर वह ऊपर रहकर या साथ में रहकर कार्य करे तो यह ठीक नहीं है। आज जब हमारे संविधान द्वारा (अनुच्छेद 14 से 18) समानता का अधिकार लागू कर दिया गया है तो पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी चाहिए कि वह भी महिला कर्मियों को समानता का अधिकार व सहयोग प्रदान करें जिससे महिला कर्मी अपनी योग्यताओं व क्षमताओं को प्रभावी ढंग से सिद्ध कर सकें।

विभागीय कार्यों में हस्तक्षेप की बात करते हैं तो अध्ययन से पता चलता है कि अधिकतर पुरुष, महिलाओं की कार्यशैली में हस्तक्षेप करते हैं ताकि महिलाएं अपने हर कार्य को करने में उनसे पूछे और पूछ-पूछ कर कार्य करें ताकि महिलाओं को यह अहसास रहे कि वह कोई भी बिना उनके सहयोग के नहीं कर सकती। पर आज जब स्थितियों में परिवर्तन व बदलाव आ रहा है तो पुरुषों द्वारा इस प्रकार हस्तक्षेप को कम या समाप्त किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं खुद अपना कार्य

बिना किसी की सलाह-मशविरा के कर सकें और अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकें। इसलिए पुलिस विभाग के अफसर व कर्मियों को चाहिए कि वह भी महिला अफसर व कर्मियों के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें और उन्हें सिर्फ दिशा निर्देश दें न कि हस्तक्षेप करें समय परिवर्तन व बदलाव की मांग को देखते हुए चाहे वह सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी विभाग सभी पुरुष कर्मियों को चाहिए कि वह महिलाओं के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में सहयोग की भावना रखें। ताकि महिला कर्मी अपनी योग्यताओं को दिखा सकें एवं उसका फायदा समाज एवं घर, परिवार व देश को दे सकें।

पुलिस आफिसर की तरह पुलिस सहकर्मियों को भी महिला पुलिस कर्मियों को भी सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि वह अपने आपको पुलिस विभाग से अलग न समझे, क्योंकि सहकर्मियों के सहयोग का सकारात्मक प्रभाव उसके काम व काम करने की शैली पर पड़ता है। इसके विपरीत सहयोग की भावना का न होना व्यक्ति के कार्य व कार्यशैली पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। अतः पुलिस कर्मी जिस तरह से महिला सहकर्मियों से अपेक्षा करते हैं कि वह उनके हर कार्यों में सहयोग की भावना रखे तो यही चीज महिला कर्मी अपने पुरुष सहकर्मियों द्वारा भी चाहती है कि वह कार्यों में हस्तक्षेप की जगह सहयोग की भावना को प्रबल रखें और उन्हें गलत मार्गदर्शन न देकर सही मार्गदर्शन करवाएं।

पुलिस विभाग तथा सरकारी विभाग द्वारा महिला पुलिस के लिए परिवार हेतु अतिरिक्त समय की व्यवस्था की जानी चाहिए। ताकि वह अपने परिवार व बच्चों का पूर्ण रूप से लालन-पोषण कर सके। पुलिस विभाग द्वारा कार्य करने के अनिश्चित समय व अवधि के कारण व असहयोग नकारात्मक रवैया एवं कार्यों में हस्तक्षेप के कारण महिला पुलिस कर्मियों द्वारा घर-परिवार व बच्चों को अतिरिक्त समय की पूर्ति नहीं कर पाती है। अतः पुलिस विभाग द्वारा समय में बदलाव की स्थिति को स्वीकारते हुए महिला कर्मियों के परिवार हेतु अतिरिक्त समय की व्यवस्था करनी चाहिए।



वर्तमान में अधिकतर राज्यों में पुलिसकर्मियों की संख्या निर्धारित संख्या से काफी कम है महिला पुलिस कर्मियों की स्थिति भी लगभग ऐसी है। सिक्किम के गंगटोक में फरवरी 2012 में पुलिस साइंस कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ जिसमें 28 राज्य और सात केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठतम पुलिस अफसरों ने प्रतिभाग किया। सेंट्रल पुलिस आर्गेनाइजेशन के सभी संस्थान भी यहां आमन्त्रित थे। सम्मेलन में यद्यपि पुलिस सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई पर चर्चा का मुख्य विषय देश भर में हो रहे पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों की थी। देशभर में कांस्टेबिल के 20 लाख पद मंजूर हैं लेकिन विभाग में कुल संख्या 15 लाख ही है। लगभग पांच लाख पद रिक्त चले आ रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए अफसरों ने यहां जो तर्क दिये उसमें कहा गया कि उनकी भर्ती कैपेसिटी केवल एक लाख की है, ऐसे में सभी को ट्रेनिंग करा पाना एक बड़ा प्रश्न है। परन्तु दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य ने अन्य राज्यों के समक्ष एक अनुठा उदाहरण पेश किया। राज्य में एक साथ 35 हजार कांस्टेबलों की भर्ती करायी गयी। उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया पर एडीजी पुलिस ट्रेनिंग विपिन शर्मा ने अपने प्रजेन्टेशन में भर्ती से ट्रेनिंग तक के बारे में विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार 35 हजार कांस्टेबलों के लिए 102 सेन्टर तैयार किए गए और उनमें प्रशिक्षकों की तैनाती हुई। सभी सेंटरों की कमान उन जिलों के पुलिस कप्तानों को दी गयी थी तथा उनके निर्देशन में आउटडोर और इनडोर की कक्षाएं सुचारू रूप से सम्पन्न करायी गयी। उत्तर प्रदेश में भर्ती की इस प्रक्रिया को दूसरे राज्यों के समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा देश में रिक्त 5 लाख पदों को भी इसी फार्मूले के तहत भरने की सलाह दी गयी।[1] विभाग में यदि महिला एवं पुरुष कर्मियों की संख्या को पूरा किया जाता है तो निश्चित रूप से यह पुलिस कर्मियों की कार्य प्रणाली को भी प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

पिछले कुछ माह में गुडगांव में उन महिलाओं के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं जो देर रात तक कार्यस्थलों पर कार्य कर रही हैं। वर्ष 2010 की तुलना में 2011 में ये

मामले और अधिक बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार गुडगांव में रात की शिफ्ट में लगभग 15000 महिलाएं कार्य करती हैं जो देर शाम शहर में प्रवेश करती हैं तथा सुबह होने से पहले निकल जाती हैं। इन सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना निश्चित रूप से राज्य का प्रमुख कार्य है। इसी सन्दर्भ में गुडगांव में महिलाओं के विरुद्ध अपहरण को रोकने के सम्बन्ध में डी.सी.पी. (पूर्व) ने कहा कि पुलिस कर्मियों की संख्या में कमी निश्चित रूप से अपराधों को रोकने में बाधा पहुंचाती है। गुडगांव में पुलिस कर्मियों की स्वीकृत संख्या 4822 है जबकि उनकी विभाग में उपस्थिति केवल 3286 है जो स्वीकृत पदों से काफी अत्यधिक कम है। महिलाओं के पद पर भी लगभग समान स्थिति दिखलायी देते हैं। महिला पुलिसकर्मियों के स्वीकृत पदों की संख्या 459 हैं जबकि उपलब्ध महिला पुलिस कर्मियों की संख्या केवल 374 है। स्वीकृत एवं उपलब्ध पदों के मध्य महिला पुलिस कर्मियों की कमी निश्चित रूप से उनकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हैं। गुडगांव के डी.सी.पी. (पूर्व) ने बतलाया कि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी उन स्थानों पर लगाई गयी है जहां पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है क्योंकि महिलाएं अपने विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों पर महिला पुलिस कर्मियों तक आसानी से पहुंचा सकती है तथा अपनी समस्या को सरलता के साथ उनको बता सकती है। डी.सी.पी. (पूर्व) की यह पहल निश्चित रूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में सहायक होगी।[2]

### महिलाओं की समस्या निवारण हेतु वेबसाइट का शुभारम्भ

महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने तथा पुलिस तक उनकी पहुंच को सरल बनाने के लिए महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष पुलिस यूनिट के द्वारा एक सरकारी वेबसाइट का शुभारम्भ किया गया है। शुभारम्भ के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ममता शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की शुरुआत सभी राज्यों में भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत में अनेक कानून एवं अधिनियम



हैं परन्तु उचित प्रकार से उनका क्रियान्वयन न होने के कारण महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए इस दिशा में यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह वेबसाइट हिन्दी में उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि अभी भी हिन्दी समझने वालों की संख्या अधिक होने के कारण तथा स्थानीय भाषा में संवाद के कारण हिन्दी की वेबसाइट अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। एडिशनल डी.सी.पी. (SPUWC) सुमन नालवा ने कहा कि यह वेबसाइट महिलाओं को SPUWC पर शिकायत दर्ज कराने की पूर्ण प्रक्रिया को व्याख्यित करती है। उन्होंने यह भी कहा कि वेबसाइट के अतिरिक्त वे फेसबुक तथा ट्विटर पर भी उनसे सम्पर्क बना सकते हैं।[3]

महिलाओं के विरुद्ध अपहरण को रोकने तथा उनको सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह एक सकारात्मक प्रयास है। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए समाज में जागरूकता लाने की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठा सकें। महिलाओं को भी इस सम्बन्ध में अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता है तथा इसके लिए स्कूल में भी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए जिससे पीड़ित होने की सम्भावना को कम किया जा सके तथा पीड़ित होने की स्थिति में तुरन्त पुलिस सहायता प्राप्त हो सके।

महिला पुलिस से यदि अपेक्षाओं की बात करें तो महिला पुलिस ने निश्चित रूप से कुछ सीमा तक अपनी भूमिका को सकारात्मक रूप से निभाया है परन्तु हमारा समाज उनसे कहीं अधिक अपेक्षा रखता है। स्वतन्त्रता के पश्चात आम आदमी की अपेक्षाओं का तीव्र गति से विस्तार हुआ परन्तु पुलिस के कार्य एवं छवि नकारात्मक रूप से उभरकर सामने आयी जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षाओं एवं वास्तविकता में बहुत बड़ा अन्तर आ गया है। पिछले कुछ दशकों में महिला पुलिस ने पुलिस की छवि को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। परन्तु इस दिशा में अभी भी बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। आम व्यक्ति के मन में पुलिस की छवि अभी भी नकारात्मक बनी हुई है इसलिए इस छवि को परिवर्तन करने एवं उनकी भूमिका को प्रभावी

बनाने हेतु विभाग, सरकार एवं समाज के स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। विभाग एवं सरकार के द्वारा पुलिसकर्मियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, संख्या में वृद्धि करना, उपयुक्त स्थान पर तैनाती तथा सामुदायिक पुलिसिंग की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए सामाजिक स्तर पर भी महिला पुलिस को समर्थन एवं सहयोग प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। सामान्यतयाः देखा जाता है कि आम व्यक्ति पुलिस को अपराध एवं अपराधी सम्बन्धी सूचनाएं उपलब्ध करने से घबराता है यद्यपि इसके पीछे अनेक कारण हैं परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी को महिला पुलिस को सहयोग करना चाहिए तथा उनकी भूमिका को ओर अधिक प्रभावी बनाने हेतु समर्थन प्रदान करना चाहिए।

महिला पुलिस से अपेक्षाओं का विश्लेषण करे तो निष्कर्ष निकलता है कि महिला पुलिस कुछ सीमा तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने समाज के मध्य विशेषकर महिलाओं के मध्य पुलिस की छवि को बेहतर बनाने का प्रयास किया है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में उनकी भूमिका को ओर अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, जिससे वे समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा करने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। महिला पुलिस को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय, सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर एक साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। विभागीय स्तर पर महिला पुलिस को अपने सहकर्मियों तथा उच्च्य अधिकारियों का सहयोग तथा समर्थन मिलना चाहिए तथा उनको अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु उचित समय व अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। विभाग द्वारा उनको कार्यालयों में कार्य करने की उचित व्यवस्था तथा साथ ही साथ आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिससे वे अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह भली भांति कर सकें सरकारी स्तर पर महिला पुलिस हेतु उचित सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिससे वे प्रभावी ढंग से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें तथा भविष्य में अधिकारिक



लड़कियां पुलिस विभाग में स्वेच्छा से आ सकें। सरकार एवं विभाग द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग हेतु महिला पुलिस का सहयोग अधिकाधिक लिया जाना चाहिए क्योंकि आम व्यक्ति का मानना है कि महिला पुलिस पुरुष पुरुषों की तुलना में समाज में सकारात्मक छवि रखते हैं इसलिए वे बेहतर तरीके से इस व्यवस्था का लाभ दिला सकती हैं। समाज के सहयोग के बिना भी महिला पुलिस को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। महिला पुलिस की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाना तथा उनको समर्थन प्रदान करना होना चाहिए। उनको केवल नकारात्मक रूप में ही न लेकर बल्कि सकारात्मक रूप से लेते हुए अपने विरुद्ध हुए अपराधों को दर्ज कराने तथा न्याय प्राप्ति के लिए विश्वास पैदा करना चाहिए। समाज में मीडिया को भी निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए निष्पक्ष तरीके से पक्ष रखना चाहिए क्योंकि सामान्यतया समाज का आम व्यक्ति अपनी सूचनाओं को प्राप्त करने व सोच बनाने हेतु मीडिया पर ही निर्भर करता है। सूचनाओं के प्रवहन का उत्तरदायित्व निश्चित रूप से मीडिया के ऊपर ही होता है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सभी परिस्थितियों में निष्पक्ष रहते हुए वास्तविक तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। भारत में महिला भूमिका को यदि प्रभावी एवं सार्थक बनाना है तो सभी हर प्रकार हर प्रकार स्तरों पर आवश्यक रूप से किए जाने चाहिए तभी वे अपनी भूमिका को भलीभांति निभा सकती हैं तथा अपेक्षाओं में खरा उतर सकती हैं।

## संदर्भ सूची

1 अमर उजाला मेरठ, 19 फरवरी 2012 पृष्ठ संख्या-20.

2 टाइम्स ऑफ इंडिया, 20 मार्च 2012, पृष्ठ संख्या-2.

3 टाइम्स ऑफ इंडिया, 22 फरवरी 2012

## सन्दर्भ सूची

- भूषण पी.एस.,(1998) 'पुलिस और समाज' मनीषा पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
- नवल, चन्दनमल,(1992) 'भारतीय और पुलिस' राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर.
- भटनागर, सतीशचन्द्र,(1983) 'पुलिस मार्गदर्शिका' द लायर्स होम, इन्दौर.
- चतुर्वेदी, मुरलीधर (1982) 'अपराध-शास्त्र एवं अपराध प्रशासन', इलाहाबाद लॉ ,एजेंसी पब्लिकेशंस, इलाहाबाद.
- शर्मा, ब्रजमोहन,(1989) 'भारतीय पुलिस', पंचशील प्रकाशन, जयपुर.
- यादव, विमलेश,(2002) 'अपराधों की रोकथाम में महिला पुलिस की भूमिका', सृजक प्रकाशक, गाजियाबाद.
- बाबेल, बसन्तीलाल,(1988) 'अपराधशास्त्र' ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ.
- बघेल, डी.एस. (1981) 'अपराधशास्त्र', विवेक प्रकाशन, दिल्ली.
- पाण्डेय, अजय शंकर,(2000) 'स्वाधीनता संघर्ष और पुलिस', राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
- तजेना, पुष्पलता,(1997) 'भारतीय प्रजातन्त्र और पुलिस', सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली.





- शाह, गिरिराज, (1998) 'अपराध अपराधी और पुलिस', हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनौर.
- भटनागर, सतीशचन्द्र एवं भटनागर श्रीमती शांता, (1985) 'आधुनिक भारत पुलिस की भूमिका और संगठन', द लायर्स होम, इंदौर.
- सरोलिया, शंकर, (1988) 'भारतीय पुलिस संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य', गौरव पब्लिशर्स, जयपुर.
- आहूजा राम, आहूजा मुकेश, (1998) 'विवेचनात्मक अपराधाशास्त्र' रावत पब्लिकेशंस, नई दिल्ली.
- सिरोलिया शंकर, (1988) 'भारतीय पुलिस सन्दर्भ एवं परिप्रेक्ष्य' गौरव पब्लिशर्स, जयपुर.
- भूषण पी.एस. (1998) 'पुलिस और समाज' मनीषा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली.
- वर्मा, परिपूर्णानन्द, (1984) 'भारतीय पुलिस' विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी.

## BIBLIOGRAPHY

**Government of India Reports**

- Indian Police Commission Report, 1902. (Fresher Commission)
- Report of the National Police Commission Report, 1978-1982. (Chaired By Dharma Vir) Government of India, Ministry of Home Affairs,
- Crime Report, National Crimes Records Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi 2000- 2012.

**BOOKS**

- Aadesh K. Devgan (2008) "Crime against Women and Child: An Emerging Social Problem" Cyber Tech Publications, New Delhi.
- Adam Thomas, F. (1968) 'Law Enforcement : A Introduction to the Police Role in Community' Englwood Cliffs (N.J.) Prentice Hall,
- Aparna Srivastva (1999) "Role of Police in

Changing Society", Delhi APH.
- Aruna S.R, (2000) The Peace Keepers- Indian Police service (IPS) Manas Publications New Delhi.
- Banton, Michael, (1964) "The Police in the Community" New York: Basic Books.
- Bayley, David H. (1969) "Police and Political Development in India" Princeton University Press, New Jersey,
- Bell, Daniel, J. (1982). 'Policewomen - Myths and Reality'. Journal of Police Science and Administration, 10(1): 112-120.
- Bhardwaj, R.K. (1978). Indian Police Administration, New Delhi National,
- Bharti, Dalbir, (2006) "Police and People-Role and Responsibilities" A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi.
- Bhattacharya Mohit (1972) : Organization & Policing of Medium State Cities, IIPA, New Delhi,
- Bloch, P.B. and Deborah Anderson. (1974). 'Police Women on Patrol'. Washington D.C.: Police Foundation.
- Chakravarthy S. (1994). Equal opportunities to Women in Police. Police Research and Development, October-December, pp. 21-24.
- Charles, D.H., (1977) "Fundamentals of Police Administration" Boston: Halbrooks Press.
- Charles, Michael. T. (1982). Women in Policing: The physical aspect. Journal of Police Science and Administration, 10(2): 194-205.
- Chaturvedi, S.K. (1985) 'Police and Emerging Challenges' B.R. Publishing Corporation, New Delhi,
- Chaturvedi, T.N., Rao, S. Venugopal (1982). Police Administration, IIPA, New Delhi,
- Curry, J.C. (1932) "The Indian Police" Faber and Faber Limited, MCMXXXII, London.
- Dovel, Ajil and Lall B.R. (2010-2011) Police



Year Book Manas publication, New Delhi .
- Dr. Trinath Mishra (2009) 'First charge a hand book for police officers'- Sheriden Book Company, New Delhi.
- Dubey K.C. (2009), "Introduction To Crime Psychology", Omega Publications , New Delhi.
- Earayil A.L., and James Vadackumchery, (1985) "Police and the Society" Trivandrum, Kerala Books International.
- Ezra, Scotland and John Berberich, (1979) "The Psychology of Police". in Hans Toch, (ed.), Psychology of Crime and Criminal Justice.
- Francis Heidensohn. (1992). Women in Control? The role of Women in Law Enforcement'. Oxford: Oxford University Press.
- Ghosh S.K. (1981). 'Women in Policing', Light and Life Publications, New Delhi.
- Ghosh, (S.K.1981) "Police in Ferment" Light and Life Publication, New Delhi.
- Goldstein, Herman in (1975) "Police in a Free Society" and Donald J. Newman in Introduction to Criminal Justice, New York: J.B. Lippincott Co.1975.
- Gupta, Anand, Swaroop, (1979)' The Police in British India' (1861-1941) Concept Publishing Co., New Delhi,
- Gupta, N.K. (2005) "Indian Police and Vigilance in the 21st century", Anmol Publication, New Delhi.
- Hart J.M (1951).-The British Police, George Allen and Unwin, London, (pp.22-27)
- Holdaway, Simon; Parker, Sharon K. (1998). 'Policing Women Police: uniform patrol, promotion and representation in the CID'. British Journal of Criminology.
- Holden, N.R., (1994) "Modern Police Management" Second Evaluation New Jersy: Prentice Hall Career and Technology.

'James Vadackumchery (2003) 'Policing The police A nation's cry'- Kaveri Books Publication, New Delhi.

John, M. Pfiffner, (1967) "The Function of Police in Democratic Society" Occasional Papers, Center for Training and Career Development, Los Angeles.

Johns, C.J. (1979). 'The trouble with Women in Policing- Attitudes aren't changing'. Criminal justice Review, 4: 33-40.

Joyce., Lucy. N., Janet, Q. and Michael, E.S. (1977). 'Women on Patrol- A pilot study of Police performance in New York City'. New York : Vera Institute of Justice (Pre-Publication Copy).

Kaul, Reema, (2006) 'Women and Crime' Omega Publications, New Delhi.

Khan, Sultan Ahmed (1983): Power, Police and Public; Vishal Publications, Kurukshetra,

Krishnamurthi, Latha. (1995). 'Women Police in Criminal Justice Administration - Role Conflicts and Tensions: A Socio- Psychological Analysis'. Police Research and Developments: October-December, pp. 10-17.

Leonard, V.A., (1980) "Fundamental of Law Enforcement: Problems & Issues", NewYork : West Publishing Company.

Madan, J.C. (1980)'Indian Police' Uppal Publishing House, New Delhi,

Madhavan Jija, H. Singh (2002). 'Women Leaders in Police on International Law Enforcement Issues'. Paper presented at 'Federal Law Enforcement and the International Community' at Women in Federal Law Enforcement (WIFLE 2002), Third Annual Training Conference at Grand Hyat Hotel, Washington.

Mahajan, Amarjit (1982). Indian Policewomen (A Sociological Study of a New Role) Deep & Deep Publications New Delhi.

Mathur, K.M. (1987) "Administration of Police Training in India" Gyan Publishing House New Delhi.

Mathur, K.M. (1987) 'The Problems of Police in Democratic Society' R.B.S.A. Publishers Jaipur,

Mathur, K.M. (1991).'Police in India - Problems and Perspective' Gyan Publishing House, New Delhi,

Mathur, K.M. (1994) 'Indian Police- Role and Challenges', Gyan Publishing House, New Delhi.

Mathur, K.M. (1997) 'Police Culture Need for a Close Scrutiny. I.I.P.A. New Delhi.

Mishra R.C. 2002 'Crime Trends in India' Author Press New Delhi)

Mishra, K.K., (1987). 'Police Administration in Ancient India', Mittal Publications, Delhi.

Misra, Sharad Chandra (1970) Police Administration in India, Mount Abu, National Police Academy,

Natarajan, Mangai (2001). 'Women Police in a Traditional Society: Test of a Western Model of Integration'. International Journal of Comparative Sociology. 42(1-2): 211-233.

Pinto. (1988). 'Police Women's Perception of their Changing Role', A Study on the Role on Women in the Victoria Police Force (Australia), Department of Criminology, University of Melbourne (Carlton), Student Paper.

Prasher, Rajinder (1986) "Police Administration" Deep and Deep Publication, New Delhi.

R.K.Dutta (2003) "Crime against Women" Reference press, New Delhi.

Report of the Bureau of Police Research and Development (1975). 'Women Police in India', Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

Sarantakos, S. (1998). Social Research (2nd

edition), London: Macmillan Press.

- Sarolia, Shankar, (1990) 'Indian Police-A Retrospect 1989' Cosmo Publications, New Delhi,
- Sen, Shankar, (1989) 'India Police Today' Ashish Publishing House, Punjabi Bagh, New Delhi,
- Shah, G.R., (1989) 'Indian Police- Retrospect' Cosmo Publication, New Delhi,
- Sharma, P.D (1977) "Police Image in India: A Developmental Approach" Research Publication, New Delhi.
- Shashi Shekhar Singh (2006) "Crime in India" Vista International Publishing House.
- Sherman, Lawrence J. (1975). 'Evaluation of Policewomen on Patrol in a Suburban Police Department'. Journal of Police Science and Administration.
- Shukla K.S. (1988) "Collective Violence Genesis and Response" Indian Institute Of Public Administration ,New Delhi.
- Srivastava, V.P. (1977) (ed.), 'Indian Police: Law and Order Reality' Manas Publication, New Delhi,.
- Trilok Nath (1983 )"The Police Problems" Vision Books Pvt. Ltd., New Delhi.
- Udai Veer (2004) "Crime Against Women" Anmol Publications New Delhi.
- Uglow, Steve, (1988) "Policing Liberal Society", Oxford: Oxford University Press.
- Verma Arvind, (2005) 'The Indian Police -A Critical Evaluation' Regency Publications New Delhi.
- Verma R.B. (2006), "Crime Psychology", Alfa Publications , New Delhi.
- Wyles Lilian. (1952). Women at Scotland Yard: Reflections on the Struggles and Achievements of Thirty years in the Metropolitan Police. London: Faber and Faber Ltd.

**JOURNALS, MAGAZINES AND NEWSPAPERS**

- The Indian Journal of Public Administration, IIPA, New Delhi.
- The Indian Police Journal, Bureau of Police Research and Development, New Delhi.
- Police Vigyan, Bureau of Police Research and Development, New Delhi.
- The Times of India, New Delhi.
- Hindustan Times, New Delhi.
- Statesman New Delhi.
- India Today, New Delhi.
- Dainik Jagran (Daily Newspaper) Meerut.
- Amar Ujala (Daily Newspaper) Meerut.

----------

## सर्वेक्षण प्रपत्र

# सामान्य जनता हेतु

नाम - ......................................................

1- आयु - (1) 15 से 30 वर्ष (2) 31 से 45 वर्ष (3) 35 वर्ष. से ऊपर

2- शैक्षिक योग्यता - (1) हाईस्कूल (2) हाईस्कूल से ऊपर

3- व्यवसाय- (1) सरकारी नौकरी (2) व्यवसाय (3) अन्य

4- लिंग - (1) महिला (2) पुरुष

5 पुलिस विभाग में महिलाओं की उपस्थिति को आप कैसा मानते हैं?

(1) बहुत अच्छा (2) अच्छा (3) पता नहीं (4) अच्छा नहीं

6. आम जनता के प्रति महिला पुलिस के व्यवहार को आप कैसा मानते हैं?

(1) बहुत अच्छा (2) अच्छा (3) पता नहीं (4) अच्छा नहीं

7. महिला एवं पुलिस कर्मियों के व्यवहार में आप में अंतर महसूस करते हैं?

(1) हां (2) नहीं

8. यदि हां तो यह अन्तर कैसा है?

(1) सकारात्मक (2) नकारात्मक

9. क्या आप मानते हैं कि महिलाओ को पुलिस बल की नौकरी में आना चाहिए?

(1) हां (2) नहीं

10. महिला पुलिस क्या महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को अधिक



अच्छी तरह से देखती है?

(1) हां (2) नहीं

11. महिला पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली को आप कैसा मानते हैं?

(1) अच्छा (2) पता नहीं (3) खराब

12. क्या आप मानते है कि महिलों को पुलिस कर्मियों को महिलाओं से संबंधित जांच मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए?

(1) पूर्ण स्वतंत्रता (2) सुविधा के अनुसार (3) नहीं (4) सदैव नहीं

13. क्या महिला पुलिस कर्मी महिलों एवं बच्चों से पूछताछ (Interrogation) कर सकती है?

(1) निश्चित रूप से (2) कुछ सीमा तक (3) नहीं (4) बिल्कुल नहीं

14. महिलाओं व पुलिस कर्मियों के कार्य किस प्रकार के होने चाहिए—

(1) पुरुष पुलिस कर्मियों के समान (2) केवल महिलाओं से सम्बन्धित कार्य

15. पुलिस विभाग में महिलाएं किस सीमा तक सामाजिक परिवर्तन की भूमिका निभा सकती है?

(1) बहुत कुछ सीमा तक (2) कुछ सीमा तक (3) कोई भूमिका नहीं

16. महिलाओं से पूछताछ निम्न में से किसके द्वारा ही की जानी चाहिए?

(1) केवल महिला पुलिस द्वारा (2) महिला पुलिस की उपस्थिति में पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा (3) किसी के द्वारा भी

17. अपने क्षेत्र में तैनात रहे महिला पुलिस अधिकारियों की कार्य प्रणाली को आप कैसा मानते हैं?

(1) बहुत अच्छा (2) अच्छा

(3) कोई अन्तर नहीं (4) अच्छा नहीं

18. महिलाओं की अधिकता वाले स्थानों पर महिला पुलिस की

उपस्थिति को क्या आप उपयुक्त मानते हो?

(1) उपयुक्त (2) कोई अन्तर नहीं (3) अनुपयुक्त

19 महिला पुलिस को महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए क्या विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है?

(1) हां(2) पता नहीं (3) नहीं

20 महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार पुरुषों के प्रति कैसा होता है?

(1) अच्छा (2) सामान्य

(3) पता नहीं (4) खराब

21 क्या महिला पुलिस कर्मी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने में सफल रही है?

(1) बहुत कुछ सीमा तक (2) कुछ सीमा तक

(3) पता नहीं (4) असफल

22 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती को प्राथमिकता देना उचित है?

(1) हां(2) पता नहीं (3) नहीं

23 क्या आप मानते है कि महिला थाने अपराध रोकने में अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं?

(1) अधिक सक्रियं

(2) सामान्य थानों के समान

(3) असक्रियं

24 महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका को सक्रिय बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

1.

2.

3.

हस्ताक्षर



# महिला पुलिस कर्मियों हेतु अनुसूची

नाम -

1- आयु - (1) 18 से 35 वर्ष (2) 35 वर्ष से ऊपर

2 शैक्षिक योग्यता (1) इण्टरमीडिएट तक (2) इण्टरमीडिएट से अधिक

3 पदवार विवरण (1) निम्न अधिकारी (कान्स्टेबिल तक) (2) उच्च्य अधिकारी (हैड कान्स्टेबिल एवं ऊपर)

4 आप नौकरी की परिस्थितियों से किस सीमा तक संतुष्ट हैं?

1- बहुत कुछ सीमा तक

2- कुछ सीमा तक

3- संतुष्ट नहीं

5 क्या आपको विभाग में सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होता है।

1- बहुत कुछ सीमा तक

2- कुछ सीमा तक

3- बिल्कुल नहीं

6 महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने में क्या आप कठिनाई महसूस करते हैं

1- हां 2- नहीं

7 वर्तमान विभागीय परिस्थिति क्या कार्य करने में कठिनाई पैदा करती है

1- बहुत कुछ सीमा तक

2- कुछ सीमा तक

3- बिल्कुल नहीं पहुंचता

8 क्या पारिवारिक परिस्थितियां आपको नौकरी करने में बाध्य पैदा करती है

1- हां 2- नहीं

9 पुलिस की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या सुझाव देगें।

हस्ताक्षर